राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 14

मंगलवार

दिनांक 27 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सुरजाराम।

बेरोजगार युवकों को रोजगार

337. **श्री सुरजाराम टाक (नोखा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83, 1983-84 की घोषित नीति के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों/स्नातकोत्तर हरिजन/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या तीन हजार बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 14 जनवरी, 1982 को प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित नये 20 सूत्री आर्थिक/सामाजिक कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े गरीब तबके के परिवारों एवं बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने ऐसे लोगों एव परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

टोंक जिले में उचित मूल्य की दुकानें

338. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)**: क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 17 "घर घर राशन" के अन्तर्गत टोंक जिले की जनसंख्या के आधार पर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया था व कितनी दुकानें कार्यरत हैं ? इन उचित मूल्य की दुकानों में कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं ? इनकी मॉनिटरिंग (देखरेख) की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर दुकानों में केवल चीनी ही उपलब्ध होती है ? क्या यह भी सही है कि उन दुकानों का खुलने और बन्द होने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो गांवों में उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(3) टोंक जिले में चल दुकानें कितनी और कहां कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या–17 "घर घर राशन" के अन्तर्गत टोंक जिले में वर्ष 83–84 में 24 अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में टोंक जिले में 283 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। इन उचित मूल्य की दुकानों द्वारा लेवी चीनी, गेहूं, चावल, पाम ऑयल, केरोसीन, नियन्त्रित कपड़ा वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

उचित मूल्य की दुकानों की मोनिटरिंग (देखरेख) जिले में नियुक्त प्रवर्तन स्टाफ एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में सतर्कता समितियां बनी हुई हैं जो वहां कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों के वितरण कार्य पर निगरानी रखती हैं।

(2) जी, नहीं। उचित मूल्य की दुकानों को चीनी के अतिरिक्त गेहूं, चावल, केरोसीन, खाद्य तेल एवं नियन्त्रित कपड़ा भी उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

उचित मूल्य की दुकानों का खुलने एवं बन्द होने का समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो प्रातः साढ़े आठ बजे से बारह बजे तक एवं सायं तीन बजे से छः बजे तक निर्धारित है। इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियन्त्रित वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की हुई है।

(3) टोंक जिले में एक भ्रमणशील दुकान टोंक होल-सेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार, टोंक के नाम से कार्यरत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गांवों और शहरों में जन संख्या के आधार पर उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने के 20 सूत्री कार्यक्रम और केन्द्र सरकार के जो निर्देश समय समय पर जारी हुए हैं, उस आधार पर कितनी दुकानें खोली गई ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य के आधार पर दुकानें नहीं खोली गई ?

दूसरी बात, आपने इसमें 24 अतिरिक्त

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा था, वह शहरों व गांवों में निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया है।

तीसरा, कहा गया है कि चीनी के अतिरिक्त गेहूं, चावल, केरोसीन, खाद्य तेल एवं नियन्त्रित कपड़ा भी उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चीनी के अलावा और कोई दूसरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

चौथी बात आपने समय के बारे में बताई। इस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी दुकान समय पर नहीं खुलती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। आप तो भाषण देने लग गये।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनसंख्या के आधार पर जो जानकारी चाही इससे तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जो इन्स्ट्रक्शन्स स्टेट गवर्नमेन्ट को हैं, इन निर्देशों के आधार पर ही लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। टौंक जिले में इस साल हमारा 24 दुकानें खोलने का लक्ष्य था जिसमें से हम 14 दुकानें खोल पाये हैं और 10 दुकानें अभी खोलना बाकी है। इनमें शायद 1–2 दुकानें ही खोल पायेंगे। इसका कारण यह है कि आगे चल कर कम्पीटिशन हो जाता है। जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चीनी का भाव बाजार में कम है, इसलिए जो भी दुकान खोलता है उसको वहां पर कोई आमदनी नहीं होती इसलिए कोई भी आदमी दुकान खोलने को तैयार नहीं होता है। अगर कोई तैयार हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि दुकानें खुलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो चीनी के भाव बता रहे हैं। गेहूं, चावल, कपड़ा, पाम आयल भी है।

मंत्री, समाज कल्याण (श्री दुलाराम) : पॉम ऑयल मिलता है। जिला रसद अधिकारी से जो डिमान्ड करता है उनको दिया जाता है। दूसरा, केरोसीन के बारे में ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल पम्प नहीं होने से....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पेट्रोल पम्प कहां नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये, कृपया बैठ जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल पम्प पर केरोसीन तेल नहीं मिलता है।

श्री दुलाराम : जिला रसद विभाग ने हर जगह के लिए आदेश जारी कर रखे हैं। उस हिसाब से केरोसीन वगैरह दिया जाता है। इस बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही है कि पॉम ऑयल 235 मै० टन आपने आवंटित किया था, इसमें....

(व्यवधान)

(4)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ समय ले रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। श्रीमती विद्या पाठक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आपको समय दे दिया। उत्तर आ गया। सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कृपया बैठ जायें। प्रश्न महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। माननीय सदस्य देखते हैं गंगा बह रही है। प्रश्न जिन्होंने पूछा नहीं, पढ़ा नहीं, पूरक प्रश्न पूछ लेते हैं। सदन का समय जाता है। जिन माननीय सदस्यों की इतनी लम्बी सूची है उनको भी दो-दो मिनट का समय मिलना चाहिये। प्रश्न पूछ लिया, उत्तर आया, एक-दो पूरक प्रश्न पूछ लिये, उसके बाद अगला प्रश्न पुकारा जाता है। हर बात पर भाषण होने लगता है।

श्री त्रिलोकसिंह : लेकिन....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे केवल एक ही सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आधे सवाल की भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक।

भूतपूर्व सैनिकों को दी गई नौकरियां

339. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण है? यदि हां, तो किस किस स्तर के लिए कितना कितना? क्या यह आरक्षण अर्द्ध सरकारी नौकरियों पर भी लागू होता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षण की कभी पूर्ति होती ही नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सैनिक कल्याण बोर्ड इसका कोई ब्यौरा रखता है?

(3) क्या राज्य में विज्ञापित रिक्तियों के आवेदन सरकार को भेजने और इन्टरव्यू कॉल आने पर भू० पू० सैनिकों को सूचना देने का कार्य राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) गत 3 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

कितनी और स्वयं अपने प्रयास से कितने भूतपूर्व सैनिकों को किस किस स्तर की कितनी नौकरियां दिलवाई गईं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री शीशराम ग्रोला) : (1) जी हां। यह आरक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए 15 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए साढ़े 12 प्रतिशत रखा गया है। हां, यह आरक्षण अर्द्ध सरकारी नौकरियों पर भी लागू है।

(2) यह सही नहीं है कि आरक्षण की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन किया जाता है तथा इसका विवरण सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा रखा जाता है।

(3) राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों के नाम पंजीकृत किये जाते हैं और विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों की सूचना आने पर पंजीकृत पंजिका के अनुसार सैनिकों के नाम भेजे जाते हैं।

साक्षात्कार की सूचना सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजी जाती है।

(4) गत 3 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से सैनिकों को दिलाई गई नौकरियों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 1981–82	322
वर्ष 1982–83	455
वर्ष 1983–84	1055

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि किस-किस स्तर की कितनी-कितनी नौकरियां दिलायी गयीं, जिसमें से किसी का जवाब नहीं आया—क्लास 4 की या क्लास 3 की दिलायी गयीं, जवाब नहीं आया। दूसरा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सूचना दी जाती है तो उसका जवाब आया, अलग अलग करते हैं। मैं फिर पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि क्या नौकरियों में रिजर्वेशन का ब्यौरा सैनिक बोर्ड के द्वारा रखा जाता है, क्या बोर्ड द्वारा एम्पलायमेंट सीलिंग का केटेगरी वाइज ब्यौरा रखा जाता है, क्या, जब वैकेंसीज होती हैं, तो बोर्ड को वह नोटिफाई करते हैं, इन्टरव्यू के लिये लैटर्स उसके द्वारा नहीं भेजे जाते हैं, गांव वालों को वह पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए न सरकार जिम्मेदार रहती है न बोर्ड ही रहता है।

श्री शीशराम ग्रोला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, बताऊं कि राज्य सैनिक बोर्ड और जिलों के सैनिक बोर्डों में यह ब्यौरा रखा जाता है और जिस विभाग से सूचना आती है कि इतने की जरूरत है, राज्य का सैनिक बोर्ड है या जिलों के सैनिक बोर्ड हैं उनकी पूर्ति करने के लिए उनके द्वारा नाम भेजे जाते हैं। वह पूछा कि किस

(श्री शीशराम ओला)

किस पद के लिए है, तो यह सब प्रकार के पद शामिल हैं। कोई गजेटेड या आफिसर के पद तो हैं नहीं, बाबू के, ड्राइवर के, चपरासी के, प्रहरी के पद हैं। इसमें सब प्रकार के पद सम्मिलित हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां जो तीन वर्ष में की गयी हैं, उसका विवरण दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने यह पूछा था कि क्लास 4 और क्लास 3 में कितने लोगों को दी गयी। इसका उत्तर नहीं आया। बोर्ड के माध्यम से ब्यौरा, विवरण रखा जाता है, तो क्या उसमें यह भी है कि कितनों को नौकरी प्राप्त हुई? 30–35 वर्ष की उम्र में सैनिक रिटायर हो जाता है। उसको सब सुविधायें फिर मिलना बन्द हो जाती हैं। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि उनकी सेवायें राज्य सरकार के पास रहें?

श्री शीशराम ओला : क्या रखें?

श्रीमती विद्या पाठक : जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में काम करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, तो केटेगरी वाइज उनकी सेवायें राज्य सरकार के उपयुक्त विभागों को ट्रान्सफर हो जाय, तो की जायं।

श्री शीशराम ओला : यह उससे बाहर है। कोई भी सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं है कि उनको वहां से रिटायर होने पर अपने यहां पर रखे।

श्रीमती विद्या पाठक : जो जिस पद के लिये उपयुक्त हो, यह कहा है। यह पूछा था कि इस प्रकार की जो नौकरियां सरकार में होती हैं तो बोर्ड को नोटिफाई की जाती हैं और बोर्ड के माध्यम से उनको इन्टरव्यू में भेजा जाता है?

श्री शीशराम ओला : यह तो माननीय सदस्या स्वयं को जानकारी है, उनको जो लोग जानकारी देते हैं, वे सही ढंग से जानकारी नहीं देते हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : यह प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री शीशराम ओला : मैंने स्पष्ट उत्तर दिया कि इन्टरव्यू लैटर्स विभागों के द्वारा नाम भेजा जाता है। मसलन सचिवालय में 10 जगह हैं और रिजर्वेशन के हिसाब से 2 पद भरे जायेंगे, तो उसके लिये मानो 10 नाम भेजे उसमें से दो को रख लिया। उनकी सूचना दे देते हैं। सभी प्रकार के पद हैं, बाबू के, प्रहरी के, वार्ड बॉय के, अधिकतर चौकीदार, प्रहरी आदि के होते हैं। जो आई. टी. आई. पास होते हैं या बाबू की योग्यता रखते हैं वह कम होते हैं। कुछ ओवर एज हो जाते हैं, आयु के दृष्टिकोण से रिलेक्सेशन देने के बाद भी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरी माननीय सदस्या का नाम पुकार लिया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : मैं यह जानना चाहती हूं कि 15 प्रतिशत का जो आरक्षण था उसकी कितने प्रतिशत पूर्ति की गयी? एक। दूसरा, सलेक्शन बोर्ड होता है उसमें सैनिक कल्याण बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, वह होना चाहिए क्या? तीसरा, 64 से पहले की वार विडोज के लिए नियम है कि 25 रुपये केन्द्र देगा और 25 रुपये राज्य सरकार देगी। तो आज तक 64 से पहले की वार विडोज को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, कितने स्थान भर गये, यह बता दिया है। दूसरा माननीय सदस्या ने पूछा, वार-विडोज जो 64 से पहले की हैं, के लिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या को जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार द्वारा उन सब विधवाओं, जो 64 के पहले की थीं, में से करीब 955 के लिए तो पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है। 100 के करीब केस बाकी हैं, जिनको इसी मार्च तक स्वीकृत हो जायेंगी। जहां तक सवाल है कि कितने पद खाली रहे, वह सरकार के विचाराधीन है, हम लोग सोच रहे हैं और आशा रखते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन की वेकेंसी नहीं रहेगी जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, उसका पूरा लाभ उनको मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण

340. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)** : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान क्रीड़ा परिषद् में किन-किन खेलों के लिये प्रशिक्षक नियुक्त हैं?

(2) उन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं और उन पर कौन-कौन प्रशिक्षक नियुक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि जितने प्रशिक्षक नियुक्त हैं उनमें से 70% जयपुर में ही नियुक्त हैं?

(4) क्या कुछ प्रशिक्षकों के दुराचरण की परिषद् या खेल विभाग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि प्राप्त हुई हैं, तो किन-किन के विरुद्ध और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

राज्य मंत्री, खेल-कूद (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) राजस्थान क्रीड़ा परिषद् में निम्नलिखित खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त हैं : 1) एथलेटिक्स 2) बैडमिंटन....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह सदन की मेज पर आ गये हैं इसलिये मंत्री महोदय को इन्हें बताने की जरूरत नहीं। जो सदन की मेज पर आ जाता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं सुना देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : हम सुनना चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा :

1) एथलेटिक्स
2) बैडमिंटन
3) बास्केटबाल
4) मुक्केबाजी
5) क्रिकेट
6) साइकिलिंग
7) फुटबाल
8) जिम्नास्टिक
9) हाकी
10) जूडो
11) कबड्डी
12) कुश्ती
13) योगा
14) खो-खो
15) टेनिस
16) तैराकी
17) वालीबाल
18) भारोत्तोलन
19) पर्वतारोहण
20) टेबिल टेनिस

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हाँ। परिषद् में नो प्रशिक्षकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक शिकायत टेबिल टेनिस प्रशिक्षक के विरुद्ध प्राप्त हुई व दूसरी शिकायत कबड्डी प्रशिक्षक के विरुद्ध प्राप्त हुई। दोनों प्रशिक्षकों के विरुद्ध शिकायत की जांच करने हेतु अधिकारी नियुक्त किये गये थे। टेबिल टेनिस के प्रशिक्षक के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इस पर परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है। कबड्डी के प्रशिक्षक के विरुद्ध की जा रही जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 70% प्रशिक्षक जयपुर में नियुक्त नहीं हैं। मैं इससे तो सहमत हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्रशिक्षक लगे हुए हैं क्या आपकी सूची से यह साबित नहीं होता कि 32% जयपुर में ही हैं और 57% राजस्थान में बैठे हुए हैं ? इस 70% की बात तो सही नहीं है। सारे लोगों के जयपुर में बैठे रहने से क्या खेल का विकास हो सकेगा ? क्या हमारे जो टैलेंट्स रूरल एरिया में हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिये कोई कार्यवाही माननीय मंत्री महोदय ने की है ?

श्री रामकिशन वर्मा : जहां तक क्रीड़ा परिषद् का सवाल हैं, 32% जयपुर में नियुक्त हैं। 32% में से राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला ने जयपुर में क्षेत्रीय परिषद् कायम कर रखी है। इस संस्थान में नियुक्ति करना अनिवार्य है। जयपुर में परिषद् नियुक्त है क्योंकि यह जनसंख्या की दृष्टि से प्रधान भी है और हमारे यहां ज्यादा जनसंख्या भी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महो-

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

दय, माननीय मंत्री महोदय, जो 57% भेजे हैं उनको भी जयपुर में ही रखें, मगर राजस्थान में खेलों को विकसित करने के लिये राजस्थान के सभी जिलों में भेजें तो हर मायने में खेलों का विकास हो सकेगा। तो 57% को जयपुर में ही बुला लें। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ लोगों की शिकायत की गई है, उसकी जांच हो रही है। क्या यह सच नहीं है कि एस. एम. एस. स्टेडियम के अन्दर किशोरीलाल, सुन्दर लाल शर्मा, डेविड एव विक्टर नामक कोच ने वहाँ पर एक महिला कोच के ऊपर चाकुओं से हमला किया और पिस्तोल लेकर स्टेडियम पहुंच गये? जहाँ पर प्रशिक्षक खुद अनुशासन तोड़ने की कार्यवाही करें और स्पोर्ट्स कौंसिल के अध्यक्ष ने, जब एक महिला ने कोर्ट में शिकायत की तो उसका स्थानान्तरण इस बात पर कर दिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था, उन्हें सस्पेंड करते या और भी कोई कार्यवाई करते। लेकिन, अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद् ने उनका केवल स्थानान्तरण किया। क्या माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से बतला पायेंगे कि ऐसे अनुशासनहीन लोगों को बचाने वालों पर और, अनुशासनहीनता करने वाले तत्वों को बचाने वालों पर मंत्री महोदय ने कार्यवाही क्यों नहीं की?

(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : जहाँ तक महिला का सवाल है। 17 महिला प्रशिक्षक हमारी परिषद् में नियुक्त हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि जिन लोगों ने महिला से अभद्र व्यवहार किया। जहां तक उसका सवाल है हमारी खेल परिषद् के अन्दर महिला प्रशिक्षकों के ऊपर एक प्रशिक्षक ने, जो पटियाला से यहाँ पर नियुक्त था, आक्रमण किया। कई लोग बचाने दौड़े। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उनके पास चाकू था, पिस्तौल थी लेकिन उस महिला प्रशिक्षक को, अध्यक्ष महोदय, दो आदमियों के साथ थाने भेजा। उसकी रिपोर्ट करवायी। उन्होंने उन खिलाड़ियों को बुलाया। बाद में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवायी? सीधे यहाँ से वापस भेज दिया और केस समाप्त कर दिया। जहां तक किशोरी लाल का सवाल था उनका कहीं नाम नहीं आया। वे चार बजे तक बाहर रहे। लेकिन अन्तर्राज्यीय खिलाड़ी जो जमा हुए थे हमारे यहाँ टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे हमारे पास आये और जब मैं चौगान स्टेडियम को चैक करने गया तो उन्होंने इस बात के लिये निवेदन किया कि हमारे प्रशिक्षक हमारे यहाँ भेज दें। इसके अलावा कई महिला प्रशिक्षक खिलाड़ी भी हमारे यहाँ आये और कहा कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर भी उनकी जांच रिपोर्ट अभी आ रही है। ट्रांसफर तो इस तरह से कोई एक प्रकार से सजा नहीं है। जांच रिपोर्ट के बाद उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री महोदय के जवाब में उन्होंने कहा है कि जहाँ तक प्रश्न है, महिला कोच ने रिपोर्ट नहीं की हो, कोई भी महिला अपनी

(10)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इज्जत खतरे में डाल कर कोई कोर्ट में या पुलिस में जाने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिये अपनी इज्जत बचाने के लिये केस दर्ज नहीं किया तो माननीय मंत्री महोदय की ड्यूटी नहीं है, उन लोगों को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया ? मैंने पूछा था उनको बचाने के लिये क्या माननीय मंत्री महोदय ने उनका ट्रांसफर नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत सीरियस चार्ज है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय ने जाकर स्टेडियम को देख लिया और उन्होंने यह नहीं कहा कि जिम्नास्टिक के खिलाड़ी आगे के खेल कैंसल कर दें। जो हमारी नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करें, मैं किसी लड़की का नाम सदन में नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी पोजीशन खराब नहीं करना चाहता, आपने इस ओर से आंख मींच रखी है और ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं, तो दीजिए। आपको धन्यवाद।

श्री रामकिशन वर्मा : न तो किसी अधिकारी, को अध्यक्ष महोदय, बचाने की मंशा है, न उसे बचाया जायेगा। आपने दस्तावेज पेश नहीं किये। आपने जो शिकायत की बात की तो हमारे एक प्रशिक्षक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के इन्चार्ज हैं, उनको इन्क्वायरी के लिए नियुक्त कर दिया है। उनको नोटिस दिया है, 14-3 को दुबारा इस बात का नोटिस दिया है कि रिपोर्ट जल्दी भेजें। उसमें अगर साबित हो जायेगा तो कठोर दण्ड दिया जायेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक तरफ तो जांच का आदेश देते हैं दूसरी तरफ उस जांच को बन्द करने के लिए फोन करते हैं। जिससे आप जांच करा रहे हैं वह तो आपका सबॉर्डिनेट है, वह क्या सही जांच कर पायेंगे ? आपका संरक्षण उनको प्राप्त है। किसी इन्डिपेण्डेण्ट व्यक्ति से इसकी जांच करायें तब तो कुछ सही नतीजा निकल सकता है।

श्री रामकिशन वर्मा : बचाने का सवाल नहीं, मैं तो उनको जानता तक नहीं। आपने कहा है तो जो भी होगा उसकी....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लिखित में दिया है। आपने लिखित में जांच का आदेश दिया है, उसके बाद फोन किया है कि इसकी जांच न करें और इस आदमी को अलवर से वापस बुला लिया जाय।

श्री रामकिशन वर्मा : जहां तक साबित करने के सम्बन्ध में बात की है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय पर चार्ज है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट कहा है कि फोन किया। उसके कारण इन्क्वायरी की है। क्या यह सही है ?

श्री रामकिशन वर्मा : बिलकुल गलत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसको गलत कहते हो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खुद××× बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप दस्तावेज मंगा लीजिए। आपके चैम्बर मे जांच कर लीजिए कि मंत्री जी गलत हैं या मैं गलत हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह।

तहसील कोलायत एवं पूगल के काश्तकारों के भू अभिलेख

341. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि तहसील कोलायत नं. 1 2,3,4,व तहसील पूगल के खातेदार गैर खातेदार आवंटी काश्तकारों द्वारा मौके की कब्जा काश्त भूमि की स्थिति अनुसार भू अभिलेख तैयार नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार नये आवंटन पर रोक लगा कर सही स्थिति कायम करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, उपनिवेशन (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां, विभाग द्वारा इन मामलों की जांच की जाकर कार्यवाही की जा रही है। काबिज भूमि को वर्तमान में आवंटन योग्य राजकीय भूमि की सूची में शामिल नहीं किया गया है, अतः आवंटन कार्य को रोक कर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करे, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : वह जमीन उनकी खेती का आधार है। लोगों ने लिखा था कि हमारी जो काबिज काश्त भूमि है। उसके ऊपर दूसरे लोगों का आवंटन किया जा रहा है जब कि हमारे ए.सी.सी. और डी सी. सी. चल रही है, उसके उपरान्त भी मंत्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं।

मैं बताता हूं, मिसल 172/75, 9.2. 83 को ए.सी.सी. कोलायत के अन्दर रद्द करके दूसरे को आवंटन कर दिया गया। सैकड़ो आवेदन ए.सी.सी. कोलायत में चल रहे हैं। बहुत पुरानी जमीन है। उसको कृपया, जब तक उसका फैसला नहीं हो, तथ्य सामने लाकर निर्णय नहीं कर लेते, तब तक किसी और को आवंटन नही करें। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आवंटन नहीं करें जब कि नोटिसेज दिये हैं। कई नोटिसेज आपको बता सकता हूं। एक नोटिस के अन्दर अभी आवंटन कार्यक्रम के लिये तारीख 29–30 दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मै मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोलायत तहसील के अन्दर 1,2,3, व 4 तथा पूगल तहसील के

(श्री देवीसिंह भाटी)

अन्दर ऐसे डिस्प्यूटेड मामलों के अन्दर कोई आवंटन का कार्यक्रम नहीं चलायें, कोई आवंटन नहीं करें, क्या यह सही नहीं है कि वहां ऐसा कार्यक्रम चल रहा है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह चुका हूं कि काबिज भूमि को वर्तमान में आवंटन योग्य राजकीय भूमि की सूची में शामिल नहीं किया गया। ऐसे 664 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 106 का निर्णय हो चुका है। बाकी 558 केसेज ऐसे हैं जिनमें निर्णय होना है। इन में जो लोग भी अपनी जमीन पर काबिज हैं, वे यह कहते हैं कि सेटलमेण्ट में दूसरी जगह काबिज हैं, लेकिन हमें कृपया इस जमीन पर ही काबिज रहने दें, और इसी वास्ते हमारी इस जमीन पर कब्जा नहीं किया जाय, ऐसी जमीन को आवंटित नहीं किया जाय और न किया जा रहा है, लेकिन इस बिना पर कि चूंकि यहां नहर आयेगी इसलिए हमें यहां काबिज मान लीजिए।

664 केसेज में से, जैसा मैंने निवेदन किया, 106 का हम निर्णय ले चुके हैं और 558 केसेज ऐसे बचे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जमीन के लिए भागें। वहां पर सारे सबूत झोंपड़ी वगैरह, मौजूद हैं। इसके बावजूद मंत्री महोदय कहते हैं कि आवंटन के कार्यक्रम नहीं हुए हैं। मेरे पास नोटिसेज ढेरों पड़े हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं। 3 हजार 9 हजार के नोटिस जारी हुए हैं। मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष महोदय, 9 हजार एक नोटिस ..

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वहां कौड़ियों के भाव की जमीन थी वह आज लाखों की कीमत की हो गयी है इसलिए....

श्री देवीसिंह भाटी : उस क्षेत्र के एम. पी. ने इनको लिख कर दिया लेकिन ...

(व्यवधान)

किसानों को मार रहे हो।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उनकी बेदखली की कार्यवाही से भविष्य में किसानों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो इस केस से संबंधित नहीं है। सम्बन्ध तो केवल इतना है कि जमीनों पर कुछ लोग काबिज हैं लेकिन रेकार्ड में उनका नाम नहीं है। उनका कहना है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक उस जमीन को आवंटित नहीं किया जाय। उनकी बात मानकर ऐसे आदेश कर दिये हैं। 106 का निर्णय तो लिया भी जा चुका है।

श्री देवीसिंह भाटी : आदेश क्या हैं, बता दें, उसी से संतुष्ट हो जायेंगे। क्या यह सही है कि उन 600 के अलावा हजारों बिना पढ़े-लिखे काश्तकार ऐसे हैं जिनको समय पर सूचना नहीं मिली। उन्होंने दर-

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्वास्तें नहीं दीं, उनका क्या करने जा रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधि होने के नाते आपका फर्ज है कि ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, उनको सूचना दिलवायें, इस बात की कोशिश करें कि उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : ऐसे केसेज पहले भी लिए हैं। जब तक केसेज डिसाइड नहीं हो जाते तब तक इस आवंटन की कार्यवाही को स्टे करने में आपको क्या आपत्ति है ?

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारा किसान मारा जा रहा है। नोटिसेज जारी कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि ऐसे आदेश जारी कर दिये। इसका प्रमाण बता दें, मंत्री महोदय, मान जायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जो आदेश दिये हैं, उसकी कॉपी माननीय सदस्य को डाक से भिजवा दूंगा।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : बेदखली की कार्यवाही हो रही है। हजारों काश्तकारों की जमीनें जा रही हैं। उनका नये आवंटियों को आवंटन हो जायेगा। वहां का काश्तकार बड़ी मुसीबत में फंस जायेगा, वकीलों के चक्कर में फंस जायेगा। जब तक केसेज डिसाइड नहीं होते, उसको स्टे क्यों नहीं कर देते ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

दवाइयों से बिक्री कर हटाना

342. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दवा विक्रेताओं पर से सेल्स टैक्स हटाने की मांग प्रस्तुत की थी ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार गरीब जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इस मांग को स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां।

(2) मांग स्वीकार नहीं की गयी, क्योंकि इससे राजस्व की आय में हानि होने की सम्भावना है।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स फ्री करने के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि दवाओं का जो रॉ-मेटीरियल है उस पर 4 प्रतिशत सेंटर का और 5 प्रतिशत स्टेट का टैक्स है और बाकी 11-11 1/2 और है, यह एक बात। रॉ-मेटीरियल पर टैक्स लगने के बाद जब वह बन कर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

निकलती है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दुबारा वही का वही टैक्स उस पर लगता है, जिससे गरीब आदमी, इस राजस्थान प्रदेश की जनता पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और यह विशेष परेशानी का कारण होता। आपने यह देखा होगा, सैंटर कह देता है, 5 प्रतिशत कर दो, 6 प्रतिशत कर दो। जो आपके वहां के गवर्नमेण्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वह एक बार कोटेशन मंगा लेते हैं, कोटेशन मंगाने के बाद अगर जो व्यापारी हैं होलसैल डीलर्स हैं मेन्युफैक्चरर्स हैं वह महगी दवाइयां बेचते हैं, गरीब आदमी उनको खरीद नहीं पाते इसलिये यह जो एक्साइज ड्यूटी का सवाल है उसे उपभोक्ता तथा आपके हास्पिटल्स...

श्री अध्यक्ष : आपका तो सैल्स-टैक्स का मामला है, यह तो सैन्टर का मामला है, राजस्थान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, रा–मैटीरियल पर जो टैक्स लगता है और मैन्युफैक्चर होने के बाद दुबारा टैक्स लगता है उसे कम करें ताकि गरीब लोगों को दवाइयां खरीदने में सुविधा हो। आपको मालूम होगा इसके लिये कैमिस्टों ने आपको एक मेमोरेन्डम दिया था, 2-3 दिन पूरा राजस्थान बन्द रहा और दवाइयां नहीं मिलने से कम से कम 2 हजार आदमी मर गये, इतनी मोनोपोली है। क्या आप उनके पक्ष में हैं? सैल्स टैक्स दुबारा नहीं लगे उसके पक्ष में न हो, जिस कमीशन पर मिलती है इन्डस्ट्रीज से, कैमिकल इन्डस्ट्रीज वह चीजें देती है जैसे पेशेन्ट को इन्जेक्शन लगता है

(व्यवधान)

किन्तु पूरे राजस्थान के कैमिस्ट न लेने, न रखने, न खरीदने, न अपने स्टॉक में रखने को तैयार हैं। हजारों गरीब लोग मर जाते हैं, इसका जवाब दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनके सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी के सम्बन्ध में जो यह फर्मा रहे हैं इसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कि पहले 7 पर्सेन्ट दवाइयों पर सैल्स टैक्स लगता था, किन्तु 1976 में हमारे राज्य के तत्कालीन माननीय वित्त मन्त्री जी, जो कि मेरे सामने विराजे हुये हैं, ने उसको 5 पर्सेन्ट कर दिया था और तब से बराबर 5 परसेन्ट ही लग रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में रा–मैटीरियल पर टैक्स लगता है उसके बाद दवाइयां मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके ऊपर दुबारा टैक्स लगता है वह नहीं लगे। जब दवाइयां तैयार होकर मार्केट में आये तो नहीं लगे। दूसरी बात गांवों में होलसेल और उपभोक्ता भण्डार नहीं हैं, दवाइयों पर रेट नहीं लिखी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

होने के कारण दुकानदार हाई रेट पर बेचते हैं, गरीब लोगों को हाई रेट पे करनी पड़ती है इसलिये रेट लिखी होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दूं विदेशों का तब आप कहेंगे कि विदेशों की बात यहां पर कर रहे हैं। राजस्थान में कैमिकल इण्डस्ट्रीज हैं पहले रा–मैटीरियल पर टैक्स लगता है और फिर उसके बाद में दवाइयां मैन्युफैक्चर होने के बाद····

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सब दवाइयों के सेम्पल्स पर रेट लिखी हुई होती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं आप गलत जवाब दे रहे हैं। गरीबों को और मध्यम वर्ग के लोगों को आप राहत पहुंचाने के लिये तैयार नहीं हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री कमलेन्द्रसिंह ।

सांभर में वक्फ जायदाद पर कब्जा

343. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सांभर में एक वक्फ जायदाद पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर उस पर मन्दिर बनाने का प्रयास किया है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) उक्त जमीन पर आज किसका कब्जा है?

मन्त्री, वक्फ (श्री अहमद बक्श सिंधी) : सांभर में वक्फ जायदाद पर किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर उस पर मन्दिर बनाने का प्रयास नहीं किया ।

(2) इस समय उक्त जमीन पर राज्य सरकार का कब्जा है ।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 12 सितम्बर, 1983 को एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें यह लिखा गया है कि मन्दिर बनाने का प्रयास किया गया । यह रिपोर्ट आपके पास भी आई है और केन्द्रीय होम मिनिस्टर के पास भी गई है ।

दूसरी बात, इस जमीन पर कब्जा किसी का नहीं है, सरकारी कब्जा है उसके लिये वक्फ कमेटी जो सांभर लेक की है उन्होंने ऑलरेडी उस जमीन पर मदरसा बनाने की परमिशन म्यूनिसिपैलिटी से ले ली है ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रिपोर्ट 12-9-83 को वक्फ बोर्ड में आई है मगर मैंने स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और एस. पी. को मौके

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी)

पर भेजा है ग्रौर इन्क्वायरी करवाई है जिससे यह पता लगा कि उन लोगों ने मन्दिर बनाने का प्रयास नहीं किया बल्कि कब्जा करने का प्रयास किया —

(व्यवधान

दूसरी बात यह, यह बात सही है कि वहां की स्थानीय वक्फ कमेटी मदरसा की इमारत उस जमीन पर बनाना चाहती है। उस मौके की जमीन को देखकर कुछ ऐसे शरारती लोगों ने कोशिश की थी जिसको विफल कर दिया ···

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्रसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि मदरसा बनाने की परमिशन ग्रब सरकार ने क्या दे दी है ? वक्फ कमेटी की जमीन है।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : वह जमीन वक्फ प्रापर्टी है इसमें शक नहीं है। यह बात सही है ...

श्री कमलेन्द्रसिंह : मान गये।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

ब्यावर नगर में ग्रावासन बोर्ड की योजना

344. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) :** क्या ग्रावासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) ब्यावर नगर में ग्रावासन बोर्ड की योजना कब बनी, रजिस्ट्रेशन कौन से सन् में शुरू किये गये, ग्राज तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए तथा उनमें कितनी राशि जमा हुई ?

(2) इस योजना हेतु भूमि कब ग्रवाप्त की गई तथा ग्रवाप्त की गई तथा ग्रवाप्त भूमि का ग्रवार्ड कौन सी तारीख को किया गया ?

मन्त्री, ग्रावासन (श्री दुलाराम) : (1) मंडल ब्यावर नगर में वर्ष 1979 व 1981 में मकान ग्रावटन हेतु पंजीकरण किया जिसके ग्रन्तर्गत 787 ग्रावेदकों ने प्रार्थना पत्र देकर 22,16,900/–रुपये पंजीकरण राशि के रूप में मण्डल के खाते में जमा कराये।

(2) भूमि दिनांक 7-6·83 को ग्रवाप्त की गई तथा दिनांक 29-10-1983 को विशेषाधिकारी द्वारा ग्रवार्ड दिया गया।

(3) जी नहीं। मामला विशेषाधिकारी के समक्ष रेफरेन्स में होने के कारण।

(4) 1984-85 में कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह बात पूछना चाहूंगा कि सन् 1979 के ग्रन्दर ब्यावर के ग्रन्दर हाउसिंग बोर्ड की योजना बनी उससे 5 वर्ष के ग्रन्दर इस योजना पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुग्रा ?

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब गवर्नमेन्ट ने हाउसिंग बोर्ड

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

को अवार्ड दे दिया उसके बाद भी जिनकी जमीन अवाप्त की गई उनको अभी तक पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ ?

तीसरी बात, मैं यह पूछना चाहूंगा कि अवार्ड तय हुये 8-9 महीने हो गये, अभी तक उनको पेमेन्ट क्यों नहीं किया ? हाउसिंग बोर्ड की योजना दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है जिससे हाउसिंग बोर्ड के मकान जो अब बनेंगे उनका लाभ अधिक नहीं होगा। क्या इससे जिन लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकान दिये जायेंगे उनके ऊपर भार नहीं पड़ेगा ? इसका उत्तर दीजिये।

इसके अलावा एक बात की तरफ और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ब्यावर के अन्दर हाउसिंग बोर्ड के लिए जो जमीन अवाप्त की गई है उसके सामने पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग को तीन लाख रुपये प्रति बीघा में जमीन दी गई है जब कि हाउसिंग बोर्ड को 25 हजार रुपये प्रति बीघा में दी गई। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब 25 हजार रुपये प्रति बीघा में हाउसिंग बोर्ड को जमीन दी गई है और ठीक उस जमीन के बिल्कुल सामने, फ्रन्ट में, नगर परिषद ने सरकारी डिपार्टमेन्ट को 3 लाख रुपये प्रति बीघा में जमीन दी है। फिर भी, उस अवाप्त की गई जमीन का अवार्ड है, उसका पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया और यह पेमेन्ट कब तक कर दिया जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : और दबाव में आकर जमीन को डी-एक्वायर भी कर देते हैं ब्यावर में भी किया गया ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि आवासन मण्डल के अधिकारी ने 25 हजार रुपये प्रति बीघा का अवार्ड फिक्स किया लेकिन अजमेर और जयपुर में 19-20 हजार का अवार्ड है। जब जयपुर में 19-20 हजार रुपये में मण्डल को जमीन मिल रही है तो फिर ब्यावर में 25 हजार रुपये ज्यादा है। उसमें आगे रेफरेन्स किया है। आखिर में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मण्डल को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़े। अगर मण्डल ज्यादा पैसा देगा तो लोगों को इससे नुकसान होगा, यह हित भी ध्यान में रखना पड़ता है। जहां तक दूसरी जमीन का सवाल है उसकी कीमत ज्यादा बताई गई, यह तो सब जानते हैं कि आज जमीनों की कीमत बढ़ रही है इसके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया मैं पूछना चाहता हूं 79 में रजिस्ट्रेशन किया गया, 79 में ही योजना बनी, उस समय की कीमत में और आज की कीमत में 50 पर्सेन्ट का फर्क पड़ गया। एक तरफ तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि मैटीरियल सब जगह महंगा हो गया तो मकान भी महंगे मिलेंगे और दूसरी तरफ म्यूनिसिपलिटी ने 25 हजार रुपये बीघा के हिसाब से जमीन दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री उदयराम।

ग्राम पंचायत मूंजवा को प्रदत्त कैरोसीन

345. **श्री उदयराम धाकड़**(बड़ीसादड़ी) क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत मूंजवा में अगस्त 1983 से माह फरवरी, 1984 तक कितना कैरोसीन दिया गया ? यदि नहीं दिया गया ,तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि फरवरी का कैरोसिन बड़ी सादड़ी में. डीलर को दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उसका वितरण उक्त गांव में नहीं किया गया ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

राज्य मन्त्री,खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत मूंजवा में अगस्त, 83 से फरवरी, 84 तक 3740 लीटर कैरोसीन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया।

(2) जी हां मूंजवा में टेंकर लारी नहीं जाने से ग्राम पंचायत मूंजवा के डीलर्स को बड़ी सादड़ी में ही केरोसीन प्रदान किया जाता है जो बैलगाड़ी से ले जाते हैं।

(3) जी नहीं। कैरोसीन का वितरण मूंजवा पंचायत क्षेत्र में किया गया है। मूंजवा पंचायत क्षेत्र में कैरोसीन वितरण न होने की कोई शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री उदयराम धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, बिजली की वहां पर समस्या है, गांव वाले गरीब व्यक्ति हैं, उनको तेल भी नहीं मिलता है।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे को जानकारी मिली है कि फरवरी में ग्राम मूंजवा में 880 लीटर कैरोसीन दिया गया है जैन किराणा स्टोर और अमृतलाल जनरल स्टोर को। फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, मैं इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करा दूंगा।

श्री उदयराम धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, वहां पर ड्रम पड़े रहते हैं, फरवरी का तेल वहां दिया नहीं है....

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया कि अगर ऐसी बात है तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें। मैं हैड ऑफिस से जांच करवा लूंगा और कोई शिकायत पाई गई तो कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

बून्दी जिले के सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

346. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बूंदी के सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में कितने मामले राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? कृपया पंचायतवार सूची मामले व विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी में 1980 से 31 जनवरी, 1984 तक कितने सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले सिद्ध पाये गये और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? जिन सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) बूंदी जिले के 22 वर्तमान व भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 1980 से 31 जनवरी, 1984 तक बून्दी जिले के किसी भी सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है। अतः सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि 22 सरपंचों में से वर्तमान में कितने सरपंच हैं ? अध्यक्ष महोदय, 71 से कार्यवाही चल रही है और अभी तक प्रतिवेदन क्यों नहीं प्राप्त हुए ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि आज तक एक भी सरपंच के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि बूंदी सरपंच को हथकड़ी लगाई गई थी ?

श्री शीशराम ओला : किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है, एक सरपंच श्री भंवर लाल व्यास के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर गबन का मामला पाया गया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई गई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय एक तरफ तो कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाई गई ?

श्री अध्यक्ष : गिरफ्तार करने से ही कोई आरोप सिद्ध थोड़े ही हो जाता है।

श्री शीशराम ओला : जब फाइनल रिपोर्ट आ जायेगी उसी के आधार पर कोई बात कही जा सकती है।

श्री गोपाल पचेरवाल अध्यक्ष महोदय, उनमें से 6 सरपंच वर्तमान में हैं ?

श्री शीशराम ओला : 5 हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : 6 हैं, आपको जानकारी सही नहीं है। आप आश्वस्त करें कि कब तक प्रतिवेदन मंगवा लिये जायेंगे ? सारे ही सरपंच कांग्रेस के होने के नाते

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सारा अन्त्योदय का पैसा खा गये। आप यह आश्वस्त करें कि उनको कब तक दण्डित किया जायगा ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि कांग्रेसी सरपच होने के नाते उनको बचाने की चेष्टा की जा रही है। माननीय सदस्य अगर कोई शिकायत् पेश करें तो मैं एक महीने में जांच करवा लूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 1983 को उनको भेजी गई जिसका प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा आरोप है कि सरकार कांग्रेसी सरपंचों को बचाने की चेष्टा कर रही है।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। क्या एक घण्टा भी सुन लें अगर बून्दी के सरपंचों के बारे में सप्लीमेण्टरी प्रश्न हो तो।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका जवाब मुझे अभी पांच मिनट पहले ही मिला है। कई पार्टियों के 3 करोड़ 45 लाख रुपये 15 साल से बकाया पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि महत्वपूर्ण है तो नियमों में पर्याप्त प्रावधान है। आप नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

(12.00 म.प)

श्री सुनील कुमार। स्थगित प्रश्न।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आप स्थगित नहीं करते हैं तो आप इसको आधे घन्टे की चर्चा के लिये इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1984)

घड़साना नई मण्डी व रावला मण्डी में प्लाटों का आवंटन

161. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या उप निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि घड़साना नई मण्डी में सन् 1982 में गरीब वर्ग के लोगों को प्लाटों के आवन्टन के लिए कोई लाटरी निकाली गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या प्लाट वितरित कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या रावला मण्डी में प्लाट आवंटितों से पूरी राशि जमा करवाली गई है ?

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

यदि हां, तो इन प्लाटों का उन लोगों को कब्जा कब तक मिलेगा ?

उपनिवेशन मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां, घड़साना मण्डी में वर्ष 1982 में दिनांक 27-2-82 को गरीब वर्ग के लोगों को प्लाटों के आवंटन हेतु लाटरी निकाली गई थी। लेकिन रावला मण्डी में वर्ष 1982 में गरीब वर्ग के लोगों को प्लाटों के आवंटन हेतु लाटरी नहीं निकाली गई।

(2) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में मण्डियों में भूमि का विक्रय एवं आवंटन शर्तों, 1973के अनुसार सचिव मण्डी विकास समिति ने लाटरी के परिणाम अध्यक्ष, मण्डी विकास समिति व आयुक्त, क्षेत्रीय विकास की पुष्टि हेतु प्रेषित किये लेकिन अध्यक्ष ने उक्त लाटरी के परिणाम की पुष्टि नहीं की जिसके कारण प्लाट वितरित नहीं किये जा सके।

रावला मण्डी में सन् 1982 में कोई लाटरी नहीं निकाली गई अतः रकम जमा कराने व प्लाटों का कब्जा देने का प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, रावला मंडी में 1981 में लाटरी निकाली गयी थी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह उनको कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह के लिए लाटरी निकाली गई थी वहां पर एक झंझट पैदा हो गया था। वहां पर इन प्लाटों के बीच में रोड निकाली गई, उसका एलाइनमेन्ट गलत हो गया था। अब ठीक किया जा रहा है और अब उनको जल्दी ही कब्जा दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

[शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें]

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पीपल्दा व सुल्तानपुर क्षेत्र में पुलियाओं का निर्माण

441. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पीपल्दा व सुल्तानपुर क्षेत्र के कई स्थानों पर ड्रेनेज खोद देने तथा पुलियाएं नहीं बनाने की वजह से कई गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर शीघ्र पुलियाएं बनाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।

अन्ता आर. एम. सी. डिवीजन क्षेत्र में सिचाई योजना

442. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अन्ता आर. एम. सी. डिवीजन द्वितीय क्षेत्र में कितनी नहरें ऐसी है जो आर. एम. सी. में फुल एफ. एस. एल. पर पानी होने पर ही सिचाई कर सकती हैं ? इन नहरों से कितना क्षेत्र सिंचित होता है तथा दिसम्बर, 1983, जनवरी, 1984 में इन नहरों से कितने दिन सिंचाई हुई ?

(2) क्या विभाग इन नहरों को ठीक से चलाने के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो इन नहरों को समुचित रूप से चलाने के लिए क्या वैकल्पिक योजना बनाई गई है ?

उत्तर

(1) केवल एक माइनर जिसका नाम ताखा माइनर है इसका सी. सी. ए. 200 एकड़ है एवं इसमें दिसम्बर, 1983 व जनवरी, 1984 में एक भी दिन पानी नहीं चला ।

(2) इसके हैड को नीचा करके नहर को भी गहरा करने का प्रस्ताव है ।

रोक कटिंग के लिए एक्सप्लोजिव की खरीद

443. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर), **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) व **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1982-83 व 1983-84 में रोक कटिंग के लिए किस-किस वर्ष में कितनी कितनी मूल्य पर और कहां-कहां से एक्सप्लोजिव खरीदे गये ?

(2) इन एक्सप्लोजिव से रोक कटिंग का काम कितना अपेक्षित था और कितना हुआ है ? कृपया इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 व 83-84 में रोक कटिंग से क्रमशः 27.46 लाख एवं 8.376 लाख रु० मूल्य के एक्सप्लोजिव खरीदे गये । वर्षवार एवं फर्मवार सूची मय कीमत के प्रपत्र "अ" में संलग्न है ।

(2) विभागीय तौर पर तथा ठेकेदारों द्वारा जिनमें ठेकेदारों को विभाग द्वारा एक्सप्लोजिव देना था, कुल एक करोड़ 25 लाख घन फुट कटिंग की गई । निर्धारित मात्रा के अनुसार कुल डिटोनेटर व बिलेटीन मय एमोनियम नाइट्रेट मिलाकर कुल रोक कटिंग 1 करोड़ 21 लाख घनफुट अपेक्षित थी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

रोक कटिंग के लिए ड्रिल रोड्स की खरीद

444. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) व

23

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1982–83 व 1983–84 में रोक कटिंग के लिए किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी किस-किस मूल्य पर और कहां-कहां से ड्रिल रोड्स खरीदे गये ?

(2) इन ड्रिल रोड्स से रोक कटिंग का काम कितना अपेक्षित था और कितना हुआ है ?

उत्तर

(1) सन् 82–83 में व 83–84 में रोक-कटिंग के लिए खरीदी गयी ड्रिलरोड की विस्तृत सूचना संलग्न प्रपत्र में दर्शाई गई है।

(2) विभागीय तौर पर कुल रोकटिंग 99.76 लाख घनफुट की गई निर्धारित मात्रा के अनुसार ड्रिलरोड की कुल खपत 2500 होनी चाहिए थी जबकि वास्तव में 1700 ड्रिलरोड ही काम में आई हैं। जिसमें मोजूदा स्टाक से ली गई ड्रिलरोड्स भी शामिल हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

नहर निर्माण में विभिन्न फर्मों को ठेके

445. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स ओम मेटल्स (ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., ओम ट्रेडिंग कार्पोरेशन, श्याम काटेज इन्डस्ट्रीज, ओम कोठारी उद्योग एवं एग्रो इन्डस्ट्रीज) कोटा ने राजस्थान नहर निर्माण में ठेके लिये थे ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या कार्य लिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस फर्म ने ठेके पर लिये कार्यों को अधूरा ही छोड़ दिया और अब उससे विवाद चल रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स ओम मेटल्स, ओम मेटल्स एवं मिनरल्स प्रा. लि., ओम ट्रेडिंग कारपोरेशन, ओम कोठारी उद्योग एवं एग्रो इण्डस्ट्रीज, कोटा ने कोई भी ठेके नहीं लिए थे/हैं।

मैसर्स श्याम काटेज इण्डस्ट्रीज कोटा ने अनूपगढ़ शाखा के छः रेगुलेटरों (रेगुलेटर आर. डी. 137800 आर. डी. 195000, आर. डी. 237050, आर. डी. 281000 और. डी. 321000 एवं आर. डी. 365000) पर मेन फेब्रिकेटिंग सप्लाई एवं इरेक्शन आफ गेट्स के कार्य के लिए ठेके लिए थे। उक्त कार्य के लिए ठेके निम्न प्रकार लिए गये थे :—

क्र.स.	अनूपगढ़ शाखा के रेगुलेटर आर. डी. जिस पर गेट्स लगाने थे	सप्लाई आर्डर न एवं दि. जो अधिशासी अभियन्ता, रामप, घड़साना खण्ड श्री विजय नगर ने दिए
1	2	3
1.	137800	14716–18 दि. 29.10.69

24

(राजस्थान नहर मंत्री)

2.	195000	14719-21 दि. 29.10.69
3.	237050	14722-24 दि. 29.10.69
4.	281000	14725-27 दि. 29.10.69
5.	321000	14728-30 दि. 29.10 69
6.	365000	14731-33 दि. 29.10.69

(2) हां, यह सही है कि इस फर्म श्याम काटेज इन्डस्ट्रीज ने उक्त कार्यों को अधूरा ही छोड़ दिया था। उक्त कार्यों की अनुमानित लागत अनुबन्धों अनुसार रुपया 1,32,012.40 थी। फर्म ने गेटों का माल भिजवाया जिसका कि 90 प्रतिशत भुगतान बैंक के माध्यम से रेल्वे रसीद के विरुद्ध किया गया। प्राप्त माल में कुछ कमियां एवं त्रुटियां पायीं गयीं। फर्म को माल की त्रुटियां दूर करने एवं इसकी कमियो के पूरा करने एवं गेटों को इरेक्ट करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु फर्म ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। एक संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिसमें कि फर्म का भी एक अधिकृत प्रतिनिधि था फर्म द्वारा सप्लाई किये गये माल का भौतिक सत्यापन किया एवं त्रुटियां एवं कमियों का सत्यापन किया। इस तरह विवाद चलता रहा और अन्त में जून 73 में राजस्थान नहर बोर्ड ने आदेश दिये कि सप्लाई किए गये गेटों के ,माल को ठेकेदार के खर्च पर आवश्यकतानुसार मोडीफाई एवं मजबूत कर कार्य में लिया जाकर कार्य पूर्ण कर लिया जावे। मुख्य अभियन्ता, रा. न. प. द्वारा अगस्त 1975 में फर्म को फाइनल नोटिस दिया गया कि नोटिस जारी होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर अन्दर कमियों को पूरा करें, त्रुटियों को दूर करें, एवं गेटों को "इरेक्ट" करें अन्यथा यह कार्य उसके रिस्क एव कास्ट पर पूरा किया जावेगा। फर्म ने फिर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की। फर्म ने दिसम्बर, 76 मे एक 80 सी. पी. सी. का नोटिस दिया एवं विवाद को मध्यस्थ के द्वारा सुलझाने हेतु निवेदन किया। यह नोटिस विभाग ने टाइम बोर्ड होने के कारण एवं मध्यस्थता या अनुबन्धों में कोई उल्लेख न होने के कारण रद्द कर दिया। फर्म ने न्यायालय म केस दायर नहीं किया। बचे हुए कार्यो में से रेगुलेटर आर.डी. 137800 अनूपगढ़ शाखा पर गेट्स लगाने के कार्य को फर्म के कोस्ट एव रिस्क पर पूरा करवा लिया गया है। बाकी के बचे हुए 5 रेगुलेटरों पर गेट्स लगाने के कार्यों को राजस्थान नहर परियोजना के सेन्ट्रल वर्क शाप के माध्यम से फर्म के कोस्ट एव रिस्क पर पूरा करवाने का निर्णय लिया गया है।

चक गरबी में अनधिकृत आवासीय कब्जे

446. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बीकानेर शहर के उपनिवेशन क्षेत्र के चक गरीबी में कितने व्यक्तियों ने अनधिकृत आवासीय कब्जे किये हुए हैं ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि आयुक्त उपनिवेशन को क्षेत्रीय विधायक द्वारा पत्र संख्या क्रमांक 1037/18-7-1983 के उक्त चक से अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिये पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो विभाग ने अब तक अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर के उपनिवेशन क्षेत्र के चक गरबी में 429 व्यक्तियों ने अनधिकृत आवासीय कब्जे किये थे। जिनमें से 422 अतिक्रमियों को हटाया जा चुका है।

(2) जी हां। विभाग ने चक गरबी के ख. नं 814,817,818 व 835 की भूमियों के गैर खदातेारों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत वाद दायर करवाये। इनमें से खसरा नम्बर 835 की भूमि के विषय में वाद राज्य पक्ष में निर्णित हो चुका है जिसके अनुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। खसरा नम्बर 814,817 व 818 की भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद चल रहे हैं।

उपनिवेशन क्षेत्र में काबिज काश्तकारों को जमीन

447. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र में दिनांक 15-10-1955 के पूर्व से काबिज काश्तकारों को 25 बीघा जमीन बिना कीमत व शेष सीलिंग सीमा तक, कीमत पर देना तय किया है ?

(5) क्या जैसलमेर, बीकानेर के काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित कर उन्हें भूमिहीन काश्तकारों के समान बना देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस अन्याय को दूर करने का क्या उपाय करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15–एएए में उन्हें खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान है तथा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत उक्त भूमि का निर्धारित सीमा तक निर्धारित दर पर पुख्ता आवंटन का प्रावधान है।

अजमेर खाईलैण्ड में स्थित देशी शराब की दुकान

449. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में खाईलैंड में स्थित देशी शराब की दुकान एवं जयपुर रोड की चुंगी चौकी के बाहर स्थित विदेशी शराब की दुकानों के नियम विरुद्ध

(श्री कैलाश मेघवाल)

होने से जिलाधीश अजमेर ने इन दुकानों को यहां से अविलम्ब हटाये जाने के आदेश जारी किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि आबकारी अधिकारी, अजमेर ने इन आदेशों की पालना में विलम्ब किया जिससे शराब के ठेकेदारों को इन आदेशों के विरुद्ध अदालत से स्थगन प्राप्त करने का अवसर मिल गया ? यदि नहीं, तो जिलाधीश अजमेर ने यह आदेश कब दिये ? उनकी पालना में आबकारी विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की और इन आदेशो के विरुद्ध न्यायालय से कब-कब स्थगन प्राप्त हुए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेशों को वेकेट कराने के लिये आबकारी विभाग ने कोई पैरवी नहीं की और जवाब के लिये पेशियां बदलवाते रहे ? यदि नहीं, तो न्यायालय में जवाब हेतु कब पेशी दी और उसके बाद आबकारी विभाग ने कितनी पेशियां बदलवाई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिलाधीश महोदय, अजमेर ने अजमेर में स्थित खाईलैण्ड देशी शराब की दुकान एवं जयपुर रोड चुंगी के पास स्थित विदेशी शराब की दुकान को मौजूदा स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये थे।

(2) जी नहीं। जिलाधीश महोदय, अजमेर ने दिनांक 23-12-83 को निर्देश दिये थे, इसके पूर्व खाईलैण्ड स्थित देशी मदिरा दुकान पर न्यायालय का स्थगन आदेश था एवं जयपुर रोड की चुंगी चौकी के पास की दुकान को हटाने बाबत निर्देशानुसार 15 योम का नोटिस दिनांक 4-1-84 को जारी किया गया। आबकारी विभाग से इस बाबत कोई स्थगन नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं। अनुज्ञाधारी द्वारा वाद दायर कर दिनांक 2-2-84 को माननीय न्यायालय से एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया अग्रिम दिनांक 9-2-84 निश्चित हुई। परन्तु राजकीय अभिभाषक एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के अभाव में 9-2-84 को अग्रिम दिनांक 25-2-84 की ली गई। दिनांक 18-2-84 को राजकीय अभिभाषक एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति होने पर निर्धारित दिनांक 25-2-84 को उत्तर पेश किया गया।

पार्टी द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 3-3-84 को न्यायालय ने वेकेट कर दिया। लेकिन पार्टी ने पुनः दिनांक 12[illegible]84 को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश से स्थगन प्राप्त कर लिया है जिसको वेकेट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अजमेर की घनी आबादी में शराब की दुकानें

450. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की घनी आबादी में शराब की दुकानें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में डिग्गी बाजार, शोरग्राम मोहल्ला ऊसरी गेट व आशागंज रोड पर अवैध शराब की बिक्री तथा आबकारी विभाग से शराब की बिक्री के लाइसेन्स प्राप्त दुकानदारों की अधिकता के कारण गुण्डागर्दी, लूटपाट, हिंसा एवं बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में शराब की दुकानें स्वीकृत स्थानों पर ही हैं ।

(2) यह सही है कि ऊसरी गेट के क्षेत्र मे देशी मदिरा की एक दुकान एवं डिग्गी बाजार में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की एक दुकान है । लेकिन शोरग्राम मोहल्ला और आशागज रोड के क्षेत्र में देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कोई दुकानें स्वीकृत नहीं हैं और न ही इन क्षेत्रों में लाइसेन्स प्राप्त दुकानदारों की अधिकता है । अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार अभियोग दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जाती है । अवैध शराब की सूचना प्राप्त होने पर समय समय पर विशेष धावे किये जाते हैं व इसमें पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है व अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों में में विशेष धावे किये गये जिनमें काफी सफलता मिली है व अवैध शराब की बिक्री पर इसका असर पड़ा है । लाइसेन्स प्राप्त दुकानदारों की संख्या में अजमेर शहर में पिछले दो वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है जिसके कारण गुण्डागर्दी, लूटपाट, हिंसा एवं बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई हो ।

हिण्डौन पंचायत चुनावों में शिकायतें

451. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1981 में हुए पंचायत चुनावों में हिण्डौन पंचायत समिति की पंचायत नगर में अनेकों अधिकृत व मुहर लगे व सादा मतपत्र पेटियों के बाहर प्राप्त होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब-कब किसके किसके द्वारा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उन शिकायतों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो कब कब व किस किसके द्वारा ?

(3) इस मामले में राज्य सरकार ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) घटना की जानकारी राजस्थान पत्रिका के दिनांक 19-1-1982 में प्रकाशित लेख से प्राप्त हुई ।

(2) जी हां । जांच उप जिलाधीश

(80)

(चुनाव मंत्री)

हिण्डौन द्वारा माह फरवरी 82 में एवं उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अप्रेल, 83 में कराई गई।

(3) जिलाधीश सवाईमाधोपुर को मतदान दल के सभी सदस्यों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। यह भी आदेश दिये गये हैं कि जिलाधीश यदि आवश्यक समझे तो इनको निलम्बित करने की कार्यवाही भी कर सकते हैं।

आई. ए. एस. प्रतियोगी परीक्षा का केन्द्र

452. **श्री रामकिशोर मीणा** (बिलाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आई. ए. एस. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जयपुर में कोई पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र है ? यदि हां, तो कब से तथा उसे वर्षवार कितनी-कितनी राशि चलाने हेतु मंजूर की गई ?

(2) प्रशिक्षणार्थियों को प्रति छात्र कितना स्टाईपेण्ड दिया जाता है ?

(3) इसमें प्रवेश के लिए कब आवेदन मांगे जाते हैं तथा कब से इसे चालू कर दिया जाता है ?

(4) क्या इस वर्ष के प्रवेश कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या प्रशिक्षणार्थियों को बुलवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इस वर्ष का बजट अलाट नहीं किये जाने के कारण इसे अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1972 से इसे चलाने के लिए स्वीकृत की गई राशि की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माह सितम्बर 84 से प्रशिक्षणार्थियों को प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह स्नातक को 150 रु० व स्नातकोत्तर को 250 रु० स्टाईपेण्ड दिया जाता है।

(3) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन पत्र माह जनवरी में तथा मुख्य परीक्षा के लिये माह जुलाई, अगस्त में आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। इन दोनों परीक्षाओं हेतु क्रमशः मार्च व सितम्बर में प्रशिक्षण चालू कर दिया जाता है।

(4) जी हां। माह फरवरी में प्रवेश कर दिये गये हैं किन्तु प्रशिक्षण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(5) जी नहीं। बजट का आवंटन कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

प्रवेश के विकलांग व्यक्ति

453. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) एवं **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) राज्य में किस किस प्रकार के कुल कितने विकलांग हैं ? क्या राज्य में बाहर से आये विकलांग इसमें सम्मिलित हैं ? कृपया तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के बाहर से आने वाले विकलांग भिखारियों पर सरकार किसी प्रकार की रोक लगाती है ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे विकलांगों में सूरजमुखी लोगों को शामिल नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य में विकलांगों का कभी सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? उसके अनुसार राज्य में कितने विकलांग हैं ? और किस-किस श्रेणी के ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में पूर्ण रूप से विकलांगों की कुल संख्या 80043 है। यह सूचना जनगणना की है और इसमें वे सभी विकलांग सम्मि- हैं जो जनगणना के समय राज्य में निवास करते थे।

(2) राज्य में इस प्रकार की कोई रोक नहीं है।

(3) जी हां। विकलांग व्यक्ति उन्हीं को माना गया है जिन्हें दोनों नेत्रों से एक साथ रोशनी दृष्टिगत नहीं होती है या जो सही रूप से दिन की अच्छी रोशनी में 3 मीटर की दूरी से हाथ की अंगुलियां नहीं गिन सकें। चश्में द्वारा या आंखों से न देख सकें। चूंकि सूरजमुखी इस परिधि में नहीं आते इसलिए उन्हें विकलांग नहीं माना गया है। यह परिभाषा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(4) जी हां। वर्ष 81-82 में राजस्व अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय 15914 नेत्रहीन, 6092 गूंगे बहरे व 23972 शारीरिक रूप से विकलांग कुल 45,978 पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्ति केवल ग्रामीण क्षेत्रों के पाये गये थे।

सीकर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कालोनियों का निर्माण

454. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में कई कालोनियां बनाये जाने की योजना हाउसिंग बोर्ड के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जावेगा ?

(2) क्या उक्त कालोनियों के लिये फार्म भराये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितने फार्म भरे जा चुके हैं ?

(3) क्या इस हेतु भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो किस स्तर पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। केवल सीकर शहर में ही

(आवासन मन्त्री)

कालोनी बनाने का कार्य चालू है।

(2) जी, हां। सीकर शहर हेतु 928 फार्म भराये जा चुके हैं।

(3) जी, हां। राज्य सरकार के स्तर पर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

छात्रावास निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि

455. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल 1980 से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को छात्रावास के निर्माण अथवा खोलने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई ?

(2) इनमें किस किस द्वारा अभी तक इस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों से यह धनराशि वसूल करने के लिये नोटिस भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध और कब ?

उत्तर

(1) अप्रैल, 1980 से लेकर अब तक जिन संस्थाओं को छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि दी गई उसकी सूचना परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है। छात्रावास खोलने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती।

(2) जिनको राशि दी गई उनके द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है।

(3) जी नहीं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु अनुदान

456. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोरायपाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं विमुक्त घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रति परिवार कितना अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या उक्त अनुदान राशि एक परिवार के रहने योग्य मकान निर्माण के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को किसी राजकीय अर्द्धराजकीय अथवा सहकारी वित्तीय संस्था से भवन निर्माण हेतु 10,000 रु. तक का ऋण प्राप्त करने पर ऋण का 20 प्रतिशत या 750 रु., जो भी कम हो, अनुदान सहायता दी जाती है। विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के परिवारों को कच्चे मकान हेतु 500 रु.

(31)

(समाज कल्याण मन्त्री)

अथवा पक्के मकान हेतु 750 रु. अनुदान दिया जाता है।

(2) जी, नहीं। यह अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता है। इसमें वृद्धि करने का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

आवासन मण्डल के मकानों की कीमत में वृद्धि

457. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल के विभिन्न श्रेणियों के मकानों की कीमत में वर्ष 1977 के मुकाबले कब-कब कितनी वृद्धि किस आधार पर की गई है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मण्डल की कालोनीज तथा जवाहर नगर, मालवीय नगर, नाहरी का नाका आदि में मकानों की कीमत एक समान है लेकिन उनके विकास लोकेशन शहर से दूरी, रख-रखाव और सुविधाओं में काफी अन्तर है? और यही कारण है कि जवाहर नगर में मकान आवंटन की अधिक मांग है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार समतापूर्ण व्यवहार की दृष्टि में बिभिन्न कॉलोनीज में तामीर मकानों की कीमत कॉलोनीज के विकास एवं लोकेशन को दृष्टिगत रख निर्धारित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मकानों की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण उनकी निर्माण लागत में वृद्धि ही रही है। वर्ष 1977 के मुकाबले कीमतों में हुई वृद्धि संलग्न परिशिष्टानुसार है।

(2) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

आदिवासियों को धोली मुसली के कम दाम

458. **श्री भेरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जनजाति निगम द्वारा धोली मुसली आदिवासियों से कम दाम में ली जाकर बाजार में दुगुने भाव पर बेची जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब आदिवासियों को उक्त वस्तु का उचित मूल्य दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। धोली मुसली के भाव गत वर्षों के आधार पर पूर्व में क्रय मूल्य निर्धारित कर घोषित कर दिये जाते हैं एवं प्रतिमाह की 7 तारीख को बन्द निविदा से लेकर कमेटी द्वारा बेची जाती है। अत: दुगुने या तिगुने भाव पर बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता सामग्री क्रय हेतु मुख्यालय स्तर की समिति

459. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कपड़ा एवं उपभोक्ता सामग्री क्रय हेतु मुख्यालय स्तर पर कोई समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या क्षेत्रीय प्रबन्धक, बांसवाड़ा ने 2.50 लाख का कपड़ा मेहता क्लाथ से क्रय किया जिसका उसे अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या छात्रावास को राजस संघ के द्वारा आटा प्रदाय किया जाता है जिसमें वर्ष 1982 में 96 क्विटल की घटत रही ? यदि हां तो, क्यों और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ।

उत्तर

(1) जी, हां। क्रय समिति में चार सदस्य महाप्रबन्धक, प्रबन्धक वित्त, सम्बन्धित अथवा कोई भी एक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रबन्धक सहकारिता है।

(2) जी नहीं। क्षेत्रीय प्रबन्धक ने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र रूप से मेहता क्लाथ कम्पनी से कोई कपड़ा क्रय नहीं किया है।

(3) जी हां। वर्ष 81–82 में बांसवाड़ा कार्यालय द्वारा छात्रावासों व राजकीय चिकित्सालयों को आटा सप्लाई किया गया था। आडिट रिपोर्ट के अनुसार 95–65–500 क्विटल का हिसाब शेष था। वास्तव में स्टाक में घटक नहीं थी केवल सप्लाई की मात्रा का जमा खर्च होना शेष रह गया था। अब क्रेताओं को प्राप्ति रसीदों के आधार पर बिल जारी कर दिये हैं। राशि वसूल की जा रही है। अतः आर्थिक नुकसान की संभावना नहीं है।

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन देसूरी के अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार

460. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारजी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी के अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने बेरोजगारों को जून 1980 से फरवरी 1984 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जून 1980 से फरवरी 1984 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में कितने-कितने गांवों में अनुसूचित जाति व हरिजन मोहल्लों में विद्युत व पेयजल उपलब्ध कराया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष गांवों में विद्युत व पेयजल की व्यवस्था कब तक कराने की योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी के जिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के बेरोजगारों को जून 80 से फरवरी 84 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "अ"

(समाज कल्याण मंत्री)

में सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) जून 80 से फरवरी 84 तक पंचायत समिति रानी, मारवाड़ जंक्शन व दूसरी के जितने गांवों में अनुसूचित जाति, जन जाति के मोहल्लों में विद्युत व पेयजल उपलब्ध कराया गया है, रानी पं. स. की सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट "व" में रख दी गई है। शेष की प्राप्त की जा रही है।

(3) शेष गांवों में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था कब तक उपलब्ध हो जायेगी इस बारे में अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में रोड लाइट

461. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में रोड लाइट व पाइप लाइन की सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है?

(2) यदि हां, तो सीकर जिले में विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में उक्त बस्तियों में बिजली व पानी की सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। शेष गांवों में उक्त सुविधायें कब तक सुलभ करा दी जावेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवासन मण्डल कार्यालय हेतु निजी भवन निर्माण

462. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर नगर में आवासन मण्डल अपने कार्यालय हेतु निजी भवन बनवा रहा है? यदि हां, तो कुल कितनी लागत का?

(2) उक्त भवन का नक्शा किससे बनवाया गया व नक्शे की स्वीकृति कब व किससे प्राप्त की गई?

(3) क्या यह सही है कि भवन निर्माण कार्य चालू हो चुका है? यदि हां, तो कब? 1-2-84 तक उक्त निर्माण पर कुल कितना धन व्यय हुआ?

(4) उक्त निर्माण का ठेका कब, किसको, किन शर्तों पर दिया गया?

(5) उक्त कार्य के निर्माण का ठेका देने हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई? यदि हां, तो कब कौन कौन से पत्रों में विज्ञापन दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां, इसकी कुल अनुमानित

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लागत 66.00 लाख रुपये है।

(2) भवन का नक्शा दिल्ली के एक वास्तुविद मै. राजेन्द्र श्रीवास्तव एवं एसोसियेशन से बनवाया गया जिसकी स्वीकृति बोर्ड द्वारा की गई।

(3) जी हां, कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जिस पर दिनांक 1-2-84 तक 65.45 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(4) भवन निर्माण कार्य का ठेका दिनांक 21.7.82 को मै०एम.एम कंस्ट्रक्शन कं० को आवासन बोर्ड की प्रचलित शर्तों पर दिया गया।

(5) जी हां, निविदायें आमंत्रित करने के लिये निविदा संख्या 1/82-83 दि. 7.5.82 टाइम्स आफ इण्डिया तथा राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई।

जन जाति अभिकरण द्वारा जन जाति विकास हेतु आंवटित राशि

463. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जन जाति विकास अभिकरण चित्तौड़गढ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, तथा सिरोही को जन [illegible]ातियों के सर्वांगीण विकास के लिये वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई थी? तथा आवंटित राशि में से कितनी व्यय हुई? कृपया जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु जनजाति विकास अभिकरणों को वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में आवंटित राशि एवं उसके विरुद्ध व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। "परिशिष्ट–क'

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु खोली गई दुकानें

464. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या खाद्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खोली गई दुकानों पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के "मुहरबन्द नमूने" भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ताकि राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सही किस्म मिल सके और इसके अन्यथा होने पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके?

(2) क्या राशन कार्ड धारकों द्वारा किसी खाद्य पदार्थ के न ग्रहण करने पर दुकानदारों द्वारा सरकार को उसकी सूचना देने और उसे वापस लौटाने का प्रा[illegible]न है? यदि नहीं, तो क्यों? और इस फालतू खाद्य पदार्थ का दुकानदारों द्वारा किस प्रकार उपयोग होता है?

(श्री राजबहादुर)

(3) क्या सरकार उच्च आय वर्ग के राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड बन्द करके अल्प व मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ता की राशन मात्रा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्तमान समय में विद्यमान नहीं है। वितरण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्या इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस संबध में राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया जावेगा।

(2) जी हां, राशन कार्ड धारकों द्वारा किसी खाद्य पदार्थ को न लेने पर जो वस्तुएं उचित मूल्य के दुकानदारों के पास अवशेष रह जाती है, उन्हें उचित मूल्य के दुकानदारों को आगामी माह का कोटा देते समय समायोजित कर लिया जाता है।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या मामला विचाराधीन नहीं है।

कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन का आवंटन

465. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन आवटन के क्या आधार व नियम हैं ? सांगानेर में उनकी किस सीमा तक पालना हो रही है ?

(2) उक्त तहसील की जनसंख्या कितनी है और उसके लिये किस-किस स्थान पर कितना कैरोसीन किस-किस डीलर को किस-किस गांव के निमित्त अलाट किया जाता है ? कृपया प्रत्येक डीलर का पता, नाम, उसके वितरण क्षेत्र के गांवों के नाम व जन संख्या सहित कैरोसीन की मात्रा का समुचित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में कुछ डीलर्स को आवश्यकता से अधिक कैरोसीन दिया गया है ? जबकि कुछ क्षेत्रों में कैरोसीन की सदैव कमी रहती है ? यदि हां तो ऐसी स्थिति कहां-कहां है ? वितरण व्यवस्था को सार्थक बनाने के लिए सरकार क्या करेगी ?

उत्तर

(1) कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन आवंटन, जनसंख्या, मांग एवं उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सांगानेर तहसील को भी उक्त आधार पर ही कैरोसीन तेल का आवंटन किया जा रहा है।

(2) सांगानेर तहसील की जनसंख्या 1,43,403 है। किस किस स्थान पर कितना-कितना कैरोसीन डीलरों को दिया गया है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। किसी भी डीलर को आवश्यकता से अधिक कैरोसीन नहीं दिया गया। एम.पी.डी.सी. वितरण केन्द्र मै० फौजी भाई, बीलवा एवं मै. मदनलाल हरि नारायण, बगरू को पूर्व में 12 कि.ली. प्रति

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

माह से अधिक केरोसीन आवंटन किया जाता था, जिसे सम्बंधित तेल कम्पनियों से बात कर उनका आवंटन गांवों की आवश्यकता के अनुरूप कराया गया । एम. पी. डी. सी. वितरण केन्द्र होने के कारण उनका आवंटन एक टैंक लारी से कम किया जाना भी संभव नहीं है । कस्बा सांगानेर में चार डीलर होने के कारण सांगानेर में भेजे जाने वाले केरोसीन तेल की मात्रा का इनमें समान वितरण किया जाता है । एम पी.डी.सी. केन्द्र मै. फौजी भाई, बीलवा एवं मदनलाल हरिनारायण, बगरू के आवंटन के अनुरूप ही इन केन्द्रों से तहसील के ग्रामों को संलग्न किया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कोटा में गरीबों को छप्पर योजना के तहत मकान बनाने हेतु दिया अनुदान

466. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में वर्ष 1983-84 में गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान दिये जाने का लक्ष्य था तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को अनुदान दे दिया गया है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति इटावा, सुल्तानपुर एवं सांगोद में कितने व्यक्तियों को अनुदान दिया जाना था तथा कितनों को दिया गया तथा कितना रुपया दिया गया ? नाम, पिता का नाम, ग्राम, रकम आदि की पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर पंचायतवार रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले में भेदभाव बरता गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समितियों के लिए वर्ष 1983-84 में गरीब को छप्पर योजना के तहत 400 व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 1983-84 में 350 व्यक्तियों को अनुदान दिये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिनमें से 227 व्यक्तियों को अनुदान दिया जा चुका है ।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, इटावा एवं सुल्तानपुर के पचास-पचास व्यक्तियों को अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था । लक्ष्यों के अनुसार स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं । जारी की गयी स्वीकृतियों में से पंचायत समिति सुल्तानपुर के 14 व्यक्तियों को कुल 8,000/- रुपये का अनुदान दिया जा चुका है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया है । पंचायत समिति सांगोद के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया ।

(पंचायत राज मंत्री)

(3) उक्त मामले में भेदभाव बरते जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पं. स. मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में प्राथमिक विद्यालय

467. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले में जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में कितने नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया ग्राम के नाम सहित सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में क्रमशः 10,3 व 6 प्राथमिक विद्यालय जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक खोले गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति दौसा के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

468. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति दौसा के प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या, कब व किसके द्वारा? कृपया शिकायती पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त जनता की अपील के नाम से मुख्य मन्त्री महोदय को सम्बोधित दौसा पंचायत समिति के प्रधान, विकास अधिकारी तथा सरपंचों द्वारा किये गये गम्भीर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच हेतु एक शिकायती पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में दिनांक 30-9-83 को प्राप्त हुआ। शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शिकायती पत्र जांच हेतु जिलाधीश, जयपुर को दिनांक 19-10-83 को भिजवाया गया था। जिलाधीश, जयपुर द्वारा दिनांक 3-11-83 को उप जिलाधीश, दौसा को शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उप जिलाधीश, दौसा पंचायत समिति, दौसा से सम्बन्धित अभिलेख तलब कर रहे हैं और जांच जारी है।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सुवाना (भीलवाड़ा) पंचायत समिति के अध्यापकों का स्थानान्तरण

469. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 1982–83 व 1983–84 में किन-किन अध्यापकों का स्थानान्तरण किस-किस तिथि को कहां से कहां किया गया ?

(2) उक्त पंचायत समिति में किये गये स्थानान्तरणों में से किन-किन के आदेश पुनः किस-किस तिथि से निरस्त किये गये ? कृपया सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन

470. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्रामीण खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु गांवों में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु 136 खेल कूद केन्द्र संचालित व कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों में और भी केन्द्र खोलने की कार्यवाही जारी है। इन केन्द्रों पर प्रभारियों को नियुक्ति दे रखी है जो वहां खेल कूद की समुचित व्यवस्था कर ग्रामीण अंचल के युवक-युवतियों को खेल कूद की ओर आकर्षित करते हैं व प्रशिक्षण भी देते हैं। ऐसे केन्द्रों को प्रति वर्ष 300/- रुपये तक का खेल सामान उपलब्ध कराया जाता है जबकि नये केन्द्र को प्रथम वर्ष में रु. 600/- का सामान दिया जाता है। केन्द्र के प्रभारी को रु. 50/- मासिक मानदेय भत्ता दिया जाता है। गांवों में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। शिविरों में प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिदिन अल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है। जिला स्तर पर प्रति वर्ष ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में से चुने हुए श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु आमन्त्रित किया जाता है। राज्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों को छांट कर राज्य की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को दस दिन का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। तदुपरान्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में परिषद के खर्चे पर भेजा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने

(खेल मन्त्री)

वाले ग्रामीण युवकों को नकद पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

(2) प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकार निम्न सुविधायें उपलब्ध कराती है—

1. निःशुल्क प्रशिक्षकों की सेवायें।
2. खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु रेल/बस किराया व दैनिक भत्ता देना।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता व राष्ट्रीय महिला खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 'किट' प्रदान करना।
4. मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को हवाई किराया, किट व विदेश में आवास व भोजन का पूरा व्यय वहन करना।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की पेयजल योजनाओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी के विषय में।

(2) सर्वश्री बालचन्द आर्यवीर व अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 2 अक्टूबर, 1983 को ग्राम कुन्दल तहसील मेड़ता थाना मेड़ता सिटी के निवासी श्री मांगू राम की हत्या के विषय में।

(3) श्री हरीश शर्मा व श्री मालाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 19 मार्च को एक दैनिक समाचार पत्र में कारागार विभाग की ओर से प्रहरियों आदि कुछ पदों पर सीधी भर्ती के लिये कथित फर्जी विज्ञापन निकालने के विषय में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण के विषय में।

(5) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत तीन मार्च को ग्राम मून्दल तहसील नोखा, जिला बीकानेर में एक निर्माणाधीन कुए में दो हरिजन मजदूरों के दबकर मर जाने के विषय में।

(6) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर के सुभाष नगर बस्ती में हरिजनों को आवंटित भूखण्डों का कब्जा न देने के विषय में।

(7) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले छः माह से गंगानगर जिले में भारी संख्या में गायों, बछड़ों को पाकिस्तान भेजे जाने की घटना के विषय में।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित जवाहर नगर की सीमा पर बाढ़ के कारण टूटे नाले में काफी संख्या में दुर्घटनायें होने

(श्री अध्यक्ष)

के विषय में।

(9) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर तीर्थ में मांस, मदिरा का प्रयोग एवं होटलों में अनाचार की घटनाओं के विषय में।

(10) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत कबायचा, पंचायत समिति खैरवाड़ा, जिला उदयपुर के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के गंगापुर में लगाये गये एक परिवार नियोजन शिविर में गत 24 मार्च को रुकमणी नामक एक महिला की मृत्यु के विषय में। माननीय सदस्य इस विषय पर आगे आने वाली स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की मांगों पर चर्चा कर सकते हैं।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा ज़िले के सुल्तानपुर ग्राम में गत 16 मार्च को एक 22 वर्षीय मुस्लिम महिला की हत्या के विषय में।

(3) श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की सांगोद तहसील में भोईकलां ग्राम में देवीलाल गूजर की हत्या के विषय में। सरकार की ओर से आज कोटा जिले की कानून व्यवस्था पर एक वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः माननीय सदस्य उस समय इन मुद्दों को उठा सकते हैं।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, जयपुर में जून, 1982 में अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण शिविर में सरकारी धन के दुरुपयोग के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उन पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :–

(1) श्री भूपाल सिंह–राजकीय आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक लाइसेन्सधारी ठेकेदार द्वारा 31 लाख रुपये का गबन। सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित अनुज्ञाधारी के वेयर हाउस का भौतिक सत्यापन करने पर आबकारी शुल्क की यह राशि कम देना पाया गया है। अतः इन्हें यह राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है, किन्तु गत 20 मार्च को अनुज्ञाधारी ने उच्च न्यायालय से एक स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिसे वेकेट कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा सरकार

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा इस मामले में तफ्तीश की अन्य कार्यवाही की जा रही है। इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया जायेगा जिसकी तिथि बाद में निर्धारित की जायेगी।

(2) श्री महावीर प्रसाद जैन-नगर पालिका निवाई द्वारा 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान के अन्तर्गत लगभग 500 भूमिहीनों को भूखण्डों से वंचित करना। सरकार ने सूचित किया है कि इन आवन्टनों के विषय में शिकायतों के प्राप्त होने पर आवंटन की कार्यवाही रोकी गई है और इस मामले की जांच उप निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) श्री कमलेन्द्रसिंह–नवम्बर, 1982 में वन विभाग द्वारा ली गई वनपालों की परीक्षा का परिणाम अभी तक न निकालने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में परीक्षा में विभिन्न अनियमितता की कार्यवाही की शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षा पुन आयोजित करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

(4) श्री भगवानदास शास्त्री-दयानन्द कालेज अजमेर के छात्र प्रदीप चौधरी की हत्या। सरकार ने सूचित किया है कि कालेज के दो गुटों में तनाव होने के फलस्वरूप हुई है। हत्या की तफ्तीश की कार्यवाही जारी है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये वारन्ट जारी करके उन्हें पकड़ने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया ग्राम भगवतगढ़ में डाक्टरों की लापरवाही से नसबन्दी करते समय एक महिला की मृत्यु। सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में की गई जांच में इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गयी तथा किसी भी डाक्टर की लापरवाही भी नहीं पाई गई। अत मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री फतेसिंह–कुशलगढ़ क्षेत्र के के ग्राम मुराहुआ में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट देने और किसानों से ऋण की वसूली के विषय में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी–राजस्थान मुख्य नहर व शाखाओं पर पेयजल उपलब्ध न होने से पशुओं की मृत्यु।

(3) श्री देवीसिंह भाटी–राजस्थान मुख्य नहर के दोनों ओर जल रिसाव से किसानों की जमीन को क्षति।

(4) श्री राम किशोर मीणा-रिघटिन फैक्ट्री दौसा में बिजली बोर्ड द्वारा भारी राशि पर मकान किराये लेना।

(5) श्री चुन्नीलाल जेलिया व श्री हंसराज शर्मा–ग्राम पंचायत सलावला, पंचायत समिति खण्डार में दो सरपंचों द्वारा एक साथ काम करने के विषय में।

इन सूचनाओं का अध्ययन किया जा

(42)

(श्री अध्यक्ष)

रहा है और निर्णय बाद में लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुःखी हूं, मेरा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है इस वजह से कि जब आज मैं पिछले गेट से विधान सभा में प्रवेश कर रहा था, हमारे दल के और भी व्यक्ति थे उस समय वहां दर्शक भी नहीं थे, मैंने केवल इतना ही कहा कि मुझे जल्दी कर दीजिये तो जो वहां पर मुख्य प्रहरी था उसने कहा कि तुम कौन होते हो ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो तथ्य सामने रखे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध सदन की व्यवस्था से है। यदि कोई इस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ है, आपने शिकायत प्रस्तुत कर दी है, उसकी जांच की जा रही है।

श्री हरीश शर्मा : यह क्या कानून है, मैंने कहा कि मैं एम. एल. ए. हूं....

श्री बालचन्द आर्य (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार की एक नहीं हमारे साथ भी कई घटनायें हुई हैं। माननीय सदस्यों की पहचान आप रखें ताकि इस प्रकार की घटना नहीं घटे।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, लेकिन अपने नियमों में प्रावधान ऐसा है कि....

श्री बालचन्द आर्य : मेरे साथ भी इस तरह की घटना हुई है। इस प्रकार माननीय सदस्यों का अपमान किया जाता है, यह कोई तरीका है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सदन में नहीं आयेगा।

श्री बालचन्द आर्य : क्यों ? माननीय सदस्यों का अपमान होगा तो अन्य लोगों का क्या होगा, जनता का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया, ऐसे प्रश्न सदन के समक्ष नहीं आते, चर्चा नहीं की जाती। यदि कोई त्रुटि है....

श्री बालचन्द आर्य : माननीय सदस्यों के लिए पहचान होनी चाहिए जिससे उनको अपमानित नहीं होना पड़े, थर्ड क्लास के व्यक्तियों का भी आइडेन्टिटी कार्ड होता है।

श्री अध्यक्ष : मैं सब देख लूंगा। इसमें व्यवस्था है, इस पर पुनः विचार करूंगा। आपसे बात करूंगा। जिससे गलती हुई है उससे पूछ लेंगे, लेकिन माननीय सदस्य को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। प्रावधान यह है कि सदन की व्यवस्था से सम्बन्धित यहां पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी जाती है।

श्री बालचन्द आर्य : इस बात का दुःख है, इनको अपमानित किया गया है। अपमानजनक शब्द कहे गये।

श्री अध्यक्ष : समझ गया। वह हमारे ही कर्मचारी हैं कोई दूसरे नहीं हैं। उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। आपसे बात

(श्री अध्यक्ष)

करूंगा। मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो विशेषाधिकार के प्रश्न आपको दिये हैं। उस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहूंगा। एक विशेषाधिकार का प्रश्न इस बात का प्रस्तुत किया है कि वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में योजना का आकार सही नहीं बताया। उन्होंने योजना का आकार 430 करोड़ रुपये बताया है जबकि वास्वत में 387 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया है।

दूसरा, मैंने प्रस्ताव रखा है कि श्री चन्दनमल बैद जिस समय वित्त मन्त्री थे उन्होंने बजट भाषण दिया, उस समय मनोरंजन कर में छूट देने के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ व्यवस्थायें इस सदन में घोषित की थीं। उस व्यवस्था के विपरीत सरकार ने आदेश निकालकर, जो व्यवस्था इस सदन में मान्य की और जिसके आधार पर विनियोग विधेयक पारित हुआ है, उसके विपरीत सरकार ने नोटिफिकेशन इश्यू करके उसका विस्तार कर दिया, जिससे राज्य सरकार को भी हानि हुई और सदन का भी अपमान हुआ। मैंने दो विशेषाधिकार के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, मैं चाहूंगा आप इनका निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष : आपके दो विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव थे वह इतनी देर से प्राप्त हुए थे जैसा कि आपने तथ्य बताये, काफी गहन मसले हैं। इसमें विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं, इसमें सभी पक्षों की ओर से विचार किया जायेगा। सरकार से भी कि उसने क्या कहा और मन्त्री ने भी क्या कहा है, वह सब देखना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों पर विचार करके इसका निर्णय शीघ्र दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शीघ्र या शीघ्रातिशीघ्र।

श्री अध्यक्ष : वह शीघ्र ही हो जाता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं चाहूंगा यह मसले हैं, इन पर हाउस में चर्चा होने के बाद आप इस बात का निर्णय करें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष : यह मेरे विशेषाधिकार का हनन हो जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके अधिकारों को जाग्रत करने की व्यवस्था करने में आपके अधिकार और सदन के अधिकार क्या है, के सम्बन्ध में चर्चा होगी तो पता चलेगा....

श्री अध्यक्ष : ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जी है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को अधिकार है, यदि विशेषाधिकार का मामला बन सकता है तो सदन के समक्ष भी मसलों को रख सकता है अथवा जो विशेषाधिकार हनन की समिति है वहां सभी पक्षों से विचार कर रख सकते हैं। लेकिन तत्काल अधिकार अध्यक्ष का है कि बनता है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहें कि विशेषाधिकार बनता है या नहीं, सदन के माननीय सदस्यों की राय ली जा सकती है और यह पहले भी कई बार हुआ है। ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित चुना तो इतना विश्वास आपका ठीक रख सकता हूं, रखूंगा भी।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे दो स्थगन प्रस्तावों के बारे में बताया कि राज्य सरकार से जानकारी आ गई है, किस प्रकार की जानकारी आ गई है, क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष इसका मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैंने यही व्यवस्था दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप अध्ययन कर रहे हैं, हमारे तो पशु मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ गई है, काफी संख्या में जानकारी आती है। वह मेरे समक्ष प्रस्तुत हों तब यहां सदन में आने से पहले उनका अध्ययन मैं करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया था कि नौखा तहसील में मुन्नड़ गांव में दो मेघवाल परिवार गोविन्द राम मेघवाल और जालूराम मेघवाल 3 तारीख को एक कुआं खोदते हुए जमीन के अन्दर चले गये। 3 तारीख से आज तक, मुझे यह खेदके साथ कहना पड़ता है कि स्थगन प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद उनको नहीं निकाला गया। कलेक्टर वहां गये और दो-दो हजार रुपये उनके परिवारों को मुआवजा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं निकाला ?

सुश्री पुष्पा जैन : जी नहीं। इतने गम्भीर विषय पर राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 दिन बाद उनको निकाला गया है।

श्री अध्यक्ष : जो मजदूर दब गये थे उनकी लाशें भी सात–आठ दिन से कुएं से नहीं निकाली गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बारे में कलेक्टर से जानकारी लेता हूं और 10 मिनट में आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आज ही जानकारी लें। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री महावीर प्रसाद : जिन स्थगन प्रस्तावों पर आपने व्यवस्था कर दी है या राज्य सरकार का जवाब आया है उस पर आप हमको अपनी बात कहने का मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। नगरपालिका निवाई के बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बड़े दयालु हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रशासन शहरों की ओर और इनके, नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपसे निवेदन किया था। अच्छा तो यह होता

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मंत्री महोदय इसके बारे में वक्तव्य देते, लेकिन इस प्रकार घुमा फिराकर जवाब दिया गया ग्रौर भेजा गया। ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नगरपालिका निवाई में जो 'प्रशासन शहरों की ग्रोर' ग्रभियान चलाया गया उसमें वार्ड वाइज मीटिंग की गई। उसमें जिला स्तर का एक ग्रधिकारी मौजूद था ग्रौर वहां पर जो भूमिहीन हैं उनसे एप्लीकेशंस ग्रामंत्रित की गई। उन एप्लीकेशंस को लेने के बाद उनसे रजिस्ट्री फीस जमा कराई गई ग्रौर वहां करीब 600 एप्लीकेशंस ग्राईं। इसमें 400 प्लाट वहां पर ग्राज की स्थिति मे हैं। 400 प्लाटों के लिए जो लोग वहां भूमिहीन, होमलेस पर्सन की परिभाषा में हैं उन लोगों को नोटिस दिया कि ग्राप उसमें नहीं ग्राते हैं, ग्रापके प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं। जब उन प्रार्थना पत्रों को निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये तो जो लोग ग्रनधिकृत तरीके से इस प्रकार लोगों को भ्रमित करके चाहते हैं कि हमको 10-10 प्लाट दो, ग्रौर इन प्लाटों पर कब्जा कर लिया जाय लाखों रुपयों की ग्रौर करोड़ों रुपयों की जमीन पर कब्जा करना है यह मंशा है उसकी ग्रौर उसके तहत उन्होंने यहां पर रिप्रेजेन्टेशन किया। यहां के एम.एल ए. को उन्होंने बनाया ग्रौर मंत्री महोदय ने स्टे ग्रार्डर जारी कर दिया। मेरा यह कहना हैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कि एक तरफ हम इस प्रकार का प्रोग्राम चलाते हैं उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वहां पर कोई भी गड़बड़ी की जाती है उस पर एक्शन लेना चाहिए। वहां पर ग्राप उच्च ग्रधिकारियों को बैठाकर जांच करवाते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर यह ग्रपना नियंत्रण रखें यह ग्रपना मानिटरिंग रखें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह नगरपालिका, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका है इसलिए वहां पर काम नहीं हो इसके लिए बार-बार स्थगन ग्रादेश दिये जाते हैं। कभी बैरवाग्रों के झोंपड़े जला दिये, इस नाम पर एक एफ. ग्राई. ग्रार. लाज करवाई है, तंग किया जाता है, उसमें एफ. ग्रार. लगा दी गयी। तथ्यों के विपरीत ग्राज तक कोई प्रमाण बता नहीं सकते कि यह ग्रनियमितता या गड़बड़ी हो रही है लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाग्रों के ऊपर एक इस प्रकार का प्रहार किया जा रहा है। जान बूझकर उन लोगों को काम करने से रोका जाता है। कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है काम रुके। लेकिन स्वयं सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम प्रशासन शहरों की ग्रोर, नये बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा ग्रौर ग्रापका राजनैतिक मतभेद वहां की नगरपालिका के मेम्बर ग्रौर चेयरमेन से हो सकता है, मैं कहता हूं ग्रापको जो कुछ करना है करें, ग्राप राजनैतिक स्तर पर निपटें लेकिन उन गरीबों को, भूमिहीनों को, जिनको भूमि मिलनी चाहिए, जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को वंचित करके स्वायत्तशासी संस्थाग्रों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उनके हितों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है यह बिलकुल उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि तुरन्त नियमित रूप से कार्यवाही करने का ग्रादेश दें ग्रौर नहीं तो कोई जन ग्रान्दोलन खड़ा हो सकता है। इतना ही निवेदन करना

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी है अजमेर नगर के लिए, 6 दिसम्बर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दयानन्द महाविद्यालय के दो गुटों में झगड़ा हुआ । उसकी जो रिपोर्ट थी वह उसी दिन 7 तारीख को रणजीत सिंह नामक युवक ने रामगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई और उसके बाद 7 तारीख को घटना घटी ।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । सरकार ने सूचित किया है....

श्री भगवानदास शास्त्री : अनुसंधान जारी है, मुझे सन्तोष है । किन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक जो मुलजिम हैं, जिन्होंने इतना घातक कार्य किया है जिसमें, अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी की 15 तारीख तक अजमेर स्कूलों के हाथों में था । रोज टौंक से चार चार लोग आते थे....

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें तत्परता से कार्यवाही कर रही है । यह सिद्ध हो गया है । भाग गये तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं....

श्री भगवानदास शास्त्री : इसका मतलब यह है कि पुलिस विभाग निष्क्रिय है । सुरक्षा कैसे होगी ? आप चाहें तो अजमेर ही नहीं राजस्थान खाली हो जायेगा स्कूल के बच्चों की रक्षा नहीं होगी तो । एक नवयुवक बी० काम० फाइनल का, इकलौता पुत्र एक वकील का, वह बाप क्या सोचेगा कि कालेज में भेजा होगा पढ़ाई करने के लिए और उसके 30-25 व्यक्ति वह भी अपने कालेज को छोड़कर एक पुरातत्व यानी प्राचीन अजमेर गवर्नमेंट कालेज को बदनाम करने के लिए रास्ता रोक कर,हाइवे पर, 25-30 विद्यार्थियों ने घसीट करके, उस एरिया में जाकर, गवर्नमेंट कालेज में जाकर हत्या की । हत्या एक की नहीं दूसरा भी इसके साथ था । तीसरा भागकर पुलिस के क्लाक टावर में जाता है । अजमेर में दिन दहाड़े हाईवे रोड पर हत्या हो और मुलजिम आज तक पकड़े नहीं जायें तो क्या अण्डर ग्राउण्ड हो गये, पाकिस्तान चले गये, बंगला देश चले गये या आसमान में चले गये । यहां ही होंगे । उनको ढूंढने के लिए पुलिस निष्क्रिय है । तो आज आपके और मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे ? आप कैसे कालेज में भेजेंगे, अध्यक्ष महोदय, अपने बच्चों को । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट कालेज के पास एक सेंट एन्सलम स्कूल है उसमें मेरे बच्चे होस्टल में हैं, मेरे बच्चों ने आकर कहा कि हमसे नाम पूछा जाता है । एक बच्चे ने सिर्फ कहा कि मेरा नाम दिलीपसिंह हैं । मारो, मुंह सुजाओ, उसकी हड्डी इन्होंने तोड़ दी । यह राजपूत है, जाट है ..

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य । समाप्त कीजिए ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जाट और राजपूत कहने से मार पड़ी। अच्छा हुआ मेरे लड़के के ने उनको शास्त्री कह दिया। अगर सिंह कह देता तो मौत के घाट उतार देते। तो इसका मतलब यह है कि अजमेर बन्द का आह्वान हुआ, पुलिस निष्क्रिय है और जिन्होंने यह हमला किया, जिन्होंने मर्डर किया और एक मर्डर नहीं तीन मर्डर होने वाले ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक भी जो मुलजिम थे उनको पकड़ने में असफल रही है। मैं समझता हूं। कि पुलिस की इससे ज्यादा और क्या निष्क्रियता हो सकती है। 3½ करोड़ जनता में से एक भी व्यक्ति यहां का राजस्थान में सुरक्षित नहीं। मैं चार्ज लगाता हूं माननीय मुख्य मन्त्री के ऊपर जिन्होंने गृह विभाग हाथ में लिया है उनको त्यागपत्र देना चाहिए, गृह विभाग उनको छोड़ना चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम प्रसाद, सदस्य, विधान सभा पर हमला

श्री जगन सिंह (बयाना) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री जगन सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल 3 और 3½ बजे के करीब बयाना में....

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप किस माध्यम से से उठा रहे हैं?

श्री जगन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपवास के माननीय सदस्य श्री राम प्रसाद जी लड्ढा को कल पिटाई हुई है और हमला हुआ है। माननीय सदस्यों की यह हालत होगी तो बाहर के आदमियों की क्या होगी? हम आपसे संरक्षण मांग रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं बोलें। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री जगन सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको खुले में पीटा है गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी के लड़के ने। इससे पहले, अध्यक्ष महोदय इनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, हमला हुआ है....

श्री अध्यक्ष : किस पर?

श्री जगन सिंह : राम प्रसाद लड्ढा एम० एल० ए० रूपवास....

श्री अध्यक्ष : आप धीरे कहें ताकि मैं सुन सकूं।

श्री जगन सिंह : राम प्रसाद लड्ढा, अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम लिया है और रूपवास का बताया है....

श्री अध्यक्ष : तो आप इतना जोर जोर से....

श्री जगन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी हैं उसका भतीजा है उसने खुले में पिटाई की है, चाकू बताया है ...

श्री अध्यक्ष : किसने ?

श्री जगन सिंह : गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी का भतीजा है महेन्द्र। जिला प्रमुख भरतपुर का है। उसने खुले में पिटाई की हैं और इनको तीन आदमियों ने आकर बचाया है तब मुश्किल से, अध्यक्ष महोदय, इनको यहां ला पाये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका संबंध अपनी सदन की कार्यवाही से नहीं है।

श्री जगन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे हकों की रक्षा आप ही कर पायेंगे। गवर्नमेन्ट से सुरक्षा नहीं होती हैं....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से तो नहीं है मगर पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और इसलिए सदन को इत्तला दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : सदन में सूचित करने के नियम हैं अलग से, माननीय सदस्य।

श्री राम प्रसाद (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कल 3॥ बजे सरे आम बाजार में मारा है और जान से मारने को तैयार हुए....

श्री जगन सिंह : बाहर निकलेंगे तो अब भी खतरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रसाद : मुझे बुरी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी समझ कर मारा, अध्यक्ष महोदय, बाजार में और मतलब यह है कि इस तरह की मेरे साथ में दुर्घटना हो चुकी है...

एक माननीय सदस्य : पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

श्री रामप्रसाद : पुलिस घर पर पहुंची है। अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, और बाजार में जाना मेरा दुभर हो रहा है और वहां का बाजार भी बन्द हैं और विधान सभा में मुझे श्री जगन सिंह लाये हैं बीस पच्चीस आदमी इकट्ठे करके। मुझे जान से मारने के लिए, अध्यक्ष महोदय, चाकू बताया है और मारने के लिए धमकी दी है और उसके पहले तारीख ३ को मुझे मारने के लिये पत्थर फेंके घर पर और मेरे घर पर और मेरे साथ में इस तरह की दुर्घटना हो रही है और सरकार सुन नहीं रही है। मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में गृह मंत्री महोदय को तीन बार सूचना दी है। विधान सभा से बाहर जाने पर मुझे जान से मारने का खतरा है। मैं गांव नहीं जा सकता, अध्यक्ष महोदय। इस तरह मेरे साथ में दुर्घटना हो रही है और कोई सुन नहीं रहा है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सूचना दे चुका हूं इस बात की कि मेरे साथ में जान माल का खतरा है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हरिजन एम.एल.ए के साथ में अत्याचार हो रहा हो और सदन को नहीं बतायें तो क्या करें ? यह बिल्कुल गलत है और विद्वेष की भावना से हो रहा है और पुलिस वाले केस को दबायेंगे, जरूर दबायेंगे और हम इत्तला दे रहे हैं। पुलिस को कहा जाये और गृह मंत्री जी यह बात करें कि निष्पक्षता से जांच करें और दोषी

( )

अधिकारियों को गिरफ्तार करके अन्दर रखें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी जिला प्रमुख का लड़का है तो कैसे कार्यवाही होगी ? उनका वहां राज बना हुआ है।

श्री रामप्रसाद : उनका यहां मकान है और वह यहीं घूमते हैं रिवाल्वर लेकर और चाकू लेकर घूमते हैं। अगर मैं जयपुर से बाहर निकलूंगा तो मुझे मार देंगे।

एक माननीय सदस्य : पुलिस को कहा जाये कि निष्पक्षता से जाच करे।

(व्यववान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि श्री रामप्रसाद जी लड्ढा के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, सदन में उनकी पूरी बात सुनने का अवसर दिया जाये। यह इसलिए आवश्यक है कि उन्होंने अब तक जो कुछ कहा है उसमें एक बात कही कि मैं हरिजन हूं इसलिए मुझे पीटा गया। यह एक बहुत सीरियस मैटर है, अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक मैम्बर के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाये और श्री रामप्रसाद जी लड्ढा की ओर से तीन तीन बार मुख्य मंत्री जी को टेलीग्राम दिये गये कि मेरी जान की सुरक्षा का प्रबंध किया जाये और मुझे खतरा है, इसके बावजूद भी उनकी पिटाई हो जाये। तो मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपना पूरा विवरण सदन में रखने की अनुमति दी जाये।

श्री प्रद्युम्नसिह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय. माननीय सदस्य ने अपना

(व्यवधान)

जरा सुनिए

एक माननीय सदस्य : इनको थोड़ा सुनें आप....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिह : रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही है, सरकार इसको गम्भीर रूप से लेती है....

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ, तारीख तीन को ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले इनको सुना जाये।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ....

श्री यदुनाथ सिंह : जिला प्रमुख विधायकों को पिटवायें, पाली में भी ऐसा हुआ है, सुखलाल सैंणचार के साथ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

ऐसा है सदन के समक्ष कौन से विषय कब आते हैं इसके नियम हैं और प्रक्रिया है। यदि सदन के समक्ष कोई गम्भीर घटना होती है, कोई अन्य व्यक्ति के साथ, विधायक के साथ उसकी तो प्रक्रिया यह होती है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। उसकी प्रक्रिया है उस हिसाब से उसकी सुनवाई होती है अगर कोई बात होती है तो। अगर यह किसी माननीय सदस्य का आरोप है कि विधान सभा के विधायक के रूप में वह कोई कार्य कर रहे थे उसमें रोका गया तो उसका भी सम्बन्ध विधान सभा से हो जाता है। लेकिन बाहर कैसी भी दुर्भाग्यपूर्ण गम्भीर घटना हो जाये तो साधारण लॉ एण्ड आर्डर की घटना होती है। उसमें कोई हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है,सदन केसम्मानीय सदस्य, यहां के पदाधिकारी कोई भी उसमें हो सकते हैं लेकिन उस अवस्था में सीधा माननीय सदस्य आकर के क्या परिस्थितियां गुजरी के बारे में नहीं कहते हैं। यदि माननीय सदस्य जैसा कि सम्माननीय श्री रामप्रसाद जी कह रहे हैं, उनके साथ ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही हुई है, उनकी मार-पीट भी की गई तो हमारे समक्ष विकल्प यही रहता है कि कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को जो हमारी विधान सभा की प्रक्रियाओं के माध्यम बनाये हुए हैं उनका प्रयोग करके, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, 295 के अन्दर जो प्रस्ताव लाये जाते हैं उन माध्यमों का उपयोग करके ही कर सकते हैं। क्योंकि सदन के माननीय सदस्यों के साथ यदि सदन के बाहर कहीं दुर्व्यवहार हो तो उसकी सीधे अपने यहां पर कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके अनुसार हम उस पर चर्चा यहां पर उठा सके। जो कोई भी चर्चा यहां पर होती है, सरकार से सम्बन्धित जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा होती है, उसकी सरकार को पूर्व में सूचना देते हैं, सरकार उसका उत्तर देती है, उसके बाद में यदि उस पर कोई निर्णय देना होता है सभा को, निर्णय दे देते हैं वरना बात सुनकर अगला विषय ले लेते हैं। इसलिये जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं और बहुत से माननीय सदस्य कह रहे हैं....

श्री राम प्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है ऐसी कोई प्रक्रिया विपक्ष के नेता महोदय बहुत ही जिम्मेदार है और उनके बड़े लम्बे अनुभव हैं, कोई नियम यदि बता दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा और उन माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का मैं अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के आपने सुझाव दिये हैं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा सकती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई आकस्मिक घटनायें ऐसी होती हैं जिन आकस्मिक घटनाओं की सूचना नियमानुसार निर्धारित समय पर दिया जाना सम्भव नही है।

श्री अध्यक्ष : तत्काल देने के भी प्रावधान हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य आज आये हैं और यहां पहुंचते ही यह मामला उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही, मुझे 40-50 आदमी माननीय श्री जगनसिंह के साथ लेकर विधान सभा में नहीं पहुंचते तो मैं नहीं आ सकता था। विधान सभा में आना यह माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है और इसी के लिये उनको चुना है। यदि विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आने के लिये....

श्री अध्यक्ष : इसके लिये अपने यहां पर नियम बने हुए हैं।

श्री राम प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये वे आना चाहते थे, आ नहीं सके और आते ही उन्होंने सदन को सूचना दी। सदन इतना बड़ा सदन है कि राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में भी कोई दुर्घटना हो जाये उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सदन के एक माननीय सदस्य के साथ किसी प्रकार की घटना हो जाये और उस पर हम चर्चा नहीं कर सके। मैंने तो केवल आपसे इतना सा निवेदन किया था कि कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन वह असेसमेंट इस बात से होगा कि माननीय सदस्य के साथ किस प्रकार की घटना हुई। दो मिनट उनको बोलने का मौका दिया जाये। यदि घटना ऐसी नहीं है जो उनके कर्तव्यों से सीधी संबंध रखती है तो मामला बाद में उठाया जा सकता है लेकिन घटना जैसी वह कह रहे हैं उस प्रकार की घटना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर तत्काल चर्चा की जा सकती है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मानता हूं, यह डिस्क्रिशन है और डिस्क्रिशन आपका है, कौन बोले, कब बोले, किस प्रकार से बोले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि जहां कोई सदस्य अपने ऊपर हुई वारदात के बारे में कहना चाहता हो, राजस्थान विधान सभा में आने से रोका जाये, नहीं आ पाया हो, ऐसी सूरत में आप नियमों को थोड़ा बहुत सस्पेन्ड अपने अधिकार से कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह हम को अधिकार है।

श्री राजबहादुर : तो वह अनुचित न होगा। 295 में माननीय सदस्य ने पूर्व सूचना नहीं दी है, ठीक है, नहीं मिली लेकिन इस पूर्व सूचना को आप थोड़ा वेव कर दें। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि रिलैक्स करते, वेव करते हुए पूर्व सूचना को उनको बोलने की इजाजत दी जाये। मालूम तो हो जाये कम सेकम कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इतना तो हो जाये। कोई कानूनी पाबन्दी नहीं आती है, कोई नियम बाधक नहीं होते हैं।

52

श्री अध्यक्ष : विचार रखने की यहां पर पूर्ण स्वतन्त्रता है । लेकिन वह स्वतंत्रता संविधान और प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत है तो उचित माध्यम तो अपने को काम में लाने पड़ेंगे ।

श्री राजबहादुर : उचित माध्यम से ही तो मैंने कहा है । विवेक आपका है । डिस्क्रिशन आपका है, डिसीजन आपका है क्योंकि डिसीजन करते हुए जुडिसियसली और थोड़ा सिम्पैथेटिकली इन फेवर आफ दी मेम्बर रादर दैन आउट साइडर....

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा निवेदन सुन लिया जाये । ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, वे लोग यहीं रहते हैं । पोलो विक्ट्री के पास उनका मकान है और वे लोग यहीं घूमते हैं । चाकू और रिवाल्वर लेकर घूमते हैं । और मैं विधान सभा से निकलूंगा तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे, प्रक्रिया धरी रह जायेगी । मेरी जान खतरे में है अध्यक्ष महोदय । इस लिये अध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा कीजिये, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस बात को कह चुका हूं । मैंने इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री को टेलीग्राम दे दिये, गृह मंत्री, दिल्ली को टेलीग्राम दे दिये । उससे पहले तीन तारीखें को मेरे घर पर पत्थर फैंके और सात को मुझे मारने के लिये आये । अध्यक्ष महोदय, कल ३।। बजे मुझे सरे आम मारा है । अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया कब चलेगी जब मेरी जान चली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठाया था । फर्क है । जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, जो हमारे समक्ष यह घटना रखी है, आप माननीय सदस्य की मारपीट हुई लेकिन अब आप कह रहे हैं अभी आपकी जान को खतरा है तो वह परिस्थितियां दूसरी बन जाती हैं....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

उसके बारे में मंत्री जी जवाब देंगे....

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : मारा है....

एक माननीय सदस्य : यह हमला हुआ है ..

श्री रामप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जब टेलीग्राम दे दिया....

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : राजस्थान की पुलिस उनके घर पर बैठकर शराब पीती है, यह क्या करें....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कुछ निवेदन कर दूं ।

(55)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । बैठ जायें । मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री जगन सिंह : इस आदमी का मर्डर होना निश्चित है ...

श्री अध्यक्ष : जो पूर्व में बात कही गई है, यह दोनों अलग अलग बातें हैं । मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने जो अपनी जान का खतरा होने का जिक्र किया है आज और अभी....

(व्यवधान)

सुनिये सुनिये ।

एक माननीय सदस्य : किया है या आपने करवाया है ...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : खतरा तो आपने पैदा कर रखा है, हमने क्या किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके लिये गनमैन की मैं अभी व्यवस्था करता हूं । सदन से निकलते ही गन मैन की व्यवस्था कर रहा हूं । नम्बर एक । जो इन्होंने यहां पर कहा है कि मेरे साथ मार पिटाई की । तो मुझे पूरे विस्तार के साथ तथ्य दे दें । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति ने पुलिस के पूरे के स्टाफ के साथ दारू पी है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी गिरफ्तार कीजिये । गिरफ्तार कीजिए ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, सवाल यह उठता है कि रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां रखी है कि इस प्रकार की मेरे साथ घटना हुई है, तो उसमें सवाल यह उठता है कि आज के दिन इस हालत में कोई जन प्रतिनिधि भी, कभी भी, किसी समय रास्ते चलते अपना कार्य निर्बहन करने जाय तो उसके साथ कोई भी वारदात कर सकता है । यह राज्य सरकार को सोचना चाहिये । मैं आप से कम से कम यह उम्मीद करता हूं, इस चेयर से यह उम्मीद करता हूं कि जब तक इस प्रकार के मामलों में सख्ती से नहीं निपटेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है । इस प्रकार से यह रूपबास के माननीय सदस्य के साथ घटना हुई है तो कोई भी जन प्रतिनिधि नहीं बच पायेगा । दो बार उनके साथ घटना हो चुकी है । हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि राज्य सरकार उनको पाबन्द कर सकती है....

(व्यवधान)

(54)

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह क्या मजाक समझ रखी है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये शर्म की बात है, जो जन प्रतिनिधि हाउस में आकर अपनी बात कहता है, जन हित में कहता है चाहे उसका अर्थ वह किसी दूसरे मायने में लेकर रास्ते चलते वारदात करवायें, मर्डर करवाने की स्थिति में आ जाय, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज एम. एल. ए. के साथ इस प्रकार की वारदात हो जाय, मार पिटाई हो जाय, उसके घर पर पत्थर फेंके जायें और उस सबके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने जा रही है। सिर्फ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आश्वासन दें तो उससे कुछ नहीं होगा। आइन्दा के लिये भी इस प्रकार का विश्वास दिलाया जाय....

(व्यवधान)

हम प्रोटेक्ट होना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न सामने आया है कि माननीय राम प्रसाद जी लड्ढा के साथ मार पिटाई हुई। मंत्री महोदय ने सब प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने की बात भी कह दी। आखिर हम भी इस व्यवस्था को चाहेंगे, सारे हिन्दुस्तान की जनता सारे राजस्थान की जनता कानून कायदे से चलती है, हम भी अवगुण कर दे तो हमारी इज्जत हमारे हाथ में है। इसलिये कानून-कायदे से जांच हो जायेगी, यह बात मंत्री महोदय ने कह दी। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज की जो घटना है, उसकी जांच हो जायगी....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : हरिजन लोगों की हत्यायें हो रही हैं....।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी जान का खतरा बताया। मेरा यह निवेदन है कि आज विधायक तो वे है ही लेकिन विधायक के साथ वे हरिजन विधायक हैं, आज रूपवास के माननीय विधायक होने के बावजूद उनकी पिटाई हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं फैसला करें जो जन प्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, और जो बाहर के दूर के क्षेत्रों में बिराजते हैं, झालावाड़ के अन्तिम क्षेत्र में बैठते हैं, आज हमारी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम कर देंगे आप गन मैन भी दे देंते लेकिन मैं जानना चाहता हूं वहां क्या होगा जहां आपकी पार्टी के लोग, जिला प्रमुख का लड़का पीटता है और विधायक को मारने की धमकी देता है ? तो क्यों नहीं आप जिला प्रमुख के लड़के को तत्काल गिरफ्तार करवाते हैं ? माननीय सदस्य सदन को जानकारी दे रहे हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं मुझे पीटा है, मेरे को जान से मारने का खतरा है। तो क्या आप उसके मरने के बाद जानकारी करवायेंगे ? आपका गनमैन क्या करेगा, यदि उसको गोली मार दी जायगी तो ? आपका गनमैन क्या करेगा उसको जान से मार दिया जायगा तो ? मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से और यह मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से माननीय सदस्य की सुरक्षा की पूरी जिम्मे-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दारी यदि लेना चाहते हैं तो आप जिला प्रमुख के लड़के, जो इसमें सहयोगी है को तत्काल गिरफ्तार करवाने की घोषणा करें, यही मेरी मांग है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आश्वासन का प्रश्न है उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है....

श्री भगवान दास शास्त्री : छुरे और बन्दूक से मार देंगे तब आप जानकारी करते रहना ...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मर्डर के बारे में ही महादेव सिंह का प्रकरण आया था और उस पर इस सदन ने एक मत होकर अपनी राय व्यक्त की थी, उसका तो क्या हुआ ? दूसरा, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य की इसी तरह से पिटाई हुई, उसका क्या हुआ? उसकी भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर, अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के वाकयात चलते रहे तो इस सदन का कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं है।

श्री जयदेव प्रकाश इन्दोरिया (रतनगढ़) : ब्रहम शरणं गच्छामि....

(व्यवधान)

हम सब आपकी शरण में है और हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा आपके हाथ में सुरक्षित है। माननीय सदस्य ने जो घटना यहां उपस्थित की है भूत, वर्तमान और भविष्य—पहले पत्थरों से मारा, फिर इनकी पिटाई की और भविष्य में जान से मारने का इनको चेलेन्ज दिया गया। ये सारी बातें आपके नोटिस में आ गई हैं। सदन के सामने हैं। तो मैं विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी जान माल की रक्षा आप अवश्य करें और माननीय सदस्य का उचित प्रबन्ध करवायें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है, माननीय राम प्रसाद जी लड्ढा की जो बात आई तो उसमें पहले तो उसके घर पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण की सूचना स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आज से 10 दिन पहले दे दी गई थी। उसके बाद से आज तक न तो सरकार से जानकारी आई और न जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसके बाद धमकी दी, इसके बाद कल सरे आम पिटाई हुई और उसके बाद माननीय जगन सिंह जी उनको ले करके यहां आये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, गनमैन की नियुक्ति कर देंगे लेकिन जो गुण्डे इनके पीछे विधान सभा के बाहर भी बैठे हैं, उन गुण्डों की गिरफ्तारी की बात माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं कही....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय जो जिला प्रमुख जी हैं उनके लड़के के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। वे गृह मंत्री जी के दोस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं स्थगन प्रस्ताव की जानकारी भी उन्होंने यहां नहीं दी है। मेरा

(श्री घनश्याम तिवाडी)

निवेदन है कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी उसके दोस्त हैं....

(व्यवधान)

तीन तीन बार घटना हो चुकी है। इसके बाद आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी घटना का मालूम है। मैं वहीं रहता हूं। बिल्कुल मैं आपके सामने एक शब्द भी असत्य नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय माननीय रामप्रसाद जी लड्ढा के साथ, लड्ढा तो नाम रख लिया किसी वजह से, लड्ढा ही बोलते हैं, 15 दिन पहले घटना हुई, उनके घर पर पत्थर फेंके गये और उस बारे में यहां स्थगन प्रस्ताव भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत गंभीर मसला, अध्यक्ष महोदय, यूं भी हो जाता है कि हम सदन में कुछ और बोलेंगे तो उस बिना पर बाहर कार्यवाही करेंगे, पिटाई करेंगे मार पिटाई करेंगे कि सदन में कुछ नहीं बोलें। अध्यक्ष महोदय, इनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वे लोग नम्बरी बदमाश हैं, चोरी डकैती वे करते हैं, बसों को रास्तों में लूटते हैं, रोज, रोज कहीं न कहीं कोई घटना वे करने में मशगूल हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में सरे ग्राम घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे है कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही किसी सूरत में नहीं करेंगे। जो आज की राजस्थान सरकार है वह पूरी तरह जिला प्रमुख जी के कब्जे में है। कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होगी, कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होगी, कार्यवाही इस सदन को करनी है कि आया हमारी रक्षा हो या नही।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय मै आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मैं कोई ज्यादा कानूनबाजी में तो समझता नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां से जब ही जाऊंगा जब मेरी व्यवस्था हो जायगी। हजारों आदमियों के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती की गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पैर पकड़ता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपके साथ बुरा हुआ है ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जो कुछ हुआ आपके साथ ..।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सांत्वना से कुछ नहीं हो सकता है। सांत्वना से इनका काम नहीं हो सकता है। जो भरे दरबार में रो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनके मुंह पर देखें। इनकी बहुत बुरी पिटाई की गई है। शहर के लोग....

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : मेरी बड़ी बेइज्जती की गयी है, इसलिए बेइज्जती की गयी है कि मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स का

(श्री राम प्रसाद)

आदमी हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पैर पड़ता हूं....

श्री अध्यक्ष : जो कुछ आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन प्रश्न यह है कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री जगनसिंह : सांत्वना से इसके प्राण नहीं बच सकते। सांत्वना से काम नही हो सकता, जो आदमी भरे दरबार में रो रहा है....

श्री राम प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत बुरी पिटाई हो गयी।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक निवेदन कर दिया कि सदन सब कुछ करने को तैयार है लेकिन कानून के अनुसार होना चाहिए। मुझे बताइये न, वही कर देंगे। लेकिन कानून के अनुसार होना चाहिए वह। आप बता दो वही कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दिया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की खिचाई करें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती, कोई मारने की हिम्मत कर ही नहीं सकता वरना इसी सदन के अन्दर....

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। यह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार महादेवसिंह के बारे में यही चर्चा हुई थी, कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कल जो यह घटना हुई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर बैठिये।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : उसकी सारी जिम्मेदारी गृह राज्य मंत्री जी की है। उसका कारण यह है कि जब 3 तारीख को जो घटना हुई थी, माननीय सदस्य ने इनको अवगत करा दिया उसके बावजूद एक जिम्मेदार सदस्य की सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं किया। इसका मतलब यह चाहते थे कि उस सदस्य को पीटा जाय। इन्होंने अब तक कार्यवाही नहीं की, गृह राज्य मन्त्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : क्या इसीलिए गृह मंत्रालय दिया है आपको कि आप एम. एल. ए. को पिटवायें, लोगों को बाजार में पिटवाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। श्री जगनसिंह, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायें। आप कृपया यह बताइये कि

(श्री अध्यक्ष)

अपन क्या कर सकते हैं वह सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : (फतेहपुर) मजदूरों पर जुल्म हो रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं आप।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन ही करूंगा क्योंकि मैं शामिल हूं। अध्यक्ष महोदय मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र का रहने वाला आदमी है, एम.एल.ए. दूसरे क्षेत्र से है। अध्यक्ष महोदय, कल तीन बजे जब माननीय सदस्य जयपुर को आने वाला था उसके पहले रास्ते में खादी ग्रामोद्योग की दुकान थी। वह कपड़ा लेने खादी ग्रामोद्योग की दुकान में चला गया। इसके साथ में एक सरपंच और एक और था। मैं इससे पहले भसेडी ग्राम है मेरे क्षेत्र में, भसेड़ी गया हुआ था, इससे मैं कहकर गया था कि 4 बजे की बस में मैं भी चलूंगा तुम भी साथ साथ-साथ चलना। चले चलेंगे दोनों। मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। इसकी वजह से यह साढ़े तीन बजे उस दुकान में चला गया। उस दुकान में आते हुए जो महेन्द्र नाम का एक लड़का है वह हमारे जिला प्रमुख साहब का भतीजा है, इससे पहले तीन तारीख को इसके घर पर पत्थर फेंके, उसकी भी रिपोर्ट करवा दी। उस दिन भी मैं बयाना में ही था, उस दिन भी रिपोर्ट हुई, टेलीग्राम मेरे सामने दिये गये, 10-12 टेलीग्राम दिये। किसको? यह मुझे नहीं पता लेकिन टेलीग्राम दिये। जब साढ़े तीन बजे इसको आकर पूछा एम.एल.ए साहब आप, सैशन चल रहा है, वहां नहीं गये। बोले वहां जा रहा हूं. कपड़ा ले रहा हूं। वहां तो ××× बाद में जायेगा, पहले मैं ही बैठा दूगा। तो, अध्यक्ष महोदय, इसको यह पकड कर देने लग गया। इस बीच में दो सरपंच नहीं होते उसको नहीं पकड़ते तो हो सकता है उसकी जेब में कुछ और होता तो वह हो जाता। मैं चार बजे जब बयाना से आया तो मुझे यह रोता हुआ मिला। अध्यक्ष महोदय, इस पर पुलिस में रिपोर्ट की इस आदमी ने, रिपोर्ट में सिर्फ 323 दर्ज किया, अध्यक्ष महोदय, जब कि इसको मारने के लिए तैयार थे। वहां नया डी. एस. पी. आया है, डी० एस० पी० का कोई कसूर नहीं। उसके पीछे से मैं नहीं कह सकता कि उसका कसूर है। रिपोर्ट दर्ज की लेकिन जो वहां का और स्टाफ है उसको बार-बार आगाह करने के बावजूद भी वह लोग उस मौके पर नहीं गये। जब गये तब उसके घर पर जाकर चाय पी और शाम को 8 बजे जब मेरे आदमियों ने देखा तो वहां बैठकर बाद में दारू भी पी रहे थे उसके साथ में। इसमें अगर लेशमात्र भी झूठ हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर इसमें झूठ हो दारू पीने के उसमें तो।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय। आर्डर प्लीज। और मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने दूंगा। आर्डर आर्डर। इसमें विपक्ष के नेता महोदय बता देंगे।

श्री राम प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राम प्रसाद)

मैं तब जाऊंगा जब यहां से व्यवस्था हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या किया जा सकता है, कानून की बात बताऊंगा। सब कानूनी बात।

श्री अध्यक्ष : मैं पूरी सुनवाई करने के लिए तैयार हूं।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक म. प. 12.55 बजे आधा घन्टे के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक म. प. 1.27 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

श्री रामप्रसाद, सदस्य, विधान सभा पर हमला

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मन्त्री।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था सर्वप्रथम तो आवश्यकता इस बात की है कि माननीय सदस्य श्री लड्ढाजी की तुरन्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, प्रिवेन्टिव एक्शन लिये जायें। इस सन्दर्भ में मैं आपके समक्ष तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। सर्व प्रथम माननीय श्री लड्ढाजी की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये उपाय किये जायेंगे, उनके लिये गन मेन प्रोवाइड किया जायेगा, नम्बर 1। नम्बर 2, जो प्रिवेन्टिव एक्शन हम को लेने हैं, सरकार को, पुलिस को, वे प्रिवेन्टिव एक्शन लिए जायेंगे जिससे कि किसी प्रकार से उनकी सुरक्षा को खतरा न हो। नम्बर 3, जो यहां पर उन्होंने बयान दिया, माननीय जगर्नासह जी ने बातें बतलाई उससे ऐसा लगता है कि 323 के अलावा और भी कोई धाराएं उसमें जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत होती है। मैं आपकी मार्फत इस सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहां पर फैक्ट्स सदन के समक्ष रखे हैं, उसके अनुसार इस मुकदमे के अन्दर जो ऐड करना है, दूसरे सेक्शन, वह ऐड किये जायेंगे और तफतीश जल्दी पूरी करा कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। जो घटना माननीय सदस्य के साथ हुई है उसके लिये मुझे दुःख है।

यहां पर भावावेश के अन्दर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि मैं किसी प्रकार से किसी को बचाना चाहता हूं या मेरे मित्र हैं, मेरी किसी को बचाने की इच्छा नहीं है। पार्टी के सदस्य सभी लोग हैं, सभी विधायक और हमारी पार्टी के सभी लोग, सबसे मिलना-जुलना होता है लेकिन किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी बड़े ओहदे पर हो, किसी पद पर हो, कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री यमुनार्थसिंह : अध्यक्ष महोदय पहले तो सदस्य से पूछा जाये इस तरह की स्थितियां पहले बनी हुई थीं ...

(व्यवधान)

मेरे विचार से हिन्दुस्तान में, पूरे, भारत में, अध्यक्ष महोदय, पहली घटना हुई है कि कोई माननीय सदस्य अपने जीवन की रक्षा के लिये आसन के पैर पकड़े और सरकार के के गृह राज्य मन्त्री के पैर पकड़े कि मेरा जीवन खतरे में है। जो कुछ आपने कहा, ठीक है। हम सन्तुष्ट हैं लेकिन उस सदस्य से पूछा जाये कि क्या आपको सन्तुष्टि है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया, बार–बार कहा गया जिन पुलिस अधिकारियों की मिली भगत थी, जो मुलजिम थे, उनके साथ शराब पी रहे थे, उनके साथ मिली भगत थी, इतने दिन पहले एडजोर्नमेन्ट दिये जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही आप करने जा रहे हैं ? यह बहुत आवश्यक है। ...

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह राज्य मन्त्री ने बहुत कुछ बातें कही। एक प्रश्न है। दस दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव उन्हीं के मकान के सम्बन्ध में दिया गया। उसका जवाब शायद आपको आज तक नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी उसकी जानकारी इस सदन को नहीं है। पहला प्रश्न तो यह है कि अब आगे आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। स्थगन प्रस्ताव पत्थर फेंकने का दिया गया उस पर राज्य सरकार मौन करके बैठ गई, इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया, इतने दिनों तक उस पर क्यों नहीं कार्यवाही की गई। पहले उसका स्पष्टीकरण आवश्यक होगा, उसके बाद दूसरे प्रश्न सुनें।

श्री अध्यक्ष । मंत्री महोदय । आर्डर, आर्डर ।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय को टेलीग्राम दे दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह स्थगन–प्रस्ताव सामने आया मैंने उस पत्रावली को देखा। उस पत्रावली के अन्दर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था, किसी के नाम से एफ. आई. आर. नहीं थी। इसलिए मैंने उस पत्रावली के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : इसके मायने यह हुआ कि जो उसमें बातें लिखी हुई थीं उसमें वह सही बात थी। अगर कोई द्वेषवश कहते तो नाम भी लिख देते ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से मैंने उस पत्रावली के ऊपर इस बात के आदेश दिये कि इस मामले की जांच सी. आई. डी द्वारा करायी जाय। पत्रावली

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अभी भी सचिवालय में मौजूद है। आप चाहें तो मैं आपके समक्ष पेश कर सकता हूं। मैंने उस पत्रावली के ऊपर यह आदेश दिये कि इस मामले की जांच सी. आई. डी. से कराई जाय उस अहमियत को समझते हुए, क्योंकि उसमें नाम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी पता लगाया जाना आवश्यक है, किन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया, आचरण किया। पता लगाने की नियत से सी. आई. डी. को आदेश दिये पत्रावली के ऊपर। इस मामले को जब सी. आई. डी. को दिया जाय तो उससे कहें, पता लगाएं कि किन लोगों ने इस प्रकार का आचरण किया। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान्)

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले इस पत्रावली पर मैंने आदेश दिये हैं। मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच 7 दिन में पूरी करके, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 24 दिन में क्या किया। अभी तक मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बिलकुल पिन पाइन्ट प्रश्न थे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ यहां स्पष्ट कहा गया, जिन्होंने अमानवीय व्यवहार किया उन मुलजिमों के साथ वह पुलिस अधिकारी, जो कि कार्यवाही करने वाले थे रात को शराब पी रहे थे, उनके साथ बैठे थे। उस बारे में माननीय मंत्री महोदय की ओर से कुछ नहीं आया। माननीय मंत्रीजी, सदन में जब यह कहा गया कि पत्थर फेंके गये, किसी का नाम नहीं लिया। किसी को कोई मार जाय और नाम नहीं हो तो क्या उसमें पुलिस जांच नहीं करती है। सी. आई. डी. को दे दिया। क्यों? पुलिस इतनी नाकामयाब हो गई, पत्थर फेंकने के, डिले करने के लिये पुलिस को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए थी। दूसरा मसला यह है कि जिन्होंने कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे भी करना था कि जो बयाना में पुलिस का स्टाफ है उसकी देखरेख में, जानकारी में आज लगातार 10-15 दिन से यह कार्यवाही होती चली जा रही है जो आज इस हद तक पहुंच गई, उसके खिलाफ गृह राज्य मंत्रीजी क्या करना चाहते है? क्या वह स्टाफ वहीं रहेगा?, अगर वह स्टाफ वहां रहेगा तो आप चाहे इनके लिए गनमैन दे दें दे, इनके घर में इनकी बीबी है, बच्चे हैं' वहां पर कुछ भी हरकत हो सकती है। इसलिए मेरे दो निवेदन हैं आपसे। एक तो जो स्टाफ वहां पर है उसको आप तत्काल बदलें, तत्काल कार्यवाही करें। दूसरी बात, इनके घर पर आप

(श्री हरिसिंह)

गार्ड नहीं लगाये तो इनका जीवन खतरे में रहेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस स्टाफ के खिलाफ यहां पर कहा गया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को, सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय लढ्ढा जी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय. कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज ताड़व : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : घना काण्ड हुआ वह एस. पी., वह पुलिस अधिकारी आज भी वहां पर लगे हुए हैं जिन्होंने गोलियों से मीणी को भून दिया था। उसके बाद लगातार भरतपुर में ये घटनाएं हो रही हैं। मंत्री महोदय ने पिछली बार यही बयान दिया था। ऐसे बयान देकर आप कब तक सदन को गुमराह करेंगे? आप क्यों नहीं एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करते, क्यों नहीं उनका ट्रान्सफर करते, क्यों नहीं उसको सस्पेण्ड करते हैं? जवाब दीजिये? जांच करवा रहा हूं। जांच हम भी करा देंगे। कोई विषय दे दें। घर का राज हो गया जांच, करवा रहा हूं।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जो पुलिस अधिकारी आज वहां पर हैं उनके होते हुए जो व्यवस्था हम करना चाहते है, जांच की जो कार्यवाही करना चाहते हैं, तो वह निष्पक्ष जांच नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गृह राज्य मंत्रीजी को इस संबंध में सदन को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि बयाना के अन्दर. जहां ये घटनाएं हो रही हैं, वहां पर पुलिस के जिन लोगों के लिये यह कहा जा रहा है कि वह अपराधियों के साथ शराब पी रहे थे, ऐसी बात जब सदन के सामने आई है तो निश्चित रूप से वहां से उनको हटाने का आश्वासन और घोषणा माननीय गृह राज्य मंत्रीजी को करनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आश्वासन प्रारम्भ में ही दे दिया कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही दोषी अधिकारी के खिलाफ की जायेगी....

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। क्या करेंगे? उस पर अभी तक आपने क्या किया।

श्री मेघराज ताड़व : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उन अधिकारियों को वहां से हटाने का आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको वास्तव में कब तक हटा देंगे? यह आश्वासन दीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपसदन को गुमराह कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आश्वासन क्या होता है। यह आश्वासन दे दिया, यह आश्वासन दे दिया। यह आश्वासनगिरी नहीं चलेगी यहां।

(व्यवधान)

श्री गोकुल चन्द : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कार्यवाही होती है, आश्वासन दे रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं और हमारे माननीय सदस्य पिटते रहें और मरते रहें। राज्य सरकार के अन्दर मंत्री बैठे हुए हैं वह यह कह दें, कोई इन्तजाम नहीं हो सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही के अन्दर....

(व्यवधान)

आप बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं? आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है। आपने महादेवसिंह के बारे में यही बयान दिया था। जब महादेवसिंह जी को पीटा था, महादेवसिंह जी की कार्यवाही में क्या किया? कड़ी कार्यवाही, बनियों से आज तक कड़ी कार्यवाही नहीं होती, अध्यक्ष महोदय। यह नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि आज

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द : अगर हमारे किसी सदस्य के साथ अपमान हुआ है तो यह लज्जाजनक बात है। यह बयान की बात है, कड़ी कार्यवाही की जावेगी वास्तविकता पर आना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा उसके लिये उनको तुरन्त कहना चाहिए कि उनको हटा दिया गया। दूसरी बात....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ट्रान्सफर करूंगा, आवश्यकता हुई तो सस्पेण्ड करूंगा। कड़ी कार्यवाही से मेरा यह अभिप्राय था, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द : सस्पेन्ड कर दिया यह नहीं, सस्पेन्ड करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सस्पेण्ड कर दिया गया।

श्री गोकुलचन्द : अगर आप से नहीं हो सकता तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि राज्य मंत्री महोदय अपना इस्तीफा दे देवें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय,

64

माननीय लढ्ढाजी जिन अधिकारियों के नाम मुझे बतायेंगे मैं उनको तुरन्त सस्पेन्ड कर दूंगा। यह मुझे नाम बतायें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पुलिस के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द : अभी नाम बता देता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे नाम बता दें।

श्री मेघराज तावड : माननीय सदस्य जगनसिंह जी ने आपको बताया कि उनके साथ दारू पी और इसलिये कार्यवाही नहीं की। वे वहां नहीं थे जो उनका नाम बताते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : लढ्ढा जी नाम बता दें, जिन जिन पुलिस अधिकारियों के वह नाम बताना चाहते हैं। जिन-जिन का नाम वह बता देंगे, उनको सस्पेण्ड कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय लढ्ढाजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लड्ढा जी कुछ कहना चाहते है।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं उन मंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और मै उनसे संतुष्ट हूं वे तुरन्त ही कार्यवाही करेंगे। मैं नाम बता दूंगा उनको। हमारे जो घर पर और बयाना में पूरे शहर में अशांति फैल रही है उसके लिये व्यवस्था करेंगे, मेरे घर पर भी व्यवस्था की जायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो शराब पीने वाले अधिकारी थे, माननीय सदस्य को पीटा, वे तो चले गये और उसके बाद कार्यवाही के लिये जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उस समय वे नहीं थे। कौनसे अधिकारी शराब पी रहे थे। उनको यह मालूम नहीं, माननीय सदस्य पर दबाव डाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

कोटा जिले में हाल में हुई हत्या व लूट की घटनाओं के संबध में।

(विराम)

ऑर्डर, ऑर्डर। बैठे बैठे बातें नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा : हाउस में नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार गायब है।

श्री दुलाराम : सरकार यहीं पर है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

कोटा जिले में डकैतियों एवं हत्याओं की घटना व बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

दिनांक 21 मार्च, 1984 को प्रातः 7.00 बजे थाना उद्योगनगर को टेलीफोन पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि कोटा-बारां रोड पर ग्राम बोरखेड़ा के पास दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस उड़न दस्ते के साथ थाना उद्योगनगर के सहायक उप निरीक्षक तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। कोटा-बारां रोड पर करीब 5–6 किलोमीटर की दूरी में पुलिस को तीन घायल व्यक्ति मिले तथा सड़क के पास ही खेत में 4 व्यक्तियों के शव पड़े हुए मिले जिनके हाथ-पैर बंधे थे। इन घायल तीन व्यक्तियों को पुलिस ने तत्काल उड़न दस्ते से कोटा अस्पताल भिजवाया और उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अन्य अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गये। पुलिस उप महानिरीक्षक कोटा रेंज एवं जिलाधीश कोटा भी तत्काल वहां पहुंच गये। पूछताछ में घायल व्यक्ति श्री मोहन राज पुत्र श्री भंवरलाल लश्करी उम्र 22 वर्ष, निवासी नया नोहरा ने बताया कि वह सायंकाल 8.00 बजे अपने गांव से कोटा सिनेमा देखने के लिये साइकिल पर रवाना हुआ था। करीब साढ़े 8 बजे जब वह ग्राम बोरखेड़ा व मानपुरा के बीच पहुंचा, कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे रोका और मारपीट शुरू कर दी व घसीट कर सड़क के नीचे उतारकर खेत में ले जाकर उसके कपड़ों से ही हाथ पांव बांध दिये तथा उसकी जेब में एक मात्र रुपये को निकाल लिया। घटना स्थल के निरीक्षण एवं मोहनराज की पूछ-ताछ में पाया गया कि इन बदमाशान ने जिनकी संख्या 5 से अधिक बतायी जाती है, इस रोड पर से आने जाने वाले अन्य राहगीरों को भी उसी प्रकार रोककर मारपीट की, उन्हें भी खेत में ले जाकर उनके कपड़ों से हाथ, पैर बांध दिये तथा जो कुछ भी उनके पास था, लूट लिया। प्रारम्भिक पूछताछ से अनुमानित करीब सात व साढ़े सात हजार की सम्पत्ति लूटे जाने का अनुमान है। इन बदमाशान द्वारा पहुंचायी गम्भीर चोटों के कारण श्री विक्टर विलियम उम्र 35 वर्ष निवासी दादाबाड़ी, कोटा उनके साथ मोटर साइकिल पर सवार श्री अशोक पंचोली उम्र 30 वर्ष निलम्बित जूनियर इंजीनियर सी. ए. डी., छीतरलाल उम्र 25 वर्ष दुकानदार निवासी नया नोहरा एवं जयन्त लाल उर्फ मुन्ना कौम ईसाई उम्र 37 वर्ष दुकानदार निवासी निमोदा की मृत्यु हो गयी एवं श्री मोहनराज लश्करी उम्र 22 वर्ष निवासी नया नोहरा, बिहारीलाल महाजन उम्र 25 वर्ष तथा उनका बड़ा भाई नेमीचन्द उम्र 33 वर्ष गम्भीर रूप से घायल हो गये। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिवारजनों

(66)

(श्री प्रद्युम्न सिह)

को सौंप दिया गया तथा घायल व्यक्तियों के उपचार हेतु कोटा अस्पताल में सभी-प्रबन्ध करा दिये गये। पुलिस ने इसी प्रकार थाना उद्योग नगर में अपराध संख्या 63/84 धारा 395,396 व 397 ताजीराते हिन्द में अभियोग पंजीकृत कर अनुसंधान आरम्भ किया तथा चारों ओर नाकेबंदी कर विभिन्न स्थानों पर बदमाशान की तलाश हेतु पुलिस दल रवाना किये गये। सूचना मिलते ही जयपुर से उप महानिरीक्षक पुलिस, अपराध शाखा मय पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला सैल के एवं विशेषज्ञों एवं खोजी कुत्तों के उसी सायंकाल कोटा पहुंच गये एवं स्थानीय पुलिस को बदमाशों का पता लगाने में आवश्यक सहयोग दिया। अगले रोज विशिष्ट महानिरीक्षक अपराध शाखा के एवं पुलिस महानिदेशक ने भी कोटा पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। महानिदेशक महोदय ने पुलिस अधिकारियों से परामर्श करके उन्हें दिशा निर्देश दिये।

शनिवार दिनांक 24-3-84 को कोटा शहर के बाहर रंगबाड़ी क्षेत्र में घटित घटना के तथ्य इस प्रकार हैं कि उस रोज सांयकाल लगभग 8.30 बजे इ्ग इंस्ट्रूमेंटेशन में कार्यरत तालाबबाड़ी कालोनी के निवासी महेश चन्द अग्रवाल अपनी पत्नि शोभा, पुत्री भावना उम्र 13 वर्ष,पुत्र सोनू 10 वर्ष,तरुण उम्र 8 वर्ष के साथ अपने स्कूटर पर मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे तो रंगबाड़ी के निकट 3 बदमाशान ने उनके स्कूटर को रोककर उन पर हमला कर दिया तथा इस परिवार के सदस्यों को खींचकर सड़क के समीप निर्जन स्थान पर ले गये। जहां पर इन बदमाशान के तीन अन्य साथी मौजूद थे। इन सभी 6 बदमाशान ने श्री अग्रवाल और उनकी पत्नी एवं बच्चों से मारपीट की तथा उन्हें उन्हीं के कपड़ों व एक्सीलेटर वायर से उनके हाथ पैर बांध दिये। तत्पश्चात उनकी चांदी की चैन, सोने की अंगूठियां एवं 100 रु. नकद लूट लिये। लगभग उसी समय उस क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस पार्टी वहां पहुंची। उन्हें देखकर बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। पुलिस कर्मचारियों ने श्री अग्रवाल व उनके परिवारजनों के बंधन खोले और उन्हें थाना दादाबाड़ी ले गये जहां से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मगर 10 वर्षीय सोनू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिलाधीश कोटा द्वारा अस्पताल में उनके इलाज के सभी प्रबन्ध किये गये हैं। जहां उनकी हालत में सुधार है। सूचना मिलते ही उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। कुत्ता दल का भी प्रयोग किया जाकर चारों ओर नाकेबन्दी की जाकर अभियुक्तों की तलाश में रवाना किया गया। घटनास्थल के आसपास के इलाके में भी रात भर छानबीन की गयी मगर अभियुक्तों का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस सक्रियता से इन जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों की खोज कर रही है तथा आस पास के क्षेत्र में पुलिस गश्त और अधिक सशक्त कर दी गयी है। जयपुर से दो विशिष्ट टुकड़ी एवं पुलिस अधिकारियों को कोटा के लिये रवाना कर दिया गया है तथा घटनास्थल पर आर. ए. सी. की एक टुकड़ी तैनात कर दी गयी है। रात दिन गश्त जारी है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जैसा मैंने कल माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि इन जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों का पता लगाने के लिये जनता से सहयोग लेने के लिये यह निश्चय किया गया है कि जो भी व्यक्ति इन अपराधियों को पकड़वायेगा या गिरफ्तारी के लिये सूचना या सुराग देगा तो उसे 10,000 रुपये की धनराशि का नकद इनाम दिया जायेगा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें काफी माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं. इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य की चर्चा पर समय निर्धारित करना होगा। कुल 8 माननीय सदस्य इसमें भाग लेंगे। 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा सभी माननीय सदस्यों को और इस प्रस्ताव पर चर्चा एक घंटे के समय के भीतर समाप्त हो जायेगी। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, सन् 1983 को कोटा जिले के एस. पी. ने कोटा में एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलायी थी और उस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कोटा नगर में लूट और नकबजनी की घटनाओं में, अपराधों में तेजी के साथ वृद्धि होती चली जा रही है। गत वर्ष सन् 1982 में जहां कोटा जिले में लूट के केस दर्ज किये गये थे 91 वह बढ़कर के 107 हो गये। जहां डकैती के केस रजिस्टर किये गये थे, 25, वहां वह 47 हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हत्याओं के केस 82 में 42 दर्ज किये थे वह 62 हो गये। अपराधवृत्ति लगातार पिछले साल से बढ़ती गयी। जहां केस रजिस्टर हुए थे पिछले साल 4656, वहां 4733 केस रजिस्टर हो गये।

अध्यक्ष महोदय, जब अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई वहीं पुलिस की निष्क्रियता में भी तेजी के साथ वृद्धि हुई। जहां पिछले साल अपराध वृद्धि में, हत्या के मामले में जो [illegible] पकड़े गये थे, पिछले साल ही अपराधों के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया था, इस साल जो हत्याएं हुई पूरे जिले की हत्याओं पर जो ट्रेस आउट पुलिस ने किया वे कुल 7 नाम हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग इतनी तेजी के साथ अपराध करें और करने के बावजूद सरकार किसी प्रकार का कोई ट्रेस आउट न कर पाये तो जिले के अन्दर अपराध बढ़ेंगे क्यों नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कल श्री हरीश शर्माजी ने जो आरोप लगाये थे कि जब पुलिस ही अपराध में सम्मिलित हो और फिर वह बरी भी हो जाय तो आखिरकार अपराध बढ़ेगा ही निश्चित रूप से। यहां मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, यहां एक प्रस्ताव मैंने पेश था, उसमें मुझे जवाब दिया गया कि कोटा जिले में कितने रेप केस हुए और जवाब दिया गया, दो थानों में रेप केस हुए। उनमें कौन-कौन से व्यक्ति थे? एक केस हुआ थाना मांगरोल में, हिम्मत सिंह ए.

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एस. आई., चालान 27.9.83 को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयांतर हो रहे हैं। जिस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इसी बात को निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि 30-9-1982 को रेप केस में थानेदार साहब का केस बना और 11.6.83 को बरी कर दिया गया। दूसरा केस फिर हुआ थाना चेचट में मदन लाल ए. एस. आई., चालान किया गया 31.4.82 को और बरी किया गया 1[illegible]1982 को। अध्यक्ष महोदय, जब इतने गम्भीर अपराधों में पुलिस के अधिकारी बरी कर दिये जायें तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। जब स्वयं एस. पी स्वीकार कर रहा है कि अपराध संख्या बढ़ती जा रही है तो आखिरकार क्यों न बढ़ें। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा जिले के उसी स्थान पर बोरखेड़ा का कांड हुआ। 19.3.83 को भी इसी प्रकार से हाथ-पैर बांध करके लोगों को मारा गया था जिसकी रिपोर्ट आपके थाने उद्योगनगर में है और जहां से आप अपेक्षा करते हैं कि हमें न्याय मिल जायेगा, कोटा के लोगों को। मुझे जवाब जो दिया वह मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी रिपोर्ट बाबूलाल तावड़ और मन्नाडे द्वारा की गयी 29.3.83 को। मेरे कोटा जाने से पहले यही घटना घटी थी। मैंने उद्योगनगर थाने में टेलीफोन करके पूछा कि भई 29.3.83 को केस बाबूलाल ने दर्ज करवाया था उस पर आपकी पुलिस ने क्या एक्शन लिया। मुझे ए. एस. आई. ने बता दिया कि साहब, उस पर एफ. आर. लगा दी गयी, फाइनल रिपोर्ट लग गयी। सेम घटना घटती है एक साल पहले 29.3.1983 को। ऐसी ही घटना 27.9.83 को इसी स्थान पर घटी जहां पर चार आदमी मारे गये। आज आप कह रहे हैं कि आर. ए. सी. की एक टुकड़ी वहां लगा दी है। लेकिन 27.9.83 को फिर रिपोर्ट की गयी मदन लाल पुत्र सोहन लाल बलाई के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है मुझे ए. एस आई., ने बता दिया कि 27.9.83 को जो रिपोर्ट की थी इसकी, क्या हुआ, पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 27.9.83 से 24.3.84 तक पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके इतना बता दें, कि आखिरकार दो घटनाएं उसी स्थान पर घटीं, जब एस. पी. को सारी घटनाएं याद हैं उसके बावजूद पुलिस चौकी आज आप वहां नहीं लगा रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि बोरखेड़ा के लोगों ने अनेक बार जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, घटना स्थल जो बोरखेड़ा से मुश्किल से आधा फर्लांग दूर है, अनेक बार लोगों ने प्रार्थना की कि यहां पर पुलिस चौकी स्थापित कर दीजिये। क्या चौकी स्थापित की? नहीं। आपने नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोटा में उमर कोट में हत्या हुई, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने बड़े क्षेत्र हैं इसी प्रकार के जघन्य अपराध वहां पर लगातार किये गये हैं। उमर कोट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की घटना दो महीने पहले हुई। ये केवल आपने एक रोड पर चौकी लगा दी है लेकिन चौकी आप कहां-कहां लगायेंगे? ये सारे कोटा के आसपास के 10-15 किलोमीटर के सारे रास्ते पर इस प्रकार की घटनायें घट चुकी हैं। उमरकोट पर कोटा डैम के रास्ते पर हत्या का प्रयास किया गया। वहां आपने चौकी की व्यवस्था नहीं की। कोटा बूंदी रोड, केशोरायपाटन रोड पर ठीक इसी प्रकार की घटनाएं चार महीने पहले घटती थीं। केशोरायपाटन से आने वाले लोगों को कीरत मेराना गांव के पास ठीक इसी प्रकार से जंजीर लगाकर मोटर ड्राइवरों को उलटा कर हाथ पैर बांधकर लूटा गया। उसकी रिपोर्ट आपके थानों में है। उस पर आपने चौकी लगायी? कोटा से झालावाड़ हिल जो दूसरे रोड पर है उस रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में डा. औदिच्य की हत्या हुई जो हिन्दुस्तान की एक प्रतिभा के रूप में यहां आया था विदेश से। उसे डाक्टर होना था। डा. औदिच्य की हत्या में आज कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोटा रावतभाटा रोड पर एक हत्या हुई और उसी तरीके से कोटा से रावतभाटा जाने वाले रास्ते पर मोटर साइकिलों पर जाने वाले लोगों को रोककर उनकी हत्या की गयी, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो इस प्रकार के कांड हुए हैं लगातार कोटा की बैल्ट के चारों तरफ, उस सारी बैल्ट में से एक जगह आपने या आपकी सरकार ने या आपके इन सारे लोगों ने एक भी अपराध पकड़ा? तब हमारी क्या सुरक्षा होगी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ माननीय मंत्री महोदय के प्रति आज सारा सदन विश्वास प्रकट नहीं कर रहा है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सीरियस होंगे, गम्भीर होंगे, क्योंकि एक दिन पहले बोरखेड़ा कांड हुआ, दूसरे दिन स्वर्गीय शोभारामजी की मृत्यु हो गयी। मुझे मेरे साथी श्री रघुवीर सिंह जी ने इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग लाकर दी जो मैंने माननीय मंत्री महोदय के सामने पेश की। Two girls raped by Sikhs in Kota. माननीय मंत्री आपने इसका जवाब दिया। मैंने कल यह कटिंग आपको लिफ्ट में बतलायी थी। बताने के बाद आपका जवाब था, माननीय मंत्री जी, मैंने आपको कहा था भगवान के नाम पर इसको पढ़ो तो सही, आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने कहा कि मैं अभी तलाश करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप जब जवाब दें तो इसका भी जवाब दें कि आपने तलाश किया क्या? ये जो घटना मैंने आपको लिफ्ट में बताई थी, आपने कोई कार्यवाही की, तलाश की? मुझे तो उम्मीद नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं कोटा होकर आया हूं, पूरे क्षेत्र में घूमकर आया हूं। मंत्रीजी का कोई वायरलेस यहां से, जयपुर से कोटा गया है? अजीब बात है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सारे सीनियर आफिसर्स कोटा में बैठे हैं, तारीख 20 21 को घटना घटी। 22 को कोटा में दो घटनाएं हुईं। एक घटना पुलिस थाना मकबरा के पास बिलकुल 30 कदम दूर पर एक सरदार की दुकान पर एक ईरानी आया और ईरानी गल्ले में से सरेआम रुपये निकालकर भागने लगा। लोगों ने भाग दौड़ की, पकड़ लिया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस ईरानी का कौन सा दफा में चालान हुआ। चोरी के मामले में नहीं हुआ, लूट के मामले नहीं हुआ, डकैती के मामले में नहीं हुआ। ईरानी का चालान हुआ दफा 109 में। माननीय मंत्री महोदय, जब आपके सीनियर ऑफिसर कोटा में थे, आपने चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी। आप बोलिये नहीं, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आपने सीनियर ऑफिसर कोटा में लगा दिये तो फिर क्या कारण था कि कोटा के पास ही दूसरा उद्योग नगर थाना जिसका आपने वर्णन किया है उसी उद्योग-नगर थाने के पास जो मित्तल नाम का व्यक्ति लूटा गया, तीन व्यक्तियों के द्वारा उस मित्तल के लूटने वालों को क्या आज तक आपकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया? माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ हम जब रंगबाड़ी के कांड को रो रहे थे, सारा प्रांत दुखी था। क्या यह सही नहीं है उसके ठीक दूसरे दिन वहां पर सारे सीनियर मोस्ट अधिकारी थे, उनके रहते हुए भी दूसरी सड़क जो गयी है नया गांव की तरफ, कोटा जेल की तरफ ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इस रोड के ऊपर आगे जंगल है। नया गांव के पास गरीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो छाने बीनने गया था और सरकारी कर्मचारी था, नगर नियोजन में चूंकि पेट का गुजारा नहीं चलता इसलिये जंगल से छाने बीनने के लिए गया था।

(2.00 म. प.)

उस गरीब को पेड़ से बांधा, ठीक उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, विचार करने वाली बात है, सरकार उस गन का मुकाबला करे तो समझ में आये, तोप का मुकाबला करे तो समझ में आये, जितने काण्ड हुए 3-4, इन सारे कांडों में केवल एक कुल्हाडी प्रयोग में ली गयी। वह कुल्हाड़ी मैंने स्वयं देखी है। कुल्हाड़ी इतनी सी है। है भारी, डण्डा इतना सा है। शोभा के साथ घटना घटी, स्पॉट पर कुल्हाड़ी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, नया गांव में कोई घटना घटे, ऐसी घटनाओं के बावजूद आई. जी. पी. कोटा में बैठे उसके बावजूद नया गांव में पेड़ पर बांधकर 2 व्यक्तियों को मारा गया। इसके बाद जब आपने उत्तर दे दिया पुलिस की बटालियनें चली गयी हैं, पुलिस के कुत्ते चले गये हैं कोटा में और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी चले गये हैं, उसके बावजूद क्या घटना घटी? परसों की घटना शायद सरकार ने दी हो तो आपके पास रिपोर्ट आई होगी। माननीय मन्त्री महोदय, बड़ी दया दिखाई सरकार ने हम पर कि गरीब बच्चों के 2500-2500 रुपए दे दिये। बड़ा एहसान किया है। वह जो चमार मरा है नोहरे का, 22 वर्ष का बच्चा है, वह मारा गया। 9 दिन का बच्चा है। 2500 रुपये देकर दया करना चाहते हो। अशोक, जो 3 साल का बच्चा है, मंत्री महोदय, मुझे उसके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाऊदयालजी, हमें 2500 रुपए दिये हैं, मैं 2500 की बजाय 5000 रुपये आपको देता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(71)

श्री दाऊदयाल जोशी : वह वापस होने लगा था मन्त्री महोदय की तरफ फेंकने के लिए। उसके पिता ने कहा, बच्चे की हत्या करने के बाद आप इस प्रकार करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : बस, दो पाइन्ट में निवेदन करूंगा। आई. जी. पी. के सामने हत्या हुई। दीनदयाल, डी. आई. जी. स्पाट पर थे, कार में बैठे थे, थानेदार उन हत्यारों को ललकारने के लिए डण्डा लेकर गया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, सीनियर आफिसर के साथ गन मैन होता है, राइफलधारी होता है, थानेदार होता है। डी. आई. जी कह रहे हैं, उनके पास राइफल नहीं थी, पिस्तौल भी नहीं थी, डण्डा लेकरभागे। उसने कहा, × × × आगे बढ़े तो मौत के घाट उतार दिये जावोगे। वापस आ गए डी आई.जी. कहते हैं, मैं कार लेकर बैल गाड़ी के पीछे भागा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। डी.आई.जी. के विरुद्ध एक्शन लिया आपकी सरकार ने? डी. आई. जी., जो कार से बैलगाड़ी नहीं पकड़ सके उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो। आज तक आपकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। 800 रुपये की पदोन्नति करके, शंकरशरन, मेरा चार्ज है, इस सरकार के मुख्य मन्त्री का चूंकि वह रिश्तेदार था, उसके खिलाफ एक्शन नहीं किया। डी. आई. जी. को प्रमोट करके दिल्ली भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, एक्शन किस पर हुआ? एक्शन हुआ उन लोगों पर, 6 पुलिस कांस्टेबलों पर, उनको मुअत्तिल कर दिया। बड़ी बहादुरी की। एस. एच. ओ. को क्यों नहीं किया? एस. पी. भी इन्चार्ज था, बड़ी बैल्ट लगा रखी है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ?

(2.05 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, घटना क्यों हुई। आप यह कहेंगे, पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं, पुलिस को गिरा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था कि पुलिस थानों में बड़े अधिकारी चूंकि इस प्रकार के काम करते हैं इसलिए छोटे अधिकारी सोचते हैं कि अपन कहां पर हैं। जब अधिकारी ही इस प्रकार के काम करते हैं, कलवाड़ के थाने में एस. एच. ओ. ने एक भील को मार डाला। 302 का केस रजिस्टर करने का बराबर आश्वासन दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस आश्वासन का क्या हुआ? क्या कलवाड़ के एस एच ओ. को 302 का केस रजिस्टर करने के बाद आपने जेल भिजवा दिया? जब इस प्रकार के लोग बच जायं, अपराधी स्वयं ही, बाड़ ही खेत को खाने लगे तो आखिरकार अपराध बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शहर में, जिलों में कोई बड़ी भारी घटना घट जाय, उसकी सूचना देने का सबसे पहले किसको अधिकार है? इन्फार्मेशन कौन देगा?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आपके आई. जी. पी. को इसकी सूचना कितने बजे मिली ? कोटा में जो काण्ड हुआ है, रंगबाड़ी में, आपके कलक्टर को सूचना सबसे पहले किसने दी ? क्या एस. पी. का यह कर्तव्य नहीं था कि कलक्टर को इस घटना की सूचना देता ? डेढ़ घण्टे बाद जब यह सारी घटना घट चुकी, तब जाकर सारी सूचना मैंने स्वयं कलक्टर महोदय को दी। क्या कह रहे हैं, "दाऊदयाल जी, भगवान करे तुम्हारी बात गलत हो।" मैडम, यह बात बिलकुल सत्य है। सभापति महोदय, माननीय रामकिशन जी यहां बिराज रहे हैं, यह हास्पिटल में गये। इन्होंने कहा, भाई, चिन्ता मत करो, हम विश्वास दिलाते हैं कि मुलजिम पकड़े जायेंगे। वह वीर औरत स्वयं आधे घण्टे अपराधियों से मुकाबला करती रही। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए प्राण भी लुटा दिये। एक बार तो कुल्हाड़ी हाथ में लेकर मारने की कोशिश की। उसका सारा परिवार नष्ट हो गया होता, अगर वह महिला उन तीनों बच्चों को अपने आंचल में छुपा कर अपने पति के पास लेटकर उनके प्राण न बचाती। निश्चित रूप से पांचों के पांचों मौत के घाट उतार दिये जाते। सभापति महोदय, उस वीर औरत ने इनको जो जवाब दिया वह सुनने लायक है। मंत्री जी ने कहा, चिन्ता मत करो, अपराधी पकड़े जायेंगे। उसने कहा, मेरा तो एक ही बच्चा मरा है जिनके चार चार सुहाग लुट गये, जिनके घर बरबाद हो गये, पहले उन लोगों को पकड़ो। मन्त्री जी निरुत्तर हो गये। सभापति महोदय, यह वीर महिला है जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की। सभापति महोदय, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, हम वहां पर समुचित व्यवस्था कर देंगे, कोटा के लिए हमने इस प्रकार से बटालियनें भेज दी हैं, कुत्ते गये। कितने रुपये कुत्तों पर खर्च करते हो ? उन्होंने ट्रेस आउट किया किसी को ?

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, एक ही बात निवेदन करके अपनी बात बात समाप्त कर दूंगा। मंत्री महोदय, आप कृपा करके इतना और बताइये, वह जो महिला जिसने इस प्रकार से प्राण बचाये, क्या उसके इलाज की व्यवस्था आपकी सरकार करेगी ? या इन्स्ट्रूमेण्टेशन लिमिटेड कर रहा है ? क्या आपने किसी प्रकार नगर परिषद् कोटा की घटना के बाद विचार किया कि हम भी कुछ मदद की घोषणा करें ? भगवान के नाम पर जिनके सतीत्व लुट गये, जिनके नन्हें नन्हें बच्चे हैं, वह विक्टर थॉमसन जिसके तीन-तीन साल के दो जुड़वां बच्चे हैं, एक सात साल का बच्चा है, अशोक पंचोली, जिसका दो साल का एक बच्चा, एक क्रिश्चियन परिवार जिसका दो साल का बच्चा, ऐसे नन्हें बच्चों को छोड़कर गये हैं, उस पर 2500 रुपए के दान की राशि देकर बड़ा अहसान कर रहे हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमको बताइये। साथ ही, यह भी जांच करवाइए, रामकिशन जी उसने कहा, मैं कहती रही, तुम हमारी परवाह मत करो, हम मरेंगे तो मर जायेंगे, पकड़ो, इन चार बदमाशों को मारो गोली। पुलिस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के जवानों को जब आपने पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखी है, जिनके पास राइफल है, उन्होंने अपराधियों को पकड़ा नहीं, न ही गोली मारी, केवल यह कह दिया कि चिंता मत करो, पहले हम तुम्हारे पति को बचाना चाहते हैं। साथ ही यह भी घोषणा करें, जो राइफलधारी लोग थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? क्या स्ट्रेटेजी थी? कौनसा कारण था? उन बच्चों को बचाने में पुलिस लगी रही लेकिन राइफल नहीं चलाई। इस लिए नहीं चलाई कि उन्होंने वही गाली दी, ××× आगे बढ़ो, वही गाली।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ××× आगे बढ़े तो मार डाले जाओगे। पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ें। इतना चालक मुजरिम 3 जन्म में भी 10 हजार की घोषणा करो तो पकड़ लिए जायेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पकड़े जायेंगे। यह सही है कि डी. आई. जी. ने तुरन्त चारों तरफ घेरा डाला। साढ़े तीन सौ लोगों को एक साथ लगाया। साढ़े तीन सौ व्यक्ति लगने के बावजूद, रात भर, कल शाम को यहां आने से पहले तो मैं टेलीफोन करके आया, परसों रात्रि तक अपराधी पकड़े नहीं गये। साढ़े तीन सौ लोगो के घेरा डालने के बावजूद भी 6 अपराधी का कहीं अन्तर्ध्यान हो जाना कोई आश्चर्य नहीं लेकिन दूसरे दिन जो नया गांव है उसमें घटना कर लें, मानसिंह नामक व्यक्ति के साथ घटना करने वाले वही लोग हैं, वही कुल्हाड़ी, वही हाथ बान्धकर पेड़ पर बान्धना यह आपका....

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ऐसा लगता है कि राजस्थान में अपराधियों का आतंक बढ़ गया है और अपराध भी ऐसे कि मरने वालों की आंखें निकाल लें, मरने वालों के कान काट लें और फिर सरकार यह कहे कि हम जांच कर रहे हैं। आई. जी. पी. ने क्या कार्यवाही की कोटा में बैठकर, पुलिस क्राइम ब्रान्च के अधिकारियों को क्या इन्स्ट्रक्शन्स दिये कोटा में बैठकर, आखिर आई. जी. पी. साढ़े 3, 4, 5 बजे....

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य, यह सब आप कह चुके हैं सारी बातें। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, आई. जी. पी. 4 बजे तक वहां रहे, उनके वहां रहने के दो घन्टे बाद की यह घटना है। सभापति महोदय, इन सारी बातों का माननीय मन्त्री महोदय से जवाब चाहता हूं। अब आई. जी. पी. कोटा में थे, दो घन्टे में यह घटना घट जाय, उन्होंने कौन से इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे, कृपया बताएं?

श्री सभापति : हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : सभापति महोदय, कोटा में निरन्तर लूट-पाट, बलात्कार और हत्याओं के मामले हो रहे हैं

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है इस वजह से ये घटनायें वहां पर निरन्तर होती जा रही हैं। 20 तारीख मंगलवार को जिस तरह की लोमहर्षक घटना वहां पर हुई है जिसमें 4 व्यक्तियों की हत्या हुई और 3 व्यक्ति उसमें बुरी तरह से घायल हुए और इस घटना के होने के बाद में हमने यहां पर सदन में बोरखेड़ा काण्ड की चर्चा की तो माननीय मन्त्री महोदय ने यहां पर जवाब दिया था कि वहां पर इन अपराधियों को पकड़ने के लिए यहां की गुप्तचर शाखा के वरिष्ठ महानिरीक्षक और अपराध शाखा के उप महानिरीक्षक और उनके साथ कई पुलिस की टुकड़ियां भेजी हुई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सबको सचेत कर दिया गया है और कोटा में नहीं सारे प्रान्त तथा वहां से लगने वाली सीमाओं पर भी सब को चौकस कर दिया है। इस सब व्यवस्था के बाद यह लग रहा था कि वास्तव में पुलिस अपराधियों को पकड़ लेगी। इसके साथ ही यहां से इन अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष आपने दल भेजा और फौजी कुत्ते भी भेजे, पुलिस महानिरीक्षक भी यहां से गये, सारा पुलिस प्रशासन कोटा में अपराधियों को पकड़ने में लगा हुआ है और यह लगा कि इस तरह की और नयी घटना नहीं होगी और अपराधियों ने जो बहुत बड़ा अपराध किया है उनको पकड़ लेगी। लेकिन इस सबके बावजूद कि आपका सारा पुलिस प्रशासन वहां पर था, फिर भी निरन्तर घटनायें होती रहीं। बोरखेड़ा के बाद ओमप्रकाश मित्तल जो तलवन्डी के पास साइकिल से जा रहा था, को घेरा और इसी तरह के लोग थे जो बोरखेड़ा काण्ड में थे। रंगबाड़ी में महेशचन्द्र अग्रवाल के परिवार के साथ दूसरी घटना हुई। इस तरह की घटनायें निरन्तर होना, उसकी बच्ची का मारा जाना यह क्या आपके पुलिस का वहां पर असफल होना नहीं है ? यह सारी घटनायें बराबर, निरन्तर होना आपके मुंह पर दूसरा तमाचा नहीं है ? आपका क्या नैतिक अधिकार है सरकार में बैठे रहने का जब कि इस प्रकार की लोमहर्षक घटनायें वहां पर निरन्तर होती रहें ? अपराधियों को पकड़ने के लिए आपका सारा पुलिस प्रशासन वहां पर पड़ा रहे उसके बावजूद वहां पर निरन्तर घटनायें होती रहें आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए।

सभापति महोदय, यह घटनायें निरन्तर क्यों हो रही हैं इसका कारण है। इनके पुलिस के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं ये अपराधियों से मिले हुए हैं। ये लूट-मार करने वालों से मिले हुए हैं, ये अपराध करने वाले लोगों को पुलिस थानों और चौकियों में संरक्षण है। अपराधियों के साथ बैठकर इनके पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शराब पीते हैं। उनके साथ उठते-बैठते हैं और वहां के अखबारों में छपती हैं ये बातें कि पुलिस की चौकियां अपराधियों की शरणस्थली बनी। जो अपराध करने वाले लोग हैं वे इनकी पुलिस चौकियों और थानों में जाकर बैठे रहते हैं, उनसे उनकी दोस्ती है और यही नहीं है कि अपराधियों से दोस्ती है बल्कि आपकी खुद की पुलिस भी इस तरह के जघन्य अपराध करती रही है। पुलिस

(श्री हीरालाल आर्य)

के थानों में कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार के अपराध होते रहते हैं, बलात्कार की घटनायें होती रहती हैं, पुलिस के लोग मार-मार कर गरीब लोगों को मार दें, तथ्य सिद्ध हो जाने के बावजूद आपके अधिकारी उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हों, पिछली बार भी कैथून में हुकुमचन्द बैरवा की हत्या की आपके पुलिस कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदार जिला प्रशासन की उपस्थिति में मारा लेकिन आपने उनको बचा लिया।

श्री सभापति : समाप्त करिए, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : फिर कैनवास गांव में पीट-पीट कर हत्या कर दी। सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुलिस का दायित्व है कि वह अपराधियों को पकड़े। उनको पकड़ने के बजाय पुलिस उनसे दोस्ती करे, दोस्ती ही नहीं करे पुलिस स्वयं अपराध करे, चोरियां करे, डाका डाले, मार-पीट करे तो फिर राजस्थान की जनता पुलिस से क्या न्याय चाहती है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस स्वयं अपराधी बनी हुई है और, गृह मंत्री जी, आपका राज आने के बाद राजस्थान में जितने भी अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं वह स्वतन्त्र हो गए हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण दे तो राजस्थान की जनता की किस तरह से जान-माल की सुरक्षा रह सकती है।

श्री सभापति : समाप्त करिए, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से घटना से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि जब महेश अग्रवाल के परिवार के साथ यह घटना हुई थी तो उनकी बहादुर पत्नी ने जब यह आवाज लगाई कि "बचाओ, बचाओ" तो पुलिस वहां पर उपस्थित थी जहां पर अपराधी थे। उसने कहा कि ये अपराध कर रहे हैं मेरे सामने आप इन पर गोली चलाओ। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उनके कहते हुए भी पुलिस की प्रजेन्स में अपराधी क्यों भाग गए? क्या इससे यह बात सिद्ध नहीं होती है कि पुलिस स्वयं उनको प्रोटेक्शन दे रही थी?

सभापति महोदय, पुलिस की इन हरकतों से कोटा जिले में बहुत ही भय और आतंक फैला हुआ है और आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप में हिम्मत नहीं है, इस तरह के अपराध जो निरन्तर हो रहे हैं उनको रोक सकें, तो आपका पुलिस विभाग समाप्त कर दें, कोटा में यहां से सबको बुला लें। कोटा की जनता अपने आप व्यवस्था कर लेगी और अपराधियों को ही नहीं अपराधियों को संरक्षण देने वाले आपके पुलिस प्रशासन को भी ठीक कर देगी।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य कृपया ।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, निरन्तर इस तरह की घटनायें होती रहें यह पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर कलंक है । गृह मंत्रीजी आपको और आपकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय सभापति जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोटा जिले की पुलिस जिले के सभ्य बुद्धिजीवी नागरिकों के लिए तो है ही नहीं, वह तो केवल गुण्डों की और पूंजीपतियों की रक्षा के लिए ही है । सन 1983 से अब तक आप देखिये, किस प्रकार घटनाओं का क्रम रहा । गांव अर्जुनपुरा एवं विज्ञाननगर में बैंक डकेती के बाद विज्ञाननगर के डाक्टर की हत्या कर उसके घर को और लेबोरेटरी के सामान को लूट ले गये । मेरे क्षेत्र दरा में रोडवेज बस को डकेत पिस्तौल के बल पर रोक कर जंगल में ले गये वहां सब व्यक्तियों के रुपये लूट ले गये किन्तु महिलाओं के हाथ नहीं लगाया और लूटने के बाद सभी यात्रियों को दस-दस रुपये दे दिये कि खाना खा लेना भूखे मत मरना । उसके कुछ दिन बाद ही अन्ता नहर पर ट्रक को रोककर लूट लिया । फिर सिमलिया में दिन दहाड़े रोडवेज बस को रोक कर सात आदमियों की हत्या कर दी । डी. आई. जी. कोटा खड़ा खड़ा देखता रहा । तत्पश्चात् चोरखेड़ा में जहां दो आदमियों को लूटा और इसके कुछ दिन बाद ही चोरखेड़ा में चार आदमियों की पुनः हत्या करके लूट लिया । मेरे गांव काचरी में रोजाना चोरियां हो रही हैं । पुलिस रिपोर्ट लेती नहीं है, न कोई सुरक्षा कर रही है और न चोरों को पकड़ रही है । गांव वाले स्वयं दिन रात जागकर पहरा दे रहे हैं । अन्ता थाने के गांव देवपुरा के रामनारायण मीणा की घोड़ी दिन दहाड़े आठ दस आदमी हथियारों से लेस होकर छीन ले गये । जब रामनारायण अन्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थानेदार ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की और उल्टा उससे डेढ़ सौ रुपये छीन कर भगा दिया और अब कोटा में 24 तारीख शनिवार को ही रंगबाड़ी के दर्शन करने जा रहे पूरे परिवार को ही गुण्डों ने मारा उसमें एक मासूम हत्या सात वर्षीय सोनू की कर दी गई और पुलिस वहां खड़ी खड़ी देखती रही । सवाल यह है कि यह सब घटनायें लगातार क्यों होती जा रही हैं ? इससे पूरे जिले में भय और आतंक फैल गया है । यह सारी घटना करने वाले लोग न सांसी जाति के हैं, न भील हैं, न बनजारे हैं, न साठियां हैं, यह सब मालदार घरानों के लड़के हैं । जिन्हें पुलिस अधीक्षक कोटा का पूरा संरक्षण प्राप्त है । आज कोटा, बून्दी, झालावाड़ में खुले आम सट्टा चलता है, औरतों के साथ छेड़खानी होती है और पुलिस अधीक्षक कोटा सारे मामलों को दबा देता है । सारे हत्यारे, अपराधी पुलिस व पुलिस अधीक्षक कोटा से मिले हुए हैं । इन सब का बॉस पुलिस अधीक्षक कोटा है । अगर पुलिस अधीक्षक के घर की तलाशी ली जाय तो उसके घर पर सारा लूट और चोरी का सामान मिल

(श्री हरीश शर्मा)

जायगा, आज ही आप तलाशी ले लीजिये। गृह मन्त्रीजी, सारे अपराधों की खास जड़ ही यही है, इसका इलाज कर देंगे, कोटा में शान्ति हो जायेगी, यह मेरी गारन्टी है। यह लोग जो बड़े घरों के लोग हैं गुमानपुरा के एक व्यापारी की दुकान से कपड़ा लूटकर ले गये, यह सब आखिर क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसकी ओर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री बालचन्द आर्य।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : माननीय सभापति महोदय, कोटा में ही इस प्रकार की जो निरन्तर पांचवीं घटना हुई है, माननीय सभापति जी, जिसमें झालावाड़ जिला, बून्दी जिला अछूता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार की घटना झालावाड़ जिले में एस.एच.ओ. द्वारा, पगारिया के थानेदार द्वारा की गई। माननीय सभापति महोदय, 26 मार्च, 83 के गुरुवार की रात्रि को, यह केस मैंने पिछली विधान सभा में भी उठाया था, पगारिया का थानेदार शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के घर में शराब पीकर घुसा जब कि उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। माननीय सभापति जी, उसके साथ छेड़छाड़ की। मैंने ए. एस. पी. साहब को भी इसकी शिकायत की लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। माननीय सभापति जी, इसी प्रकार की घटनायें कोटा में निरन्तर हो रही हैं। बोरखेड़ा गांव में हुई, रंगबाड़ी में हुई। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि यह जो शोभा महेश की पत्नी है जब वह सड़क के किनारे, अपनी सुरक्षा के लिए चिल्लाई और वह पुलिसमैन जो गश्त लगा रहे थे वे आये, उनको कहा कि वह लुटेरे अन्धेरे में खड़े हुए हैं, आप गोली चलाइए। मैं पुलिस विभाग के ऊपर और मन्त्री जी के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि आपका पुलिस विभाग लुटेरों से मिला हुआ है इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलाई। माननीय सभापति जी, निरन्तर इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं और पुलिस विभाग कुछ नहीं कर रहा है। बड़े बड़े अधिकारी वहां भेज दिये, क्या किया अभी तक। माननीय सभापति जी, इस प्रकार का मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था दस दिन पहले कि रामप्रसाद के घर पर पथराव किया।

श्री सभापति : विषय पर बात करें, माननीय सदस्य?

श्री बालचन्द आर्य : उसकी जान खतरे में है, उसका भी आपने कुछ नहीं किया और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जब आप माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो राज्य की जनता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि वह जो तीन पुलिसमैन थे वे कौन थे और उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की? जब उसने मांग की तो क्यों नहीं उनके ऊपर गोली चलाई?

सभापति महोदय, मैं इसके अलावा

(श्री बालचन्द आर्य)

आपको यह और कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई काण्ड हमारे क्षेत्र में आये दिन होते रहे हैं पर पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उसी विषय पर बोलें जिस पर कि सदन में चर्चा हो रही है।

श्री बालचन्द आर्य : सभापति महोदय, वहां पर 28 निरपराध लोगों को पूछताछ के नाम पर बुला कर जेल में बन्द कर दिया गया है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर दिये गये हैं।

(2.30 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यदि आप में, मन्त्री महोदय, कोई नैतिकता हो तो आप इनकी जांच करवा लें और और उन निर्दोष लोगों पर से केस हटवायें। इसके अलावा वहां पर बच्चों का अपहरण किया गया है पर आज दिन तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गृह मन्त्रीजी आदमी हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय ले रहे हैं।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नैतिकता की बात आपको निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में किस तरह की कानून और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है। माननीय सदस्य। आप उनकी पुनरावृत्ति नहीं करें। माननीय सदस्य, समय का अभाव है।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों पर काबू पाइये और कानून व्यवस्था को सुधारिये क्योंकि आज उनकी मिली भगत के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि अपराधी लोगों के साथ बैठकर यह लोग शराब पीते हैं और यही लोग पुलिस वाले उनको संरक्षण देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरमल।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि आज जो हमारे प्रान्त में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है हमारी सरकार उस कानून व्यवस्था को सुधारने में असफल रही है। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो जनता के रक्षक हैं वहीं भक्षक हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इस सरकार से क्या उम्मीद करे। एक और जो मैं निवेदन करना करना चाहूंगा वह यह कि कोटा जिले में आज हत्याओं और जघन्य अपराधों, जिसमें डकैती और बलात्कार भी शामिल हैं, का तांता लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इनका तांता लगा रहा है।

(श्री छीतरलाल आर्य)

जैसे कि 24 मार्च की रात्रि आठ बजे रंगबाड़ी रोड पर यह काण्ड हुआ और उसके पहले 20 मार्च को पांच जनों की हत्या हुई जिसमें चार जने तो वहीं घटनास्थल पर ही मर गए और एक व्यक्ति जो घायल था वह अस्पताल में जाकर मर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, मेरे क्षेत्र सांगोद तहसील के मोईकलां गांव में देवीलाल गूजर की हत्या की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया था कि आप लोग जिक्र कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोईकलां गांव में देवीलाल गूजर की सोते हुए की हत्या की गयी। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं चोरों ने या डाकुओं या किन्हीं असामाजिक तत्वों ने उसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि यह वहां पर ११ वीं हत्या है। उस मोईकलां गांव में पहले ११ लोगों की हत्या हो गयी पर पुलिस आज दिन तक कोई पता नहीं लगा पायी है और पुलिस आज दिन तक तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस वहां पर पूरी तरह से असफल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि नमूदा ग्राम में भी इस तरह का काण्ड हुआ और मैंने सरकार से प्रश्न पूछा तो यह जवाब दिया कि वहां पर कोई घटना हुई ही नहीं। इसी तरह घोटी गांव में डकेती हुई पर आज दिन तक कोई पता नहीं चला। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा और सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है उसमें पुलिस बिल्कुल ही असफल रही है। इसी तरह, अध्यक्ष, महोदय, छीपाबड़ौद में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान न रखें। पांच मिनट का समय और है।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, समय का ध्यान रखूंगा। छीपाबड़ौद में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस प्रस्ताव पर जो समय दिया था वह समाप्त हो चुका है। आप समाप्त करें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छीपाबड़ौद में राधेश्याम थानेदार के द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी पर आज दिन तक उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब गृह विभाग की मांग सदन में रखी जावे उस समय आप इन बातों की चर्चा कर सकते हैं। अब समाप्त करें, समय नहीं लें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष, महोदय, इस तरह से कई अपराध आये दिन

80

(श्री छीतरलाल आर्य)

होते रहते हैं पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और बिलकुल असफल रही है।

श्री अध्यक्ष : अपराध तो होते रहते हैं, यहां पर सभी की चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कानून व्यवस्था को बन्द किया जाना चाहिये और जो बुरी हालत हो रही है उसको सुधारा जाना चाहिये। आज किस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय इसी तरह एक सोहनलाल थानेदार ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये। जिन अधिकारियों और व्यक्तियों का नाम इस प्रस्ताव में नहीं है उनके बारे में माननीय सदस्य यहां पर चर्चा नहीं उठायें। अब समय समाप्त हो चुका है।

श्री छीतरलाल आर्य : अच्छा अध्यक्ष महोदय, अब मैं नाम नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का यह पुलिस विभाग जो है और जब सरकार की खुद की ही यह प्रवृत्ति है वह खुद ही जब इस प्रकार के कांडों को प्रोत्साहन दे तो क्या किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आज जनता ने पुलिस पर आरोप लगाये है और यही नहीं वहां पर कांग्रेस (आई) का जो प्रधान है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं, आर्डर आर्डर। कृपया समाप्त करें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के प्रधान ने वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार किया पर उनके ऊपर कोई कार्यवाही आज दिन तक नहीं हो सकी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में यह आये दिन घटनायें होती रहती हैं जैसे 22 मार्च को घटना हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं ले रहा हूं। दिनांक 22 मार्च को हुकडी ग्राम से नहाती हुई एक कुम्हार युवती को जबरदस्ती पकड़ कर थानेदार और सिपाही लोग लाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। समय ले रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जायेंगे।

श्री छीतरलाल आर्य : तो, अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस खुद इस प्रकार की ज्यादतियां कर रही है, तो इसके लिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह राज्य

(श्री छीतरलाल आर्य)

मन्त्री से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यकाल में बिलकुल ही असफल रहे हैं। और इन बढते हुए अपराधों पर काबू नहीं पाने के कारण आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि जब पूरे राजस्थान में इस तरह की डकैतियां, हत्यायें और बलात्कार हो रहे हैं और सारे राजस्थान की जनता के मन में एक आतंक छाया हुआ है इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, जब इस सदन में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया था उस समय मैंने व्यवस्था दी थी कि इस प्रस्ताव पर कुल एक घन्टे का समय रखा गया है। माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन किया गया था कि आठ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है, हर माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट तक का समय बोलने में ले सकते हैं। दो-दो मिनट मैंने और दे दिया यह कह कर कि इनका लिहाज रखकर यह अपने क्षेत्र की बात कह सके। पर बार-बार पीठासीन व्यक्तियों के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित समय के बारे में करने के बाद भी जब भी समय की ओर ध्यान आकर्षित माननीय सदस्यों का कराया गया मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि उस समय माननीय सदस्यों ने समय की चिन्ता नहीं की। चूंकि आज की कार्य सूची काफी लम्बी है और वह भी वित्तीय विषय के बारे में है, वित्तीय विषय जिस दिन हो उसी दिन उस पर विचार किया जाता है और उसको सम्पादित करना पडता है, उसी दिन वह तय होता है और....

एक माननीय सदस्य : मुख बन्द कर दे, साहब।

श्री अध्यक्ष : मुख बन्द की बात नहीं है। यहां पर एक माननीय सदस्य ने आधे घन्टे का समय ले लिया उस वक्त आपने समय का ध्यान नहीं रखा।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में है, उसमें हम कम से कम क्षेत्र के बारे में पांच-पांच मिनट तो बोलें। यहां पर एक व्यक्ति तो आधे घन्टे तक बोले और हमारे क्षेत्र की बात हम पांच मिनट भी नहीं कह सकें। इसके लिये चेयर की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें चेयर क्या कर सकती है। चेअर कोई फोड तो कर नहीं सकती। अब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो उसका बार-बार ध्यान आकर्षित किया किया जाता है पर फिर भी वह नहीं मानता है तो आप कह देते हैं कि चेअर की गलती है। आपको भी चेअर को सहयोग करना चाहिये। आप में से 20 माननीय सदस्यों को उनसे यह कहना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिये, अध्यक्ष जी आपको यह आदेश दे रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर-आर्डर। मन्त्रीजी का उत्तर अगर आप सुनना चाहें ....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इनके क्षेत्र की समस्या का सवाल है ...

श्री बन्सीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, श्री रघुवीरसिंहजी कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यहां पर तो सभी महत्व पूर्ण सूचना होती है जो सदन में आती है।

श्री बन्सीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, रघुवीरसिंह जी वहां जाकर आये हैं। घटना-स्थल पर जाकर आये है।

श्री अध्यक्ष : घटनास्थल पर तो सरकारी अधिकारी भी जा कर आये हैं। सरकारी पक्ष के लोग भी होकर आये हैं और वह भी तथ्य लेकर आए हैं। दाऊदयाल जी भी घटना स्थल पर जाकर आये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में एक घण्टे का समय निश्चित किया था।

श्री रघुवीरसिंह कोशल : माननीय दाऊ दयाल जी पर आपकी विशेष कृपा है, सारा समय इनको दे दिया....

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा था कि एक माननीय सदस्य पांच मिनट बोलेगा....

श्री अध्यक्ष : आठ का नाम था, चालिस मिनट हो गये। कुछ ने दो-दो मिनट और लिए, इस तरह पचास मिनट हो गए।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आपकी बड़ी कृपा है, आपने माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था जैसे रघुवीरसिंह कौशल....

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता रहूं। यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। पांच मिनट समाप्त हो जाएं, मैं निवेदन करूं, फिर दो मिनट समाप्त होने पर उनको कहूं, अन्त में उनका समापन कराऊं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप पांच मिनट से घटाकर तीन मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पांच मिनट इनको बोल लेने देते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट बोलूंगा। कोटा में जो घटनायें हो रही हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा, बोरखेड़ा रोड पर और रंगबाड़ी रोड पर जो घटनायें हुई हैं, उनके अपराधी नहीं पकड़े गए। इसमें सवाल यह नहीं है कि पुलिस इनको नहीं पकड़ सकी, सवाल यह है कि सरकार का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है इसलिए वह नहीं पकड़े जाते। सिविया कांड हुआ वह इससे भी ज्यादा खतरनाक था। डी आई. जी शंकरन् वहां मौजूद थे, अपराधी बैलगाड़ी पर जा रहे हैं और उनके

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पास पुलिस है, कार है लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। इसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि डी. आई. जी. शंकरन् को दिल्ली ले जाया गया प्रमोशन करके। इसी तरह कोटा का एस. पी., डी. आई. जी. अगर अपराधी नहीं पकड़ेगा तो प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए शंकरन् साहब ने अपराधी नहीं पकड़े और उनको प्रमोशन मिला। भरतपुर में एडीशनल एस. पी. वहां गोली कांड में मौजूद थे उनका प्रमोशन हुआ और बूंदी में एस. पी. लगा दिया जिसने वहां गुण्डागर्दी का पूरा आतंक जमा रखा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधी इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि डी. आई. जी. मधोक या पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन लेना है। भीलवाड़ा के चार व्यक्तियों को विस्फोटक सामग्री ले जाते हुए वहां के डिप्टी एस. पी. महाजन ने पकड़ा, वह भीलवाड़ा के व्यक्ति थे, मुख्य मन्त्री जी के आदमी थे इसलिए वहां से उनका स्थानांतरण कर दिया गया, वायरलैस से, जो कभी नहीं हुआ। यह भी कहा कि इनको पकड़ा तो गम्भीर परिणाम होंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि जब सिविया कांड के डी. आई. जी. महाजन ने नहीं पकड़ा तो प्रमोशन हो गया, वहां मुख्य मंत्री के क्षेत्र के अपराधी को पकड़ा तो उनका ट्रांसफर कर दिया, तो एस. पी. मीणा या महाजन को पागल कुत्ते ने काटा है कि वह अपराधी को पकड़ें। मुख्य मन्त्री जी के पैट्रोल पम्प को लूटने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा तो अधिकारी निलम्बित होंगे, लेकिन कोटा में जो कांड हुआ है उसके अपराधी अगर नहीं पकड़ोगे तो प्रमोशन पाओगे। मुख्य मन्त्री के पैट्रोल पम्प के अपराधी, चोरी, डकैती करने वाले नहीं पकड़े जायेंगे तो निलम्बित होंगे। यह कैसी कानून की व्यवस्था है। इतनी बड़ी घटना हुई है और अपराधी नहीं पकड़े गए। मैं गृह राज्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं आपने यहां से पुलिस के दस्ते भेजे, छोटे रूप में अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। इस बीच दूसरी घटना कोटा में घट गई। बजाय आपने जो 10 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है जो अपराधियों की सूचना देगा उसको यह दिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं आप घोषणा करें, कल अपराधी पकड़े जायेंगे, यह घोषणा कर दें कि कोटा में अगर 10 दिन तक अपराधी नहीं पकड़े गये तो कोटा के डी. आई. जी., पुलिस अधिकारी और जो जयपुर से दस्ता गया है, को निलम्बित किया जायेगा। यह घोषणा करते ही अपराधी पकड़े जायेंगे। केवल इनाम देने की घोषणा करने से नहीं।

श्री अध्यक्ष : किन्हीं दूसरों को पकड़ कर अन्दर धर देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम यह नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वह पकड़े जायें। आपने वहां कुत्ते भेजे, पुलिस भेजी। आपकी पुलिस की योग्यता कितनी है, चार दिन बाद दूसरी घटना घट गई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपके डी. आई. जी. या जो कुत्ते भेजे हैं उसके बावजूद भी दो-चार दिन में तीसरी घटना घट जायेगी। सरकार निष्पक्षता से और ईमानदारी से अपराधियों को

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पकड़ें और सख्त कार्यवाही करे। कोटा-बून्दी, झालावाड़ में इस रोड पर दुर्भाग्य से यह घटनायें होती हैं। कोटा ही नहीं मेरे क्षेत्र में भी घटना हुई है कोटा से केशवराय पाटन जाने वाली रोड पर। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, वहां भी घटना घटी है। कोटा-बून्दी के बीच घटना घटी, कोटा-झालावाड के बीच घटना घटी। पूरे कोटा डिविजन में पुलिस का आतंक है जो अपराध कर रहे हैं वह नहीं पकड़े जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, मुझे बन्दूक दीजिये अगर तुम नहीं चलाते हो, ऐसा एक महिला ने कहा और पुलिस वाले देखते रहे। उसका साहस देखिये, उस वीरांगना का साहस देखिये, वह बन्दूक चलाने को तैयार है और पुलिस वालों को अपराधी गाली देकर कह रहे हैं कि तुम को भी मारेंगे। मासूम बच्ची को उछाला गया, इस घटना को सुनने के बाद दिल कांपता है। लेकिन हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी क्या करते हैं। एक कार में विस्फोटक सामग्री लेकर अपराधी जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह कह चुके हैं, पुनरावृत्ति नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। पुलिस को मदद मत दीजिए, उसको दण्ड दीजिए। इनाम देने से काम नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा कि अगर पुलिस के अधिकारी अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं तो उनको दण्डित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में यह घटनायें निरन्तर क्यों घट रही हैं मैं दो मिनट में इसका चित्रण खींचना चाहता हूं। किशनगंज में आर. ए. सी. के जवानों ने एक घुमक्कड़ जाति की महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया। उसने प्रतिरोध किया और फलस्वरूप उको गोली मारी गई। उसको अस्पताल ले जाया गया, स्वयं विरोधी दल के नेता जी उनसे अस्पताल में मिलने के लिए गये थे। हम लोगों ने हल्ला मचाया, केस दर्ज हुआ। लेकिन फैसले में सब लोग बरी हो गये। क्यों हो गये, फैसले में लिखा गया है कि पुलिस वाले निहत्थे थे। यह पुलिस वाले स्वयं दोषी थे और पुलिस ने जानबूझ कर पैरवी नहीं की, गवाह नहीं लाये, मुझे मजबूर होकर इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। यह एक घटना मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं जो यह इंगित करती है कि पुलिस वाले यदि अपराध करेंगे, बलात्कार करेंगे, मर्डर करेंगे तो केस तो पुलिस ही बनायेगी, पुलिस गवाह प्रस्तुत नहीं करेगी तो केस खारिज होगा। यह मनोवृत्ति कोटा में डवलप हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में जो चेचट थाने में रेप हुआ था, उस पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी, उसमें चार लोग सस्पेण्ड हुए। हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा है पुलिस के लिए, जब बाड़ ही खेत को खाने लग जायेगी, जब रक्षक ही भक्षक हो जायेगा तो जन सुरक्षा का क्या होगा। यह दूसरा उदाहरण है। अभी छीपाबड़ोद में मुन्नी रेप कांड हुआ। मांगरोल के थाने में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हैड कांस्टेबल ने रेप किया। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को सस्पेण्ड किया, कितने लोगों को डिसमिस करके उनका चालान किया गया और क्या उनकी उचित पैरवी की गई। यह एक बैक ग्राउण्ड है जिससे वहां की पुलिस निश्चित हो गई कि उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने दो घन्टे का समय दिया था। कनवास के थाने में जो मर्डर हुआ, मन्त्रीजी ने अपराधियों की रक्षा की, उस हत्यारे थानेदार पर केस दर्ज नहीं होने दिया। वहां के अधिकारी और पुलिस वाले यह स्वीकार करते हैं कि हत्या हुई थी और उसको दबाने में वह थानेदार और वहां का एस. डी. ओ. दोनों जिम्मेदार थे, जिन्होंने सारे सबूत नष्ट किये। एक आई. ए. एस. और पुलिस का अफसर जिम्मेदार थे इसलिए केस दबा दिया गया। उससे हौंसले बढ़े। अभी कनवास थाने में मर्डर हुआ, हम जानते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि हर पुलिस अधिकारी यह समझता है कि मन्त्री जी का उसको संरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मन्त्रीजी अभ्यस्त हैं। आज धौलपुर में क्या हो रहा है, धौलपुर में डाकुओं को संरक्षण प्राप्त है, वहां की पुलिस इसलिए निश्चित हो गई है। यदि वह हत्यारा थानेदार पकड़ा जाता तो मन्त्री जी कहते पुलिस डीमोरेलाइज हो जायेगी। पुलिस डीमोरेलाइज इससे होगी कि डी.आई.जी. के सामने तीन आदमियों को बस से उतार कर हत्या कर दी जाती है। डी. आई. जी. खड़ा खड़ा देखता रहता है और हत्यायें हो रही हैं। आज पुलिस का जवान हमसे कहता है कि अगर हमारे सामने गुण्डे जा रहे हैं तो क्या हुआ। डी. आई. जी. के सामने यह घटना हो गयी तो क्या हो गया। अभी माननीय पचेरवाल साहब बता रहे थे महाजन का। उसने एक्सप्लोसिव ले जाते हुए एक अपराधी को पकड़ा और वायरलैस से रात को 12 बजे उसका ट्रांसफर हुआ सरकारी आदेश से, उस महाजन का। वहां के लोकप्रिय एडीशनल एस. पी. दिनेश शर्मा, जिनके ऊपर आज भी कोटा का एक एक आदमी गौरव अनुभव करता है, का ट्रांसफर किया गया। कोटा में बारां के एडीशनल एस. पी. कल्याणमल शर्मा, जिसने चार चार बम कांड पकड़े और पूरी हिस्ट्री सामने लाये, को बेइज्जत करके निकाला गया। कोई इज्जतदार आदमी वहां जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, इज्जतदार पुलिस आफिसर, जो अपनी ड्यूटी का पाबन्द होगा, कोटा में रह [illegible] सकता। मन्त्री जी की कृपा के कारण वहां वही लोग रहेंगे जो कि गुण्डों को संरक्षण देंगे और मंत्रीजी की कृपा चाहेंगे। यह एक बैक ग्राउण्ड है जिसके कारण कोटा में यह घटनायें घट रही हैं और गुण्डे पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों घटनाओं को ही लीजिए आप। पुलिस ने नाकेबन्दी कर दी बोरखेडा कांड होने के बाद। उस नाके बन्दी के बाद पुलिस को चेलेन्ज देकर गुण्डों ने वही की वही घटना कोटा शहर में की। 6 किलोमीटर दूर नहीं तुम्हारी नाक के नीचे हम वह घटना करते हैं। सरकार और पुलिस ने गुण्डों के सामने घुटने टेक दिये, आज यह इस बात का प्रमाण है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अध्यक्ष महोदय, मैं उस महिला से मिलने गया, नौ नौ आंसू महिला रोती हैं, कहती है कि जब पुलिस हमारे पास आई, जब हम चिल्लाये, पुलिस जब हमारे सामने आई तो हमने कहा कि यह खड़े हैं इनका पीछा करो। लेकिन पीछा नहीं किया। वह कहते हैं जब डी. आई. जी. के सामने कत्ल हो गए, अभी तो एक ही मरा है वहां डी. आई. जी. के सामने तीन कत्ल हुए थे। आज यह एक वातावरण वहां हो गया है। कोटा के लोगों का जन जीवन सुरक्षित नहीं रहा है क्योंकि गुण्डों की सूचना इनके पास है और पकड़ते कैसे लोगों को हैं यह? अध्यक्ष महोदय, एक चोरी हुई एक आदमी को पकड़ लाये। उससे कहलाया कि तुम उस शरीफ का नाम लो। शरीफ का नाम लिया गया। उसको बुलाया गया। इज्जतदार आदमी था। भागा भागा दाऊ[illegible]ाल जी जोशी के पास आया। पता चला कि जिस आदमी को चोरी में वह पकड़ कर लाये हैं, जिस दिन की चोरी है उस दिन वह आदमी जेल में बन्द था। मतलब नकली आदमी को पकड़ लाये, इज्जतदार आदमी का नाम लेकर पैसे ऐंठने का था षड्यंत्र। यह आज कोटा के थाने और थानेदार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा बैंक ग्राउण्ड होने के बाद यह जो बोरखेड़ा कांड हुआ यह गुण्डे सामने आ रहे हैं, यह स्थिति ऐसी हो गयी है कि यह जो रंगवाड़ी कांड हुआ है, अध्यक्ष महोदय, पहले तो 12 घंटे का समय था, रात को 8 बजे कांड हुआ और सुबह सात बजे उसकी सूचना मिली। यहां नाकेबन्दी कर रही है, पुलिस वहां पड़ी है, तो उस घटना के मौके पर जब पुलिस थी आप उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाये, मन्त्री महोदय, क्या कहा जाय आपको। इन दोनों घटनाओं पर कोई शर्मदार मन्त्री होता तो इस्तीफा दे देता अपने आत्म-सम्मान के लिए लेकिन आप पर कोई असर नहीं है। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि हम उसकी खोजबीन कर रहे हैं। कुत्तों की क्या हालत थी, अध्यक्ष महोदय? कुत्ते नहर तक जाते थे घटना स्थल से और थाने में वापस आ जाते थे। यह कुत्तों की हालत थी। तो आपके पास कौनसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से आप कोटा के लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे कोटा का जन-जीवन सुरक्षित है। बैंक डकेती हुई, हत्यायें हुई। कोटा की कितनी ही ऐसी हत्यायें हैं कि जिनका आज दिन तक सुराग नहीं लगा। मेरे काथले गांव में हत्यायें हुई पांच और उसमें मोतबिर आदमी मारे गये. एक आदमी का पता नहीं लगा। मेरे यहां डकेती हुई, मेरे क्षेत्र में आदमी मारा गया, माल लूट कर ले गये, आज तक उसका सुराग नहीं लगा। कहीं पटेलों को गोली मार दी गयी और आज तक पता नहीं लगा। इसका कारण क्या है? सारे कोटा जिले की व्यवस्था आज अस्तव्यस्त हो रही है उसका कारण, मन्त्री जी, प्रशासन है। गुण्डों को इस प्रशासन का आश्रय है। अच्छे अधिकारी कोटा में रह नहीं सकते और इस कारण भय व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोरखेडा कांड के लोगों से मिलने गया और जब उनको पता लगा कि रंगवाडी में यह हो गया है तो

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वह मुझे रोकर कहने लगे कि हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था लगाओ वरना वह गुण्डे शहर में ही घूम रहे हैं और गवाह नष्ट करने के लिए हमको गोली मार दी जायेगी या रात को हमारी हत्या कर दी जायेगी। यह जो स्थिति हो गयी है, अध्यक्ष महोदय, कोटा के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी।

पैट्रोल पम्प लुटा वहां मुख्य मंत्री जी भी पहुंच गये, गृह मंत्री जी भी पहुंच गये और कोटा में यह इतने आदमी मारे गये उनको सान्त्वना देने के लिए आप नहीं जा सकते थे। आपको फुरसत नहीं थी, आपके मुख्य मंत्री जी को फुरसत नहीं थी। पैट्रोल पम्प लुटा तो पैसे ही तो लुटे थे, सारे थाने की लाइन हाजिर कर दिया और मैने सुना है कि उनको आप कोटा लगाने वाले हैं क्योंकि नालायक लोगों को आप वहां लगायेंगे जहां रोज हत्यायें हो रही हैं, जहां पुलिस के सामने अपराधी खड़े हैं। आपने कितने लोगों को सस्पेण्ड किया, कितने लोगों को डिसमिस किया ? मुख्य मंत्री जी का पैट्रोल पम्प उन पांच हत्याओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण केवल 20 हजार लुटने पर थाने को सस्पेन्ड कर दिया। मैं कहता हूं कि यदि आपमें हिम्मत होती तो डी. आई. जी. को सस्पेण्ड करते। जब तीन तीन हत्यायें डी. आई. जी. के सामने हुई थीं तो उनको सस्पेण्ड करते। आज स्थिति है क्या ? आज जो थानेदार जहां जाना चाहता है वहां जाता है। थानों की नीलामी लगती है। इसी कारण वह आज स्वच्छंद हैं कि थाने में मर्डर कर दिया, रेप कर दिया और कोई अपराधी नहीं पकड़ा तो उनको संरक्षण मिलेगा क्योंकि पुलिस कहीं डीमोरेलाइज नहीं हो जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बैकग्राउन्ड केवल इसीलिए बताया कि यह घटना हमारे यहां होती है और अच्छे आफिसर्स कोटा में रह नहीं सकते....

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल :....अच्छे आफिसर का हमारे यहां से ट्रांसफर होता है। मंत्री महोदय, ऐसा कुछ योग है कि पिछली बार जब आप राज्य मंत्री बने तब केथून में मर्डर हुआ और थाने को आपने बचाया। आपने दुबारा जब इस पद को ग्रहण किया तो हत्यायें शुरू हो गयीं। आपकी हमारे ऊपर कुछ विशेष कृपा लगती है क्योंकि आपके आते ही घटनायें शुरू हैं। आपने धौलपुर नहीं संभाला। धौलपुर को नहीं संभाला। धौलपुर में डाकू निश्चिंत होकर घूम रहे हैं और वहां पर आरोप लगाते हैं कि डाकुओं को आपका संरक्षण प्राप्त है। जिस मंत्री जी के बारे में लोगों की कल्पना यही है, अध्यक्ष महोदय, उस मंत्री से हम लोग क्या आशा करते हैं कि वह हमारी सुरक्षा करेगा और गुण्डों से कभी हमारी सुरक्षा की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल :....मैं यह कहते हुए कि आप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं अतः कोटा की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जनता ने तय किया है कि वह अपनी व्यवस्था आप करेगी जब तक यह गुण्डे नहीं पकड़ जायेंगे। कल कोटा बंद होगा, प्रदर्शन होंगे और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुजलिम पकड़े नहीं जाते हैं तब तक कोटा की जनता ने यह तय किया है। अगला स्टेप क्या होगा यह तो हम बतायेंगे लेकिन हम सरकार को बाध्य करेंगे, आप कोटा में जा नहीं सकते, आपमें साहस नहीं, कोटा में जितने गलत पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं उनके ऊपर आपकी अनुकम्पा है इसलिए आप इनको पकड़ नहीं सकते, इसलिए वह स्वच्छंद हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल आपकी मार्फत यह निवेदन करते हुए कि आप सतर्क हों, कोटा के जनजीवन को अस्तव्यस्त होने से बचायें, कोटा में विश्वास जागृत करें वरना अगर आपकी यही इच्छा है कि आप कोटपूतली काण्ड को दोहरायें, आपको गोली चलाने से ही शांति मिलती है तो कोटा की जनता प्रज्जवलित है और अपनी सुरक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मंत्री।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम कौशल जी ने कहा कि पहले आप थे तो केथून में हो गया और पुनः आपके आते ही यह हो गया इसे

श्री यदुनाथसिंह : जनता का दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष : पहले वाली बात सही है क्या।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है। राजस्थान के अन्दर कत्लों की और मर्डरों की संख्या काफी है...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ढाई घंटे इसी सदन में बहस हुई थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हर महीने में 20–25 कत्ल तो होते ही होंगे तो अब उससे मुझे जोड़ें यह आपकी मर्जी है, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात का निश्चित रूप से खण्डन करना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तिगत आरोप बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ पर लगा दिये कि मैं डकैतों से मिला हुआ हूं, मैं इसका खण्डन करता हूं। उन्होंने यह बात असत्य कही है, यही बात मैं कहना चाहूंगा। मैं तो आपको एक मौका देता हूं कौशल साहब। सुनी सुनाई बातों में क्या रखा है आप स्वयं जाकर तफतीश कर लें और आप इस सदन में ईमानदारी से कह दें। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कह दें, कि मेरा संबंध किसी प्रकार का है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इन्होंने क्या कहा है? सरकारी रेकार्ड में हो तो?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर सरकारी रेकार्ड में मेरे बारे में, भैरोंसिह जी कुछ हो तो आप इस सदन में जो सजा देना चाहें दे देना....

(3.00 म.प.)

आप कह दें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसीलिये मैंने पूछा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन्दगी में किसी ने नहीं कहा होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, किसी इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवरसिंह कौशल : पिछली बार मैंने डी. आई. जी. की रिपोर्ट पढ़कर यह बताया था, माननीय मंत्री महोदय का डाकुओं को संरक्षण प्राप्त है। डी. आई. जी. की रिपोर्ट पढ़कर सुनायी थी। सरकारी रिकार्ड है। मैंने आरोप लगाया था और सरकारी डी. आई जी. की रिपोर्ट पढ़कर आरोप लगाया था....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं जांच करा लीजिये ...

एक माननीय सदस्य : आपने कह दिया, मान लिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोग कहते हैं कि जांच करा लीजिये, किस से जांच करा लीजिये ? मैं कहता हूं विपक्ष के नेता महोदय से....

श्री भैरोंसिह शेखावत : 25 वर्ष से लोग कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 25 वर्ष पहले तो मैं था ही नहीं।

श्री यदुनाथसिंह : यह तो आपका लिहाज करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा लिहाज करें न करें। मैं तो कहता हूं, विपक्ष के नेता के ऊपर छोड़ता हूं। मैं कहता हूं यह कह दें सदन के अन्दर कि मैं दोषी हूं। मैं कहता हूं, भैरोंसिह जी, स्वयं 2।। वर्ष तक मुख्य मन्त्री थे इन्होंने मुझे क्यों नहीं अन्दर पटक दिया....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शराफत थी।

एक माननीय सदस्य : किसी बेगुनाह को कैसे पटके।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भैरोंसिह जी, मैं विपक्ष के नेता से कह रहा हूं 2।। वर्ष तक मुख्य मंत्री बन कर बैठे हुए थे क्यों नहीं कार्यवाही की ? कुछ था ही नहीं, करेंगे क्या। मैं इसीलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। शायद आप प्रशासन के अन्दर भूल गये होंगे, अब मैं आपको याद दिलाता हूं। इस बात को, अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कोटा जिले की कानून और व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। श्रीमान्, चूंकि आज मुझे, यह जो दो दुखद घटनायें हुईं उसके सन्दर्भ में वक्तव्य देना था तो इसी बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके आया था। अगर मुझे यह ज्ञात होता कि कोटा जिले की जनरल लॉ एण्ड आर्डर सिचुयेशन के बारे में चर्चा होगी तो मैं वह तथ्य और आंकड़े लेकर आता और अपना पक्ष, सरकार का पक्ष, माननीय सदस्यों के सामने रखने की कोशिश करता यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, बोरखेडा काण्ड के बाद,

(९०)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस काण्ड के ऊपर बाद में आऊंगा यहां जो जनरल बातें कही गई, यह कहा गया कि कोई सरन साहब के वक्त में उनके सामने कोई कत्ल हो गया और उसके फलस्वरूप उसको इनाम देने के लिये क्योंकि मुख्यमन्त्री जी के रिश्तेदार हैं उनको प्रमोशन देकर दिल्ली भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, जानकारी है, निश्चित जानकारी है मुख्य मन्त्री से उनका कोई रिश्ता नहीं....

श्री दाऊदयाल जोशी : निकट का रिश्ता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : निकट का रिश्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां कही गई कि उनको प्रमोशन देकर भेज दिया। यह मेरी निश्चित जानकारी है, कोई प्रमोशन के ऊपर नहीं भेजा गया। डी. आई. जी. यहां थे, डी. आई. जी. बनकर उसी पद पर भारत सरकार के अन्दर गये हैं डेपूटेशन के ऊपर। यह कह देना खाली उनका रिश्तेदार था, प्रमोशन देकर भेज दिया गया, इस प्रकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की चेष्टा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सत्य नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 800 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके सामने मर्डर भी नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, अगर मुझे यह जानकारी होती कि कोटा जिले के पूरे लॉ एण्ड आर्डर के बारे में यहां चर्चा हो रही है, तो मैं निश्चित रूप से तैयारी करके आता। मुझे पता नहीं है, इस लिये मैं अभी उन पर खाली धूल में लठ चलाऊं या अन्दाज से कोई बात कहूं, वह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। यह तथ्य मुझे पता भी नहीं है। नं० दो, यहां कहा गया कि मुख्यमंत्रीजी के पैट्रोल पम्प पर मैं पहुंच गया, मुख्य मन्त्री जी पहुंच गये। मैं तो नहीं पहुंचा, अध्यक्ष महोदय। साथ में कहा गया, थाने को सस्पेण्ड कर दिया। कोई थाने को सस्पेण्ड नहीं किया, श्रीमान्। मैं आपसे कह रहा हूं, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुरेन्द्र शर्मा और चार आदमियों को सस्पेण्ड किया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, थाने को कहीं सस्पेण्ड नहीं किया गया। आपने थाना कहा था। यही जानकारी मैंने की कि थाने को सस्पेण्ड कर दिया है, मुझे बताया गया कि नहीं। मुझे मालूम नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्पेण्ड हुए या नहीं हुए। आप अधूरी बातों की जानकारी क्यों नहीं करते ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब यहां पर खास तौर से दो मुद्दे रंगबाड़ी, जो दूसरी दुखद घटना थी रंगबाड़ी की जो बोरखेड़ा के बाद बड़ी दुर्घटना हुई, पर यहां यह कहा गया कि जब रंगबाड़ी की घटना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हुई डी. आई. जी. वहां मौजूद थे। जहां तक मेरी जानकारी है, डी. आई. जी. वहां मौजूद नहीं थे

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन बजे वहां पर गये हैं बाई प्लेन।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मिलने वहां भी गये थे लेकिन आराम फरमा रहे थे इसलिए उनके दर्शन लाभ नहीं हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दर्शन लाभ हो जाते तो आपके यहां भी डकेती पड़ जाती।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की तरफ से जो हमने कदम उठाये उनका मैंने यहां आज जिक्र किया, पहले रोज जिक्र किया, कल जिक्र किया। यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, अभी तक सफलता इसके अन्दर प्राप्त नहीं हुई है....

(व्यवधान)

इसको मैं एडमिट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय,

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपने पकड़ लिया क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, आज मैं यह कह कर चलूं कि आज अपराध नहीं हो रहे हैं और विपक्ष के नेता यह कहें कि उनके शासन काल में अपराध नहीं हुए थे....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एम. एल. एज. को नहीं पीटा था। जिस प्रकार का स्तर राजस्थान विधान सभा में आज प्रस्तुत हुआ है हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में नहीं हुआ होगा। आपसे सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है जब एम. एल. एज सुरक्षित नहीं हैं। यह सब आपके आने के बाद हुआ है, मन्त्री महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री दाऊदयाल जोशी : 90 वर्ष की महिला के स्तन नहीं काटे थे ..

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बात नहीं सुनना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों को जिन्दा जला दिया था।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सिर्फ हल्ला करने की क्षमता है, सुनने की क्षमता नहीं है इनमें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सब वही पुनरावृत्ति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसी पूर्व में स्थिति थी वही पुनरावृत्ति हो रही है। आज अब आप माननीय सदस्य बोल रहे थे, न मैंने, न हमारे दल के किसी सदस्य ने कहीं रोक टोक नहीं की। आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खुशी है आपने बाईकाट नहीं किया जब हम बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आपकी बारी आने दो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब बात कहने का अवसर आता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। माननीय सदस्य, उत्तेजित होने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम और आप दोनों मिलकर ...

श्री यदुनाथसिंह : सो जाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने सुझाव दिए....

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो कल इन्तजार कर रहे थे ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी सब बातें सुनीं। कुछ जो इम्पोर्टेंट पाइन्ट थे उनको नोट किया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर दोनों घटनाओं का जिक्र किया गया। एक तीसरे महीने की 83 के अन्दर, एक 9वें महीने की 83 के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : वह विषय से हटकर कही है। मन्त्री जी, आप इन दोनों घटनाओं के बारे में कुछ कहें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा, सरकार और पुलिस की तरफ से पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे कदम हमने यहां पर उठाये कोटा के अन्दर जिनकी मैं इस अवसर पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि उसका एक मात्र कारण यह है कि आज के जमाने के अन्दर जो हम कार्यवाही करने जा रहे हैं अगर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो उसका लाभ अपराधियों को मिल सकता है। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि ये दो घटनायें हुई हैं जिसके बारे में हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है लेकिन मैं बहुत आशावान हूं, हमारे अधिकारी भी बहुत आशावान हैं कि अपराधियों को खोज निकालेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। इस बात की हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमने इसके लिए वहां माकूल गश्त का इन्तजाम, पुलिस फोर्स का इन्तजाम किया है, कुछ एडीशनल अधिकारियों को भेजा है। इस सारे मामले में वहां की लोकल पुलिस की मदद करें। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, हमने स्ट्रेंदन करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक मुद्दा तो जो माननीय सदस्यों ने उठाया कि वहां पर पुलिस के जो तीन सिपाही पहुंच गये थे, जिस समय मिसेज अग्रवाल चिल्लाई और कहा कि इन पर गोली चलाओ लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अपरेन्टली यह बात पहले भी आई है और मैंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त की जाये कि क्या कारण थे कि वे उस मौके पर पहुंच गए। उसमें ऐसा कहा जाता है, अध्यक्ष महोदय, सिपाहियों के पास बन्दूक थी, हथियार थे फिर रात में क्या वजूहात थे अगर इन सारी बातों का समुचित और सही उत्तर आता है कि इस कारण से हमने ...

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिसेज अग्रवाल के बयान 161 के तहत तो लिए होते कि....

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने आज सुबह ही डिस्कस किया है। पत्रावली मेरे पास है....

(व्यवधान)

क्या कह रही है कानून के बारे में ? आप जरा सुनिये तो सही। आप से ज्यादा कानून जानता हूं ।

(व्यवधान)

आप सुनने की कोशिश करें। आप बीच में इन्ट्रप्ट न करें। मैं पढ़ कर सुना रहा हूं....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : बयान दे रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस चर्चा के बारे में मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप × × × क्यों बता रहे हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : महिलाओं को क्या × × × बताऊंगा।....

(व्यवधान)

आप कमाल कर रही हैं। आपको × × × दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप में और उनमें मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 161 के बयान हैं, मिसेज अग्रवाल के ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो बार मैंने डी. आई. जी. का ध्यान आकर्षित किया था।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन्त्री महोदय कुछ कह रहे हैं। सुनिये।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह ही ये बयान देखे थे। अध्यक्ष महोदय, इन बयानों के अन्दर कहीं मिसेज अग्रवाल ने पुलिस से गोली चलाने की बात नहीं कही, यह मैं कह रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक बात बता दीजिये। पुलिस वाले जब मिसेज अग्रवाल के पास आ गये उस समय वे चोर या डाकू दिख रहे थे क्या ?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(९५)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आकर यह कहा, क्या बात है, पुलिस वालों ने पूछा। पुलिस उधर से गश्त करती हुई आ रही थी। मेरे रेकार्ड की बात कह रहा हूं जिसमें कहीं भी मिसेज अग्रवाल ने गोली चलाने के लिए नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : गोली का सवाल नहीं है। गोली उसके कहने से चलती भी नहीं। परिस्थितियां क्या थीं, चोर लुटेरों की तरफ थे क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुद्दा उठाया है उसमें मैंने जानकारी और इन्क्वायरी के आदेश दिये हैं। मैंने इस बात के आदेश दिये हैं, विपक्ष के नेता महोदय, मिसेज अग्रवाल की जो चर्चा की थी सदन में और जो अखबार में बात आई है उसमें कहां तक सच्चाई है। इसकी खोज और जांच करना आवश्यक है। नम्बर एक। और नम्बर दो, अगर मिसेज अग्रवाल ने ऐसा कहा, बयानों में ऐसा नहीं है जिसके कारण पुलिस ने फायरिंग नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, उनका पीछा नहीं किया ऐसे क्या कारण थे ? अध्यक्ष महोदय, तो ये दो कारण थे जिन पर मैंने जानकारी करने के आदेश दिये हैं। लेकिन 161 के बयान के बारे में आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, इतनी घिनौनी घटना है। उन्होंने कहा या नहीं कहा लेकिन मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, आप नहीं चाहते कि इस तरह....

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। आवेश में आने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य। अब लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण। वित्त मन्त्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कल वाला इश्यू करेंगे ?

घोषणा

अतिरेक अनुदान की मांगों एवं विधेयकों पर विचार के लिये समय का नियतन

श्री अध्यक्ष : आज तीन वित्तीय विधेयक हैं जिनको पारित करना है। एक तो ऐसा कि कल जिन अतिरिक्त मांगों के बारे में जिनकी मांगे आपने पारित कर दी थी और विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया था उसको विचारार्थ लिया जाय, इस स्तर पर जब हम पहुंचे तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक तो वह विधेयक है वह उस अवस्था में है। दूसरा विधेयक जो अतिरेक मांगों, के बारे में है वर्ष 76–77 की उन मांगों पर विचार होगा। उसके बाद में मुख बन्द का प्रयोग किया जायगा और उसके बाद तत्सम्बन्धी वित्तीय विधेयक है, उसको पास करना है। तीसरा विधेयक है जो लेखानुदान के सम्बन्ध में पारित करना है। तो मैं समझता हूं कि तीनों को पारित किया जाय। वे तो एक ले लिए जायं और एक में मांगों पर विचार होकर मांगों का पारण हो जाय जो एक्सेस डिमाण्ड की थी। तो मेरा सुझाव यह है कि

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 76-77 की अतिरेक मांगों पर विचार एवं मतदान, इसमें साढ़े चार बजे मुख बन्द प्रयोग का है। यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो जो विचारार्थ लिये जाने वाली मांगें हैं उन पर भी मतदान कर लिया जाय। उसके बाद में तुरन्त प्रभाव से मुख बन्द का प्रयोग कर लिया जाय और फिर जो तीनों विधेयक हैं पारित करने वाले प्रस्ताव तक बिना किसी विवाद के निपटारा कर दें। उसके बाद में पारित करने का जब प्रस्ताव आये तो जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें, बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पारित वाला?

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर विचारार्थ वाला कर लें।

श्री अध्यक्ष : दो डिबेट हो जायेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट एक ही होगी।

श्री अध्यक्ष : तो फिर पारित वाले को उसमें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पारित तो थर्ड रीडिंग और विचारार्थ संकन्ड रीडिंग है।

श्री अध्यक्ष : उसमें कोई फर्क नहीं होगा और उसमें वह होगा कि दुबारा चर्चा हो सकती है। विचारार्थ ले लिया जाय, यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाय और उसके बाद जब पारित करने का प्रस्ताव आये, उस वक्त पूरा वाद-विवाद कर लिया जाय। तो मांगें प्रस्तुत की जायेंगी। वर्ष 76-77 अतिरेक मांगे मतदान हेतु प्रस्तुत की जाती हैं. पहले मांग संख्या....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगें मूव नहीं कीं। मांगे मूव करेंगे तब न?

अतिरेक अनुदान की मांग

मांग संख्या 42, ग्राम और लघु उद्योग

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 42 ग्राम और लघु उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,24,765 (बारह लाख चौबीस हजार सात सौ पैंसठ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

अतिरेक अनुदान की मांग का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 42 ग्राम और लघु उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,24,765 (बारह लाख चौबीस हजार सात सौ पैंसठ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(90)

(श्री अध्यक्ष)

मुखबन्द

अतिरेक अनुदान की शेष मांगों का पारण

अब मैं मुखबन्द का प्रयोग करके शेष मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,77,364 (अठारह लाख सतत्तर हजार तीन सौ चौसठ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 14-खजाना, पेंशन आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,11,311 (साठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ ग्यारह रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 19—सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,98,61,885 (दो करोड़ अठानवे लाख इकसठ हजार आठ सौ पिच्यासी रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,850 (निन्यानवे हजार आठ सौ पचास रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी :

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 22-कार्यात्मक भवन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,90,143 (दस लाख नब्बे हजार एक सौ तियालीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,39, 555 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार पांच सो पचपन रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपए) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण। वित्त मन्त्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसका विनियोग संख्या दो विधेयक आयेगा।

श्री अध्यक्ष : विनियोग नहीं, लेखानुदान। वोट आन अकाउन्ट का प्रस्ताव।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वोट आन अकाउन्ट को पहले ले रहे हैं, यह एक्सेस किया है।

श्री अध्यक्ष : वह साथ ले लेंगे, शुरू में जैसा मेरी सूची में है उसके अनुसार। फिर वह ले लेंगे आगे।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : जैसी मर्जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1984-85 के विवरण में मांग संख्या 1 से 49 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक, जिनका योग रुपये 2,88,11,41,000 (दो सौ अठ्यासी करोड़ ग्यारह लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 1984-85 के विवरण में मांग संख्या 1 से 49 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक, जिनका योग रुपये 2,88, 11,41,000(दो सौ अठ्यासी करोड़ ग्यारह लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिये अनुदत कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य। एक, ये तो कल....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो कल चल रहा था। साहब। दो आयेगा।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी। विनियोग संख्या दो।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन एवं उस पर विचार व पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1984

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वित्त मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारित का उसके बाद में। प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रस्ताव प्रस्तुत करो पारित का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको तो कर दें, साहब, बाकी रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। फिर साथ लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, विचारार्थ हो तो छोड़ो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, नहीं पारित करने के लिए...

श्री अध्यक्ष : पारित का प्रस्ताव रखियेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि सब को साथ रखना है।

श्री अध्यक्ष : सब का साथ ही होगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यहीं बैठे हुए थे

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

देख नहीं रहे थे।

श्री अध्यक्ष : विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : एक और आयेगा अभी। विनियोग संख्या तीन।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारित करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 3) विधेयक, 1984 को पारित किया जावे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

पारित करने हेतु प्रस्ताव। विनियोग सं. 1।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक ही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1984 को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह। तीनों

(100)

(श्री अध्यक्ष)

आ गए हैं, तीनों के पारित करने के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं। अब माननीय सदस्यों को छूट होगी कि इस सम्बन्ध में जितना समय चाहें ले लें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यों तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और उनकी अन्य राज्य....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हों या बड़े पदों पर हों उनके नाम यथा सम्भव उनकी यदि रेलेवेंसी नहीं हों तो नहीं लिए जावें। ये आम तौर पर विवाद के विषय बन जाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप आते हैं। जो विचारणीय विषय है उनमें जो बातें आती हैं उनको कहें।

श्री यदुनाथसिंह : सबसे ज्यादा विचारणीय विषय ही यह है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सत्ता पक्ष वाले सबसे पहले नाम ही उनका लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यों तो नाम नहीं लूंगा जो सत्ताधारी दल है उसने केन्द्र में भी और राज्यों में भी बजट को इर्रलेवेंट बना दिया है। बिल्कुल ही नोन-सीरियस कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे न तो सरकार अपने खर्चे का सही अनुमान लगा पाती है कि साल भर में कितना खर्चा करना पड़ता है, न सरकार यह ध्यान रखती है कि लोकसभा और विधान सभाएं बैठी हुई हैं इनमें सही अनुमान लेकर साल भर का जो हमारा खर्चा है और आमदनी है, उसका सही अनुमान लगायें। ठीक बजट से पहले और ठीक बजट के बाद टैक्स लगाने की एक परिपाटी इस देश में आम हो चुकी है। यह अच्छा सूचक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वैसे भी अगर आप देखें जो भी केन्द्र में हों या राज्य में हो, जो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं वास्तव में वह 40 पर्सेंट बजट होता है। फाइनेन्स मिनिस्टर इज फोर्टी पर्सेंट फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, 1981 की रिजर्व बैंक की स्टडी टीम ने जो स्टडी की, उसके परिणाम यह निकले कि देश में ब्लेक मनी का यानि काले धन का जो प्रचलन है वह 60 प्रतिशत है। यानि वित्त मंत्री जो लेखा जोखा बनाते हैं और लोगों पर उस बजट का जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ चालीस प्रतिशत ही अनुमान लगा पाते हैं और 60 प्रतिशत अनुमान जो लगाते हैं यह दूसरे जिसके पास ब्लैक मनी है वह लगाता है। इसलिए जितने भी बजट के अनुमान होते हैं, पेरेलल इकानोमी बढ़ी है, पेरेलल इकानोमी ज्यादा बढ़ी है आकार में। तो, अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जहां तक सवाल है पिछले साल की जो एक्सेस डिमाण्ड ली हैं उनके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा और जो इस साल के लिए, दो साल के लिए है, बड़ी विडम्बना है,

(3.36 म.प.)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पीठासीन]

(श्री यदुनाथसिंह)

सभापति महोदय, दो साल के लिए और दो महीने के लिए जो खर्चा मांग रहे हैं, मुझे तो, सभापति महोदय, यहीं निवेदन करना है कि हमें देखना होगा आया कि बजट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बजट का उद्देश्य यही तो नहीं होता कि कितनी आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा। उसका जोड़, बाकी, गुणा, भाग लगा कर सरकार सदन के सामने रखे, राज्य के सामने रख दे, बजट का उद्देश्य होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, कि जितने उत्पादन-कारक हैं, उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, जितने भी एलीमेंट हैं उनको किस प्रकार से मजबूत किया जावे, सुदृढ़ किया जावे, उनका किस प्रकार से निर्माण किया जावे। सबसे पहला बजट का उद्देश्य यह होता है। सभापति महोदय, दूसरा बजट का उद्देश्य होता है कि बचतों को प्रोत्साहन दें। सरकार खुद भी अपने खर्चे में बचत करे और ऐसे प्रयोजन करे कि लोग भी बचतों में अपना प्रोत्साहन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा बचत करके पूंजी को बचा कर बैंक में रखे, दूसरा यह उद्देश्य होता है। सभापति महोदय, तीसरा उद्देश्य होता है कि उस पैसे को आगे आने वाले समय के लिए उन बचतों से अच्छी तरह से पूंजी नियोजन राज्य में और देश में किया जावे ताकि जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति की जा सके। लेकिन, सभापति महोदय, जो हम देख रहे हैं, पिछले साल का बजट देख लीजिए और निरन्तर चार सालों से देखते चले आइये, सभापति महोदय, जब से मैं आया हूं देखते चले आइये, जो हमारे देश की आर्थिक हालत है उसके रहते राज्य की बहुत बुरी हालत है। यानि इस साल का बजट, सभापति महोदय, पेश किया गया है, अब अजीब विडम्बना देखिये, बाइस सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का हमारे पर कर्जा है और इक्कीस सौ करोड़ का हमारा बजट है। यानि उस आदमी को आप क्या कहेंगे जिसकी जेब में है एक रुपया और कर्जा है उस पर सवा रुपया ? वैसी हालत आज राज्य सरकार की हो गई है। बिल्कुल सरकार का जो दिवालियापन है वह जनता के सामने आ चुका है। सभापति महोदय, जहां तक सवाल है, मैंने जैसा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, जैसा शुरू में कहा था कि बजट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बजट का उद्देश्य उत्पाद शक्तियों को मजबूत करना और संगठित करना होना चाहिए। तो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति में यह सरकार निष्फल रही है, असफल रही है। क्योंकि पिछले साल के बजट में जो कुछ इन्होंने प्रावधान किए और उसके बाबत यह दो अरब और सैंतीस करोड़ रुपया और हमसे मांग रहे हैं, उसके बारे में निवेदन करना है, सभापति महोदय, इन्होंने जो खर्च किए और जिस खर्च में यह जो एक्सेस खर्चा सदन से और इस राज्य या इस राज्य की जनता से मांग रहे हैं आया उसके उद्देश्य क्या थे, किस में इन्होंने एक्सेस खर्चा किया ? सभापति महोदय, आप देखेंगे,

(श्री यदुनाथसिंह)

पहला ही पन्ना देखिए, जो ये मांग रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि खर्च काहे में बढ़ ? यानि अगर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है तो वह, हमारे उत्पादन के लिए या विकास के लिए या निर्माण के लिए हो तब तो उसको उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन अनुत्पादक खर्चों में ज्यादा खर्च करके बर्बाद किया जावे राज्य की इकानोमी को तो वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सभापति महोदय, आप पढ़िये पेज नम्बर 9 पर, काहे के लिए मांग मांग रहे हैं। मंत्रियों और उपमंत्रियों के सत्कार भत्ते, मकान किराये भत्ते, चिकित्सा व्यय, यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, निवास स्थान पर जल और विद्युत में, मोटरकारों के संधारण व सरंजाम पर अधिक व्यय होने के कारण। यानि आप कोई भी पन्ना इसका पलट कर देख लीजिए, 2–3 पर्सेंट के अलावा कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो किसी विकास से सम्बन्ध रखता हो। कोई भत्ता ज्यादा देने की वजह से, कहीं ब्याज के ज्यादा चुकारे की वजह से, कही पर चिकित्सा व्यय ज्यादा देने की वजह से, कहीं पर वाहनों की रिपेयर करवाने की वजह से हम ज्यादा खर्चा राज्य में कर रहे हैं। यानि मेरे कहने का तात्पर्य, सभापति महोदय, यह है कि हम खर्च करते हैं उससे हम कितना निर्माण कर पाते हैं आगे आने वाले समय के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि हमारी इस राज्य की इकानोमी काहे पर बेस्ड है यह हमको देखकर चलना पड़ेगा। इन मदों में खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? जो मद हमारी उत्पाद कारक है उनको हम मजबूत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? सबसे पहले यह बात ध्यान देने की हमें जरूरत है। सभापति महोदय, आप देखिये, सबसे पहले आप औद्योगिक उत्पादन को ले लीजिए। औद्योगिक उत्पादन की हालत यह है, सभापति महोदय, पिछले साल के लिए मांग है, यानि अपने इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने कहा, कुछ चीजों के लिए, तीन सौ और साढ़े तीन सौ पर्सेंट की उसमे ग्रोथ हुई है। यहां तक उन्होंने अपने भाषण में कोट किया है लेकिन अब नक्शा देखेंगे, सभापति महोदय, तो इसका बिल्कुल विपरीत नक्शा आपके सामने आएगा। एक एक करके लूंगा। पहले औद्योगिक उत्पादन को आप लीजिए, यानि वेजिटेबल घी। औद्योगिक उत्पादन पिछले साल से 9.10 प्र. श. माइनस हुआ। सोइल 17.93 प्र. श. कम, फर्टिलाइजर 7.88 प्र. श. कम प्रोडक्शन हो रहा है। सीमेन्ट, माइका ग्रिफट लीजिये जो इण्डस्ट्री बनाने के काम आती है, 7.65 प्र.श. कम प्रोडक्शन हुआ है। रेलवे वेगन्स का 33.35 प्र.श. कम प्रोडक्शन हुआ। वाटर मीटर्स 69.34 प्र.श. कम, पालिस्ड स्टोन्स 8.98 प्र.श. कम, नायलोन यार्न 58.13 प्र.श. कम, पालिस्टर यार्न 76.51 प्र.श. कम प्रोडक्शन हुआ। और भी बहुत सी ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं जहां पर इतना भारी पूंजी नियोजन करने के बाद भी कम प्रोडक्शन हुआ। इस बजट का आकार पिछले साल 17 18 अरब के लगभग था लेकिन देखने में इस साल का 21 अरब का बजट है, इसके आकार

(श्री यदुनाथसिंह)

को देखने से लगता है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिये है और राज्य की विकास की गति तेज होने वाली है लेकिन परिणाम उल्टे आ रहे हैं। इस साल का बजट देखें तो, सभापति महोदय, आप पायेंगे कि लगातार पिछले चार वर्षों में विकास व्यय है वह कम होता जा रहा है और जो अभित्याग व्यय है वह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है यानि विकास की मदों में पैसा कम खर्च हो रहा है, और विकास के बाहर की मदों में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है यानि हम देश में औद्योगिक उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं। बड़े गर्व के साथ पहले पन्ने पर वित्त मंत्री जी बोले हैं इस साल के बजट में, पिछले साल खाद्य उत्पादन करीब करीब 10 मिलियन टन, 99 पाइन्ट कुछ लाख टन है उत्पादन, भारी उत्पादन हुआ। तो, सभापति महोदय, जिस साल अच्छी बारिश हो जाती है उस साल तो सरकार श्रेय ले लेती है। अच्छा मानसून हुआ उसका श्रेय ले लेती है सरकार कि इतने साधन प्रदान किये, खाद बांटा, टेक्नोलोजी बांटी इसलिये उत्पादन बढ़ा लेकिन जब मौसम खराब होता है, पिछले चार सालों से मौसम खराब रहा, सिर्फ मौसम और मानसून के भरोसे उत्पादन घटता है तो उसका दोषारोपण मौसम पर कर दिया जाता है। सभापति महोदय, खेती पर ध्यान देना कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में और राज्य के सन्दर्भ में यानि देश की इकानोमी की रीढ़ है। हमारे यहां 52 प्र.श. के लगभग जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वह खेती का हमारे यहां पैदा होता है और, सभापति महोदय, खेती ही ऐसी जगह है जहां पर अतिरिक्त पूंजी, नई पूंजी का निर्माण होता है। यानि कह सकते हैं कि उद्योगों में नमूने के लिये, सभापति महोदय, आप 100 ग्राम लोहा लगा रहे हैं तो फैक्ट्री में कम से कम 100 ग्राम लोहा डालना ही होगा तभी आप 100 ग्राम निकाल सकेंगे चाहे उसका रूप बदलने से आप रुपये अच्छे बना लें लेकिन नई पूंजी का निर्माण सिर्फ खेती में ही होता है यानि एक बीज डालने के के बाद 100 दाने सिर्फ खेती में ही होते हैं। इसलिये नई पूंजी का निर्माण खेती में होता है। खेती में उत्पादन बढ़ा, मान लिया, खेती में बहुत रेकार्ड उत्पादन आपके राज्य में हुआ लेकिन किसानों को क्या मिला? देखने से क्या दिखाई दे रहा है गांवों में? किसानों को कुछ नहीं मिला, सभापति महोदय, किसानों की उल्टी लुटाई हो गई यानि आप उसके टर्म्स आफ ट्रेड निकालेंगे, तो बाजार से उसका आउट पुट और इनपुट है उसका रेश्यो निकालेंगे तो आप पायेंगे कि किसानों की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, उसकी जेब से पैसा निकल रहा है और उसकी पूंजी गांवों से शहर की तरफ निकलती जा रही है। इसका प्रमाण में आपको देने वाला हूं अभी एक मिनट में, सभापति महोदय।

आप देखिये, यह राज्य का थोक सूचकांक है, इसको आप देखिये। 1971 से आंकड़े देखिये। आप इसमें देखेंगे कितनी भारी पूंजी को शहरों को सजाने के लिये, इन

(श्री यदुनाथसिंह)

लोगों की अय्याशी के लिये गांवों से खींच लिया गया। सभापति महोदय, इसमें चार मद दिये गये हैं। पहला खाद्य वस्तुएं 1971 में इंडेक्स था 247.8 और अब बढ़ कर 193 में हो गया 664.5 यानि कुल 416.7 इंडेक्स बढ़ा। उसके बाद औद्योगिक कच्चा माल जो आम तौर पर ज्यादातर खेती में ही पैदा होता है 90 प्र.श. से ज्यादा खेती में ही पैदा होता है, जमीन से निकलता है, उसका इंडेक्स था 1971 में 185.2 जो आज हुआ 588.5 यानि 403 पाइन्ट बढ़ा। दूसरी तरफ किसानों की खेती में लगाने के इनपुट का भाव किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है इसकी मैं थोड़ी नजीर देना चाहूंगा। वह 1971 में ईंधन, पावर और लुब्रीकेशन का जो आंकड़ा था किसानों का उसका 238 इंडेक्स था 1971 में, वह आज 1245.9 यानि 1060.9 इंडेक्स बढ़ा पिछले 12 साल के दौरान। सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स हैं जिनको किसान काम में लेता है बाद में कंजूमर के तौर पर उसका इण्डेक्स था 237.2 और आज हो गया 852.8 यानि 615.6 बढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान जो चीज काम में ले रहा है उसके दाम बढ़ रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसके घट रहे हैं। सभापति महोदय, यह आपके सामने नजीर है, यह सरकारी आंकड़े बोलते हैं। इसका नतीजा क्या निकल रहा है स्टारवेशन आफ केपीटल इन एग्रीकल्चर, खेती पूरी तरह से पूंजी के लिये भूखी पड़ी है। भगवान् की दया से इस देश को जो जमीन मिली है इण्डो गंगेटिक प्लेन वह संसार के सर्वोच्च जखीरों में से है। यह देश सौभाग्यशाली देश है, सोने की चिड़िया वैसे ही नहीं था, सभापति महोदय। इस देश में हर तरह का मौसम है, पहाड़ी भूमि, रेतीली भूमि, हर तरह की जमीन है, हर तरह का मौसम है यानि संसार में जो कुछ उगाया जा सकता है वह इस देश में उगाया जा सकता है लेकिन यह नहीं हो रहा है। खेती की तरफ ध्यान नहीं है। खेती से पूंजी का निर्माण तो होता है राज्य में 52 और 50 प्र.श. के लगभग लेकिन जब खेती में पैसा लगाने की बात आती है तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं होता। सभापति महोदय, दूसरी दृष्टि में आप देखें एम्पलायमेंट की दृष्टि से आप देखें 73 प्र.श. आदमी खेती पर लगे हुए हैं। तो मासेज के हिसाब से भी देखें तो पर्चेजिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक न तो औद्योगीकरण चलने वाला है, स्टेगनेट हो जायेगा यानि डिमाण्ड नहीं होगी और ट्रान्सपोर्ट भी नहीं होगा और दूसरी सड़कें भी नहीं बनेंगी। इसलिए, सभापति महोदय, पैदावार को दुगुनी करने के लिये सरकार ने कोई काम नहीं किया है, खेती की पैदावार कैसे बढ़ाई जाय? खेती की लगातार अवहेलना की जा रही है और उसका परिणाम यह है कि आज हमें इतनी बढ़िया जमीन, इतनी बढ़िया परिस्थितियां हैं, यानि हमारे देश में एक ट्यूब वैल लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहां 400 मिलियन हैक्टेयर नदियों से पानी बहता है और उस पानी को हम चैनेलाइज करें तो हम को कहीं पर भी

105

(श्री यदुनाथ सिंह)

बिजली और डेम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, लेकिन नहीं हो रहा है, पैसा इन्सानों की अय्याशी में खर्च हो रहा है। एशियाड किया जारहा है। 2–2, 3–3 करोड़ रुपये जहां एक दिन, दो दिन के तमाशे में बरबाद कर दिये जाते हों उस देश में प्राथमिकतायें तय करने का सवाल आयेगा ? तो, सभापति महोदय, ये यहां कभी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, और कोई तय करेगा तो उसको रोकने का काम ये लोग करेंगे। इसलिये, सभापति महोदय, जरूरत इस बात की है खेती की पैदावार आप कह रहे हैं कि इतनी हुई। लेकिन किसानों को क्या मिला ? पैदा करने वालों को नहीं मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति घटेगी। पर्चेजिग पावर नहीं होगी तो दूसरी चीजों की डिमाण्ड भी नहीं होगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो औद्योगिक पैदावार घटेगी एक दिन। सारी अर्थ व्यवस्था इस देश की हमारी खेती से जुड़ी हुई है, इसलिए खेती पर ध्यान देना आवश्यक है। किस प्रकार तय करते हैं खेती के भाव यानि आप यह पेंसिल बनाने वाला कारखाना है उसका कोई कर्मचारी होगा, रिप्रजेंटेटिव होगा वह कहीं आयेगा, मान लीजिये कहीं चाय पियेगा तो पैसा कारखाने के खाते में जुड़ेगा, कहीं ठहरेगा तो खाते में जुड़ेगा, रिक्शे में जायेगा तो जुड़ेगा उसके खर्च में और हिसाब दे दिया जायेगा और जो पेंसिल की हमें कीमत देनी पड़ती है उसमें जुड़ कर आ जायेगा। लेकिन अपनी जमीन के लिये, नजीर दे रहा हूं, किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। दुर्भाग्य से यहां ही नहीं पूरे संसार में कच्चे माल का शोषण हो रहा है। जब से संसार में 16 वीं शताब्दी में औद्योगीकरण हुआ तभी से शोषण को और तेज किया गया। इस मामले में चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो दोनों व्यवस्थाएं मजदूरों के शोषण पर जरूर बोल रही हैं और उसी का तत्वज्ञान आज मार्क्सवाद निकला है। लेकिन कच्चे माल के शोषण के बारे में दोनों एक है यानि कच्चा माल सस्ते से सस्ता मिले पक्का माल उद्योगपति पैदा करें वह महंगे से महंगा बिके। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था दोनों का एक ही उद्देश्य रहता है। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था से कच्चे माल का जब तक शोषण नहीं रुकेगा तब तक गरीब को ऊपर नहीं उठा सकते। यह बहस इर्रेलेवेन्ट है, सभापति महोदय, आया गरीबी की रेखा से नीचे 48 प्रतिशत हैं या 54 प्रतिशत। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन की 1981–82 की रिपोर्ट में आया है. इसमें तो बहुत भयावह स्थिति हमारे देश की बताई गई है। 64 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। एक तरफ गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कुछ हाथों में पूंजी संचित होती जा रही है और उसके बड़े धन्ना सेठ, बिरला सेठ आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसलिये मैं कहना यह चाह रहा हूं कि खेती की पैदावार पर ध्यान देना जरूरी है। खेती के लिये सबसे पहला कारक है, जमीन तो अब बढ़ेगी नहीं, लेबर हमारे पास पहले ही सरप्लस

(106)

(श्री यदुनाथ सिंह)

लगी हुई है, समस्या उसको शिफ्ट करने की है दूसरे धन्धों और सर्विसेज में। इसलिये लेबर और जमीन के मार्फत पैदावार नहीं बढ़ा सकते। इसलिये इनपुट, टेक्नोलोजी डवलप करके किस प्रकार से खेती की पैदावार पूंजी इसमें ज्यादा लगा कर बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, खेती की पहली आवश्यकता है पानी। अच्छी खाद नहीं मिले, अच्छा बीज नहीं मिले लेकिन जमीन को पानी मिल जाय। तो निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ाने में सबसे बडी डिमाण्ड पानी की होती है यानि जहां जहां पानी मिला इस देश में प्रोडक्शन में जरूर वृद्धि हुई लेकिन हमारे देश में 74 प्र. श. तो ड्राई फार्मिंग है, सूखी खेती होती है। तो सूखी खेती की तकनीक डवलप की नहीं, 23 प्रतिशत से ज्यादा भूमि तो आप सिंचित नहीं कर पाये और सन् 2000 तक अगर हम पूरा करें जितनी हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको भी देखेंगे तो 29 पर्सेन्ट से ज्यादा, राजस्थान की कल्टीवेबल लैण्ड है, उससे ज्यादा सिंचित नहीं कर पायेंगे। बाकी जमीन का क्या होगा ? यानि 20 मिलियन हेक्टेयर जमीन में से करीब करीब 6 मिलियन जमीन में राजस्थान में सिंचाई कर पायेंगे यानि 12 हजार मिलियन हेक्टेयर जमीन सूखी की सूखी रह जाने वाली है। यदि दो क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदा करें तो 24 मिलियन और 100 रुपए क्विंटल में उसको बेचें तो 2400/2500 करोड़ का प्रतिवर्ष राजस्थान को लाभ होने वाला है। उत्पादन की पूंजी बढ़ेगी। प्रोडक्शन इज कैपिटल। रुपया नहीं है। मनी इज नाट कैपिटल। इसलिये डेफिसिट का बजट बनाते जायं, केन्द्रीय सरकार घाटे का बजट पेश करे, घाटे की व्यवस्था एक सीमा तक मानी जानी चाहिए, आज के विकास के युग में यह जरूरी है लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उसको किस प्रकार पूरा करेंगे, यह होना चाहिए। सभापति महोदय, इसमें खेती की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया है, लगातार अनाज बाहर से मंगाया जा रहा है। यह शर्मनाक स्थिति आज हमारे देश के सामने मौजूद है। इसलिये अगर कोई परिवर्तन करना है, अगर आपको वास्तव में समतावादी समाज का निर्माण करना है, मासेज के हित में जब तक पैसे का, पूंजी का निपटारा नहीं होगा, वह बांटने से नहीं होगा। पैसे से ही अगर अमीर हो जायें तो सरकार किसी को भी करोड़पति बना दे। करोड़ रुपए छाप कर दे दे। इसलिए रुपया पूंजी नहीं है, माल पूंजी है। इसलिये उत्पादन की ओर सरकार ध्यान नहीं दे सकी है। उत्पादन क्षीण और नष्ट हो रहा है। सभापति महोदय, अब इसके कारण यह हुआ, जब देश आजाद हुआ तो जो हमारे नियोजक बने, वे सब विलायती दिमाग के थे। हिन्दुस्तानी दिमाग के के नहीं थे। वह विलायती किताबें पढ़ कर, वेस्टर्न कल्चर पढ़कर, उस देश की तकनीक यहां लाकर और उसको ट्रान्सलेट करने की कोशिश की। जैसा का तैसा यहां नही हो सकता। 20-30 करोड़ इन्सेक्टीसाइट.कीड़े, मकोड़े हमारे देश में पाए जाते हैं। इसकी स्टडी हुई है। उसमें

(श्री यदुनाथ सिंह)

से तीन लाख कीड़े खेती को नुकसान पहुंचाते हैं बाकी खेती की पैदावार बढ़ाते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वे कीड़े को स्वयं खा जाते हैं यानि जमीन को उपजाऊ बनाने में यह कीड़े मकौड़े काम करते हैं। आंख मीच कर 3 लाख कीड़ों को मारने के लिए 20 करोड़ कीड़े-मकोड़ों को बर्बाद कर दिया। अपनी जमीन को बर्बाद कर दिया। यह केमिकल फर्टीलाइजर हमारी जलवायु के उपयुक्त नहीं है। दो-तीन साल तक पैदावार लेने के बाद जमीन बर्बाद हो जाती है। मैं स्वयं इसका जानकार हूं। इसलिए यहां की परिस्थिति के अनुकूल हमें अपने कम्पोस्ट खाद का डवलपमेन्ट करना चाहिए था। हमारी जलवायु के अनुकूल कौन सा खाद है? सबसे बड़ा नुकसान इससे यह हुआ कि हमारा पानी खराब हो गया। अमेरिका में बारिस धीरे-धीरे होती है और धीरे-धीरे बारिस होने से वह केमिकल खाद बहता नहीं है। धीरे-धीरे वह एब्जार्व हो जाता है और हमारे यहां बारिश धड़ाम से होती है या सूखी की सूखी रह जाती है। धड़ाम से बारिश होने से वह खाद बह कर जमीन में जाता है और जमीन में पानी को बर्बाद करने का काम करता है। इस पर हमारे देश के नियोजकों को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की परिस्थिति, को नहीं देखेंगे और जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हमारे हैं उनको टेप नहीं करेंगे, तब तक हम विलायती तकनीक पर चलने का अन्धानुकरण नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे देश का भला होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक सवाल है गरीबी का बात आती है, गरीबी है क्यों? गरीबी है क्या? गरीबी की जड़ कहां है? जब तक इसको आप नहीं ढूंढेंगे तब तक गरीबी मिटने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा–कहते हैं गरीब शहरों में हैं? गरीब गांव में नहीं हैं? गरीब दोनों जगह हैं। लेकिन गांव से जो गरीब शहर में आकर रह रहे हैं, वे गरीब नहीं है। उनकी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी यहां रह रही है। वे रोजगार की तलाश में जमीन-जायदाद बेचकर शहर में आये हैं। रोजगार नहीं मिलता है। जो टेक्निकल चीजें बना दी है, बटन दबाते ही माल बाहर निकलेगा, उससे और भी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। हमारे यहां गांवों में जो छोटे-छोटे धन्धे थे, हाउस होल्ड धन्धे थे वह सब इस ने बर्बाद किये। अंग्रेज 16 वीं शताब्दी में यही चाहते थे जब हिन्दुस्तान में आये थे। उनकी नजर से जितने भी छोटे-छोटे ग्रामीण गृह धन्धे बच गये वह सब गृह धन्धे इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। हमारा निवेदन है, सभापति महोदय, जो चीज जरूरत की है वही चीज पैदा की जाये और वह चीज जहां तक संभव हो हाथ से बनायी जाये, और गैर जरूरी, जिसको बड़े स्केल पर बनाना आवश्यक नहीं हो तब तक हाथ से बनाने के लिये रहने दिया जाए। क्योंकि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। गरीबी का मूल कारण बेरोजगारी है। अर्द्ध बेरोजगारी है। आज 3 लाख 42 हजार बेरोजगार हैं।

(श्री यदुनाथ सिंह)

यह आंकड़े बिलकुल बेकार हैं क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे हैं वे भी सिखाना जरूरी नहीं समझते हैं। वे चाहते हैं इसको लिखने से क्या लाभ होगा। गांव में जितने भी लोग बेरोजगार है, वे बेरोजगार ही है। यानि आप देखेंगे, 51 से 81 तक का रिकार्ड आप देख लें, आपको आश्चर्य होगा जहां 13 : 53 का रेश्यो किसान और किसान मजदूर का था वह आज कल उल्टा 30:40 का रह गया है। जहां 13 मजदूर और 53 किसान थे वह अब हो गया है 30 मजदूर और 40 किसान। यदि एक एकड़ वाले को निकाल दें तो हो जाता है 40 खेतीहर मजदूर और किसान होगा 30, यानि लोगों के हाथ से खेती भी निकलती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। यह आपकी सरकारी रिपोर्ट में आ रहा है, सेन्सस की रिपोर्ट में आ रहा है, एग्रीकल्चर की सेन्सस आप कराते हैं, उसमें आता है। कोई नतीजा नहीं है। सैक्रेटेरियट में बैठ कर बजट आंख मींच-कर बना दिया जाता है। इस मद में दस रुपये कम और उसमें ज्यादा कर देते हैं। नीति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाते हैं, उसकी तरफ हमने कदम नहीं रखा है। अंग्रेजों का जो कदम था उस से एक कदम हम आगे बढ़े हैं। हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी अर्थ व्यवस्था को नहीं बना रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें कि किस प्रकार लोगों को रोजगार दिया जाये। वह इकोनोमी सक्सेसफुल नहीं कही जा सकती जिसमें रोजगार को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। एक जगह हो हो सकता है, हमारा जो घाटा है वह कम हो। ऐसी टैक्निक है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ रेट हमारी कम हो, रोजगार की ग्रोथ रेट ज्यादा हो, मैं उस इकोनोमी को अच्छी इकोनोमी मानता हूं। सभापति महोदय, न तो रोजगार देने का यह बजट है, हर साल के बजट में कहा जाता है कि लोगों को रोजगार दिया जा रहा है परन्तु लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। मासेज की पर्चेजिंग पावर दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। इस साल के आंकड़ों में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति इन्कम बढ़ी है। पर केपिटा इनकम 1971 में 620 रुपए थी, आज उससे नीची है। यह पर केपिटा इनकम आज नहीं है, उससे कम है। यानि हालत खराब हो रही है। इसलिए इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। माननीय शर्माजी बहुत अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, लेकिन संस्कार के नाते, सभापति महोदय, जिस संस्कार का आदमी होगा उसी संस्कार का बजट बनायेगा, उसी संस्कार की नीतियां बनेंगी। इनके संस्कार कोई किसान के संस्कार नहीं हैं, कोई मासेज से संस्कार नहीं है, इसलिए इनकी नीतियां और बजट मासेज का संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो इन्होंने सप्लीमेन्टरी मांगें, और मांगें, दो महीने के खर्च की मांगें इस सदन में प्रस्तुत की हैं, उस पर यह सदन गंभीरता से सोचे और उस पर अंकुश लगाने का काम करे। इस वक्त मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मन्त्री महोदय ने....

श्री सभापति : आपको पूर्ण अवसर मिलेगा बोलने का आप निश्चिन्त रहिये।....

श्री महाराम चौधरी : मजा तो मिलेगा किन्तु सब मजा ..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय....

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो वित्त मन्त्री ने अपने अनुभव से इतने साल का बजट बनाते हुए, यह अनुपूरक की मांगें प्रस्तुत की है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री महाराम चौधरी : मैं समझता हूं इनका कोई आधार नहीं है, इनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, इनके संस्कार नहीं है। जो इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आज तक कोई गरीबी की रेखा में फर्क पड़ा हो या देश का उत्पादन बढ़ा है, यह भी नहीं है।

(4.00 म०प०)

सभापति महोदय, जहां मेरी पार्टी के नेता ने उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा उसके आंकड़े देकर बताया कि उत्पादन नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, वह कारण यह है कि अपने प्रान्त की जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे योजनाएं अधूरी है। इन योजनाओं को न तो ये बनाने वाले समझ सकते हैं और न ही उनको खुद को ग्रामीण क्षेत्र, जिनके लिये योजनाएं बनायी जा रही है, जो विकास करने के लिए योजनाएं बनायी जा रही हैं, का ज्ञान नहीं हैं। ज्ञान क्यों नहीं है ? ये जो परम्परा से किताबों से ज्ञान प्राप्त कर, बुद्धिजीवियों, पाश्चात्य देशों की नकल करके, पढ़ लिख कर योजना बनाकर गांवों को विकास करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनको गांवों की परिस्थियां, भौगोलिक स्थिति, इन चीजों का कतई ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान नहीं होने की वजह से उन योजनाओं का फायदा जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। उनकी आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने पुराने बजट भाषण में यही निवेदन किया था और इस बजट भाषण में भी यही कहा गया है कि हमारी आर्थिक विषमताओं और इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता। सभापति महोदय, 35–36 साल के अन्दर इन्होंने आर्थिक विषमताएं पैदा क्यों कीं, पैदा होने का मौका ही क्यों आने दिया ? जिस समय भारत आजाद हुआ था उस वक्त योजनाएं बनाते समय पूरा ध्यान लगाते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके लिए योजना बनानी है वहीं से ही ऐसी शुरूआत करते, गांवों की योजना बनाकर प्रस्तुत करते, उनको इम्पलीमेन्ट करते तो शायद इन योजनाओं का लाभ गांव वालों को मिलता और गांव का विकास होता जहां 80 प्रतिशत जनता रहती है और कृषि उत्पादन का कार्य करती है। सभापति महोदय, ये ग्रामीण समस्याओं और ग्रामीण संस्कारों के अन्दर नहीं होने की वजह से इस तरह की योजना बनाते

(110)

श्री महाराम चोधरी)

रहेंगे इस तरह की चाल से चलते रहेंगे तो कोई विकास होने की सम्भावना नहीं है। आज आप कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते है। कृषि विभाग स्वयं कृषि योजना बनाकर देता है। अपने राजस्थान के अन्दर सैकड़ो कृषि फार्म बनाये हैं, उनको आदर्श फार्म मानते हैं। कृषि फार्म की इसलिए शुरुआत की थी कि कृषि फार्मो को देखकर किसान उससे प्रोत्साहित होगा। आम काश्तकार की यह प्रवृति रही है कि वह देखा-देखी चलता है, उसको किताब का ज्ञान नहीं होता है, किताब से ज्ञान हासिल नहीं करके वह जिस चीज को आख से देख लेता है तो उसके गले में उतर जाती है और जब बात गले में उतर गई तो वह अपने खेत पर उससे पैदावार कर सकता है। कृषि विभाग को जो जानकारी थी, जो तकनीकी ज्ञान था, उन्होंने 15–16 साल कृषि की पढ़ाई की, उन लोगों को जमीनें दीं. संसाधन दिये गये, कुएं बनाकर दिये गये, ट्यूब वैल बनाकर दिये फिर इससे इन्होंने बड़े-बड़े फार्मों में खेती करनी शुरू की। आज राजस्थान के अन्दर एक भी कृषि फार्म किसानों को उन्नत नहीं कर सका, एक भी कृषि फार्म नहीं चला। हालत यह हो गई कि आज वे बन्द पड़े हैं। अगर आज भी उसी जमीन को, उसी फार्म को नीलाम करके काश्तकारों को दिया जाय तो मैं समझता हूं कि कृषि विभाग में जितनी भी आमदनी हो रही है, जितना भी खर्चा हो रहा हैं, उनसे पूरा खर्चा आप निकाल सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, कृषि मन्त्रीजी चले गये, मै उनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के कार्यालय बन रहे हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि कार्यालय बनाने से कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा। लाखों रुपयों की बिल्डिंग बनायीं, उसमें सोफा–सैट, आराम दायक कुर्सी, कूलर लगाये। ये उनके अन्दर बैठकर खेती का काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी आरामदायक जगह पर बैठ कर वे खेती के मामले में नहीं सोच सकते हैं और न ही खेती की कोई उन्नति कर सकते हैं। उनको यदि उत्पादन बढ़ाना है तो खेतो के अन्दर, पानी के अन्दर, कादे के अन्दर, प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान हासिल करके सदुपयोगी बातें बतायें तो उससे किसान फायदा उठा सकता है। राजस्थान के अन्दर कृषि मेन धन्धा है। कृषि और पशुधन इन दोनों पर यदि पूरा आधारित होकर ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बातें न करें।

श्री महाराम चोधरी : इन योजनाओं को ठीक ढंग से बनायें तो बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि पशुधन और कृषि के मामले के अन्दर इस तरह की कितनी अव्यावहारिक योजनाएं बनाई, उन्होंने गांवों के अन्दर, फील्ड के अन्दर स्टाफ भेज दियो, उनको इस संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, इस तरह की 20 साल से योजना बनाकर गांवों के अन्दर भेज दीं,

(श्री महाराम चौधरी)

उनमें ऐसे आदमी सलेक्ट करके भेज दिये जो अपनी जिन्दगी के अन्दर सुई चुभने से डरते हैं, उन आदमियों को कह दिया कि बछड़े का बंध्याकरण करो। सभापति महोदय, वह अपने धर्म में इस बात को मानता नहीं। बंध्याकरण करने के लिए या सिमेन इकट्ठा करके कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्यक्रम है, उसका बिल्कुल ही उपयोग नहीं हो रहा है। हर साल के अन्दर 20 20, 30-30 आंकड़े देते हैं। इतने आंकड़े बताते हैं जितनी गायें नहीं है। गायों से ज्यादा आंकड़े बताते हैं। वास्तव देखा जाय तो गर्भाधान से एक भी बछड़ा पैदा नहीं हुआ है कोई 100 में से एक-आध हो गया हो, तो मालूम नहीं या उन्होंने ला-ला कर विदेशी गायें क्रास ब्रीडींग कार्यक्रम करवाया है हमारे राजस्थान के अन्दर अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से रहते हैं। जैसे रेतीली जमीन के अन्दर जो बैल रहते हैं उनके खुर अपने आप लम्बे हो जाते हैं। जिस जगह की जमीन कठोर और कंकर होती है उससे बैलों के खुर छिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जितने कार्यक्रम हैं उनसे हमारी नस्ल का सुधार नहीं होगा उल्टा नस्ल बिगड़ने का कार्यक्रम होगा। सभापति महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं, पुरानी कहावत है, सुबह ही सुबह कह दिया या दद्दूर भी पड़ जाय तो नस्ल में फर्क पड़ सकता है। इसलिए जितनी भी काली, गोरी गायें गावों में लाये हैं उनसे राजस्थान के पशुधन का विकास नहीं हो रहा है उल्टा विनाश हो रहा है। शुरू-शुरू में जब भी कोई चीज बनायी जाती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकलता है, 10-20 साल बाद में कोई फायदा नहीं होता। सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि नागौर से हमारे यहां के सांड बस्सी के अन्दर भेजे गये। सांडों का वीर्य लेकर के उन गायों का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया तो उसका रिजल्ट यह आया कि वह सक्सेस नहीं हुआ। यहां की बस्सी की गायें को आपने थारपार में भेज दी। हमारी कमेटी का टूअर गया था तो हमने देखा था असम के आसपास में आल इन्डिया लेवल का पशु-पालन फार्म बना हुआ, है उसकी गायों की हालत यह हो गई कि गायों को चारों तरफ से मच्छरों ने काट खाया था। वहां के टैक्निकल डाक्टरों से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि हमने तो लाखों रुपये की दवाई खर्च कर दी। खर्च कर दी या तुम लोग खा गये? नहीं, खर्च ही गयी। तो गायों को जगह जगह पर घाव कैसे हो गये? उन्होंने कहा कि हमने तो हमारे सब प्रयत्न किये हैं। मैंने वहीं पर सब सदस्यो के सामने बताया कि यहाँ पर मच्छर ज्यादा है, घास ऐसी है जिससे कि उनके इस तरह के घाव हो गये। अगर यह है तो जाल बांधकर ओढ़ायें। हमारे मारवाडी में तो जाल ओढ़ाकर नीचे से बांध देते हैं तो मच्छर नहीं खाते हैं। अगर आप यह करते तो गायों की इस तरह की

(श्री महाराम चौधरी)

हालत नहीं होती। मुझे तो बड़ा दर्द हुआ। राजस्थान में बस्सी फार्म पर गायें मरी जैसी हो गयीं। ऐसी कि अगर उनका कोई दूध निकाल कर पीये तो मैं समझता हूं कि वह भी बीमार हो सकता है :

सभापति महोदय, इसी तरह अपनी सिंचाई की योजनाएं हैं। सिंचाई की योजनायें बहुत बड़ी योजनायें हैं और उन पर लाखों रुपया खर्च होता है और उसमें भ्रष्टाचार की भी बहुत सी शिकायतें आती हैं, हमारे सामने आती है। वास्तव में अगर देखा जाय तो उन योजनाओं पर जितना खर्च किया जाता है उस खर्च किये गये पैसों का अगर सही मूल्यांकन किया जाय तो उनसे खेती करके जो पैदावार ली जायेगी वह बहुत कम होगी। अगर इसके एवज में लघु सिंचाई योजनायें या जमीन में जल स्तर ऊंचा है उस जगह पर ओपन वैल खोदकर उसमें आवश्यकतानुसार बोर करके इस प्रकार की योजनायें बनायी जायें, इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाये तो किसान उससे फायदा उठा सकता है, नहीं तो आपकी ये बड़ी योजनायें हैं उनसे किसान को वास्तविक फायदा नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरा खेती का विकास करने के लिये भू-जल विभाग की तरफ से ट्यूब वैल खोदे जा रहे हैं उन ट्यूब वैलों की टोटल कोस्ट एक लाख के आसपास आती है। एक लाख रुपया हम ट्यूब वैल का निर्माण करने में लगा देते हैं और 100 बीघा जमीन पर 1000 रु. बीघा के हिसाब से एक लाख का खर्चा मान लें तो यह मान लेते हैं तो टोटल दो लाख का इन्वेस्टमेन्ट हो जाता है। इस 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हम 18 प्रतिशत का ब्याज गुणा करें तो हर साल किसान को एक बीघा पर कम से कम 20 रु० प्रति बीघा का नुकसान होता है। याने कि उससे इतना उत्पादन नहीं कर सकता है। खर्चा लगाने के बाद इतना नुकसान हुआ यह 10 साल के बाद उस किसान को मालूम होता है, जमीन का, ट्रैक्टर का और मेहनत का जब उसको पता लगता हैं कि सब सफा हो गया। किसान हर साल का तो हिसाब नहीं जानता है। 10 साल बाद यह महसूस करता है। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं वे योजनायें अनाप-शनाप खर्चीली हैं और इस खर्चे के अन्दर एक्चुअल राशि जो योजनाओं पर खर्च होती है वह तो 35--40 प्रतिशत होती है, बाकी सारी की सारी टी. ए. डी. ए. वेतन, उनके आफिस, फर्नीचर याने कि जिस तरह भी खर्चा करना चाहते हैं, अलग-अलग नाम करके खर्चा करना दिखा दिया जाता है। मैं यह समझता हूं कि कृषि विभाग है और जितने भी विभाग हैं, इस विभाग में विकास करने की योजनायें हैं, उनको क्रियान्वित करने के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का सलेक्शन इस आधार पर होना चाहिए कि जो वान्ट्स निकाली जाती हैं उसमें यह पाबन्दी लगा देनी चाहिए कि तुम्हारी सात पीढ़ी में से किसी को गांव के अन्दर रहने का, गांव के जीवन का, गांव के संस्कार का ज्ञान है या नहीं है। अगर वह इण्टरव्यू में बताता है या फार्म पर लिख देता है कि

(श्री महाराम चौधरी)

मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने न गांव को देखा है, [न गांव में गया हैं न गांव वालों को सुना है तो उसको उस परीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। इस तरह की पाबन्दी लगा दी जायेगी तो जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने वाले आदमी हैं, उसके अन्दर जिनको ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के अन्दर रुचि है, वही आयेगा। दूसरा आदमी नहीं आयेगा। जिनको गांव से लगाव है, जिनके गांव के संस्कार हैं और जिनकी गांव के प्रति काम करने की भावना है और जो खुद समझता है कि अगर काम नहीं करेगा तो गांव वाले जो दूसरे साठ आदमी हैं वे यह बतायेंगे कि तुम गांव वाले हो, गांव के रहने वाले हो और गांव के आदमी की भलाई नहीं करते हो तो क्या होगा। शहरी आदमी जो गाँव के विकास की योजनाओं को लेकर जायेगा तो गांव की योजना के प्रति, मारवाड़ी में कहते हैं ओलम्मा लेकर जायेगा, वह समझ नहीं पायेगा। उसके लिए क्या कहें, भैंस के आगे बीन। जब हम गांव की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं तो × × ×

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा भी दिया हुआ है कटौती प्रस्ताव।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव तो समाप्त हो चुके हैं लेकिन आपको बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री महाराम चौधरी : तो, सभापति महोदय, मेरा मतलब यह है कि ऐसा कहना × × × बराबर है। अगर उनमें गांव के थोड़े भी संस्कार होते तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये या कम से कम गांव वालों के विकास के लिए, हमारी पार्टी की तरफ से ही नहीं लेकिन उनकी तरफ भी कम से कम 60-70 प्रतिशत किसान भावना के आदमी हैं लेकिन यहां हाल में आने के बाद गांव को भूल जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सारा बजट ही गांव वालों के लिए है।

श्री महाराम चौधरी : हालांकि अगर देखें तो आपकी तरफ भी 60 प्रतिशत किसान हैं लेकिन यहां आने के बाद इस हॉल को ही देखते हैं और गांव को भूल जाते हैं। इस हाल से निकलने के बाद ही गांव की याद आती है। गांव वाले पूछेंगे कि हमारे लिए विधान सभा में क्या कहा? हमने विधान सभा में तो....

श्री सभापति : कृपया व्यक्तिगत बातें न करें। विनियोग विधेयक पर बोलें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यही तो दुर्भाग्य की बात है पक्ष के और विपक्ष के किसान एक जुट हो जायें तो बृजसुन्दर जी शर्मा गांव के लिये ऐसा अनुपयोगी बजट पेश न कर सकें। अगर एक साथ हो जायें तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गलत योजना न बने, न गांवों का विकास रुके। लेकिन जब गांव जायेंगे और गांव वाले उनसे पता करेंगे तो मैंने तो जनता के

× × ×. अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(114)

(श्री महाराम चौधरी)

लिए एक शब्द भी नहीं बोला लेकिन ये कह नहीं सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अब इसके सम्बन्ध में ज्यादा न कहकर यह कहता हूं कि....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : महारामजी, ये सांडों के मन्त्री आ गये।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अन्दर कृषि उत्पादन जिस पर कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आधारित है लेकिन दुर्भाग्य है पहले नं. पर मैं दरख्वास्त करता हूं कि उनको केबिनेट स्तर का मन्त्री बनाया जाय। कृषि की तरफ मुख्य मन्त्री का ध्यान ही नहीं है। अगर ध्यान होता तो मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री के बाद दूसरे नं० पर कृषि मन्त्री को होना चाहिए था। दूसरा दुर्भाग्य हमारा यह है, सभापति महोदय····

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : देवेन्द्र सिंह को होना चाहिए, बृजसुन्दर जी।

श्री महाराम चौधरी : जिनको किसानों से यह समझ लें कि × × ×

(व्यवधान)

ऐसे आदमी को किसानों के लिए काम करने के लिये मन्त्री बना दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें। अगर लगाये गये हैं तो एक्सपंज किये जायें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सामन्तों से किसानों के लिए लडाई हमने ही तो की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : महाराम जी, अगर आप गतिशील किसान हैं और गांव में जाते हैं तो लोग आपको पैंट और बुशर्ट पहने देखकर पहचानते ही नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह आपकी कल्पना क्या है किसान फटेहाल ही रहे ? आप तो × × × करें और किसान कपड़े भी नहीं पहन सकता ढंग के।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये बीच में वे मतलब × × × बनकर चिल्ला रहे हैं इनका तो मतलब बंध्याकरण करवाने का कार्यक्रम लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : × × × यह प्रस्तुत करके....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं ये × × × कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : × × × वह तो बोले या नहीं बोल रहे हैं ये गोपाल पचेरवाल और पीछे से कोई × × × कर रहा है।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महाराम चौधरी : मुझे तो अच्छी तरह पता नहीं है कि ये गोटेवाला है या ××× मैं तो दोनों को एक ही मानता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मुझे साहब मत कहें। आप तो माननीय सदस्य ही कह दें।

श्री महाराम चौधरी : गोटा भी गोल लपेटा जाता है और ×××

श्री सभापति : व्यक्तिगत बात न करें। विनियोग विधेयक पर बोलें।

यह तो पता है ना आप किस पर बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मवेशी तो मरणासन्न हो गये हैं, सूखे जा रहे हैं। खुद मन्त्री महोदय का हाल देखिये, जब आये तो क्या थे और अब क्या हो गये हैं।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है और मैं यह कह रहा था कि हमारे कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए केबिनेट स्तर के मन्त्री नहीं होने से यह हमारे मंत्रिमंडल के आखिरी सावे के मन्त्री हैं और आखिरी सावे के मन्त्री हैं इसलिए कृषि के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए हमेशा ये पीछे रहे हैं। अगर इनमें जागृति होती और अगर इनको मालूम होता तो ये जो खाद पर, कृषि औजारों पर जो कर लगता है, सभापति महोदय, यह चुंगी कर तो ऐसा है जो खाद किसानों के पास पहुंचते-पहुंचते कई जगह दो-दो दफा कर लग जाता है और कई-कई जगह तो 3-3 जगह चुंगी लग जाती है। तो अगर हमारे कृषि मन्त्री योग्य होते, उनको कोई जानकारी होती और किसानों से हमदर्दी होती तो छाती ठोककर कहते, या वित्त मंत्री महोदय पर यह दबाव डालते कि खाद और औजारों पर यह जो चुंगी और बिक्री कर है तो विक्रय किया जाता है तब लगता है, तो यहीं अड़ जाते, किसानों के साथ सहानुभूति करते कि यह कृषि पर जो टैक्स लगाया है उसको विथड्रा किया जाय, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं। ये चैलेंज करके देखते कि कैसे विथड्रॉ नहीं किया जाता है। सभापति महोदय, अब मैं यही कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कृषि उत्पादन का और पशु-पालन का, इन सब का विकास करने के लिए....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री महाराम चौधरी : और 80% जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करने के लिये व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। बुद्धिजीवी और जो आर. ए. एस. और आई. ए. एस. हैं यह इसमें घुस करके एक तरह से, सुन लीजिए, जिस तरह से लकड़ी के अन्दर दीमक लग जाती है, दीमक की तरह योजनाओं को खा रहे हैं,

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महाराम चौधरी)

योजना सफल नहीं हो रही है। इसलिए मैं अन्त में यही कहता हूं कि इस बजट से जो अपने राजस्थान का विकास कर रहे है जो अतिरिक्त मांगे पेश कर रहे हैं, इनको कुछ समय के लिये खर्च करने का जो अधिकार दिया जा रहा है वह अधिकार इनको कतई नहीं दिया जाय। इस राजस्थान को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाय तो ठीक है।

श्री सभापति : श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, बजट हमारे सामने पेश हो गया और हर साल की तरह से इस साल भी उसी पर वाद-विवाद एक सीमा तक पूरा हो गया है और आज विनियोग विधेयक के माध्यम से पिछले कुछ सालों के बचे हुए खर्चे पर भी हम इस सदन की मुहर लगाकर यह कह देंगे कि हमने सारे खर्चे और हिसाब किताब ठीक कर लिया। लेकिन सच यह है कि बजट किसके लिये बनाया जाता है ? इस देश में, लोकतंत्रीय देश में बजट का औचित्य क्या है ? क्या बजट उन लोगों के लिये बनता है या उनको फायदा पहुंचाने के लिये बनता है जो पहले से ही सम्पन्न हैं या उस व्यक्ति के लिये बनता है जो आज भी भूखा-प्यासा 36 साल की आजादी के बाद भी इस सरकार की ओर निगाह लगाकर देख रहा है, उसके लिये बनाया जाता है ? क्या उस बेरोजगार युवक के लिये बनाया जाता है जो अपनी बेरोजगारी के कारण से आज भी ऐसी प्रवृत्ति में जी रहा है जिससे उसको स्वयं को घृणा होती है ? क्या यह बजट इसलिये बनता है कि गांव के आदमी दौड़कर शहर में आयें और यहां आकर रिक्शा चलायें ? क्या गांव के लोग आकर यहां की मंडियों में, बड़ी-बड़ी मंडियों में लाइन में लगे रहें ? 7 बजे आयें, मेलों की तरह से खड़े रहें ? क्या हमने अपने बजट को बनाते समय कभी इन बातों को ध्यान में रखा ? क्या हमने यह सोचा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से प्रति व्यक्ति प्रति कि मी. जो लोगों का जमाव है, जो प्रतिशत है या हमारे पास खेती का प्रति व्यक्ति जितना क्षेत्र आता है उस दृष्टि से हम हिन्दुस्तान में नं० 1 से 4 के बीच में आते हैं ? क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारा राज्य हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, शिक्षा में हमारा सोलहवां स्थान है ? हमारे किसान जो खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें हिन्दुस्तान 16वें स्थानपर है, हमने कभी यह विचार किया कि राजस्थान की सड़कों के प्रतिशत के हिसाब से हमारा 16वां स्थान है ? हमने कभी यह सोचा कि राजस्थान, जिसको खनिज पर नाज है, जिसके आधार पर हम मानते हैं कि राजस्थान की सबसे बडी दौलत और शक्ति है, उस दृष्टि से, हिन्दुस्तान में हमारी खनिज सम्पदा की दृष्टि से हम बहुत ऊपर हैं. लेकिन उसके द्वारा जो आय हमको होती है उसकी दृष्टि से हम 12वें स्थान पर हैं ? क्या हमने प्रजा पर इन सारे खर्चों को लगाते समय इस बारे में कभी सोचा है ? इस 35 साल की आजादी के बाद भी क्या हमने इस राज्य के गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है ? क्या जो 33 प्रतिशत लोग देश की आजादी के समय गरीब थे वे लगा-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तार 35 वर्ष के बजटों के पेश होने के बाद भी, लोकतंत्रीय सरकार होने के बाद, जनता के हित के लिये काम करने वाली सरकार के 35 बजट रखने के बाद भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को 33% से 56% तक बढ़ाया है ? तो हम इन बजटों को क्या कहेंगे ? हम वास्तव में किस के आधार पर इस बात को कहेंगे ? हमारी समझ में नहीं आता कि जिस बजट की हम तारीफ कर रहे हैं, आखिर हमने बजट में रखा क्या है ? केवल 430 करोड़, उसमें से भी 44% का घाटा है। हिन्दुस्तान का ऐसा कोई राज्य आज तक, 35 वर्ष में ऐसा कोई राज्य है जिसने ऐसा बजट पेश किया हो, चाहे केन्द्र ने या किसी भी राज्य ने ? जो टोटल प्लान का पैसा है 430 करोड़, उसमें से 175 करोड़ का घाटा। इसका मतलब सीधा 44% घाटे का बजट पेश हुआ है। फिगर की दृष्टि से आप उत्तर प्रदेश से तुलना कर सकते हैं, केन्द्र के बजट के आंकड़ों के आधार पर आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन पर्सेंटेज के आधार पर क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं ? हमारा जो मूल्य सूचकांक 8.13 बढ़ा है उसके हिसाब से इस बजट को लिया जाय तो ये 385–390 का जाकर बैठेगा। फिर हम इसमें लोगों को क्या बता रहे हैं ? लोगों को, इस नासमझ और भोली जनता को हम इस भ्रम में क्यों डाल रहे हैं कि हम यह विकास कर देंगे, वह कर देंगे। मुझे तो लगता है कि जो विकास कर रहे थे वह विकास भी संभव नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है, जब मैं इस बजट के माध्यम से कुछ ऐसे ही मुख्य मुद्दों के बारे में विचार करता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं उसमें अधिकांश जनसंख्या आदिवासी है और कई बार उस क्षेत्र में जाता हूं तो वहां जाकर हमको जो सबसे पहली शिकायत सुनने को मिलती है वह यह है कि हमने कभी लोन लिया नहीं सहकारी समिति से और 15 साल के बाद अभी लोन की चिट्ठियां हमारे नाम से आ-रही हैं। अभी 15 तारीख की राजस्थान पत्रिका में मैंने पढ़ा कि उदयपुर के पास के गांव की एकाध बस्ती के लोगों को फर्जी रसीदें दीं और पैसा जमा कराके उन लोगों से रसीदें ले लीं। लेकिन कर्जा उनके नाम से आज भी बोलता है, श्रीमान्। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं उदयपुर जिले में जो शपथपूर्वक कहते हैं कि हमने एक कौड़ी लोन की या कर्ज की देखी नहीं लेकिन उनके नाम से

व्यवस्थापक ने झूठे अंगूठे लगा करके चाहे जो कुछ कर्जा मिलता हो, ले लिया। कुछ ईमानदार व्यवस्थापक होते हैं जो समय-समय पर किश्तें भी जमा करा देते हैं। उस ग्रामीण को इसका पता नहीं कि मेरे नाम से कब कोई कर्जा उठा और कब वापस हो गया। लेकिन हमने इसको चैक नहीं किया। इन बेईमानों की सीमा बढ़ती गयी और इनके कारण उनके नाम पर, श्रीमान्, कर्जा बढ़ता गया। मैं अभी धरियावद जब गया था, हमारे विरोधी दल के नेता भी उस कार्यक्रम में थे, उन्हें एक ऐसे ही आदमी ने कहा कि मेरा बच्चा 13 साल का है, इस पर 14 साल पहले का कर्जा निकाल कर उसके लिये मेरे पास वसूली आ रही है। हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का व्यंग्य जब हमारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सामने आ जाता है तो हम उस पर निर्णय क्यों नहीं लेते हैं ? अगर हमको मालूम है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी है और यदि हम दोषी को सजा दे दें, उसके साथ सख्ती का बर्ताव करें, तो शायद ये घटनाएं रिपीट नहीं हों। लेकिन जो दोषी लोग हैं जिन पर यह प्रूव हो चुका है, जिन्होंने कई बार लोगों को ठोक पीटकर लिखा लिया स्टाम्प पेपर पर कि यह कर्जा व्यवस्थापक के नाते मैंने लिया और मैं इसको चुकाऊंगा, परन्तु होता कुछ नहीं। ऐसा गोगुंदा सहकारी समिति का मामला भी आया, लेकिन उन लोगों को जेल की सींखचों में बन्द नहीं किया जाता है। उनके साथ कोई कठोरता का बर्ताव नहीं किया जाता। इसके कारण से इस प्रकार के लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाती है। इसके कारण से आदिवासी जो उदयपुर जिले के हैं, जिसने कर्ज लिया है, उसको जमा कराते समय कहते हैं कि तुम सारी रकम जमा कराओगे, तुम्हारी किश्त 120 रुपये होती है, तुम अभी 80 रुपये दे रहे हो, 40 रुपये और दोगे, उसके बाद रसीद दे दी जायेगी। उस गरीब आदिवासी को 40 रुपये नहीं देने के कारण रसीद नहीं दी जाती है। उसके बाद कोई जमाखर्च नहीं होता है और उसके नाम से कर्ज बढ़ता चला जाता है।

श्रीमान्, ऐसी एक-दो नहीं, हजारों लोगों की सहकारी समितियों के माध्यम से घटनाएं हैं। लोग बराबर कहते हैं, हम जमा कराते रहे, मूल पूंजी 800 रुपये उधार लिया, जिसका ढाई हजार रुपया कर दिया। उसके बाद भी फहरिस्त बनी है, 2200 रुपया और बाकी है। मैं इस सरकार से चाहूंगा, आप इस बजट के माध्यम से उस गरीब को, जिसको राहत पहुंचाना चाहते हैं, कृपा करके, उन सारी घटनाओं की जांच कराइये अगर वास्तव में आपका कर्जा लेना बाकी है, वसूल करो, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर उसने लिया नहीं, उसका गुनाह नहीं, उसका अंगूठा नहीं, वह कहता है, मेरा अंगूठा नहीं, तो उसकी जांच कराइये। कम से कम उसको इस से बचाइये। श्रीमान् यही नहीं, हमको ऐसा लगता है, गरीबों के नाम पर हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या आदिवासी क्षेत्र में, जंगलात की जमीन की है। हमें समझ में नहीं आता, कानून बना दिया कि 1971 के पहले के कब्जों को रेगूलेराइज किया जायेगा। आदिवासी जंगल के ठीक बीच में, टेकड़ी पर मकान बनाकर जैसे तैसे छोटी मोटी जमीन निकालकर दो रोटी खाने का प्रयत्न करता है, करोड़पति सेठ बनने का प्रयत्न नहीं करता है। आज जंगल में जहां लकड़ी नहीं, एक तिनका दिखाई नहीं देता है, बंजर जमीन पड़ी है, खुले आसमान की तरह सारी की सारी पड़ी है, वहां उन्होंने 20–25 साल में कब्जा बना लिया। लेकिन आप तो कहते हैं, सबूत लाओ, पेनल्टी जमा कराई तो उसकी रसीद लाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी ठीक प्रकार से रसीद इतने वर्षों के बाद लौटाकर नहीं ला सकता है। अगर उसने रसीद नहीं रखी तो क्या मौके की रिपोर्ट इस बात का सबूत नहीं हुआ, उसका बना हुआ कुआं इस बात का सबूत नहीं है, उसका आम का वृक्ष या

(119)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी खेती का इम्प्रूवमेंट, क्या वह सबूत नहीं है ? मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय, आप इस बजट के साथ ही मौके पर कम से कम सारे हिसाबों को निपटायें। उनका जो कुछ भी आधार करना हो वह करिये। हमको समझ में नहीं आता, इस बजट के नाम से हम बहुत कह रहे हैं, क्या आपने सोचा ? आप कहेंगे कि इन्दिरा गांधी ने लाल किले से घोषणा कर दी और इस घोषणा के आधार पर सारे गरीबों को 25 हजार रुपए बांटने शुरू कर दिये। मैं सोचता हूं, इसके पीछे आपकी जो मंशा है वह शायद अच्छी हो सकती है, आप यह चाहते हो कि वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को पैरों पर खड़ा किया जाय। मेरे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि जिस आदमी को जरूरत है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुख्य मंत्री जी ने टौंक में यह कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष को वह प्रार्थना पत्र भेजो, वहां की रिकमण्डेशन के आधार पर स्वरोजगार योजना चलाई जायेगी। कांग्रेस कार्यालय से स्वरोजगार योजना....

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह नहीं कहा, यह कहा है कि मेम्बर बनाये गये....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : खण्डन क्यों नहीं किया, अखबारों में आया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : खण्डन हर एक बात का कहां तक करेंगे।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप लोगों की × × × खजाने पर कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस कार्यालय से चलायेंगे योजना....

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : बोलते रहोगे, खण्डन करते रहेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : चाहे जो कोई बात कहेंगे और हम खण्डन करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति । अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री श्रीराम गोटेवाला : बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही मैं बता रहा हूं। मैंने कहा, नीयत खराब है, वही बता रहा हूं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : किस प्रकार से, सभापति महोदय, किसी अच्छी भावना से हम उस गरीब, उस बेरोजगार को मदद पहुंचाना चाहते हैं लेकिन कुछ हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य सा बन गया है कि आज चयन करने में जिस ईमानदारी और तत्परता का उदाहरण देना चाहिए वहां राजनीतिक आधार पर लोगों का सलेक्शन किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों जिनके पिताजी इन्कम टैक्स पेयर हैं, को जैसे खैरात बंट रही है। इस खैरात को ले जाकर हिन्दुस्तान और राजस्थान के बैंकों को दिवालिया करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा, जो वास्तव में जरूरतमंद है, उसको वास्तव में आइडेण्टिफाई करने के लिए सारी चीजों का पता लगाइये। कई बार तो ऐसे लोगों को ढूंढ़ने के लिए उनके एड्रेस पर बैंक वाले कागजात भेजते हैं, वहां सम्भालने वाला नहीं मिलता है। आखिर इस तरह से व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं ? मैं चाहूंगा, आप इसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से करें। श्रीमान्, अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको जनता का राज कहा जाता है, क्या आपने कभी विचार किया, आज महंगाई जिस गति से बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है इसके बारे में विचार किया क्या इसको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है ? आप केवल एक बात कहेंगे, किसानों को इससे मदद पहुंचाना चाहते हैं। अगर वास्तव में राजस्थान के 70 प्रतिशत किसानों का, जीवन स्तर, सुधारते, पैदावार का सही मूल्य उनको मिलता, अगर वास्तव में उनकी माली हालत 35 साल की आजादी के बाद सुधरती तो हमको कोई दुःख नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां एक ओर हम कह रहे हैं कि इतनी बम्पर क्राप हुई है, वहां आपने कभी यह सोचा कि आज से तीन महीने पहले सरसों के तेल का भाव 22 रुपए किलो था आज जब किसान की सरसों तैयार होकर मण्डी में आ गयी, 4 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। आखिर किस कारण से ? आखिर हम उसकी मदद किस सीमा तक कर रहे हैं, हमने यह सोचा ? जनता पार्टी के दिनों में आपने बहुत चिल्लाहट की थी गन्ने को जलाया जा रहा है। लेकिन मैं आज आप से पूछना चाहता हूं कि जिस समय शक्कर का भाव दो रुपए पन्द्रह पैसे किलो था उस समय गन्ने का भाव 13 रुपए क्विंटल था और आज शक्कर का भाव कई बार 7–8–10 को भी क्रास कर जाता है, आज तो 5 रुपए है, क्या आप किसान को गन्ने का दाम उसका दुगुना दे रहे हैं, 13 की बजाय 26 दे रहे हैं ? आज किसान का गन्ना भूपाल सागर मिल, उदयपुर के पास मिल है वह केवल 17–18 रुपये क्विंटल में लेती है। उस 18 रुपए में लेने के बाद भी एक साल में पेमेण्ट नहीं करते हैं। लोगों को कई बार पेमेण्ट करने के लिए, यहां तक कि कई बार कहते हैं, तुम हमारे यहां फिक्स डिपाजिट कर दो, हम उसका ब्याज देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं, भूपालसागर मिल में इस प्रकार से कितने किसानों को गन्ने का रुपया जान बूझ कर फिक्स्ड डिपाजिट में जमा कराना पड़ा। आप यह भी बताइये, जिस भूपालसागर की आप हिमायत कर रहे हैं, इस भूपालसागर में किसानों को 15-17 रुपये का चैक देते हैं। किसान उस चैक को नहीं समझता है, डेड मनी पड़ा है, जिसके कारण से किसान ने ले जाकर उसको भुनाया नहीं, वह लाखों में पड़ा है, इसके बारे में विचार किया ? इन मूल्य सूचकांकों पर कैसे कण्ट्रोल हो। एक बात जरूर है, कांग्रेस के राज में एक ऐसी चीज है। सीमेन्ट का भाटा, जिस भाटे की कोई कीमत नहीं, हमें कोई समझा दे, हिन्दुस्तान के इस लोकतांत्रिक देश में कोई इस बात का तजुर्बा बताये कि एक रात्रि में सीमेन्ट का कट्टा 32 रुपये में मिलता था। दूसरे दिन उठते ही प्रातःकाल रेडियो में सुनते हैं कि सीमेन्ट का भाव 62 रुपए हो गया। ऐसा कौन सा जादू सीमेन्ट में भरा था ? क्या इसका लाइम स्टोन एक ही दिन में इतना महंगा हो गया था ? क्या हमने मजदूर की मजदूरी एक ही दिन में इतनी अधिक बढ़ा दी थी ? क्या हमने उनको और सुविधाये दे दी थीं, जिसके कारण से सीमेन्ट का भाव एक ही रात्रि में 32 रुपए से 62 रुपए हो गया ? क्यों दोहरी नीतियां तय करते हैं कि यह तो कन्ट्रोल का सीमेन्ट इस रेट में मिलेगा और खुला सीमेन्ट इस रेट में ? मैं जानता हूं, इसके पीछे भ्रष्टाचार की बू हम में है। हम यह चाहते हैं कि करोड़पति सेठों के आधार पर, इनके पैसों के आधार पर हिन्दुस्तान के लोगों के मन की भावनाओं को दबाकर उनको क्रश करके, उनका ईमान खरीदकर, उनको भ्रष्ट करके ऐसी राजनीति चलायें ? शायद यह चाहते हैं कि देश के वोटर की यही स्थिति बनी रहे। मुझे समझ में नहीं आता, किसान की किसी भी पैदावार के दाम नहीं बढ़ सकते हैं। जब उसके यहां बम्पर क्रॉप हुई, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, वह तो 110 रुपए मण्डी में बिकनी थी, बिक गयी। लेकिन आज उसका भाव 180 जा रहा है। कभी हमने इस बात पर विचार किया कि किसान को कैसे लाभ पहुंचायेंगे ? श्रीमान, यही नहीं, हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि इस राज्य सरकार का काम क्या है ? इस राज्य सरकार का एक ही काम है, जनता को सुविधा दे, उनके खाने की चीजों को मुहय्या कराये, आसानी से उनको मिले, उनके बच्चे सुख शांति से से रह सकें और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। मैं आज आप से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप यह बताइये, पिछले चार सालों में इस हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता की हिफाजत के लिए आपने क्या किया ? अखबारों में नित्य पढ़ते हैं, जब से अखबार उठाकर देखते हैं, हमको लगता है, यह इस प्रकार की घटना, यह इस प्रकार का जघन्य अपराध है, यह इस प्रकार की घटना हुई। हमें यह समझ में नहीं आता, अपराध हो सकते हैं, इन्सान है आखिर, अपराध करेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कभी छूट जाता है और छूटने के बाद दुनिया में ढिंढोरा पीटता है। मुझे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कई बार लगता है, जिस एक थानेदार अभी हमारे यहां खमनौर थाने में व्यभिचार किया, जिसने बलात्कार किया, को सस्पेण्ड किया, इसी थानेदार को आज से डेढ़ साल पहले रिश्वत के मामले में पकड़ा। 2 हजार रुपये की रिश्वत ली, नम्बर नोट करके उसको रिश्वत दी, उसके बाद उसका केस चला, उस समय भी सस्पेंण्ड हुआ। सारी फाइलों में लिखा है, प्रूव हो गया कि इस आदमी ने फलां आदमी से 2 हजार रुपए की रिश्वत ली। वह पैसे निकालकर वापस दिलवाये। उसके बाद भी रीइन्स्टेट किया। रीइन्स्टेट करने के बाद वही थानेदार जाकर खमनौर थाने में बलात्कार करता है, आज वह फिर सस्पेंण्डेड है। थाने में थानेदार बलात्कार करे, और हमारे यहां केस होने के बाद बरी हो जाय, सिपाही बलात्कार करे और वह निर्दोष साबित हो जाय, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस देश की गिरावट किस सीमा तक जायेगी। आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं, फलां एम. एल. ए. के साथ यह रिपोर्ट दर्ज हो गयी, फलां मिनिस्टर के साथ यह रिपोर्ट दर्ज हो गयी। वास्तव में यही देश के लोकतन्त्र का मापदण्ड है। हमें यह समझ में नहीं आता, किसी जगह चाहे इलाज के लिए जोधपुर के हॉस्पिटल में जायं, वहां डॉक्टर उसके साथ बलात्कार करे, ट्रेन में बलात्कार होता है। ड्यूटी दी जाती हैं, पुलिस के सामने चोर और डकेत भाग जाते हैं, यह समझ में नहीं आता। पांच बत्ती की डकेती हुई, उसके बाद भी अभियुक्तों को पकड़ लेने के बाद बाकी अभियुक्तों का पता नहीं लगे और दो दिन बाद अखबारों में पढ़ें कि अजमेर में वहां कार दिखाई दी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर 15 मिनट में जहां पुलिस पहुंच जाती है वहां क्या हम यह मानकर चलें कि हमारी पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है या हमारी पुलिस बिलकुल नकाबिल साबित हो गई है कि वह इस प्रकार की डकेतियों को रोक नहीं सकती, इस प्रकार की घटनाओं को रोक नहीं सकती!

मैं आपको ताज्जुब के साथ सुनाना चाहता हूं कि आज से लगभग कोई एक साल ग्यारह महीने पहले हमारे उदयपुर जिले के फीरोदा थाने में एक निर्दोष आदमी की केवल पुलिस ने इसलिये लाकर छान-बीन की कि चोरी का तुम पर इलजाम है। उसको पीटते पीटते मार डाला, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया 302 का। जिस कांस्टेबल ने उसको मारा, वह आज दिन तक फरार है, वह आज दिन तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इससे बड़ी और क्या शर्मनाक चीज हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि सरकार और सरकार की व्यवस्था इस प्रकार के अपराधों को बढ़ाने के लिये प्रेरित करती है, इस प्रकार के अपराध होते चले जायं। मेरी समझ में नहीं आता कि उस मौली काण्ड के अन्दर एक दर्जी का मकान जलाया गया, उसमें 12 अभियुक्तों के नाम दर्ज हैं, केवल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की और उसके बाद जो 11 अभियुक्त हैं, वे आज भी आराम से घूम रहे हैं। आखिर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हम किस सीमा पर जाकर के इस सारी व्यवस्था को सुधारेंगे ?

मेरी समझ में नहीं आता उदयपुर जैसा सुन्दर नगर जिसके बारे में केवल हम हिन्दुस्तान के लोग ही नहीं, विदेशों के लोग तारीफ करते हैं, जिसकी छवि को देखकर के उनको आनन्द आता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, जितने बड़े आफिसर्स यहां से रिटायर होंगे वह सब जाकर के फतहसागर झील की उस पहाड़ी पर अपना मकान भी बनायेंगे। हरिदत्त जी गुप्ता भी अगर रिटायर होंगे तो उनका मकान भी फतहसागर की पाल पर बनेगा, जितने आई. ए. एस. रिटायर होंगे वह सब फतहसागर पर जाकर अपना सुन्दर भवन बनायेंगे और उसकी जो नालियां, उसका गटर आयेगा वह उस झील में गिरेगा। जैसे पिछोला झील आज गटर के पानी झील बनी हुई है केवल कुछ लोगों के आनन्द के लिये, कुछ लोगों के लिये। हम कभी इस बारे में विचार नहीं करते हैं। जिसको आइडेन्टीफाई कर रखा है, जिसको मास्टर प्लान में कह रखा है कि यहां पर कोई बस्ती नहीं, होगी, क्योंकि वह बड़े लोग हैं, उनको प्लान देना आवश्यक है इसलिये यू. आई. टी. देती चली जा रही है, उनको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

आप सब लोग सुनेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जिस उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, आज उदयपुर की झीलें पिछले वर्ष की अच्छी वर्षा के कारण बहुत अच्छी तरह से भरी हुई हैं लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उदयपुर के नागरिक आज भी पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसते हैं, एक-एक घण्टे, डेढ़-डेढ़ घंटे तक नल आते हैं, वह भी जमीन पर सड़क पर खड़े होकर नलों में टूटी लगाकर पानी भरना पड़ता है। आज पानी की सप्लाई नहीं है। आखिर उसके बारे में कहा जाता है कि लाइन चौड़ी नहीं है। सन् 1955 में जो वाटर लाइन डाली गई, जिस तरह की डाली है, उस समय जो पापुलेशन थी उस पापुलेशन के हिसाब से डाली गई, आज भारी पापुलेशन है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से सुखाड़िया जी ने एक योजना शुरू की थी–देवास योजना। उसका प्रथम चरण पूरा हो गया लेकिन चूंकि सुखाड़िया जी से दुश्मनी पालनी थी इस कारण से उदयपुर की यह योजना उस दिन से बन्द हो गई जिस दिन से हरिदेव जी जोशी आये। सुखाड़िया जी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन शोक सभा में राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि श्रद्धांजलि स्वरूप देवास योजना हम पूरी करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उस योजना को क्यों नहीं पूरा करना चाहते हैं, जिसका पानी गुजरात में और पश्चिम की खाड़ी में होकर समुद्र में गिर रहा है ? कल गुजरात उस पर क्लेम करेगा, कल गुजरात उसमें से हिस्सा मांगेगा। आखिर हम उस पानी को रोक कर, उसकी दिशा को परिवर्तन करके अगर राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी दे सकें, अगर यहां के लोगों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को पीने का पानी मुहैया करा सकें या वहां की इन्डस्ट्रीज को हम पानी उपलब्ध करा सकें तो क्या हर्जा था ? क्या हम बजट में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नही कर सकते थे ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है तथा मेरी मान्यता है कि कुछ भी इस बारे में होने वाला नहीं है ।

राजस्थान में कोई आदमी गरीबी का दर्शन करना चाहे, वास्तव में गरीबी देखना चाहे तो वह उदयपुर की सड़कों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उदयपुर के फव्वारें आपके दिमाग में यह कल्पना जरूर पैदा कर सकते हैं कि यहां पर सम्पन्न लोग हैं और बड़े हैं लेकिन उससे 4 किलो मीटर, 10 किलो मीटर आगे आदिवासी क्षेत्र में निकल जाइये, बदन पर एक कपडा, एक चिथड़ा पहनने वाला आदिवासी अपने सिर पर 8-8,10-10 किलोमीटर से लकड़ी का भार, वह भी चोरी-छिपे लेकर, जंगल की लकड़ी बेचकर जाता है और शाम को केवल एक किलो, आधा किलो आटा ले जाकर अपने बच्चों को खिलाता है। क्या कभी सरकार ने विचार किया उस आदिवासी की आमदनी बढ़ाने का कि हमारे पास क्या सोर्स हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या जंगलात के अधिकार उसको दे सकते हैं, क्या उसकी आय के स्रोत बढ़ाये जा सकके हैं ? लेकिन इसके बारे में हमारा बजट कुछ नहीं कहेगा। हमने तो केवल एक हिसाब से बना लिया कि हमने पिछले साल इतना करोड़ रुपया खर्च किया इस साल एक करोड़ रुपया और बढ़ा दो। पिछले साल इस पर इतना खर्च किया इस साल एक लाख और बढ़ा दो। आखिर यही बजट का तरीका है और इसी आधार पर हम राजस्थान में खुशहाली लाना चाहते हैं? हम अपने मन में जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि अगर बजट और देश की प्रगति का कोई मापदण्ड है, कोई थर्मामीटर है तो देश के रहने वाले लोग हैं। अगर देश के रहने वाले और प्रदेश के रहने वाले सामान्य व्यक्ति इस बजट की तारीफ करते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको रोटी, खाने को मिल रही है, उनका जीवन सुधर रहा है या घट रहा है तभी वह तारीफ करेंगे अन्यथा किताबों की सुन्दरता बढ़ाकर हम जैसे पढ़े-लिखे लोग आज हिन्दुस्तान के लोगों के वोट खरीद कर केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।

मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम जब भी पढ़ते हैं कि आपने सजा किसको दी ? पटवारी रिश्वत खाते हुए पकड़ा गया ? कितने की ? 15 रुपये की। सस्पेन्ड कर दिया। क्या हिन्दुस्तान का चोर केवल पटवारी है ? क्या हिन्दुस्तान का चोर केवल वह सिपाही है ? क्या हिन्दुस्तान का चोर ये छोटे मोटे लोग हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सबसे बड़े डकेत इस जमात में बैठे हुये है, जो राजनीति का ठेका लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनमें से कितने आदमियों को सजा दी गई, उनमें से कितने लोगों को जेल भेजा गया, उनमें से कितने आदमियों को सरे आम बाजार में इस तरह से बदनाम किया गया ? हम तो

(श्री गुलाबचन्द कटारिय)

बच जायेंगे क्योंकि हम बड़े व्यक्ति हैं, हमारे हाथ पैर बड़े हैं, हम एस. पी. को जानते है, हम बाकी अधिकारियों को जानते है, हम अपने इस पद का दुरुपयोग करते हैं, हम चोर को बचा सकते हैं लेकिन वह सामान्य चोर उसमें मारा जाता है।

व्यापारियों के नाम से कहा जाता है कि व्यापारी मुनाफाखोर हैं, व्यापारी इस तरह से मिलावट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उस मिलावटिये को सजा दें जो सबसे बड़ा मिलावटिया है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है और प्रान्त का दुर्भाग्य है कि आप जाकर के सैम्पल किसका लेंगे, किसका का केस बनायेंगे? जिसकी दुकान में 2 हजार का सामान है, जो दो किलो मिर्ची लेकर बैठा है, 8 किलो तेल लेकर बैठा है, उसका सैम्पल भरा जाएगा और उसको 6 महीने की सजा दी जायेगी और आप यह ढिंढोरा पीट देंगे कि हमनेमिलावटियों को सजा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी ने डालडा में चर्बी मिलाई उस आदमी को सजा क्यों नहीं मिलती है? जो तेल की फैक्ट्री बनाकर बैठा है उनके तेल का सैम्पल कोई लेने के लिये नहीं जाता क्योंकि वह माह-वारी किश्त चुकाता है। हमारे हिन्दुस्तान में यह क्राइटेरिया बन गया है। अगर हिन्दुस्तान का करेक्टर यही बनाकर हम हिन्दुस्तान की तकदीर बनाना चाहते हैं? मेरी ऐसी मान्यता है कि केवल बजट लाकर ऐसा करेक्टर नहीं बन सका है वास्तव में हम अपने आपको इस बारे में सच्चा प्रूव कर सकें। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने मन में चोर हैं, हम अपने मन में बेईमान है और अपनी बेईमानी दूसरों पर थोपना चाहते हैं।

हम राजस्थान की तीन-साढ़े तीन करोड़ लोगों के चुने हुये प्रतिनिधि है, क्या कभी हमने इस बारे में विचार किया? क्या हमको लगता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा डाकू मर जाय, सबसे बड़ा अधिकारी मर जाय? इस विधान सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं इंजीनियर्स का कोई दोष होगा तो भी केवल ओवरसियर को सजा मिलेगी। अभी हमारे वन विभाग में, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि केवल फोरेस्ट गार्ड द्वारा अवैध लकड़ी कटा दी। क्या यही कार्यवाही है? क्या यही तरीका है? क्या इसी आधार पर यह चाहेंगे कि हम राजस्थान का नक्शा बदलेंगे?

आप शिक्षा की दृष्टि से भले यह कहा जाय कि आज हमने एक हजार स्कूल पहले खोले, एक हजार प्राइमरी स्कूल भी खोल देंगे, दो हजार और खोल देंगे लेकिन सतरह हजार पद जो रिक्त हैं, जो पिछले कई सालों से रिक्त हैं उनको भरने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। एक हजार नये स्कूल खोले और जहां पर चार अध्यापक हैं वहां से एक का ट्रान्सफर करके करके उस स्कूल में भेज देंगे और गिनती पूरी कर देंगे और कह देंगे कि हमने स्कूल चला दिये। आखिर क्या इसके लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं,? अध्यापक आपके मिलते है कई बार। दुर्भाग्य है कि बेईमानी और भ्रष्टाचार किस सीमा और कहां तक पहुंचा है, कम से कम यह कभी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विश्वास नहीं था कि जिसको हम विद्या का मन्दिर कहते है वह विद्या का मन्दिर और छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, छोटे-छोटे अध्यापक हैं वह इस तरह से बेईमानी पर उतर आये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी न किसी से प्रेरणा लेकर करते हैं। मेरे पास आदर्श नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय है बालिकाओं का उसकी हाजरी का रजिस्टर है, जो शिविर लगा 2 से लेकर 28 जून, 1983 तक उस का फर्जी हाजरी रजिस्टर है और उसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे हुये हैं जिनकी छान-बीन की तो उस स्कूल में उस नाम के अध्यापक है ही नहीं। उन्होने आकर अपनी जोइनिंग रिपोर्ट दी है, यह जोइनिंग रिपोर्ट भर दी, जिन्होंने यह लिख दिया कि आज हम इतनी तारीख को जोइन कर रहे हैं। जब उनका पता किया तो स्कूल में अध्यापिकायें हैं ही नहीं। ऐसे फर्जी नामों से केवल दरख्वास्तें करके रविवार के दिन का भी ध्यान नहीं रहा, पैन चलाते रहे, रविववार को भी दस्तखत कर दिये। इस तरह की घटनायें सामने आतों है, बराबर लोग लिखते हैं लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिलती है क्योंकि वह बड़े बाप के हैं। अगर हिन्दुस्तान का यही क्राइटेरिया रहा, राजस्थान में न्याय का यही तकाजा रहा कि अगर बड़े बाप का बेटा कोई कसूर कर ले तो उसका कोई अपराध नहीं, उसका कोई गुनाह नहीं लेकिन छोटे और गरीब आदमी यह कर ले तो उनको सजा मिलती है और दुनियां भर में ढिंढोरा पीट कर यह कहेंगे कि हमारे यहां न्याय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि न्याम एक स्वप्न की बात हो गई है। अब किसी के बारे में सही बात कहेंगे, यह शायद अब दुर्लभ बात हो गई है। अब तो ऐसा लगता है कि यह चोरों की जमात और लूटेरों की फौज बन गई है, जो लूट सको वह लूटो, सरकारी माल है, सरकारी माल अपना माल है। कोई तार चुरा कर ले जा रहा है, कोई चोरी करके और सामान ले जा रहा है, कोई कुछ सामान अपने घर ले जा रहा है, कोई टावर खोल कर अपनी गाड़ी में लगा रहा है। आखिर क्या यही तरीका है ? इसी तरह से इस बजट को पेश करके यह कहते रहेंगे कि हमने राजस्थान का बहुत विकास कर दिया, तो यह बहुत गलत कहेंगे।

32 सालों में हमने कई चीजों में तरक्की की है इसको मैं स्वीकार करता हूं। हम कुछ आगे बढ़े हैं, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं लेकिन 33–34 साल में हमने इस देश का चरित्र इतना गिराया है, हमने देश के व्यक्ति को इतना गिराया है कि स्वार्थी और केवल अपने तक सीमित रहने वाला व्यक्ति हमने पैदा किया है

क्या आज हमने इस बारे में विचार किया कि इसे सुधारने का कोई तरीका है ? क्या इसको सुधारा जा सकता है ? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यह सब केवल मेरे बोलने तक ही सीमित रहेगा। मेरे मन की पीड़ा केवल इसी बात में है कि अगर आप सजा देना चाहते है तो सबसे बड़े डकैतों को सजा देकर दुनिया को दिखाओ कि हमने इतने बड़े डकेत को सजा दी। मैं चाहूंगा कि कभी छोटे मोटे लोगों को सजा दे करके फिर इस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रकार का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़े। इस बजट को बनाते समय कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं उनको हमने बजट का कितना प्रतिशत दिया ? आपने जलदाय विभाग में बताया कि हमारा 23 करोड़ का बजट है, 12 करोड़ रुपया आपने शहरों में दिया और 11 करोड़ गांवों में दिया। आखिर आपका क्राइटेरिया क्या है ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं तो क्या हम इस बजट को इस तरह से तय नहीं कर सकते कि 70 प्रतिशत जनता अगर गांवों में रहती है तो बजट का 70 प्रतिशत गांवों में खर्च करेंगे। आज शहरों में भवन बनायेंगे, कोई होस्पिटल की बिल्डिंग बनायेंगे तो वे कोई चन्दा नहीं देंगे लेकिन गांवों के अन्दर अस्पताल खोलेंगे तो गरीब से गरीब को कहेंगे कि आप बिल्डिंग बनाकर दो, उसके लिए कमरे बनाकर दो। आपने शहर वालों के लिए यह क्यों नहीं किया ? यद्यपि मैं शहर से चुनकर आता हूं पर मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि आखिर आज जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं या तर्क के आधार पर बजट को खर्च करने का प्रयास करते है। ट्राइबल योजना का बजट जो हमारे यहां है, मुझे बड़ा अफसोस है केवल एक मंत्रीजी ने केवल सवा सौ लोगों के भोजन के लिए एक दिन उदयपुर में अभी कुछ महीने पहले साढ़े तेरह हजार का बिल बना दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या इसी तरह से वास्तव में हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, या उसके पैसे का उपयोग करना चाहते हैं या केवल अपनी मटर-गश्ती के आधार पर हम इस बजट का नुकसान करना चाहते हैं ? हम टेलीफोन पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। पैट्रोल का कोई हिसाब किताब नहीं, गाड़ियों की रिपेयरिंग का कोई हिसाब किताब नहीं। कभी हमने यह कोशिश की कि हमारा यह जो फालतू खर्चा है वह बन्द हो। राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश में हर अफसर के पास गाड़ी होना क्या जरूरी है ? क्या सब्जी लाने के लिए भी गाड़ी जायेगी, उसके लिए पैट्रोल हिन्दुस्तान और राजस्थान के गरीब आदमी का लगेगा जो आपको टैक्स के रूप में जमा कराता है ? कभी आपने इस बारे में विचार किया कि आखिर उसको हम कैसे बचायेंगे ? आखिर उसकी रक्षा कैसे करेंगे ? इसलिए मैं माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं केवल यह बजट बनाने से, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में गरीब के प्रति तड़फन है, अगर गरीब के प्रति आपको कोई प्रेम है तो इस खजाने का सबसे पहला अगर कोई मालिक है तो जो सबसे अन्तिम कड़ी में बैठा है वह इस बजट का सबसे पहला मालिक है। इस खजाने का मालिक वह है। आप उन पूंजीपतियों पर टैक्स लगाते, किसने मना किया आपको। आप ऐसी चीजों पर टैक्स लगाते जिसमें बड़े आदमियों को नुकसान होता, कौन मना करता ? समाजवादी बजट के नाम से कभी हमने सोचा कि हम इस बात का विरोध करके,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इन पूंजीपतियों और करोड़पतियों पर टैक्स लगायें, उसके पेट से पैसा निकाल करके उसको गरीब के घर में दें, उसके घर में एक दीपक जलायें। हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन चुनावी बजट होने के कारण मन में शंका है बेईमानी होने के कारण से कि इस हिन्दुस्तान और राजस्थान की भोली जनता को कैसे खदेड़ा जाय, कैसे छल किया जाय, कैसे फरेब किया जाय। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये हम राजनीतिक नेता रह जायें। लेकिन एक न एक दिन हम समाप्ति की ओर जायेंगे इसकी गारन्टी है। उसके बाद भी हम इस राजस्थान में यह भावना पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि आखिर बजट का किस ढंग से निर्माण होगा। इस बजट का खर्चा किस प्रकार से होगा, इस बजट का एलोकेशन किस प्रकार से होगा? हम पचास करोड़ की सिंचाई की योजनायें बनाते हैं, मैं कहता हूं कि आप गांवों की छोटी-छोटी योजना बनाओ। पुराने जमाने में प्रत्येक गांव में छोटे-छोटे बन्धे बनाये जाते थे, गांव में तालाब बनाये जाते थे जिनसे गांव के बन्धे बंधते थे, कुओं में पानी आता था, क्या आप यह कर सकते हैं कि हम आने वाले एक दो सालों में केवल छोटी सिंचाई योजनाओं के आधार पर ही, जिससे हम गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसको आत्म निर्भर बना सकते हैं, उन लोगों की अपनी आमदनी का सोर्स बना सकते हैं, क्या हम इस तरह से इस बजट का एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन यह हमें स्वीकार नहीं। एक सेट पैटर्न बन गया है, हम तो पूंजीपतियों के साथ चलना चाहते हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं। यद्यपि आपका बजट जैसा आपने बताया वैसा नहीं है, यह जो कुछ भी आप खर्चा मांगते हैं, पता नहीं 76–77 का खर्चा अब हमारे ध्यान में आया, अब हम अतिरेक मांग के द्वारा ले रहे हैं। ठीक है बहुमत आपका है, आप चाहें जिस सर छाप लगा देंगे, चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता इस बात को कभी सहन नहीं करेगी कि जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जो हमारे हिमायती हैं, जो हमारी रक्षा करने वाले लोग है, वह कभी इस चीज की डिटेल में परीक्षा करने के लिए तैयार हैं कि आखिर हम किस चीज पर मोहर लगाने जा रहे हैं। मैं यही बात कह कर के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर राज्य सरकार फिर से विचार करे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन की अनुमति से आज की बैठक का समय आज की कार्यसूची का काम समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।.

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1984

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1984

राजस्थान विनियोग लेखानुदान (संख्या 3) विधेयक 1984

श्रीमती उजला अरोडा : सभापति

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय, मेरी परसों परीक्षा है, बोलने दें तो पहले बोलकर चली जाऊं, किताब पढ़ लूं, अगर आपकी अनुमति हो, नहीं तो....

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है उसके बाद आपको अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को बोलने दिया जाय, परसों सुबह परीक्षा है, मैं पढ़ूं ....

श्री सभापति : परीक्षा देने जाना है आपको ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : परसों सुबह परीक्षा है, मैं जाकर पढ़ लूं, थोड़ा टाइम बच जायगा, आप कहें तो बोल लूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई बात नहीं, माननीय सदस्याजी को पहले समय दे दो मैं बाद में बोल लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : परीक्षा किस बात की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेबर लॉ में डिप्लोमा कोर्स कर रही हूं, बोलो तुम्हारी वकालत करूं कि नहीं। इसको पढ़ लूं फिर आपकी वकालत करूंगी।

श्री सभापति : कृपया आसन को संबोधित करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जिन हाथों में धन का दुरुपयोग किये जाने की आशंका है, उन्हें फिर अधिक से अधिक पैसा दिया जाय, जो धन खर्च करने के लिये भूल जायं उन्हें आज फिर दुरुपयोग करने के लिये पैसा दिया जाय ? मैं आपको बताना चाहूंगी इसी सदन में पिछले वर्षों में यह बताया गया कि अगर हमको शराब की आय हो जाय और शराबखोरी खोल दें तो हम विकास में गति लायेंगे। कितना विकास हुआ ? सबको ऐसा लगा कि यहां तो सड़कें बिछ जायेंगी, हमारे यहां तो भवन बन जायेंगे, हमारे स्कूल और अस्पताल खुल जायेंगे इसलिए शराब खोल देनी चाहिये। माननीय सदस्यों को कितना धोखा हुआ आप सभी जानते हैं, आज भी माननीय सदस्य कहते दिखाई देते हैं कि मेरे इलाके में यह नहीं है, मेरे इलाके में वह नहीं है, शराब की आय खुल गई, शराब की आय सरकार ने भरपूर खोल दी। जो पहले 13 जिले बन्द थे सुखाड़ियाजी के जमाने में उन्हें खोल दिया और सम्पूर्ण राजस्थान खुल गया, जो जनता पार्टी की सरकार ने बन्द किये पहले वह भी खोल दिये। मैं समझती हूं कि अगर खोले थे तो काम कर लेते। एक बुरी आय की लतपड़ी। माननीय सभापति महोदय, कुसंस्कार कहां से पैदा होते हैं ? जब बुरी चीज की आय होगी उससे कुसंस्कार पैदा होंगे, उससे इस तरह के काम पैदा होंगे बाढ़ आयेगी, अकाल पड़ेगा, विनाश होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप यह काम मत होने दो लेकिन नहीं माने और माननीय सदस्यों ने भी अनुमति दे दी जो सत्ता पक्ष के हैं। मैं कहना चाहूंगी यह अच्छा काम नहीं किया, शराब की आय से पेट नहीं भरा, जुए की आय शुरू हो गई, जिधर देखिये लाटरी का

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रचार हो रहा है और लाटरी ही लाटरी, जयपुर तो लाटरी का नगर हो गया। लेकिन जितनी आय हुई फिर भी पेट नहीं भरा। मैं कहना चाहती हूं कि इस आय से कोई विकास के समुचित काम नहीं हुए, न गांवों में सड़कें बनीं, न बंध बने, जयपुर नगर ही क्या और नगरों में देखो डामर पर डामर हो रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जो हम लोग बता रहे थे कि भई देखो गलत काम हो रहा है तो वह भी नहीं देखा जाता। इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह जब तक शराब की आय का लोभ नहीं छोड़ेंगे, जब तक जुए का लोभ नहीं छोड़ेंगे, जब तक यह कुसंस्कार रहेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं होने वाला है। पिछले दिनों 14 जनवरी की रात को टी. वी. पर एक प्रोग्राम देखा वह कैसा प्रोग्राम था। उसे झूठा माने या सच्चा माने, आप ही बतादें। यह कहा जा सकता है कि महंगाई का सूचक जो मूल्य सूचकांक है उस मूल्य सूचकांक में कमी हुई है? किस महंगाई में कमी हुई है? जब हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने कहा कि हम दाम कम करने जा रहे हैं, लोगों को, नये नये संस्थान वालों को, औद्योगिक क्षेत्र वालों को यह कहा है कि आप दाम कम करो और सत्ता पक्ष के लोगों को इस बात की चिन्ता है कि दूध पर दाम बढ़ा दिये, घी पर दाम बढ़ा दिये, इन चीजों का व्यापार सरकार करती है, जो कथनी करनी में अन्तर करती है उनको कैसे क्षमा किया जाय। मैं पूछना चाहूंगी कि लोगों से तो उम्मीद करें और खुद करे नहीं, यह कैसे काम चलेगा। उत्पादन कम कर दिया और हमारे दूध वाले माननीय मन्त्री जी ने दूध के दाम बढ़ा दिये, घी वाले मन्त्रीजी ने घी के दाम बढ़ा दिये।

(5.00 म. प.)

और गेहूं वाले मन्त्री ने गेहूं के भाव बढ़ा दिये। सभी चीजों की मूल्य वृद्धि हो रही है। यह तो क्या चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, लिफाफे जिसमें कि आदमी अपनी दुख सुख की बात लिख पढ़ सकता है उसके भी दाम बढ़ा दिये। यह तो देखते ही देखते सभी के दाम बढ़ गये हैं। मैं, सभापति महोदय, सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि किस चीज के भाव नहीं बढ़े, कौनसी चीज चीज सस्ती है? क्या प्याज सस्ता है? हमारे यहां पर प्याज सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में जाइये वहां पर आपको एक रुपये किलो प्याज मिलेगा। यहां पर, हिन्दुस्तान में पांच रुपये किलो प्याज मिलता है। तो मैं यह पूछना चाहूंगी इस सरकार से कि कैसे उन्होंने यह कहा था कि हमें वोट दो, हम तुम्हें सस्ती चीजें उपलब्ध करायेंगे। कैसे कहा था कि मूल्य वृद्धि को स्थिर कर दी जायेगी और स्थायी सुरक्षा दी जायेगी। जो स्थायी सुरक्षा की गारन्टी की बात कही जा रही थी तो सुरक्षा गारन्टी की बात तो आप अखबारों में पहले पन्ने पर रोज पढ़ते होंगे कि किस प्रकार की लूट, डकैतियां और बलात्कार की घटनायें घट रही हैं। क्या यही प्रशासन है? मैं पूछना चाहूंगी, मान्यवर, कि यह सरकार क्या कर रही है और यह सरकार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्या करने जा रही है, जब मन्त्री महोदय अपना उत्तर दे तब मुझे बतायें।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों की एक घटना मैं आपको बता दूं, मुझे तो उसकी तारीख भी ध्यान में है, मुझे ध्यान है वह घटना, 14 सितम्बर की बात है यहां निवर्तमान लोकल सैल्फ मिनिस्टर साहब ने शहर में नगाड़ा बजा कर, शहर में ढिंढोरा पीट पीट कर कहा था और उसमें करोड़ों रुपये विज्ञापन के खर्च हुए थे। आपने पैसा जमा कर लिया। आपने यह कहा था कि पैसा जमा कराओ, हम सारे कृषि भूमि के जो नियम हैं उन नियमों में और कोई गलती होगी तो संशोधन करा देंगे और जल्दी से जल्दी फटाफट आपकी जमीन का नियमन करके आपको पट्टा दे देंगे, हम सभी नियमन कर देंगे। सभापति महोदय. उन्होंने यहां पर घोषणा की थी। उसमें 26 करोड़ रुपये जमा हो गये हैं और वह 26 करोड़ रुपया जमा होने के बाद जयपुर की जो कृषि भूमि थी उसके मामले आज दिन तक नहीं निपटे। आपने शुल्क जमा कर लिया और विकास नहीं हो सका। इन्होंने आज दिन तक एक भी नक्शा पास नहीं किया। मान्यवर, मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे यह जवाब दिया गया कि जिलाधीश महोदय के पास पांच हजार नक्शे भेजे हैं। मैंने तो, सभापति महोदय, सिर्फ जयपुर का पूछा था, मैंने कोई पूरे राजस्थान का थोड़े ही पूछा था। आज स्थिति यह है कि 26 करोड़ रुपये आज सरकार में जमा पड़े हुए हैं। मान्यवर, ऐसा अन्याय तो कभी राजा–रजवाड़ों में भी नहीं हुआ था। तो, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगी, आपने कच्ची बस्तियों के विकास के लिये पैसा जमा कर लिया लेकिन आपने उनका विकास नहीं किया। आपने कच्ची बस्तियों के नियमन के लिये फीस ले ली पर अभी तक कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं हो पाया है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। अभी पिछली 29 तारीख को जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी की सालगिरह थी तो उन्होंने अपनी सालगिरह के उपलक्ष में 59 पट्टे बांटे। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि 59 ही नहीं, उनको तो बांटने चाहिये थे दो लाख पट्टे। यह कोई किसी बादशाह की सालगिरह थी? यह कोई बादशाह के जमाने की बात है. उनको कितनी निराशा हुई होगी? मान्यवर, उन उनसठ लोगों के अलावा जो दो लाख व्यक्ति बिना पट्टे के बच गये थे उनके दिल को कितनी निराशा हुई होगी, कितनी चोट उनके दिल को लगी होगी। आपने तो खुशियां मना लीं उसमें 20 हजार रुपये तो टेन्ट के खर्च कर दिये और आपने उसमें किसी को भी पट्टा नहीं दिया। आपने पहले जिन लोगों को पट्टे मिल गये थे उनको नियमन-पत्र दिया था और यह कहा था कि आपको पट्टा बाद में मिलेगा। मैं समझती हूं कि बाद में आपकी सरकार पट्टा दे नहीं सकेगी। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगी कि आप अपनी भाषा में संशोधन कर लीजिये। पहले आप अपने कानून को दिखवा लीजिये। इसमें परि-

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

भाषा, केवल नियमन पत्र दिये, यह आयेगी। इसके अलावा आज से दस साल पहले, दस साल पहले ही क्यों, सन् 1971 में जब हमारे भारत के राष्ट्रपति आये तो उन्होंने मंच पर बुलाकर 104 लोगों को पट्टे दिये थे। मैं आपको उनके नाम गिना सकती हूं। यह सूरजनगर गृह निर्माण सहकारी समिति के लोगों के पट्टे दिये थे पर आज वह लोग उन पट्टों को लिये हुए धक्के खाते फिर रहे हैं। जब वे कृषि मन्त्री के पास जाते हैं तो कहते हैं कि लोकल सेल्फ मन्त्रीजी के पास जाओ और लोकल सेल्फ मन्त्री जी के पास जाते हैं तो वे कृषि उपज मंत्रीजी के पास भेज जाते हैं। तो आज यह हालत है उन 104 लोगों की, जिनको हमारे देश के राष्ट्रपति ने पट्टे दिये थे। आज यह इज्जत हमारे सत्ता पक्ष के मन्त्रीजी हमारे भारत के राष्ट्रपति की करते हैं। मान्यवर सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इसके लिए आपको एक हाई पावर कमेटी गठित करनी चाहिये जिसमें इन विभागों के दो मंत्री हों और दो बड़े अधिकारी हों। इसके साथ उन संबंधित लोगों को बैठाया जाना चाहिये जिनको कि सन् 1971 में पट्टे बांटे गये थे। आज वह लोग इधर-उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। न तो उन पट्टों का नियमन किया जा रहा है, न ही उन्हें भूमि मिली है। तो, मान्यवर, मैं इस सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि आखिर वह क्या करे रही है, या करने वाली है ?

सभापति महोदय, आज गरीबों के नाम पर और पिछड़ी जाति के लोगों को ऊपर उठाने के नाम पर हमारी सरकार ने सुविधायें देने की बात कही। इसमें जिन लोगों को सुविधायें दी गई हैं वह ऐसे लोग नहीं हैं जिनको वास्तव में सुविधायें मिलनी चाहिये। मान्यवर सभापति महोदय, गैस कनेक्शन दिये गये पिछड़ी जाति के लोगों को, इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि पहाड़ियाजी को गैस कनेक्शन मिला है। मैं तो, सभापति महोदय, सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने भी इसके लिये कुछ पिछड़े जाति और कुछ गरीब व अपंग लोगों के नाम रिकमण्ड किये थे। इसमें सुमेर और प्रकाश वगैरह के नाम थे पर उन लोगों को गैस की एजेन्सी नहीं मिली जिनको मिलनी चाहिए थी। गैस एजेन्सी मिली शान्ति गैस एजेन्सी के नाम से शान्ति पहाड़िया जी को और दूसरी मिली दिनेश डांगी जी, मन्त्री के भतीजे नवीन डांगी को। तो, सभापति महोदय, यह आज बात तो पिछड़ी जाति की करते हैं पर यहां पर उनके नाम पर गलत काम किये जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगायें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैंने सही आरोप लगाया है। अगर आज मेरे नाम से कोई बात छपती है तो कल आप उसका खण्डन कर दें। आज मेरी बात छपेगी कल आपकी बात छप सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैंने सही बात कही है, गलत हो तो आप इसका खण्डन कर दें। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, व्यक्तिगत आरोप कृपया नहीं लगायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह तो मैंने सच्चाई और यथार्थ कहा है। मेरे ख्याल में सदन में सच्चाई और यथार्थ बात कहना मना नहीं है। मैंने गलत कहा हो तो आप सदन की कार्यवाही से निकलवा दें।

एक माननीय सदस्य : सांच को आंच नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रही थी कि जयपुर में बाढ़ आई। जब यहां पर बाढ़ आई तो बाढ़ के लिये यह कहा गया कि बाढ जयपुर के लिये वरदान है और उसके लिए पैसा भी दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी, कि मेरे पास एक किताब है उसमें लिखा गया है "जयपुर के निर्माण का नया दौर।" इसमें मोटे अनुमानों की दृष्टि से 400 करोड़ रुपये का उस बाढ़ में नुकसान हुआ था। इसके अलावा कोई नुकसान हुआ हो तो पता नहीं, यह कहा गया कि जयपुर में जो बाढ़ आई है वह जयपुर के लिये वरदान सिद्ध होगी। सिर्फ 45 करोड़ रुपये इसकी सुरक्षा के लिये रखें। यह जो रुपया आवण्टित किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण के पौधे में दिया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बाढ़ के बाद की व्यवस्था के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान था वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। वह पैसा, सभापति महोदय, यों का यों बचा हुआ है। एक तरफ तो 45 करोड़ रुपये बचे और दूसरी तरफ एक करोड़ रुपये भी सारे ही बच गये। हो सकता है, सभापति महोदय, कि इसमें से किसी को इन्होंने कुछ पैसे दिये हुए हों। इसमें से जयपुर में 18 लाख रुपये जो आंशिक क्षतिग्रस्त मकान थे उनके लिये दिये गये और जो मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये थे उनके लिये कुछ नहीं किया गया। आज भी जिलाधीश महोदय के पास पैसा पड़ा हुआ है। तो सभापति महोदय, यह सरकार क्या कर रही है, क्या सहायता उसने दी और अब आगे क्या करने वाली है? आज मैं आपको यहां जयपुर की हालत का बयान करूं, यहां नाले टूटे हुए हैं, यहां की सड़कें टूटी हुई हैं और यहां की पुलिया टूटी हुई हैं। सभी का तो नहीं कहना चाहती हूं पर मेरे ही क्षेत्र में गंगापोल की जो सड़क है उसकी हालत बुरी तरह से खराब है। सभी का नाम अगर मैं यहां बताऊं तो मैं समझती हूं सारा समय उसी में समाप्त हो जायेगा। यहां पर जो पुल टूटे हुए हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो नाले टूटे हुए हैं उनको ठीक नहीं कराया गया और यह कह रहे हैं कि बाढ़ जयपुर के लिये वरदान है। मैं समझती हूं, सभापति महोदय, कि इनको अपनी भाषा बदलनी चाहिये। इसी प्रकार, सभापति महोदय, यहां पर एक मन्त्रीजी ने मुरलीपुरा योजना के बारे में कहा था कि इसमें हम गरीब लोगों को आठ हजार रुपये में मकान देंगे। पर जब मन्त्री महोदय बदल गये तो जो मन्त्री नये आये उन्होंने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहा कि मैं तो आठ हजार नहीं 19 हजार रुपये में एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। उन्हीं मकानों की, जो अब तक लोगों को 16 रुपये प्रति माह से दिये गये हैं, 66 रुपये प्रतिमाह की किश्त जमा कराना उन लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है। इस पर भी लोग किश्त जमा कराने जाते हैं तो वह लोग किश्त जमा नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप इस पर ब्याज दो। सभापति महोदय, यह कैसा न्याय है? मैं चाहूंगी सरकार से कि इन मकानों की जो किश्ते हैं उसके पैसे जमा किये जायें और उन लोगों को आठ हजार रुपये में मकान दिये जाये। सभापति महोदय, आज यहां पर इस तरह की कई अनियमिततायें हो रही हैं।

इसके लिए आज मन्त्री महोदय यहां पर कह रहे हैं कि हमें पैसा दे दो। इन्होंने वसूल किया है, इसमें 109 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली है। यह आडिट रिपोर्ट के आंकड़े मेरे हाथ में हैं। किस तरह से इनको पैसा दिया जाए? यह क्या करने वाले हैं? इनके बस का कुछ नहीं है, इनको यह पैसा नहीं दिया जाए। मैं आपसे यही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, बजट जैसा बना है उसमें प्रगति के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे गये हैं। जैसे कुछ मित्रों ने कहा, गांव के लिए नहीं किया है। यह ठीक है, लोक दल के मित्र अपने को गांव और किसानों का हिमायती बताते हैं। थोड़ा-थोड़ा हम भी मानते हैं, परन्तु दिन में गांव की बात करते हैं और रात को शहरी मित्रों, जो भाजपा के हैं, उनके आड़े सोते हैं।

श्री महाराम चौधरी : शहरी होने का रजिस्ट्रेशन कर रखा है क्या?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यानि दिन में काम दूसरों का और रात में किसी और का। दिन मे किसान की बात करते हैं, रात को भाजपा के साथ राजनीति की स्थिति और शहरी लोगों को मदद पहुंचाना इनका काम है। इसमें कुछ काम की बातें कहीं, उनका मैं समर्थन करूंगा। होना यह चाहिए कि हम कुछ कहें तो यह समर्थन करें और यह कुछ सही बात कहें तो हम समर्थन करें। गांव और शहर में अन्तर की बात है, माननीय सभापति महोदय, इस बात में कुछ तथ्य है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वास्तव में हमारी सोच शहरीकरण से ज्यादा प्रभावित है। आज बजट का अधिकांश हिस्सा, यह ठीक है, गांवों में हम बहुत लगा रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता तय करते समय हमारी सोच को बदलना होगा। वह यह है कि आज हिन्दुस्तान जो गांवों का देश, किसानों और मजदूरों का देश है, में जब तक उन लोगों जिनको हम खुशहाल कहते हैं, सरकार वास्तव में खुशहाल नहीं करेगी, हम जो सुविधायें देते हैं वे सुविधायें कायदे-कानून और इस तरह की पेचीदगी में कस दी जाती हैं कि जिन लोगों को यह मिलनी चाहिए, जिन लोगों के लिये काम करते हैं वहां पर पहुंचते-पहुंचते वह काम की नहीं रहतीं और शहरी

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

लोग, बुद्धिजीवी लोग उसको बीच में ही लेकर लाभ उठाते हैं। जहाँ तक इन बड़े उद्योगों का सवाल है इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं कि जितने बड़े पूंजीपति और बड़े-बड़े सेठ हैं यह हमारी व्यवस्था में से अपने फायदे के लिए नौकरशाही से मिलकर सारे बजट, जो गरीब के लिए बनता है, को अपनी ओर खींच लेते हैं। उद्योगों का रॉ मैटीरियल, अनुदान, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी आर्थिक मदद, जरूरत पड़ने पर बीमार उद्योगों को और अधिक सरकारी सहायता पहुंचाना यह इसलिए रखा गया था कि बिना उद्योग के देश आगे नहीं बढ़ सकता। परन्तु इन सारे लाभों पर किन्हीं व्यक्तियों ने, कुछ घरानों ने, कुछ उद्योगपतियों ने कुण्डली मार रखी है। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उद्योगों को जो प्रोत्साहन देते हैं वह इन इने-गिने घरानों तक सीमित नहीं हो जाये। इसकी जांच करनी पड़ेगी कि इन लोगो के संचालन मंडल में कौन लोगों का कब्जा है। मैं कहता हूं कि उद्योगपतियो के उत्तरदायित्व के बारे में भागीदारी में हमने श्रमिकों को हिस्सा नहीं दिया है, तकनीशियनों को हिस्सा नहीं दिया है। ठीक है जो पूंजी लगाये उसको, श्रमिकों को, बाकी उपभोक्ताओं को आपस में मिलाकर हमें साझेदारी के तौर पर उद्योगों को चलाना चाहिए। मैं आपको उद्योगों के एक दर्शन की बात बताना चाहता हूं। पश्चिमी देश जो उद्योग चलाते हैं वह एक बात ध्यान में रखते हैं कि पूंजीपति को येन-केन-प्रकारेण किस तरह से लाभ हो। उपभोक्ता जाये जहन्नुम में। बुरी से बुरी चीज बनाकर उसको अच्छी निकल पालिश करके अधिक से अधिक दाम कैसे वसूल किये जायें, यह पश्चिमी उद्योगपतियों के दर्शन की बात है। ठीक इसके विपरीत मैं विश्व में उन लोगों, जो खास तौर से साम्यवादी मुल्क हैं, के औद्योगिक दर्शन की बात, थ्योरी बताना चाहूंगा। साम्यवादी रूस से कुछ समय पहले जब हम वहां से ट्रैक्टर मंगाते थे, कुछ ट्रैक्टर आते थे जिनमें इ.टी. 40 और बेलारुसी था। उस जमाने जो और ट्रैक्टर के भाव थे उसकी आधी कीमत थी। इ. टी. 40 ट्रेक्टर पौने छः हजार रुपये में आता था। 10-11 घण्टे एक लीटर डीजल में वह सारे दिन काम करता था। जो लघु कृषक हैं, जिनकी प्रगति के लिए हमने अपने बजट का बड़ा हिस्सा रखा है, समय पर जमीन जोतने के लिए आज उनके पास साधन नहीं हैं। आज जितने भी ट्रैक्टर हैं वह इतने महगे हैं कि वह यदि किराये पर चलाने के लिए कोई ले जाता है तो पहले बड़े किसानों के यहां पहुंचता है, छोटे किसान तक पहुंचते-पहुंचते जमीन सूख जाती है। इसलिए उनके लिए छोटे ट्रैक्टरों की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर इ. टी. 40 जैसे ट्रैक्टरों की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि रूस का वह ट्रैक्टर जिसकी कीमत औरों से आधी है और उसमें एक हजार रुपये के औजार जैसे प्लेंगर, नोजल आदि बड़े बड़े औजार होते थे यानि पूरी सुख सुविधा का सामान जिससे रिपेयरिंग के लिए बाजार में नहीं जाना पड़े, यह ध्यान में रखकर वहां चीजें बनाई जाती थी। यह पश्चिमी लोग जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं, हमारा सबसे अच्छा

(130)

(श्री मंगूलाल भारद्वाज)

ट्रैक्टर मेगी फर्ग्युशन हैं वह बाजार में इतना महंगा देते हैं और चीजें भी जैसे लाइट उपभोक्ता लगायेगा, पम्प हवा करने के लिए नहीं, पानी को जाने दीजिए, वह छतरी तक नहीं लगाते। आज आप देखें इन घरानों से, टाटा का जो मर्सडीज ट्रक निकलता है कुछ दिन पहले उसके आगे का हिस्सा काफी खुली बाडी का बना होता था जिसमें ड्राइवर के साथ तीन-चार लोग आराम से बैठ जाते थे, लेकिन आज ड्राइवर भी नंगा बैठता है और वह बाजार में भेजा जाता है वेचने के लिए। यानि उद्योगपति कोशिश करता है कि कम से कम दाम में सामान लगाकर, अधिक से अधिक पैसा जोतूं। हमें उद्योगों को स्थापित करते समय उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो इस देश के किसान लोग हैं। यह उद्योगपति जो पैसे की चोरी कर लूट मचा रहे हैं और राजनीति में कुछ पार्टियों ने कुछ व्यक्तियों को इन्वाल्व कर रखा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं यह लोग जो सारी सुविधायें गरीबों को मिलती हैं, न ले लें। जहां तक गरीब किसानों का सवाल है, यह सही बात है कि इस देश के अन्दर बहुत बड़ा तबका चाहे 70 प्रतिशत मान लीजिए, चाहे 73 प्रतिशत या कितना भी मान लीजिए, ये 73 प्रतिशत से ज्यादा तबका खेती से सम्बन्धित है। हम खेती को उद्योग घोषित करने में झिझक रहे हैं। उद्योग का मतलब धन्धा है। काम करके खाने वाले धन्धे को उद्योग कहते हैं। जिस देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग जिस धन्धे से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं उसको हम उद्योग से बाहर रखते हैं। उद्योगों के नाम से करोड़ों रुपये की सुविधायें देते हैं और वह कुछ लोगों के पास चली जाती हैं इसलिए कृषि को भी उद्योग घोषित करें। इसमें किसानों को भी उन सुविधाओं का कुछ हिस्सा मिल सकेगा। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, खेती में सिचाई का एक अहम् प्रश्न है, सिचाई को हमने सीधे किसान पर निर्भर छोड़ रखा है किसानों की हम मदद जरूर करते हैं। कुछ बड़ी और छोटी सिचाई योजनायें भी बनाई हैं लेकिन, मान्यवर सभापति महोदय, यह जो हमने सिचाई पर पैसा खर्च किया है इसके बावजूद भी इस देश की लगभग एक चौथाई खेती के लायक जमीन ही हम सिंचित कर पाये हैं। हम यदि किसानों पर ही निर्भर रहे और केवल उसके मददगार ही रहें तो यह आने वाले सौ सालों में भी देश की सारी जमीन पर पानी नहीं पहुंचा सकेंगे और हिन्दुस्तान जो कृषि प्रधान देश है यदि हमने इस देश की पूरी जमीन पर पानी पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इसकी तरक्की उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। इसके लिए मेरा निवेदन है कि सरकार को यह घोषत करना चाहिए कि सिद्धान्ततः सिचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है और किसान का काम केवल पाणत करना, जमीन को जोतना और उस पर फसल तैयार करना और उसे खलिहानों से निकालना। यह तक उसके लिए काफी होता है। सिचाई की सुविधायें जब हम अपने ऊपर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी योजनायें सिचाई की ओर उन्मुख होंगी और कई बातों में जिसके लिए जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की उधर से पैसा काटकर

(श्री मेरूलाल भारद्वाज)

इन जरूरत की चीजों पर लगायेंगे ।

मैं कुछ बातें उदाहरणार्थ बताना चाहता हूं । 36 साल में हमने अरबों रुपया योजनाओं पर लगाया । गांवों में स्वास्थ्य, स्कूल, भेड़पालन, मुर्गी पालन और कई छोटे मोटे धन्धे खोलकर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं । माननीय सभापति महोदय, यदि हम 36 सालों से इस ओर चलते और गांवों में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था कर देते 5साल, 10साल लगातार प्रायोरिटी देकर, 15 साल में भी कर देते, 20 साल में भी यदि हम उन लोगों को पानी दे चुके होते तो गांवों में इतना धन पैदा होता कि सामाजिक सेवाओं की सरकार को कोई जरूरत ही नहीं रहती । किसान गांव का समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से इसके बीच में अपने आप मजदूर समृद्ध होगा, गांव में दस्तकार भी समृद्ध होगा और मैं तो यह कहता हूं कि जो छोटा मोटा धन्धा करने वाले गांवों में रहते हैं वह भी समृद्ध होंगे यदि किसान समृद्ध हुआ तो । यदि 20 साल पहले हम गांव को समृद्ध कर चुके होते तो जरूरत नहीं थी कि हम सरकार की ओर से वहां स्कूल चलायें । समृद्ध किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं अपनी पाठशालायें चलाते । आज जो हमारे सामने यह शिकायत आती है कि पाठशालायें चलाने के बावजूद अध्यापक नहीं पहुंचते, माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ तथ्य भी हैं, यह ठीक है कि हम बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं । पर यह कोई बात नहीं है कि हम स्कूल खोलें और अध्यापकों की कमी खामी रखें । आखिर यह कोई तरीका नहीं है । हां, यह बात ठीक है कि पैसा कम है उस आधार पर शिक्षा विभाग के नीचे आने वाले कदमों को कम करना चाहिए । अध्यापकों की कमी को पूरा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि इसके बिना वह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते जिसके लिए हम स्कूल खोलते हैं । आज स्कूल अध्यापकों की कमी से एक प्रकार से शोर शराबे के बाड़े बने हुए हैं । इसलिए हमको उधर ध्यान देना चाहिए । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इसकी जरूरत ही नहीं थी कि सरकार स्कूल चलाये । अगर हम ग्राम लोगों को समृद्धशाली बनाने के लिए उनके मूल उद्योग धन्धों में उनको स्वावलंबी बना दें, ग्रामीणों को यदि आप उसकी खेतीबाड़ी और छोटे मोटे उद्योग धन्धे देकर स्वावलंबी बना देते हैं तो आपके स्कूलों को आप उठा लीजिए, कई करोड़ रुपयों का बजट है यह आपके यहां बचत में आ जायेगा । मैं यह कहता हूं कि छोटी मोटी डिस्पेन्सरीज जिसके लिए हम शिकायतें भी करते हैं कि आज दवा नहीं मिल रही है और टाइम पर वैद्य नहीं पहुंच रहे हैं और अभी तक बीस गांवों में एक ही दवाखाना है यह सारी शिकायतें आपकी अपने आप खतम हो जायेंगी । आप जानते हैं अपने खुद की बीमारी का इलाज कराने के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य और डाक्टर को जिसकी जेब में पैसा होगा वह अपने आप व्यवस्था करेगा और गांवों की यह पोजीशन हो जायेगी कि सार्वजनिक औषधालय और हास्पिटल गांव के लोग चला लेंगे । तो मैं

(138)

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

उन मूल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन बातों से लोग स्वावलंबी होते हैं, जिन बातों से रोजगार में वृद्धि होती है। ऐसा करके हम देश को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे।

जहां तक छोटे उद्योग धन्धों का सवाल है, लघु उद्योग हमने कइयों को घोषित कर रखा है। इससे भी लाभ उठाने में कुछ चालाक लोग और शहरी लोग ही आगे आये हैं। अभी जो नयी योजना हमारी देश की श्रीमती इंदिरा गांधी ने पढ़े लिखे लोगो को रोजगार देने की चलाई है....

श्री यदुनाथ सिंह : उनका नाम क्यों लेते हो।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : पेट में दर्द शुरू हो गया। इंदिरा गांधी का नाम सुनते ही पेट में दर्द चालू हो गया।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इसी नाम को लेने से अध्यक्ष महोदय ने मुझे मना किया था फिर यह क्यों ले रहे हैं?

श्री सभापति : आप नाम किस परिप्रेक्ष में ले रहे हैं यह देखने की बात है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कह रहे हैं कि देश को इंदिरा गांधी ने बना दिया और मैंने कहा कि बरबाद कर दिया। फिर मेरे में और इनके कहने में क्या अन्तर हुआ?

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं पहले ही कह रहा था कि लोक दल के हमारे भाई रात को दूसरे मित्रों से जो दोस्ती रखते हैं उनमें भी वह बीमारी आ गयी। भाजपा वाले तो इन्दिरा गांधी के नाम से ही चमकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जैसे छाते को देखकर भैंस चमकती है। मुश्किल है यह मेरी....

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा गांधी तो आर. एस. एस. के नाम से सपनों में भी चमकती है।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इन्दिरा गांधी ने जितना देश के आम लोगों को और खास तौर से गरीबों को आगे लाने के लिए जो रोजगार की योजनायें चलाई हैं जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों को बैंक की ओर से पैसा देने की बात है उसमें भी मैं कह रहा था कि भाजपा वाले मित्रों ने शहरी लड़कों से दरख्वास्त दिलाकर इतना ढेर लगवा दिया कि आखिर बैंकों की भी एक लिमिट है–जैसे हम 15 हजार लोगों को अब की से देना चाहते हैं और इन्होंने 50-60-70 हजार और एक लाख दरख्वास्तें दिलाई हैं उनसे जिनके पास पहले से ही पैसा और रोजगार हैं। यह चालाक लोगों के संरक्षक कुछ राजनैतिक लोग, चालाक लोगों के संरक्षक कुछ नौकरशाही लोग और चालाक और समृद्ध लोगों के रक्षक कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने आपस में मिलकर ऐसी घेराबन्दी कर रखी है कि जो जो योजनायें हम गरीबों के लिए लाते हैं उसमें सारे मित्र-

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कर गरीबों के बजाय उनके गले का कौर छीनने की तैयारी में हमेशा रहते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमको इस योजना में यह बात ऐड करनी चाहिए, पूरी जांच हमको करनी चाहिए कि जिसके घर में कोई अन्य रोजगार चल रहा है पहले उसको प्राथमिकता नहीं मिले। उस पढ़े लिखे आदमी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिसके घर में कोई रोजगार नहीं है। उनको हमको पहले रोजगार देना चाहिए।

लघु उद्योग के बारे में मैं एक निवेदन यह कर रहा था कि हमको गांवों में पशुपालन को भी लघु उद्योग के तौर पर लेना चाहिए। बहुत से बैंक वाले पशुपालन के लिए पैसा देते हैं परन्तु सारी सब्सिडी जो हम लघु उद्योगों को देते आये हैं, पशुपालन करने वाले लोगों को भी सब्सिडी आदि मुहैया करानी चाहिए। यह जो हाथकरघा का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है इसके साथ ही हमको विद्युत करघा भी हाथ में लेना चाहिए। गांव में बहुत से ऐसे बुनकर हैं, बहुत से ऐसे दूसरे लोग हैं जो अपना धन्धा करते थे परन्तु आज सहायता नहीं पहुंचने से उन्होंने अपने धन्धे छोड़ दिये। जैसे लुहारी का धन्धा है, लोहे के धन्धे में गांव में बहुत पुराने कई लुहार थे वह धंधा करना गांवों में उनके बस का नहीं रहा और इन उद्योगपतियों के द्वारा उन छोटे गृह उद्योग का चलना बन्द हो गया इसलिए अब वह दूसरी जगह नौकरी और रोजगार करते हैं। आज गांवों के लुहार लोहे का काम नहीं कर पाते हैं, उनका पेट नहीं भरता। इसी के साथ जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं उनकी भी स्थिति यही है। जो मिट्टी का धंधा जैसे बरतन बनाने वाले और पोल्ट्री का धन्धा करने वाले हैं इन लोगों की भी स्थिति यह है कि जो इनके ग्राम उद्योग थे और जो गांवों में पत्तों की चटाइयां, पंखे, टोकरी और पर्दे आदि बनाने के धन्धे थे क्योंकि हम इनको प्रोत्साहन बैंकों के जरिये, देते हैं मगर बैंकों के जितने अधिकारी हैं उनका मानस अभी बदला नहीं है और वह इन गरीबों को मदद देते समय एक प्रकार से ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे गरीब को मदद दी जा रही है वह कहीं खड्डे में जा रही है ...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, कोई सीमा तो बांध दें। यह तो बोलते ही जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह रुकेंगे ही नहीं। इनकी आदत है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, दो साल पहले आई हुई बाढ़, जिसका अभी जिक्र आया, के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। केन्द्र से 45 करोड़ रुपये भी उसके लिए आये मगर वह रुपया भी बांटते समय मैंने एक प्रश्न भी दिया था और वह आया भी था पर प्रश्नोत्तर के समय मैं पीछे रह गया इसलिए उसका जवाब मेरे पास लिखित में आया कि जमवारामगढ़ क्षेत्र के जितने भी छोटे-छोटे नदी नाले टूटे थे उनमें से एक को भी एक

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

पैसा सुधारने के लिए नहीं दिया। वैसे ही कुओं में पानी की कमी है और फिर नदी नाले टूट गए और बरसाती पानी आगे चला जाता है वहां नहीं रुकता है, कुओं में दो-दो घण्टे भी मोटरें चलती नहीं हैं, ऐसी स्थिति में जो बाढ़ और अकाल से नुकसान होता है और उसमें जो सहायता करते हैं उसमें भी हमको प्राथमिकता देनी चाहिए और उस प्राथमिकता में सबसे पहले कुओं के पानी का ध्यान रखना चाहिए। अकाल राहत में भी हम एनीकट और छोटे बान्ध बनायें बजाय इसके कि सड़कें बनायें या दूसरे काम बनायें क्योंकि इससे डबल फायदा होता है। एनीकट और बांध बनाने से एक तो पेयजल की समस्या का हल होता है, खेतों के पानी की समस्या का हल होता है, जानवरों के पानी की समस्या का हल होता है और जहां एनीकट और बांध बनते हैं वहां बहुत बड़े जंगल लग जाते हैं और पेड लगाने का कार्यक्रम भी उससे हल होता है इसलिये मेरा निवेदन है, उधर भी हमको ध्यान देना चाहिये।

हमने जो खेती की जमीन का कानून बनाया, बहुत अच्छा है लेकिन बड़े लोगों ने रजवाड़ों ने, इसको लागू नही होने देने में रोड़ा अटका रखा है। हमको बारीकी से कानून का अध्ययन करना चाहिऐ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आखिर इतने साल बाद भी हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों में क्यों भटक रहे हैं। जयपुर महाराजा की काफी जमीन सीलिंग की सीमा में थी लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े-बड़े राजाओं की जमीन सीलिंग में नहीं ली जा सकी है। मेरा निवेदन है कि जल्दी ही उन जमीनों को सीलिंग में लेकर गरीबों में बांटी जानी चाहिये और साथ में यह भी निवेदन है कि शहरी सीलिंग को दृढ़ता से लागू करना चाहिये। शहरों के अन्दर न केवल जमीनों की सीलिंग बल्कि बड़े-बड़े मकान, एक एक घराने में 8, 8, 10, 10 बंगले हैं और एक-एक घराने में कई कारखाने हैं उन पर भी हमे सीलिंग लागू करनी चाहिये। हम केवल यह सोचें कि उद्योगों पर सीलिंग नही लगे क्योंकि उद्योगों की जरूरत है, उद्योगों को नुकसान होता है मगर उद्योगों पर सीलिंग लागू करनी चाहिये। मैं तो समझता हूं एक जगह पूंजी और कारखाने इकट्ठे हो गये हैं, जायदाद इकट्ठी हो गई है, वह यथेष्ठ लोगों को वितरण की जा सकती है जिनके हाथ में जाकर उद्योग भी पनपेंगे और उस पूंजी का सदुपयोग भी हो पायेगा। यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री भैरू लाल भारद्वाज कृषि के संबंध में लोक दल के जो दोनों माननीय सदस्यों ने कहा, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कृषि मंत्री केबिनेट स्तर का होना चाहिये। क्योंकि कृषि एक बहुत बढ़ा सब्जेक्ट है। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने, मुझे उनकी उक्ति याद है, जब उन्होंने अपनी केबिनेट बनाई तो यही कहा था कि मुझे अफसोस है कि कृषि विभाग मैं अपने पास नहीं रख सका परन्तु मैं मुख्य मंत्रियों को

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सलाह दूंगा कि वे सीनियर और केबिनेट स्तर के मंत्री को ही कृषि विभाग दें....

श्री यदुनाथ सिंह : एग्रीकल्चर नेहरू के पास आ जाता तो जनता बरबाद हो जाती।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसलिये मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्री को केबिनेट स्तर का दर्जा दें ताकि वे हमारी सहायता कर सकें और कृषि को और आगे बढ़ा सकें, यह मेरा निवेदन है।

जहां तक सहकारी समितियों में लोन की बड़ी शिकायतें चली हैं इसलिये ..

श्री महाराम चौधरी : आपको बना दें तो कैसा रहे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसलिये मेरा, जो सहकारिता मंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि इसकी बारीकी से और कड़ाई से जांच की जानी चाहिये। लोगों ने झूठे दस्तखत टिकाकर गरीब लोगों के जो ऋण ले लिये हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये कि उनके रुपये वसूल हो जायें बल्कि उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जानी चाहिये। सहकारिता को जो भ्रष्ट बनाकर के लोगों को लूट रहे हैं उनके खिलाफ हमको सख्ती के साथ आगे बढ़ना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जो खादी के बोर्ड बने हुए हैं, काफी पुराने दिनों से चल रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में कई शिकायतें आई हैं बल्कि मुझे तो यह भी पता है कि 60, 70 एम. एल. एज. ने लिख कर दिया है, उनको ज्ञापन दिया है कि जो खादी ग्रामोद्योग गांवों के बड़े काम की चीज है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिये। वह यथार्थवाद का शिकार हो रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे लोगों, जो काम नहीं करते है, को बैठा रखा है। खासतौर से मैं यह निवेदन करूंगा खादी के मंत्रीजी से कि जो खादी बोर्ड है, जो गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जरिये गांवों को पनपाने के लिये है उसका पुनर्गठन करें ताकि तेजी के साथ वह बोर्ड काम कर सकें और गांवों में उद्योग धन्धों का प्रचार-प्रसार कर सकें।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य। समय सीमा 10 मिनट।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मेरे लिये समय सीमा क्यों, श्रीमान्?

श्री सभापति : समय काफी हो गया है। इसलिये समय सीमा निर्धारित करनी पड़ रही है। 10 मिनट तो काफी समय है।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, अभी 1984-85 का बजट पेश हुआ था उस बजट की ओर राजस्थान की जनता आशा लगाये बैठी थी कि बजट पेश होगा और राजस्थान की जनता को कुछ राहत

(श्री हीरालाल आर्य)

मिलेगी, उसमें विकास की कुछ योजनायें होंगी। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया उससे राजस्थान की जनता को बड़ी निराशा ही हाथ लगी और जो कुछ भी पेश हुआ उसमें राजस्थान की जो विभिन्न प्रकार की समस्यायें है वे दूर नहीं हो सकेंगी। राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं जिनमें प्रमुख रूप से गरीबी, बेरोजगारी, पेयजल का अभाव, विद्युत की कमी और सबसे बड़ी जो समस्या है वह है राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार की, इन सब से राजस्थान की जनता बड़ी परेशान है। कहने के नाम पर यह सरकार बीस सूत्र का ढिढोरा पीटकर कि राजस्थान में सभी तरह का विकास हुआ है, इस तरह की बात करती है और इनके *असत्य आंकडों से पता नहीं कैसे राजस्थान को प्रथम घोषित किया जाता है, यह केवल राजस्थान की जनता....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : बड़ी तकलीफ है आपको इसकी।

श्री हीरालाल आर्य : यह *असत्य आंकड़े देने से और *थोथी शान से राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

आपकी पोल खोलने आया हूं, चुप चाप सुन लीजिये। *असत्य आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, सभापति महोदय। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देकर उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा। इन आंकड़ों में भी राजस्थान के वित्त मंत्री जी के गृह जिले के आंकडे प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि इनको पता पड़ जाये कि इनके दीपक तले कितना अन्धेरा है। "अधिक सिचाई अधिक उपज।" सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और अपने यहां की कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में सिचाई के साधन अधिक से अधिक उन्नत किये जायें और सिचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध कराये जायें। बूंदी जिले में इनका जो सूत्र है उसके लक्ष्य निर्धारित किये गये थे 1142 हैक्टेयर में सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने के, उसके विरुद्ध इन्होंने केवल मात्र 882 हैक्टेयर में यह लक्ष्य....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां तो इससे ज्यादा पूरे हो गये।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं हुए हैं। आधे से भी कम हैं। इनके द्वारा रखे गये लक्ष्यों से बहुत कम है। जो सिचाई इस वक्त उपलब्ध कराई जा रही है, जैसा माननीय सदस्यों ने पिछले समय अपना रोष प्रकट किया था कि कोटा और बूंदी जिलों में इस साल पानी की कमी की वजह से किसानों की फसल बरबाद हो रही है और उनके जीवन में ऐसी बरबादी कभी नहीं हुई। यहां पर सिचाई मंत्री जी ने जो जवाब दिया था वह *असत्य और गुमराह करने वाला था। उनके इस वक्तव्य से कोटा और बूंदी जिले के किसानों की आत्मा तड़फ रही थी और वे कह रहे थे कि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग किस तरह से गलत आंकड़े देकर गुमराह करते हैं जो अपने आप में इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। सभापति महोदय, कोटा और बूंदी जिलों की एक मात्र विकास परियोजना

* शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

सी. ए. डी. है। उस विकास परियोजना के लिये चाहिये तो यह था कि वहां के वित्त मंत्री होने की वजह से उस परियोजना में और अधिक फण्ड दिया जाता लेकिन वहां के वित्त मंत्री जी ने उस सी. ए डी. की महत्वपूर्ण योजना को समाप्त कर दिया। और समाप्त ही नहीं किया है उसका गला घोटकर अधमरी स्थिति में कर दिया है। न तो वह मरी है और न वह जिन्दी है। जिन्दगी और मौत के बीच में सी.ए. डी. झूल रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सी.ए.डी. जिसको आप प्रारम्भ करने वाले थे और बार बार इस तरह की घोषणा कर रहे थे कि सी.ए डी. को प्रारम्भ कर रहे हैं तो कब तक इस फेज को शुरू कर रहे हैं? आप इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं। सी. ए. डी. समाप्त किये जाने से जो विभिन्न प्रकार के विकास हैं वे अवरुद्ध हो गये हैं। सी.ए.डी. में केचमेंट का कार्यक्रम था, भूमि सुधार का कार्यक्रम भी था। भूमि सुधार में कई प्रकार की अनियमितताएं थीं उसके बारे में कई बार हमने कहा कि कैचमेंट में भ्रष्टाचार है और उसके खिलाफ आवाज उठाई। होना यह चाहिये था कि कैचमेंट मे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको समाप्त किया जाता, उसमें जो अनियमितताएं और गड़बड़ियां थीं उसको दूर किया जाता और किसानों को राहत पहुचाई जाती लेकिन वह नहीं करके मंत्री महोदय ने सी ए.डी. को ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। सी.ए.डी. कैचमेंट में अभी भी बहुत सारी असुविधायें हैं। कैचमेंट होने की वजह से पहले किसानों के खेत में पानी पहुंचता था लेकिन अब किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचता है। आउट-लेट ऊपर लगा दिये हैं, कई जगह जो धोरे बने हैं, वे गलत बने हैं और पर्याप्त नहीं हैं लेकिन कैचमेंट होने के बाद कई स्थानों पर भूमि पड़त पड़ी है और सिचाई नहीं हो पाती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कैचमेंट में कीमतें कम करने का सरकार ने यहां आश्वासन दिया था वह कम की जाय और जो विसंगतियां हैं. लेवलिंग की धोरों की, नहरों और ड्रेनेज के बनाने के, उन सब विसंगतियों को दूर किया जाय और जो अधूरे काम पड़े हैं पुलियायें बनाने आदि के, उनको पूरा किया जाय ताकि ड्रेनेज वगैरह बनने से जो रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं, वे खुल सकें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सिचाई नहीं हो पाती है। उन क्षेत्रों में ट्यूब वैल या कुओं को गहरा करने की कोई योजना बनाकर उस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई जाय।

सभापति महोदय, दूसरा इनका सूत्र है एकीकृत ग्रामीण विकास मे 'पिछड़े को पहले'। इस योजना के अन्तर्गत इनका लक्ष्य था 827 का, जिसके विरुद्ध इन्होंने केवल 475 को लाभान्वित किया है जो बहुत कम है। इन योजनाओं के तहत जो लोन वगैरह दिये जा रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले लोन को विकास अधिकारी, बैंक के अधिकारी और डाक्टर मिलकर हजम कर रहे हैं

144

(श्री हीरालाल आर्य)

और इसके नाम पर मिलने वाली जो सब्सिडी थी, जो गरीबों को मिल रही थी, वह नहीं मिलकर उसका सीधा सादा गबन किया जा रहा है।

केशोरायपाटन क्षेत्र के ग्राम में जिस तरह की अनियमिततायें हुई हैं वहां के किसानों ने इसकी शिकायतें की है कि हमने कभी लोन लिया नहीं और हमारे नाम *गलत लोन लिखा हुआ है। अमित ट्रेडिंग कम्पनी, जो कि वित्त मंत्री की छाया में ही काम करती है, ने गलत लोन दिखाकर उसका पैसा....

श्री बृजसुन्दरशर्मा : कौनसी कम्पनी है भाई ?

श्री हीरालाल आर्य : जी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कम्पनी का नाम तो बताओ।

श्री हीरालाल आर्य : अमित ट्रेडिंग कम्पनी। जो डीजल पम्प और ट्रेक्टर आदि बांट रही है और किसान कहते हैं हमने लिये ही नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने कभी देखी नहीं वहां पर।

श्री हीरालाल आर्य : और किसान कहते हैं हमने कभी लोन लिया नहीं। नोटिस मिल रहे हैं और उनकी वसूलियां करते हैं। नाजायज तरीके से वसूलियां की जा रही हैं जो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

सभापति महोदय, "भूमिहीनों को भूमि" एक इनका सूत्र है चौथा। इसमें बूंदी जिले में 750 एकड़ भूमिहीनों को भूमि आवंटित की जानी थी जिसमें से केवल मात्र 333 एकड़ भूमि आवंटित की है। वह भी कैसे लोगो को ? वह भी ऐसे लोगों को जो प्रभावशाली हैं। गरीब लोगों को जमीन का अलाटमेंट नही किया गया है और यदि गरीबों को जमीन अलाट भी की गई तो वह विवादास्पद जमीन, जिन लोगों से सीलिंग से प्राप्त की है और जिन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। लेकिन आंकड़े शो करने के लिये जमीन अलाट कर दी जिससे वहां के किसान बड़े परेशान हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के विकास की बड़ी बात करती है और ढिंढोरा पीटती है लेकिन इन्होंने उनके नाम पर दिये जाने वाले छप्पर का जो अनुदान था उसमें केवल उनके पट्टे दिये हैं, जमीन तो एक भी व्यक्ति को नहीं मिली है। मेरे कोटा जिले की ग्राम पंचायत खातोली है, वहां सरपंच ने उन लोगों को पट्टे दिये हैं लेकिन क्योंकि वे दूसरे पक्ष के हैं इसलिये वहां भी मकान बनाने के लिये अनुदान नहीं दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का जितना शोषण हो रहा है, उनके साथ जितना अन्याय हो रहा है उसका एक उदाहरण आज सवेरे ही सदन में प्रस्तुत हुआ था। यदि इसके सबसे बड़े

---

* शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

कोई दोषी है तो वह है कांग्रेस सरकार क्योंकि ग्रधिक समय पर ये लोग सत्ता में रहे हैं ग्रौर ये लोग उनके नाम पर जीत कर ग्राते हैं। सबसे बड़ा ग्रन्याय यदि किसी ने किया है तो वह है कांग्रेस। सभापति महोदय, उनके साथ जो ग्रन्याय हुग्रा है, उसके मैं कुछ ग्रांकड़े देकर ग्रापके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सरकारी नोकरियों में ग्रारक्षण है 28 प्रतिशत -16 ग्रौर 12 प्रतिशत एस. सी. ग्रौर एस. टी. के नाम पर रिजर्वेशन है, लेकिन ग्राज तक कितने लोगों को ग्रारक्षण के विरुद्ध नौकरियां दी हैं, वह केवल नहीं के बराबर हैं। कई विभाग ग्रौर डिपार्टमेंट्स तो ऐसे है जिनमें एक भी ग्रनुसूचित ग्राति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है। ग्रब तक के ये ग्रांकड़े, सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल ग्रार्य : इन ग्रांकड़ों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में एस. सी. के व्यक्ति केवल मात्र 4.7 हैं ग्रौर एस. टी 0.94 प्रतिशत ग्रौर सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 2.03 प्रतिशत हैं। सैकण्ड ग्रेड की नौकरियों में एस. सी. के 7.37 प्रतिशत, एस. टी. के लोग 1.07 प्रतिशत ग्रौर सार्वजनिक क्षेत्र में 3.53 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी की नौकरियों में, जिसका कोटा तो पूरा किया ही जाना था क्योंकि ये लोग कहते हैं दूसरी श्रेणी में तो उपयुक्त केन्डीडेट नहीं मिलते हैं लेकिन तृतीय श्रेणी की नौकरी में भी ग्रभी तक इनको उपयुक्त केन्डीडेट नहीं मिले उनका भी प्रतिशत इस प्रकार है एस. टी. 12.55 प्रतिशत. एस. टी. 3.11 प्रतिशत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 10.30 प्रतिशत जो नहीं के बराबर है। इन ग्रांकड़ों से, सिद्ध है कि ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के लोगों को गुमराह किया गया है ग्रौर जो ग्रारक्षण के विरुद्ध नौकरियां दी जानी चाहिये थीं वह नहीं हैं।

इसी प्रकार एजूकेशन के क्षेत्र में 24 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं उनमें एस. सी. के लोग 14 प्रतिशत ग्रौर एस. टी. के लोगों का प्रतिशत केवल 6 है, जो नहीं के बराबर है। यह सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीटती है कि हम ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति व गरीब जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये उनको छात्रवृत्तियां दे रहे हैं लेकिन छात्रवृत्तियां कितनी दी जाती हैं वह ग्रपने ग्राप में बहुत कम हैं ग्रौर छात्रावास स्थापित करके उन छात्रावासों के माध्यम से इस वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाकर ग्रागे बढ़ा रहे हैं! लेकिन ग्रगर छात्रावासों की हालत देखें तो वह बहुत ही खराब है। उनमें ग्रावास ग्रौर भोजन की व्यवस्था जो दी जाती है. वह नहीं के बराबर है।

उन पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह इतना कम है कि उससे ग्रावास, भोजन, वस्त्र ग्रौर पुस्तक स्टेशनरी के सामान भी पूरे नहीं ग्रा पाते। सभापति महोदय, छात्रावास में जो पैसे दिये जा रहे हैं, 6 से 8 क्लास के बच्चों को वह

(श्री हीरालाल आर्य)

केवल 100 रुपये मात्र हैं और 9 से 11 तक तक की क्लास के बच्चों को 106 रुपये मात्र हैं जिनमें भोजन, आवास, वस्त्र व अन्य सुविधायें शामिल हैं। इसी तरह से पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए 6 से 8 तक के बच्चों को केवल मात्र 40 रुपये और 9 से 11 क्लास तक के बच्चों को केवल मात्र 60 रुपये। सभापति महोदय, यह पैसे इतने कम हैं कि बच्चे न तो ठीक तरह का खाना खा पाते हैं जिसके कारण वह कुपोषण के शिकार होते हैं और न ही इनको रहने की सुविधायें कर पाते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। स्टेशनरी का इतना कम पैसा है कि न तो पुस्तकें खरीद पाते हैं, न स्टेशनरी, कपड़े वगैरह खरीद पाते हैं। फलस्वरूप यहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह अक्सर अनुत्तीर्ण होते हैं या फिर तृतीय श्रेणी में पास होते हैं। इन छात्रावासों में अव्यवस्थाओं की शिकायत मैंने पिछली बार भी विधान सभा में उठायी थी और उसका जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इन वृत्तिकाओं में वृद्धि करेंगे लेकिन वह आश्वासन केवल आश्वासन रह गया और अभी तक वृत्तिकाओं में किसी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नही की गयी....

श्री सभापति : अब समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों की....

श्री सभापति : कृपया विराज जायें।

श्री हीरालाल आर्य : आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह सरकार बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि हम यह योजना बना रहे हैं, वह योजना बना रहे हैं लेकिन आज राजस्थान की आधे से अधिक जनता गरीब है और उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत है वह 75 और 85 के बीच का है और इनमें से कई सारे लोग तो इस तरह के हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे का भी जीवन....

(व्यवधान)

इस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें कहा कि ये लोग कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आजादी के इतने दिनों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकतायें भी प्राप्त नहीं कर सकें और कंगाली का जीवन जीने को बाध्य हों तो उनके नाम पर जीतकर आने वाली सरकार जो ढिंढोरा पीटती है वह उनको केवल गुमराह करती है। सभापति महोदय, इस तरह से इन पर अत्याचार दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं....

श्री सभापति : अब आप विराजें, आपका समय समाप्त हुआ। कृपया विराजें, माननीय सदस्य, विराजें। प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : उनके बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा एक मिनट में। स्वरोजगार योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कहने के नाम पर यह भी कह रहे थे कि हमारी इन्दिरा गांधी ने घोषणा

(श्री हीरालाल आर्य)

की थीं, स्वरोजगार योजना की भी घोषणा की थी उसमें आपने राजस्थान के लिए लक्ष्य तय किया था कि हम 15 हजार बेरोजगार लोगों को, युवकों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। कितने लोगों को अभी तक आपने रोजगार उपलब्ध कराया? हमारे कोटा जिले में 800 लोगों का स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य तय किया था। कई लोगों ने प्रार्थना पत्र भरे, भाग-दौड़ की लेकिन केवल मात्र 58 लोगों को अब तक रोजगार के लिए लोन उपलब्ध हो पाया है। इन्होंने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करके बैंकों को दे दिये लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वरोजगार योजना, और ट्राइसम योजना के अन्तर्गत जो आपने स्वीकृत करके प्रार्थना-पत्र बैंकों को दे दिये हैं उन बैंकों के आज वह युवक चक्कर लगा रहे हैं। उनको इन योजनाओं की मार्फत कोई लोन नहीं मिल पा रहा है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। यह आंकड़े देकर और बैंकों को भेजकर उनकी राशि स्वीकृत करके वाहवाही लूटना चाहो कि राजस्थान में आपने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, ये *गलत आंकड़े हैं। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस तरह की स्थिति है, दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है।

श्री सभापति : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में। आज हर चीज के भाव बढ़े हैं, सभापति महोदय, किसानों के काम में आने वाला खाद, संक्षेप में, सभापति महोदय....

श्री सभापति : अंकित न हो। कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, कन्क्लूड तो कर लेने दीजिए। दो मिनट में कन्क्लूड तो कर लेने दीजिए। उस बात का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री सभापति : मैं उनको तीन बार अवसर दे चुका हूं कन्क्लूड करने का।

श्री यदुनाथ सिंह : एक बार और। बड़ी सहृदयता की बात है।

श्री सभापति : आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि एक तरफ तो राजस्थान की हालत बड़ी खराब है, विकास के काम कुछ चल नहीं रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है....

एक माननीय सदस्य : फिर भी लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : फिर भी यह कहते हैं कि राजस्थान की जनता को बहुत राहत

---

* शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(148)

(श्री हीरालाल आर्य)

पहुंचा रहे हैं, यह ढिंढोरा पीटने वाली बात है। *गलत आंकड़े देकर यह अपने आपमें खुश हो लें लेकिन राजस्थान की जनता इनको समय पर बता देगी कि यह असत्य आंकड़े हैं।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें-10 मिनट। प्रारम्भ करें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, गत वर्ष की बकाया, इस साल के नये बजट के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले उद्योग और विकास के मामले में निवेदन करना चाहूंगा। आज उद्योगों की हालत राजस्थान में दयनीय है। जैसा कि देखने में आता है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो छोटे उद्योग हैं ईंट और चूने के, जिनको साधारण लोग करते हैं, जिनसे गरीब लोग अपना निर्वाह करते हैं आज उनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। आज सरकार द्वारा चूने पर लगाये हुए टैक्स को वापस लेने का वायदा करने के बाद भी टैक्स वापस नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से चूना उद्योग समाप्त प्रायः हो रहा है। सभापति महोदय, साथ ही साथ जहां गांवों में छोटे-छोटे ईंट के उद्योग हैं, प्रशासन जब शहरों की ओर गया, शहरी सीमा के किनारे पर जो छोटे-छोटे ईंट के उद्योग थे, उनको प्रशासन द्वारा बन्दकर दिया गया। आज हजारों मजदूर, जिनकी उदर पूर्ति का एक मात्र साधन ईंट बनाना था का वह साधन बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रकार राज्य सरकार को इस मामले में अच्छी तरह से सोच-समझ करके, जो टैक्स लगाया है उसको समाप्त करना चाहिये। उनके उत्थान के लिए योजना बनायी जाय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सवाईमाधोपुर क्षेत्र में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो छपाई का काम करते हैं। हमने गत सालों में राज्य सरकार से कुछ निवेदन किया, वहां लोगों को लोन दिलाया और लोन इस बात का दिलाया कि छपाई के औजार दिलायेंगे। उन लोगों ने कर्जा लिया, औजार खरीदे और उद्योग विभाग ने यह आश्वासन दिया कि जब आप इस प्रकार के औजार खरीदोगे तो आपको हम कपड़ा देंगे और कपड़ा देकर छपाई की कीमत देंगे और कपड़ा वापस ले लेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में उन पर हजारों रुपया कर्जा हो गया, सरकार ने उनको कपड़ा नहीं दिया। कभी देते हैं तो एक महीने में या तो 20 जोड़े या 25 जोड़े या 30 जोड़े। इस प्रकार से उनके जो पहले धन्धे चल रहे थे वह भी समाप्त हो गये और एक तरह से उलझन में पड़ गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि उन गरीबों की मदद करें, जो हजारों परिवार भूखे मर रहे हैं उनके लिए साधन उपलब्ध कराये।

सभापति महोदय, साथ ही साथ हाथ-करघा उद्योग के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने 20 पाइन्ट

---

* शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

प्रोग्राम के आधार पर करघा उद्योग को भी लोन देने की एक योजना बनायी है। गरीबी की रेखा के नीचे वाले या बुनकर लोगों को जो करघे दिये जायेंगे उन्हें 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जिन करघों को जो 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है उनकी कीमत मौजूदा सरकार में बैठे हुए अधिकारियों और मन्त्रियों ने मिल करके, सांठ गांठ करके जो करघा पहले 3000 में मिला करता था, 4500 रुपये कर दी, 5500 रुपये कर दी और इसमें 75 प्रतिशत अनुदान दे दिया। इस तरह से इसमें एक बहुत बड़ा गोलमाल है। वह जो करघे दिये जा रहे हैं वह स्वचालित है, न कि हाथ से चलाने के हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरमे निवेदन करना चाहूंगा कि वह करघे मशीन से चलने वाले हैं, हाथ से चलने वाले नही हैं। इसी प्रकार से गरीबों को अनुदान की राशि मिलने वाली है उसमें भी बीच में इस प्रकार की जो गड़बड़ है उसको समाप्त करें। इसकी जांच करायें और गरीबों के नाम पर दिए हुए पैसे गरीबों की जेब में पहुंचाये जायं।

(6.00 म.प)

सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार के माध्यम से चलने वाले हमारे राजस्थान सरकार के पास तीस उद्योग है। तीस उद्योगों में से आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 21 उद्योग तो वे हैं जो माइनस में हैं। 9 उद्योग ऐसे हैं जिनमें पांच में एक या दो प्रतिशत का प्रोडक्शन हुआ है और वे नुकसान में हैं। आज उद्योगों की हालत दयनीय हो रही है चाहे कुटीर हो, चाहे कोई सा भी उद्योग हो। साथ ही साथ मैं जयपुर उद्योग के मामले में भी निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि सम्माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है विकास के लिए विधान सभा में, वह स्वयं जानते हैं कि कि जयपुर उद्योग की क्या हालत है। आज जयपुर उद्योग मृत अवस्था मे घोषित किया हुआ है। मृत उद्योग की हालत में उसको घोषित किया हुआ है। आज उसमें रहने वाले कर्मचारियों को मैनेजमेंट द्वारा बुरी तरह से कुचला जा रहा है। वह दावा नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताऊं, पांच सात रोज पहले ही वहां की हरिजन विधवा महिला, जो 21 साल उम्र की थी, को मैनेजमेंट ने बिना नोटिस दिए निकाल दिया, क्योंकि वह कोर्ट में जा नहीं सकती थी। इस प्रकार से लोगों की हालत दयनीय हो रही है। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर उद्योग द्वारा जो सीमेन्ट का उत्पादन किया जा रहा है वह बिल्कुल ही खराब है हल्की है। मेरे जिले में जहां पर भी जयपुर उद्योग का सीमेंट काम में लिया गया है, 72 घण्टे तक पेच नहीं होता है। तीन दिन का जो फरमा ढाला जाता है, जब चुनाई की जाती है तो सीमेंट वापस आ जाता है। शिकायतें की हैं, फैक्ट्री वालों ने भी स्वीकार किया है कि वास्तव मे 72 घण्टे तक यह सीमेंट

(श्री हंसराज शर्मा)

पेंच नहीं होता। इस प्रकार के उद्योगों पर भी राज्य सरकार को ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वहां के काश्तकारों को या आम गरीब लोगों को महंगा सीमेन्ट ले करके काम में लेना पड़ता है, आने वाले समय में उनके कुएं और मकानों का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज उद्योगों की हालत दयनीय हो रही है। आए दिन। जब तक हम इस प्रकार की सख्ती का बर्ताव नहीं करेंगे, तब तक उद्योगों में लगने वाले पैसे का सदुपयोग नहीं होगा और हमारा यह जो राजस्थान है, आगे नहीं बढ़ सकेगा।

दूसरा मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कृषि का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि कृषि में बहुत उत्थान किया है, तिलहन में बहुत ज्यादा उत्थान किया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपने जो घोषणा की है कि यह सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेंगे, काश्तकारों को जो आपने यह कहा है तिलहन बहुत ज्यादा हमारी योजना से, ट्वण्टी पॉइन्ट प्रोग्राम से भी कई पर्सेंट आगे बढ़ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि काश्तकारों को केवल दो पानी दिया जाएगा। दो पानी की वजह से राजस्थान का काश्तकार नहरी जमीनों में गेहूं या इस प्रकार की अन्य फसल नहीं कर सका। पानी की कमी की वजह से अधिकतर तिलहन ही तिलहन का उपयोग किया है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि काश्तकारों को पांच या छः पानी गेहूं में देते तब भी आप पिलाई वही लेते पर आप दो पानी दे रहे हों, एक पलवा दे रहे हो, तब भी काश्तकार से वही पिलाई ले रहे हो। इसलिए यह बात गलत है। आपको इसमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। काश्तकारों को यदि आपने दो पानी दिया है तो दो पानी का पैसा लीजिए और छः पानी दिया है तो छः पानी का पैसा लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आखिर आपका तिलहन ज्यादा बढ़ा है तो गेहूं कम होगा क्योंकि गेहूं आपने बोने ही नहीं दिया। आपकी योजना ही नहीं थी कि गेहूं बढ़े। तो केवल एक सूत्र को पकड़ कर बैठे हैं कि कम से कम हमारा इतना प्रोडक्शन ज्यादा हो जाय। सभापति महोदय, मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में, यहां के विकास की दृष्टि से सिंचाई के साधनों की बहुत आवश्यकता है। मैंने गत बार भी निवेदन किया था कि आज राजस्थान में सिंचाई विभाग की हालत दयनीय है। उदाहरण के रूप में मेरे जिला सवाई माधोपुर में एक पांचना प्रोजेक्ट है जिसकी एक करोड़ और तीन लाख की योजना आज 22 करोड़ और 70 लाख की हो गई है लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आज उसका काम सिर्फ 33 पर्सेंट हुआ है। ट्वण्टी पाइन्ट प्रोग्राम में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए सिंचाई के नियमों में पांचना प्रोजेक्ट में 400 एकड़ की सिंचाई की घोषणा की है और यह आपकी उपलब्धियों में से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा,

(श्री हंसराज शर्मा)

केवल पांचना प्रोजेक्ट में उसके किनारे-किनारे पर 14 हैक्टेयर में पिलाई हुई है जबकि आपके ट्वण्टी पाइन्ट प्रोग्राम का जो कार्यक्रम है, जिला परिषद् का ट्वण्टी पाइन्ट प्रोग्राम का, उसमें चार सौ हैक्टेयेर की आपने घोषणा की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये *गलत अकड़े नहीं हैं? और यदि *गलत आंकड़े नहीं हैं तो मेरे पास जिला परिषद् की कार्यवाही है, ट्वण्टी पाइन्ट प्रोग्राम की कार्यवाही है, आप इसकी जाच कर लें। मैं साथ ही साथ आपको यह भी निवेदन करूंगा कि आज नहरों के मामले में जितने भी आपने छोटे-छोटे बन्धे बनाये हैं, छोटी योजनायें बनाई हैं, मध्यम योजनायें बनाई हैं, आप एक तो बता दीजिए जिस पर आप ने सिंचाई की हो। जब आप कह रहे हो कि गत वर्षों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा सिंचाई करेंगे, करेंगे कहां से? कौन सा नदी पर आपने बांध बनाया है? कौन सा आपने बन्ध तैयार किया है, कौन सा उसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ है? क्या पानी रवर वन गया? रबर नहीं बना, केवल आपने दो पानी दे करके पिलाई को ज्यादा घोषित कर दी और तिलहन पैदा कर दी और गेहूं की बात क्या कह रहे हो? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर सिंचाई विभाग के नाम पर पैसा दिया जाता है, नहरों के मेन्टीनेन्स के लिए पैसा दिया ता है। मैं आपसे एक ही जिले की बात कर रहा हूं, बाकी तो मुझे ध्यान नहीं है, सवाईमाधोपुर में इस साल नहरों की मेन्टीनेन्स के लिए 24 लाख रुपया दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 24 लाख में से साढ़े उन्नीस लाख तो केवल मजदूरी का खर्चा है और बाकी चार लाख का मेन्टीनेन्स का खर्चा है। क्या इस प्रकार से सिंचाई हो सकती है, क्या नहरों का मेन्टीनेन्स किया जा सकता है, क्या नहरों की देखरेख की जा सकती है? जो आपके डेली वेजेज के कर्मचारी हैं उन का आप भुगतान करते हैं और बजट बांधों के नाम पर देते हैं। इस प्रकार के राजस्थान में एक ही नहीं अनेक उदाहरण हैं। आप जहां भी देखेंगे सीमेन्ट का घोटाला, मोरेल में जावें, घोटाला। आपको ताज्जुब होगा, मोरेल के अन्दर पांच-पांच, छः छः लाख रुपये का एक साथ घोटाला है। आगे जब बजट आयेगा, जब डिमाण्ड आएगी तब, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे राजस्थान के बहुत ही ज्यादा योग्यतम मन्त्री हैं, वे यहां मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनके पास दोनों ही विभाग ऐसे हैं सिंचाई और पानी, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, जो है, वह बिल्कुल गलत है। काश्तकारों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, माननीय मन्त्री महोदय, बन्धों के लिए पैसे दो, लिफ्ट सिंचाई योजना बनाओ ताकि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक न एक

* शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

(152)

(श्री हंसराज शर्मा)

स्थान ऐसा है जहां बिना पिलाई के और बिना खाद के एक एकड़ में तीस मण ज्वार पैदा होती है। यदि वहां आप सिंचाई के साधन पैदा कर दो तो उन काश्तकारों को लाभ होगा। एक सिंगल क्षेत्र है वहां एक ही फसल होती है ज्वार की। पानी नहीं है लेकिन किनारे पर चम्बल बह रही है। दुर्भाग्य है कि सरकार ने इस बात को कभी नहीं सोचा कि चम्बल पर यदि सिंचाई की लिफ्ट योजना चालू कर दी जावे तो हजारों एकड़ की पिलाई हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको विकास के लिए सिंचाई की ओर ज्यादा ध्यान देना है और साथ ही साथ पैसा देते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि जो लोग इसको खा रहे हैं, जो डकैतों ने इसको लूट लिया है उससे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गए साल जिन पर मैंने चार्ज लगाया था उसी एक्स.ई.एन, उसी अधीक्षण अभियन्ता, और उसी ठेकेदार तीनों के तीनों ने मिलकर राजस्थान कैनाल पर एक करोड़ का काम ले लिया है। मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि वह त्रिकोणिये डकैत वहां पर भी पहुंच गए हैं। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो जैसे पांचना में पट्ट बिठा कर गए वैसे ही वह राजस्थान कैनाल का भी पट्ट बैठा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी बातें बताने के बाद भी राज्य कर्मचारियों पर एक्शन कौन लेता है! एक्शन लेने की क्षमता ही नहीं है। साथ ही साथ चाहे विकास का प्रश्न है, रोडों के मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान में आप पैसा लगाते हो लेकिन उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। राजस्थान में कौन सा स्थान है, आपके द्वारा यह रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, मुझे यह देख करके आश्चर्य होता है कि सवाईमाधोपुर जिले का राजस्थान में 26वां नम्बर है। एक लाख की पापुलेशन पर 72 किलोमीटर रोड है। सौ किलोमीटर के एरिया में दस किलोमीटर है। उस दृष्टि से पापुलेशन के आधार पर जो यह यह सारा का सारा निकाला हुआ है, यह आपके द्वारा बताया है, क्या यह स्थिति अच्छी है? क्या यह विकास का काम आपका अच्छा है? यह दुर्भाग्य की बात है। आप पैसा जो बजट में ले जाते हो वह पैसा कहां ले जाते हो? कहां रखते हो, उसका क्या उपयोग करते हो? आपने कितना किया है? इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि विकास के जो काम हैं वह सुचारु रूप से चलाओ। उनमें अच्छा पैसा दो और समय पर काम कराओ और जो अधिकारी बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं उनको आप पनिशमेंट दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, हमारे यहां बनास की पुलिया बन रही है। बनास की पुलिया का काम एक साल से बन्द है। कान्ट्रेक्टर का कण्डीशनल टेंडर है कि अगर सरकार की वजह से काम बन्द हुआ तो बढ़ी हुई रेट

(श्री हंसराज शर्मा)

पर राज्य सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। कई बार विधान सभा में मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, उनको कहा था कि अब इसकी कीमत चार गुना हो गई। इतना पैसा वहां पर लगा दिया और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? आप यह क्यों नहीं करना चाहते? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल में राजनैतिक घृणा और ईर्ष्या है। माननीय मन्त्री महोदय, राजनैतिक दृष्टि से काम मत करो। आप यहां हिन्दुस्तान में पैदा हुए हो, आज आप यहां हैं, कल हम आ सकते हैं। कल आप जा सकते हो, हम आ सकते हैं। यह कोई समय की किसी की पाबन्दी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आयुर्वेद मन्त्रीजी हाथ हिला रहे हैं....

श्री दिनेश डागी : अब तो सपना ही आयेगा, सभापति महोदय, अब वापस क्या आयेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में जो ××× हुआ, राजस्थान में दानदाताओं द्वारा हजारों मकान आयुर्वेद विभाग को दिये हुए हैं जिनकी आज तक उनके विभाग के नाम रजिस्ट्री नहीं हुई। काश्तकार ने जमीन दी उसके नाम जमीन पड़ी है, लगान वह दे रहा है, मेन्टीनेन्स के नाम से सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह करते क्या हैं, अधिकारी करते क्या हैं? हालांकि रात को जो धन्धा करते हो पांच बजे बाद वह तो जानता है सारा राजस्थान लेकिन दिन में क्या करते हो? कुछ तो सोचो। यह जो बिल्डिंग हैं आपकी, माननीय मन्त्री महोदय, धैर्य रखिए और भी कहूंगा ..

(व्यवधान)

श्री दिनेश डागी : सभापति महोदय, जो ये बोल रहे हैं उसका एक प्रश्न के जरिये जवाब पूछा है उसको रिपीट काहे को कर रहे हो, मैं उसका जवाब दूंगा जब टर्न आयेगी।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि उनको अपने कब्जे में लेना चाहिए और कब्जे में लेंगे तो आपको बजट मिलेगा....

श्री सभापति : मन्त्री जी कह रहे हैं कि इसका उत्तर वह दे देंगे।

श्री हंसराज शर्मा : लेकिन आप उनकी मेंटीनेंस नहीं कर सकते। जब आपके नाम ही नहीं है तो मेन्टीनेंस क्या करेंगे और पैसा कहां से देंगे। जो आपकी खातेदारी में नहीं है उसका नाम लिया है क्या कहीं? तो इस प्रकार से जैसा औषधालय की बात आई, माननीय मन्त्री जी को मैंने भी निवेदन किया कि हमारे इलाके का तो ध्यान रखना, कुछ न कुछ तो ध्यान रखना, कुछ न कुछ तो करना ही, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खैर, मुझे आपत्ति नहीं चाहे जैसे बांटों खाओ, पीओ, भैंस आपकी है खलिहान आपका है। बिगड़ेगा तो

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(154)

(श्री हंसराज शर्मा)

आपका और अच्छा होगा तो आपका। आप खाओ, पीओ, कुछ भी करो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, मैं तो कह ही सकता हूं। हालांकि राजस्थान में ट्रांसफर वाले मामले में आपने इतनी ख्याति प्राप्त की है कि वह राजस्थान के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। इतने आपके खिलाफ चार्जेज लगे हैं कि राजस्थान के इतिहास में किसी पर नहीं लगे होंगे। लेकिन बांटो खाओ, मुझे कुछ आपत्ति नहीं। तो, सभापति महोदय, दूसरा और निवेदन कर रहा था, हमारे यहां राजस्थान में विद्युत की हालत खराब है....

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, मैंने बहुत विधायकों को रिलीफ दी है, इनको भी रिलीफ दी है, इनके मन से पूछो, मेरे पास 3-4 बार आये। मैंने किसी भी विधायक को मना नहीं किया, चाहे वह किसी भी दल का हो।

श्री हंसराज शर्मा : समय आने दो, उसका भी तजुर्बा बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : काम ज्यादा आप करवाते हैं, फिर हाउस को गुमराह करते हैं। यह गलत बात है।

श्री बंसीलाल पटवा : इसमें क्या गुमराह कर रहे हैं? आपकी बारी आये तो आप बोलना।

श्री शिवराम शर्मा : आप डांगी जी के पास ट्रांसफर के लिये गये नहीं क्या?

श्री बंसीलाल पटवा : काम के लिये गये होंगे, मैं भी जाता हूं काम के लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह कोई तरीका है क्या? काम के लिए क्या छोटे दिल की बात कर रहे हो....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। श्री शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, क्षेत्र के विकास के लिए जाते हैं और कहते हैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। विधायक की दृष्टि से, राजस्थान के विकास की दृष्टि से हमारा अधिकार है, हमें कहना पड़ेगा। सरकार में रहेंगे, मन्त्री रहेंगे तो काम के लिए कहना पड़ेगा। आप मन्त्री बन जायेंगे तो आपके मकान भी टूटेंगे। आप भी अच्छे हो जायेंगे। इसलिये आप भी मंत्री बनो, आपसे भी कहते रहेंगे।

फिर मैं निवेदन कर रहा था, सहकारिता का जहां तक प्रश्न है, सहकारिता की हालत बड़ी खराब है, माननीय सभापति महोदय। आज सहकारिता की इतनी दयनीय स्थिति है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, जिन अन्त्योदयी लोगों को तदर्थ सहायता बांट रहे हैं, जिनको उदर पूर्ति का साधन दे रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। आपको ताज्जुब होगा, क्रय विक्रय संघ, सवाईमाधोपुर का आपको उदाहरण देना चाहूंगा, वहां के बोर्ड ने

(श्री हंसराज शर्मा)

निर्णय लिया है कि जिस सोसायटी ने बहुत बढ़िया काम किया है उसका प्रत्येक कर्मचारी 500-500 रुपये का ईनाम ले ले। वहां के एस. डी. एम. ने 500) लिए, वहां के मैनेजर ने 500) लिए, वहां के कर्मचारियों ने 500 500 रुपए लिए। मैं पूछना चाहता हूं जो एक आर. ए. एस. अधिकारी हो, आडिट इन्सपेक्टर वहां का इन्चार्ज हो, नियमों की अवहेलना करके इस प्रकार वहां की जनता का पैसा, किसानों की कमाई का पैसा, क्या उसको इस तरह बांटने का अधिकार है ? आपको ताज्जुब होगा जानकर, सहकारिता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज राजस्थान के कई बैंकों में मनमाने तरीके से अपाइन्टमेंट हो रहे हैं, मनमाने तरीके से गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। क्रय विक्रय संघ की आज यह हालत है। सभापति महोदय, जब समय आयेगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि क्रय विक्रय संघ में अधिकारियों से लेकर वहां के पदेन अधिकारियों तक ने लाखों रुपये के घोटाले किये। इन पर लाखों के चार्जेज हैं। जब समय आयेगा तो मैं बताऊंगा कि कितने कितने के मामले पड़े हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यदि आप चाहें तो....

श्री सभापति : बगैर नोटिस दिये आरोप नहीं लगावें कृपया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप एक बात के लिये दो बार नहीं कह सकते।

श्री हंसराज शर्मा : एक ही बात यह है कि चार लाख का घोटाला आपके मित्रों ने किया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज इस प्रकार की दयनीय स्थिति सरकार की हो रही है; इस ओर हमको जागरूक होना पड़ेगा। इस ओर ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान का दिवाला निकल जायेगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के सन्दर्भ में; निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट में वित्त मंत्री जी महाराज, आपने शिक्षा के लिये कुछ पैसा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज हिन्दुस्तान की संस्कृत मातृभाषा है। इससे आपकी कब से दुश्मनी हो गई ? आप तो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत की ओर ध्यान दिया क्या ? कम से कम आपको चाहिये था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले, हर कालेज में संस्कृत अनिवार्य हो, जहां यह विषय नहीं है वहां इसे खोलें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान में, संस्कृत की ओर हमारी सरकार उदासीन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान में 70-75-80 प्रतिशत तक हम लोग प्राइवेट पाठशालाओं को, संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान देते हैं। मैं पूछता हूं वहां पर इसका ज्यादा सदुपयोग है क्या ? जब आप 70-75 प्र. श. तक अनुदान देते हैं तो आप सरकार की तरफ से कालेज क्यों नहीं खोल सकते ? सरकार की तरफ से स्कूलों में संस्कृत की व्यवस्था क्यों नहीं

(श्री हंसराज शर्मा)

करते ? लेकिन सरकार इस ओर मौन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के उत्थान के लिये संस्कृत लागू करना अनिवार्य हो। हर कालेज में संस्कृत का सब्जेक्ट होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो स्कूल खोले हैं आपको ताज्जुब होगा, हमारे जिले में उन स्थानों पर सरकार ने स्कूल खोले हैं जिस समय कांग्रेस सरकार समाप्त हो रही थी, अंतिम सास ले रही थी, उस समय मरते आदमी जो गायें देते हैं वैसे ही गायें दे गये। उनको यह आशा नहीं थी कि मुर्दे भी जिन्दा हो जायेंगे। जब ये पुनः आये, मर गये तब तो गायें भूल गये और जिन्दा हो गये तो गायों को बांटना चालू कर दिया और स्कूल ऐसी जगह खोले जहां 50-60–70 लड़के नहीं, मिडल स्कूल में मकान नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग नहीं, शिक्षार्थी नहीं और स्कूलों का बवण्डर मचा दिया और उनमें × × × कर दिया। हमने शिक्षा विभाग से मांग की, जिला परिषद् ने मांग की, जन-प्रतिनिधियों ने मांग की। कृपया ऐसे स्थानों पर मिडल स्कूल खोलें जहां विद्यार्थी हों, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग हों। शिक्षा विभाग ने जो नीति निर्धारित की उसके, अनुसार खोलें लेकिन उन्होने जो मरते वक्त गायें दी थीं वे मर्जी आये, उस तरह से बांट दी। खैर, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे यह जरूर कहना है कि एक तरफ मिडल स्कूलों को खोल रहे हैं, दूसरी ओर आपको ताज्जुब होगा, कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं....

(व्यवधान)

आप कृपया मुझे निवेदन कर लेने दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मुझे कुछ नहीं कहना, और क्या कहेंगे आप ?

श्री हंसराज शर्मा : × × × मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है प्राइमरी स्कूलों के लिये इतना ही निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, स्कूलों की हालत क्या है ? इन्होंने कहा कि इतनी स्कूल खोली, बड़ी खुशी की बात है, शिक्षा की ओर ध्यान दिया। मेरे अकेले क्षेत्र सवाईमाधोपुर में ऐसे 85 स्कूल हैं। इसी असेम्बली के माध्यम से एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 85 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कक्षा 1 से पांच तक में छात्रों की संख्या 75 से अधिक है। अब आप आइडिया लगा लीजिये उनको एक मास्टर क्या पढ़ा पायेगा। इस प्रकार मुर्गीखाना या दड़बा खोलने से काम नहीं चलेगा। आपको अध्यापक लगाना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है, जब मास्टरों की मांग करते हैं, कितने मास्टरों की कमी है ? साढ़े तीन सौ की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आखिर हालात क्या है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां विद्युत का जो प्रश्न है वह एक अहम् प्रश्न है। आपको यह

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

जानकर ताज्जुब होगा....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को तो कमीशन खाने और खिलाने की आदत हो गयी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आज विद्युत विभाग की हालत के लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के विद्युत विभाग ने एक सरक्यूलर निकाला है। यदि मोटर चलानी है तो उसको केपेसिटर लगाना कम्पलसरी होगा। यह आर्डिनेन्स निकाला है। इसके आधार पर जिन काश्तकारों ने केपेसिटर नहीं लगाये, उसमें सारे राजस्थान में हजारों किसानों के कनेक्शन काट दिये। उनको कनेक्शन तभी मिले जब उन्होंने केपेसिटर लगा लिये। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान में लाखों की तादाद में केपेसिटर के पैसे विभाग में जमा हैं और केपेसिटर सरकार के पास नहीं हैं। पैसा जमा कर लिया। ज्यों ही पैसा जमा हुआ, केपेसिटर के बिना कनेक्शन कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने केपेसिटर लगाना कम्पलसरी कर दिया तो फिर आपके विभाग को केपेसिटर की व्यवस्था करनी चाहिये था। केपेसिटर का परपज ही यह है कि मोटर नहीं जले और ..वर का सदुपयोग हो। जिस परपज से आपने अनिवार्य किया था उसमें अनिवार्यता के आधार पर काश्तकार की मोटर पर केपेसिटर लगाना आवश्यक था लेकिन सरकार ने नहीं लगाया। सरकार के पास काश्तकारों का करोड़ों रुपया जमा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि यहां तक भी है कि उसमें बहुत बड़ा घपला है। एक ही कम्पनी का केपेसिटर यह लोग लगाते हैं। यदि कोई प्राइवेट ले जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यह अधिकारी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि जिस कम्पनी का केपेसिटर यह लगाना चाहते हैं उसके साथ अधिकारियों की सांठगांठ से लाखों रुपया कमीशन का तय हुआ है। उससे बढ़िया कम्पनी का केपेसिटर भी आप ले जायें तब भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाये। इसमें जो अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने 30/40 केपेसिटर को फोड़ कर देखा है, सब में मिट्टी भरी हुई है।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सारे मामले की ओर ध्यान देना होगा, राजस्थान के विकास के लिये। शिक्षा, सिंचाई और यहां के छोटे-छोटे उद्योगों के ऊपर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जो मांगें स्वीकार की हैं उसका

(158)

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं विरोध करता हूं। मैंने जो निवेदन किया है, उसको आप स्वीकार करेंगे, उसका जवाब देंगे। साथ साथ मैं आयुर्वेद मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि वे समय निकाल कर यहां पर बैठे।

श्री सभापति : श्री अमराराम। एक मिनट का समय दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसे ही किसान बोलने के लिये खड़ा हुआ वित्त मंत्रीजी ने कह दिया।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आज हम बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इस पर ही हमारे ग्रामों का विकास निर्भर है। 50 ऐसी पोस्ट हैं जो पंचायत समितियों में खाली पड़ी हैं विकास अधिकारियों के अभाव में। विकास अधिकारियों के लिये मंत्री महोदय ने आदेश दिया, महीना भर हो गया लेकिन डायरेक्टर, कमिश्नर की हठधर्मी के कारण इन विकास अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, 236 पंचायत समितियां है जिन में से अभी जो इन्होंने चयनित नहीं किया है, इन्होंने अपनी लिस्ट में कोई चयनित वर्ड नहीं लिखा है। जो 13-13 साल से विकास अधिकारी लगे हुए थे....

श्री सभापति : विनियोग विधेयक पर बोल रहे हैं ?

श्री अमराराम चौधरी : बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर। उन विकास अधिकारियों को निकाल दिया गया जिनका आदेश मंत्रीजी ने कर दिया। उसके बाद भी महीने भर से पोस्ट खाली पड़ी हैं। उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे बीस सूत्री का कार्यक्रम की क्रियान्विति गांवों के अन्दर जिस तेज गति से होनी चाहिये वह नहीं हो रही हैं। क्योंकि वहां पर मामूली एस डी ओ. काम को देख रहा है या कोई हैड क्लर्क काम चला रहा है, कोई अधिकारी नहीं होगा तो काम कैसे होगा ? शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब के 236 पंचायत समितियों में 236 पोस्टों के आधार पर 66 होने चाहिये जिसमें से 38 शिडयूल्ड कास्ट और 28 शिडयूल्ड ट्राइब के हों जिनमें से 13 पहले से लगे हुए थे उन सबको निकालकर सिर्फ 7 आदमियों को ही लिया और बाकी के जो 6 आलरेडी नियुक्त थे, वे जो काम कर रहे थे 15/15 साल से उनको निकाल दिया। इनमें से 4 शिडयूल्ड कास्ट और 3 शिडयूल्ड ट्राइब के लिये, जबकि 66 लेने थे। उनमें से 7 लिये हैं। इस प्रकार से 59 पोस्टें और होती हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम तेजी से चले, गांव के अन्दर जो हम पंचायती राज का रूप देना चाहते हैं, जो वहां पर अच्छे अधिकारी थे, बहुत अच्छा काम करते थे, काम हो रहा था, उन अधिकारियों के आदेश जो एस. टी., एस सी. के लिये

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

हैं उन ग्रादेशों को महीना भर हो गया, पोस्ट खाली हैं, मंत्री के ग्रादेश के बाद एक डायरेक्टर की यह हिम्मत, एक कमिश्नर की यह हिम्मत कि उसको रोक रखा है। जब तक यह ग्रधिकारी नहीं होंगे, तब तक यह विकास का कार्य नहीं होगा इन पंचायत समितियों में। यह फाइनेन्सियल ईयर खत्म हो रहा है, विकास ग्रधिकारी नहीं हैं, उनका सारा काम बाबू नहीं कर सकता है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इस फाइनेंसियल ईयर में सारे काम ग्रधूरे हैं, पूरे नहीं होंगे।

इसके ग्रलावा ग्रापने जो बजट पेश किया वह बहुत ग्रच्छा है लेकिन मैं एक ग्रर्ज करना चाहूंगा। इसमें ग्राप महिलाग्रों के लिए हायर सैकण्डरी को महत्ता दे रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने दो घोषणाएं की एक तो जैतारण में की थी ग्रौर हमारे बालोतरा में ग्राश्वासन दिया था लेकिन ग्रापके बजट में बच्चों के हायर सैकण्डरी नहीं है। मेरे यहां 100 किलोमीटर में लड़कों की हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर में 500 लड़कियां पढ़ रही हैं। मैं चाहूंगा, इसमें कम से कम 2-4-5 साल से यह लगातार कह रहे हैं कि लड़कियों का हायर सैकंडरी स्कूल होना चाहिये, इस पर विचार करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वित्त मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, हम ग्राज सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाये गये हैं जो पर्टीकूलर डिमाण्ड से ताल्लुक रखने वाले थे इसलिए मुझ से यह ग्रपेक्षा नहीं की जानी चाहिये कि सारे डिपार्टमेन्ट की जितनी भी बातें ग्राई हैं उन सबका जवाब मैं ग्राज ही दे दूंगा। लेकिन मैं यह जो दो–तीन बातें ग्राई हैं, जिसमें एक यह ग्रायी है कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की क्या जरूरत पड़ी ग्रौर ग्राप क्यों सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट रखते हैं, ग्रापको बजट बनाना नहीं ग्राता है ग्रौर बजट ठीक तरह से नहीं बनाते है। ग्राम तौर पर क्या होता है कि हम को कभी-कभी ऐसे ग्रनफोरसीन एक्सपेन्डीचर करने पड़ते हैं जिनका बजट में उचित प्रावधान नहीं होता। कभी-कभी क्या होता है हमारी जो ग्रोवर ड्राफ्ट की लिमिट से हमें ग्रागे जाकर के बैंक से लोन लेना पड़ता है, उसके लिए भी जितना हम लेंगे, जितनी बार हम लेंगे वह सब इसमें गिना जाता है ग्रौर वह सब सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड में ग्राता है इसलिए वह सारी की सारी रकम बढ़ जाती है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कुछ ग्रांकड़े मैंने संकलित किए हैं जिसमें 1978–79 में 18.34 पर्सेन्ट, 1979–80 में 15.37 पर्सेन्ट, 1980–81 में 41 73 पर्सेन्ट, 1981–82 में 26 65 पर्सेन्ट 1982–83 में 19.96 पर्सेन्ट ग्रौर 1983 84 में 12.71 पर्सेन्ट का ग्रन्तर रहा है। तो हमने उसी लिमिट में रखा है, जहां तक ग्रावश्यकता पड़ी है उसी के लिए हमने ग्रान्ट के लिए प्रोविजन किया

160

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

है इसलिए कोई फालतू की बातों में फस करके ..

(6.32 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट ली हो, ऐसी बात नहीं है।

माननीय यदुनाथ सिंहजी ने कई बातें कही हैं जिसमें कैपिटल फार्मेशन की बात भी कही है। हर स्टेट का ग्रोब्जेक्ट तो यह होना चाहिए कि कैपिटल फार्मेशन के लिए कुछ न कुछ बचे लेकिन जब इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात होती है ग्रौर जब हम ग्रपने देश के विकास के लिए, डवलपमेन्ट के लिए लोन लें, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स के जरिये या किसी भी तरह से ग्रौर फाइनेन्स जुटा कर जब इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तभी जाकर उससे जो ग्रामदनी ग्रायेगी उससे कैपिटल फार्मेशन होगा ग्रौर कैपिटल फार्मेशन होकर सारे का सारा डेट चूकेगा। इसलिए यह कैपिटल फार्मेशन के लिए सारे का सारा जितना भी बजट है, यह जितना भी ग्राज के दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वह सब कैपिटल फार्मेशन के लिए है ताकि हमारी ग्रागे ग्राने वाली पीढ़ी उस कैपिटल फार्मेशन का फायदा उठा सके ग्रौर जो कुछ भी ग्राज हम खर्च कर रहे हैं उसका उनको लाभ मिल सके। इनमें हमने प्रायोरिटी ईरिगेशन को, एग्रीकल्चर को, इलैक्ट्रिसिटी को दी है। हमारे माननीय सदस्य महाराम साहब ने कहा कि ग्राप तो खेती की बात ही नहीं करते। खेती के लिए बहुत कम रुपया रखा है, इससे ज्यादा रख नहीं सकते। ग्रापने फरमाया कि पशु प्रजनन ठीक नहीं होता है, उनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो मैंने ग्रापकी मुलाकात हमारे सांडों के मंत्री जी से करवा दी है। ग्रागे जब उनकी डिमाण्ड का टाइम ग्रायेगा तब वे ग्रच्छी तरह से....

श्री महाराम चौधरी : ग्रापके पैसों का उपयोग ठीक नहीं हो रहा है इसलिए ग्रापको निवेदन करने की ग्रावश्यकता पड़ी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा यह है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी डिमाण्ड्स हैं उसमें कई तो चार्ज्ड है, कई वोटेड हैं। जैसा पहले मुझे तो ताज्जुब ही हुग्रा हमारे मुखियाजी महाराम जी जानते नहीं थे चार्ज्ड ग्रौर वोटेड क्या होता है इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद भी। लेकिन फाइनेन्स की चीज है इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा खर्च होता है जो ग्राल-रेडी चार्ज्ड में है, उसका वोट नहीं लिया जाता ग्रौर जो वोटेड होते हैं उन पर ही वोट लिया जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने ग्रनुपूरक मांगों की जो पुस्तिका निकाली है ग्रगर ग्राप उसको ध्यान से पढ़ेंगे ग्रौर शायद पढ़ी होगी तो उसमें हर मांग के नीचे यह दिया हुग्रा है कि इसमें यह क्यों मांग ग्राती है, किस कारण से मांग ग्राती है। यह मैं समझता हूं बजट का एक ऐसा डाक्यूमेन्ट है...

श्री महावीर प्रसाद : ज्यादा कारों के खर्चे के लिए, कोई टेलीफोन के खर्चे के लिए, कोई मेन्टीनेन्स के लिए....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है इसको देखकर अगर चला जाय तो डिमाण्ड के जवाब में आ जाता है। मेरा निवेदन है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मौज मस्ती को छोड़ देंगे....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर मौज मस्ती का खर्चा करते हैं, मेहमाननवाजी का खर्चा करते हैं, सदन की इजाजत से करना पड़ता है, सदन की इजाजत से ही करते हैं। यह तो छोटी सी बात है, बगैर सदन की मन्जूरी के खर्चा नहीं किया जाता। यहां पर मैंने देखा एक्सेस ग्रान्ट 76-77 में जब आडिट हुआ, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी बैठी, आडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी उस पर एतराज कर दिया। मतलब ऑडिट हो जाती है तो उसकी भी बजट की पूर्ति होती है। यह एक्सेस डिमाण्ड का बजट एक्सेस पूर्ति के लिए होता है। वह बजट की पूर्ति के लिए आज भी सदन से इजाजत लेनी पड़ती है। कोई भी खर्चा जो कंसोलिटेड फण्ड से होता है वह बगैर सदन की मन्जूरी के, बगैर सदन से पास करवाये नहीं हो सकता। इसलिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सदन के सामने जो विनियोग विधेयक रखा है, सदन इसे पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-3) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-3) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6.57 बजे बुधवार दिनांक 28 मार्च, 1984 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 340 की सूची

प्रशिक्षकों की सूची

केन्द्र	खेल	प्रशिक्षक का नाम राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान	राराक्रीप	योग
1	2	3	4	5
जयपुर	एथलेटिक्स	श्री रामसिंह अहलूवालिया	श्री पोकर मल	
	बैडमिण्टन	श्री एच. सी. भार्गव	—	
	बास्केटबाल	—	श्री विक्रम सिंह	
			श्री रतन मल्होत्रा	
	क्रिकेट	—	श्री शाकिर हुसैन	
			श्री विनय मेहता	
			श्री अशोक जोशी (पार्ट टाइम)	
	साइकलिंग	—	श्री ललित कुमार छंगाणी	
	फुटबाल	श्री एस. के. शर्मा	श्री जसवन्त सिंह	
	जिम्नास्टिक	श्रीमती उषा किरण	—	
	हाकी	कु० मीना शर्मा	श्री जरनैल सिंह	
			श्रीमती विमला शर्मा	
	जूडो	श्री गुरमेल सिंह	—	
	कबड्डी	कु० जसबीर कौर	श्री किशोरी लाल यादव	
	खो-खो	—	श्री भीम कुमार शर्मा	
	टेनिस	श्री आर. सी. आनंद	श्री के. एन. क. (पार्ट टाइम)	
			श्री के. जी. पजद्दानी (पार्ट टाइम)	

1	2	3	4	5
	तैराकी	—	कु० रुक्मणी चतुर्वेदी	
	टेबिल टेनिस	—	श्री ईश्वर लाल (पार्ट टाइम)	
	वालीबाल	—	श्री डी. एस. रंधावा श्रीमती उर्मिला पोकर	
	भारोत्तोलन	—	श्री पी. डी. लोदी श्री राम रतन धाभाई	
	कुश्ती	श्री बी. एस. बेनीवाल	—	
	योग	—	श्री जगदीश प्रसाद (पार्ट टाइम)	
	पर्वतारोहण	—	श्री सुरेश पाण्डे (पार्ट टाइम) श्री के. एन. सिंह (पार्ट टाइम)	
				32
बीकानेर	एथलेटिक्स	श्री सुखमिन्दर सिंह	—	
	बास्केटबाल	—	श्री मदनसिंह (पार्ट टाइम)	
	साइकलिंग	—	श्री रामदेव शर्मा	
	फुटबाल	—	श्री सीताराम शर्मा	
	हाकी	—	श्री जसबीर सिंह	
	खो–खो	—	श्री केवल चन्द (पार्ट टाइम)	
	जिम्नास्टिक	श्री एम० एस० शेखावत	—	
				7
श्रीगंगानगर	एथलेटिक्स	श्री जी० एस० राई	श्री गुरजन्त सिंह (पार्ट टाइम)	
	फुटबाल	—	श्री मेघ सिंह	

(164)

1	2	3	4	5
	हाकी	—	श्री एम० एस० ग्रार	
	वालीबाल	—	श्री गुरजीतसिंह (पार्ट टाइम)	
	कुश्ती	—	श्री ग्रार० एन० शर्मा	
				6
जोधपुर	बाक्सिग	—	श्री शक्तिसिंह	
	साइकलिंग	—	श्री राम कुमार जोशी	
	टेबिल टेनिस	—	श्री ग्रानन्द सांखला	
	टेबिल टेनिस	—	श्री हीरालाल गहलोत (पार्ट टाइम)	
				4
चित्तौड़गढ़	बास्केटबाल	—	श्रीमती सुशीला विश्नोई (पार्ट टाइम)	
	क्रिकेट	—	श्री नरेन्द्रसिंह सिसोदिया (पार्ट टाइम)	
	कुश्ती	—	श्री ग्रनिरुद्ध सिंह भाटी	
				3
कोटा	एथलेटिक्स	महेश सैनी	—	
	बैडमिण्टन	एस० एस० मिश्रा	—	
	बास्केटबाल	मुकुल शर्मा	—	
	फुटबाल	—	शम्भूसिंह हाडा (पार्ट टाइम)	
	हाकी	—	गोपाल कृष्ण ,,	
			बी० एम० सिंह	6
उदयपुर	बैडमिण्टन	माया चावत	—	
	बास्केटबाल	—	श्री बी० एस० शेखावत	
	क्रिकेट	—	श्री सुरेन्द्र सिंह	

1	2	3	4	5
	फुटबाल	—	श्री जी० एस० राठौड़	
	टेबिल टेनिस	श्री बी० एस० चावत	—	
	वालीबाल	—	कु० सुशीला सुखवाल	
	भारोत्तोलन	श्री एस० सी० गोयल	—	
	कुश्ती	श्री के० के० सनाढ्य	—	
				8
अजमेर	बैडमिण्टन	—	श्री राज भार्गव (पार्ट टाइम)	
	क्रिकेट	श्री डी० एल० नागर	—	
	फुटबाल	—	श्री एम०एल० विनावरा	
	जिम्नास्टिक	श्री एन० एन० माथुर	श्री मेहर चन्द	
	खो-खो	श्री एस० एस० शर्मा	—	
	टेबिल टेनिस	भवानी मुकर्जी	—	
	भारोत्तोलन	—	श्री अशोक चौरासिया (पार्ट टाइम)	
				8
भीलवाड़ा	एथलेटिक्स	—	श्री हरिशंकर शर्मा	
	वालीबाल	—	श्री जम्मिलुद्दीन (पार्ट टाइम)	
				2
अलवर	एथलेटिक्स	—	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	
				1
पिलानी	एथलेटिक्स	—	श्री मानसिंह (पार्ट टाइम)	
सीकर	बास्केटबाल	—	श्री ईश्वरसिंह	
	वालीबाल	श्री सूरजमल हूडा	—	
				2

166

1	2	3	4	5
झुन्झुनू	बास्केटबाल	—	श्री किशन सिंह	
	कुश्ती	—	श्री आर० सी० बुन्देला	
सवाईमाधोपुर	फुटबाल	—	श्री शकूर मोहम्मद (पार्ट टाइम)	
	वालीबाल	श्री एस० के० मिश्रा	—	
				2
चूरू	जिम्नास्टिक	—	श्री अमरसिंह	1
भरतपुर	हाकी	कु० गुरमीत कौर	—	
	कुश्ती		श्री बाबूसिंह (पार्ट टाइम)	
				2
कांकरोली	हाकी	—	श्री सी० डी० सिंह	
	कुश्ती	—	श्री दामोदर बागोरा	
				2
बगड़	कुश्ती	—	श्री महासिंह (पार्ट टाइम)	
				1

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची

नाम पंचायत समिति	क्र. सं.	नाम सरपंच एवं ग्राम पंचायत	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
केशवराय पाटन	1.	श्री भूरालाल भू.पू. सरपंच, ग्राम पंचायत चरडाना	आबादी भूमि के विक्रय में नियमों का पालन न कर अनियमितता की है।	दिनांक 26–8–71 को उप जिलाधीश, बून्दी को विस्तृत जांच करने हेतु जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
केशवराय पाटन	2.	श्री छीतर लाल सरपंच ग्राम पंचायत, आजन्दा	निर्माण कार्यों के गलत मस्टरोल भरना।	दिनांक 3–2–83 को विस्तृत जांच हेतु उप जिलाधीश, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
केशवराय पाटन	3.	श्री गोपी लाल, भूतपूर्व सरपंच जैथल	सचिव को 50/- रूपये का मुगतान दिखाया गया, परन्तु सचिव के न तो प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं और	दिनांक 6-12-67 को उप जिलाधीश, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5
			न ही उसने राशि प्राप्त की है। इस प्रकार सरपंच ने रकम का दुरुपयोग किया है।	हुई है।
केशवराय पाटन	4.	श्री राम किशन, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, रड़ी	पंचायत समिति से प्राप्त एक हजार रुपये की अनुदान राशि तथा जन सहयोग की राशि का व्यय कुई खुदवाई पर फर्जी बता कर गबन व कर्त्तव्य पालन में दुराचरण किया।	विस्तृत जांच हो चुकी है। मामला राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है। पंचायत की रोकड़ मांगी गई है जो प्राप्त नहीं हुई है।
हिण्डोली	5.	(क) श्री अमीर मोहम्मद भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सूथर	(क) निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति द्वारा दी गई अनुदान राशि का निर्धारित समय में उपयोग न कर पद का दुरुपयोग करना, अनुदान राशि का निजी कार्यों में उपयोग करना, पंचायत की बैठक के आयोजन में नियमों का उल्लंघन करना	दिनांक 9-2-76 को उप जिलाधीश, नैनवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
			एवं पंचायत का अंकेक्षण नहीं करवाना ।	
हिण्डोली	(ख) श्री अमीर मोहम्मद भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सूंथर		(ख) राजकीय राशि की वसूली में बाधा उत्पन्न कर पद का दुरुपयोग करना ।	दिनांक 10-11-75 को उप खण्ड अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
हिण्डोली	6. श्री पदम सिंह, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत टोकड़ा		कर्त्तव्यों की पालना नहीं करना तथा पद का दुरुपयोग करना ।	दिनांक 19-11-79 को उप जिलाधीश, नेनवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
हिण्डोली	7. श्री भंवर लाल व्यास, सरपंच, ग्राम पंचायत, दबलाना		आडिट रिपोर्ट के आधार पर गबन का मामला होना प्रतीत हुआ है ।	दिनांक 8–12–83 को जिलाधीश से आरोप-पत्र व आडिट रिपोर्ट मंगवाई गई है।
,,	8. श्री शिवराज सिंह, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, रोनीजा		तालाब की भूमि पर आंवटियों को कब्जा नहीं करने दिया व अपने पक्ष के व्यक्तियों से अतिक्रमण करवा कर पद का दुरुपयोग किया ।	दिनांक 5–6–70 को उप खण्ड अधिकारी, नैनवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

169

(170)

1	2	3	4	5
हिण्डोली	9. श्री प्रभु लाल, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, मेडी	पंचायत समिति द्वारा दिये गये खाद्य बीज का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही राशि जमा कराई गई।		दिनांक 4–3–80 को उप जिलाधीश, नैनवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
हिण्डोली	10. श्री बिरधी लाल, सरपंच ग्राम पंचायत, बड़ोदिया	साम्प्रदायिकता फैलाकर पद का दुरुपयोग करना।		प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 30–6–83 को प्राप्त हुआ है। मामला सुनवाई में चल रहा है।
तालेड़ा	11. श्री राधा किशन, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, नीमकाखेड़ा	पंचायत कोष को हानि पहुंचाना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना एव अधिकारों का दुरुपयोग करना।		दिनांक 24–10–77 को उप जिलाधीश, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
,,	12. श्री देवी शंकर, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, छत्रपुरा	अपराध अन्तर्गत धारा 408, 420 467 आई. पी. सी.		चालान की स्वीकृति दिनांक 29–3–64 को दी गई।
,,	13. (क) श्री कल्याण लाल भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, छत्रपुरा	भूमि आंवटन में अनियमितताएँ एवं पद का दुरुपयोग करना।		दिनांक 7–2–79 को उप जिलाधीश, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

171

1	2	3	4	5
	(ख) श्री कल्याण लाल भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, छत्रपुरा	पंचायत का ग्राडिट न करवाना, काइन हाउस का हिसाब पेश न करना, पद का दुरुपयोग करना एवं पंचायत की बैठकें समय पर नहीं बुलवाना।		दिनांक 27–9–76 को उप जिलाधीश, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
तालेड़ा	14. श्री उदय सिंह, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, लाम्बाखो	पंचायत की राशि का अपहरण करना एवं आदेशों की अवहेलना करना।		दिनांक 17–3–80 को उप खण्ड अधिकारी, बून्दी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, परन्तु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
,,	15. श्री बोदू लाल, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत डोरा।	कृषि भूमि के अनियमित आवंटन में योगदान देकर कर्त्तव्य पालन की उपेक्षा।		सरपंच को दिनांक 24–8–86 को आरोप पत्र दिया गया। स्पष्टीकरण दिनांक 16-9-68 को प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण के कुछ मुद्दों पर जिलाधीश का प्रतिवेदन दिनांक 16-10-68 को चाहा गया था जो प्राप्त नहीं हुआ है।
,,	16. श्री हजारी लाल भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, डाबी।	दण्डनीय अपराध करना, पद का दुरुपयोग करना व दुराचरण करना		विस्तृत जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 3–11–78 को प्राप्त हो चुका है। मामला राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है।

1	2	3	4	5
नैनवा	17. श्री भंवर लाल भूतपूर्व सरपंच ग्राम पयायत सिसोला		पद का दुरुपयोग, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा एवं सिवाय चक भूमि पर 28 व्यक्तियों को नाजायज तौर पर पट्टे दिलवाना।	विस्तृत जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच प्रतिवेदन दिनांक 9–11–79 को राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है। जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोप सिद्ध होने नहीं पाये गये हैं। अतः जिलाधीश से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।
नैनवा	18. श्री गिरीज प्रसाद, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आतरदा		जालसाजी करना, पंचायत कोष को हानि पहुंचाना एवं पंचायत कोष से धनराशि का अपहरण करना।	दिनांक 30–11–82 को जिलाधीश से आरोप पत्र मांगा गया है।
”	19. श्री गोपालसिंह, भूतपूर्व सरपंच, पंचायत, पीपल्या		स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 1977–78 से 1980–81 की अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गबन आदि के मामले सामने आये हैं।	दिनांक 11–4–83 को जिलाधीश को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लिखा गया है।
”	0. श्री राम करण मीना, सरपंच ग्राम पंचायत, समिधि।		राजस्व रिकार्ड में हेरा फेरी करना।	दिनांक 14–2–84 को जिलाधीश से आरोप पत्र तथा जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई है।

1	2	3	4	5
नेनवा	21. श्री हनुमान प्रसाद,	सरपंच ग्राम पंचायत, तलवास	काम के बदले अनाज योजना में अनियमितता करना व पंचायत की राशि का गबन करना ।	दिनांक 12-8-83 को सरपंच को आरोप पत्र दिया जाकर दिनांक 12-8-83 को निलम्बित कर दिया गया है
"	22. श्री माधोलाल, भूतपूर्व	सरपंच ग्राम पंचायत सादेडा ।	पंचायत का कार्यालय अपने मकान पर रखना तथा अपने लड़के को सचिव पद के वेतन का गलत भुगतान करना आदि ।	विस्तृत जांच प्रतिवेदन 9-6-78 को राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है। मामला सुनवाई में राज्य सरकार के समक्ष चल रहा है। अगली तारीख 4-4-84 नियत है।

(174)

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

गंतां डिस्ट्रीब्यूटरी की नहरें

347. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में व सुल्तानपुर क्षेत्र में नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचने की समस्या हमेशा रहती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त समस्या के स्थाई हल करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार गंतां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली विभिन्न नहरों की समस्या दूर करने हेतु रामपुरा व हथोली के बीच से इटावा ब्रांच केनाल से नहर निकाल कर ककरांवदा डिस्ट्रीब्यूटरी में मिलाने हेतु आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शीर्ष व मध्य के काश्तकार अनाधिकृत रूप से निर्धारित हिस्सेदारी से भी अधिक भूमि में सिंचाई करते हैं जिसकी वजह से नहरों की टेलों पर पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। उक्त कठिनाई को दूर करने हेतु राजस्थान इरिगेशन एवं ड्रेनेज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर काश्तकारों में अनुशासन उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

बिक्री कर की बकाया वसूली

348. **श्री जगन सिंह** (बयाना) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन किन उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पचास हजार से अधिक बिक्री कर किस-किस अवधि से बकाया पड़ा है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में उक्त राशि को वसूल करने के लिये क्या-क्या प्रयास किए गए ?

उत्तर

(1) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 1983 तक 50,000/– रुपये से अधिक विक्रीकर जिन उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बकाया पड़ा हुआ है, उसकी खण्डवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पिछले 3 वर्षों में उक्त राशि की वसूली के लिए सामान्य प्रयासो के अतिरिक्त विशेष वसूली अभियान भी चलाये गये।

175

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी वसूली विभिन्न न्यायालय अधिकारियों द्वारा स्थगित है प्रति० आयुक्त/राजस्व मण्डल

क्र सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर जोन	विशम्भर लाल एण्ड कं०	24–7–82	83500.00
2.	,,	गुलाब दास देवकिशन	24–6–82	59823.00
3.	,,	सकलेचा ब्रदर्स	28–8–75	181784.43
4.	,,	नोर्दन रेलवे	28–2–82	40387.93
5.	,,	राजस्थान मेटल इण्डस्ट्रीज	1–4–82	206219.04
6.	,,	अरुण इण्डस्ट्रीज सुमेरपुर	15–2–77	114951.13
7.	,,	केशोराम ऐरन, पाली	22–10–81	1,00,000.00
8.	,,	भूतवाल मिल्स, जोधपुर	15–10–66	80295.07
9.	,,	लक्ष्मीचन्द रामचन्द्र, जोधपुर	17–1–83	71867.31
10.	,,	जोधपुर वुलन मिल्स, लि. जोधपुर	31–12–81	85000.00
11.	कोटा जोन	जिप्सम डवलपमेंन्ट आफिसर, जोधपुर	1–11–83	61905.95
12.	कोटा जोन	जैन आयल कम्पनी, गंगापुर	1–10–80	111274.02
13.	,,	सूरजमल श्रीकृष्ण, मण्डावर	24–6–83	51661.71
14.	,,	जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा	31–10–80	1,67,71,280.84

1	2	3	4	5
15.	कोटा जोन	एल्विन मा. सा. नि. सवाई माधोपुर	1–12–75	295794.76
16.	,,	जयपुर उद्योग लि.	22–9–80	2,31,13,254.18
17.	,,	इण्डो इन्जि. प्रा. लि. कोटा	17–5–78	153544.23
18.	,,	एसोसियेट स्टोन इण्डस्ट्रीज, रामगंजमण्डी	5–10–79	50378.80
19.	,,	इण्डिया ग्रायल कारपोरेशन कोटा	24–1–80	10,63,257.77
20.	,,	हंसमुखभाई पुरुषोत्तमदास	24–2–83	55891.36
21.	,,	कोटा बाक्स मेन्यु. कं.	21–9–83	146094.24
22.	,,	नेमीचन्द नरपतसिंह	77–78	86315.50 50183.55
23.	,,	कन्हैयालाल इन्दरमल		88,015.13
24.	केन्द्र कोटा जोन	केसरीमल रतनलाल छबड़ा	7–7–71	3,05,70,989–21
25.	,,	भारत ग्रोवरसीज प्रा. लि.		1,45,950.40
26.	,,	शाह एण्ड कं.		59,159.03
27.	,,	श्रीनिवास केमिकल्स		1,19,700.00
28.	,,	मानकचन्द ठेकेदार	23–6–81	5,43,698.45
29.	,,	लूधाराम रालुफल	28–1–82	1,95,543.26
30.	बीकानेर जोन	वजीरचन्द करमचन्द, सूरतगढ़	6–3–82	91,794.13
31.	,,	सियारा घनश्याम दास, बैंगलोर	26–3–83	1,35,701.02
32.	,,	ग्रोमप्रकाश प्रेमकुमार, अनूपगढ़	25–8–82	69,490.82

1	2	3	4	5
33.	बीकानेर जोन	सन्तोष कुमार, दुदवाखारा	6–12–82	1,05,774.50
34.	,,	डागा बन्धु, सरदारशहर	17–8–82	5,02,371.53
35.	,,	गोपाल ट्रेडिंग कं. सरदारशहर	17–8–82	2,69,270.43
36.	,,	पवन ट्रेडिंग कं. सरदारशहर	28–3–81	75.900.00
37.	,,	झुन्झुनू स्टोर क्रेसिंग कं. झुन्झुनू	27–4–83	54,259.57
38.	,,	जयश्री कोल कं. बीकानेर	27–11–81	51,840.00
39.	,,	रिजनल बोर्डर डव. खादी एण्ड यू.ग्रो.ई. कमीशन	26–11–81	1,50,992.19
40.	,,	मोर्डन इलेक्ट्रोनिक्स, बीकानेर	12–10–78	2,06,790.34
41.	,,	विश्वनाथ शर्मा	15–12–82	91,532.03
42.	जयपुर जोन-द्वितीय	डिप्टी कन्ट्रोलर ग्राफ स्टोर्स, रेलवे	14–12–81	99,363.28
43.	,,	डिप्टी चीफ कार्मशियल सू. के. ग्रजमेर	26–2–83	1,93,555.77
44.	,,	गणेश ग्राटोमोबाइल्स, ग्रजमेर	31–5–83	2,63,323.93
45.	,,	मिलन वाइन स्टोर	31–5–83	1,54,163.32
46.	,,	कुमार ब्रदर्स, ग्रजमेर	9–6–83	1,42,315.25
47.	,,	पारसमल विमलचन्द	23–7–83	1,31,967.52
48.	,,	महेश बन्धु, ग्रजमेर	3–9–79	1,89,431.42
49.	,,	स्वदेशी ग्रायल मिल्स, ब्यावर	28–2–83	1,06,708.17
50.	,,	गणेश कॉटन विविंग फैक्ट्री, किशनगढ़	31–3–83	52,672.05

(177)

1	3	3	4	5
51.	जयपुर जोन द्वितीय	अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक		
52.	,,	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर	20–9–83	5,00,000.00
53.	,,	बालमुकुन्द नेतूराम	23–4–69	2,99,448.54
54.	,,	वी. पी. मिल एण्ड कं.	28–9–81	98,224.13
55.	,,	सुमेर टाकिज, किशनगढ़	2–3–78	64,517.64
56.	,,	युनाइटेड फेल्ट प्रोडक्ट	28–11–81	53,693.53
57.	,,	सी. एस मोहता फेल्ट	23–12–81	1,88,648.95
58.	,,	जयपुर सहकारी क्रय विक्रय संघ	17–1–83	1,00,473.89
59.	,,	राजस्थान क्रय विक्रय संघ	15–9–82	4,90,000,000
60.	,,	देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स	13–9–82	38,84,546.29
61.	,,	राजस्थान क्रय विक्रय संघ	24–9–83	1,09,961.92
62.	,,	जयपुर बियरिंग कारपोरेशन	10–3–83	29,91,239.99
63.	,,	जयपुर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लि.	17–2–83	1,46,014.01
64.	,,	राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	29–3–83	27,89,506.97
65.	,,	गंगानगर शुगर मिल	26–3–83	2,25,017.84
66.	,,	ब्लो प्लास्ट, जयपुर	26–3–81	1,00,000.00
67.	ापुर जोन-द्वितीय	बजीलाल ठोलिया एण्ड सन्स	4–6–82	70,083.64
68.	,,	ए ई एन. इन्चार्ज, सी टी.एस.डी.जी.एम. कम्युनिकेशन	31–12–82	6,29,845.00
69.	,,	उमा एन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	28–2–83	1,14,589.62

1	2	3	4.	5.
70.	जयपुर जोन-द्वितीय	रेलिस इण्डिया लि.	11-3-83	1,05,000.00
71.	,,	ए. डागा स्टील एण्ड कारपोरेशन	4-4-83	80,000,00
72.	,,	न्यू इन्दिरा एण्ड कारपोरेशन	69-74	1,82,893,04
73.	,,	पुष्करमल चौधरी कोट.	78-79	11,02,268-98
74.	उदयपुर जोन	एडवान्स पेपर मिल्स लि.		95,987.32
75.	,,	एसोशिएटेड इन्जिनियरिंग धारा 67-वां		51,479.04
76.	,,	प्रेमसुख श्यामसुख, प्रतापगढ़	24-9-80	78,594.00
			16-11-81	89,694.00
			15-9-82	
77.	,,	ईश्वरचन्द चान्दमल एण्ड कं.	30-4-81	9,20,483.88
			22-7-82	
78.	,,	क्वालिटी बम्बु ट्रेडर्स; चित्तोडगढ़	70-73-74	57,704.57
79.	,,	भारतीय उद्योग संघ, भीलवाड़ा	28-10 78	60,843.00
80.	,,	लक्ष्मी आयल मिल्स, जहाजपुर	29-10-78	
			81-82, 82-83	52,500.00
81.	,,	भुपाल माईनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा	81-82,82-83	1,92,736.35
82.	,,	मयुर कोसिंग मिल्स मण्डल	15-11-81	58,665.77
83.	,,	भीलवाड़ा प्रोसेसर्स लि.	9-8-83	53,000.00

1	2	3	4	5
84.	उदयपुर जोन	अधिशासी अभियंता, केन्द्रिय भण्डार माही परियोजना, बांसवाड़ा	74–75	2,35,00
85.	,,	राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा	27–3–82 28–2–83	4,10,000.00 3,65,506.13
86.	,,	राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा	15–2–82	1,64.412 44
87.	उदयपुर जोन	बिड़ला सिमेन्ट वर्क्स, चित्तौडगढ़	3–9–82	66,419.10
88.	,,	हिन्दुस्तान जिंक लि, उदयपुर	19–3–83	1,56,79,098 86
89.	,,	मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स,.	31–8–81	33,105.68
90.	,,	,,	10–10–82	81,208.41
91.	,,	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग	19–2–83	4,09,455.71
92.	,,	जे. के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली	11–3–83	5,33,100.18
93.	,,	महाराना भूपालसिंह इन्जि. कं.	30–6 ·82 1–10–82	7,33.597.16 9 26 630.00
94.	,,	गणपतलाल रमेशचन्द्र	82–82	50,880.03
95.	,,	सेठी स्टोन इण्डस्ट्री	82–83	88,263.00
96.	,,	प्रोजेक्ट डवलप. दोगों. दरीबा खण्ड, उदयपुर	82–83	5,27,109.55
97.	जयपुर जोन प्रथम	अधिशासी अभियता, पी. डब्लू. डी. धौलपुर		8,14,856.39
98.	,,	नेशनल एयर प्रोडक्ट. अलवर	76–79	1,36,000.00
99.	,,	बाबूप्रसाद भगवान सहाय, अलवर	26–6–82	81,286.95

1	2	3	4.	5.
100.	जयपुर जोन प्रथम	श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स लि.	19–9–82	3.60,422.10
101.	,,	विमल चन्द गोलेचा	31–3–83	7,19,330.00
102,	,,	सज्जन उद्योग	21–12–83	55,400.90
103.	,,	बम्बई सेल्स कार्पो.	28–7–73	71.885.00
104.	,,	सोहन सोप फैक्ट्री, धूला हाऊस, जयपुर	83–84 24.11.83	1,29,985.68
105.	,,	शिवकाशी गोल्ड, जयपुर	9–9–82	1,06,823.89
106.	,,	सवाईसिंह शिल्पकला मंदिर	30–9–83	88,740.85
	,,	रामबाग रोड, जयपुर	26–7–82	5,27,806.83
107.	,,	प्रीमियम वेजीटेबल प्रोडक्ट	16–8–82	1,54,602.68
108.	,,	,,	30–9–82	25,000,00
109.	,,	,,	30–9–82	25,000.00
110.	,,	,,	9–2–83	25,000.00
111.	,,	,,	9–2–83	3,00,000.00
112.	,,	,,	1–10–82	80,000.00
113.	जयपुर जोन प्रथम	जयपुर इन्टरप्राइजेज, झोटवाड़ा, जयपुर	21–8–81	1,22,639.00
114.	,,	राजस्थान राज्य सह. मुद्रणालय, जयपुर	11–12–81	
115.	,,	सिम्पलेक्स ग्लास (सेप्टी) इण्ड.	30–9–81 7–8–82	22,512.50 91,310.00

1	2	3	4	5
116.	जयपुर जोन प्रथम	प्रीमियर वेजीटेबल प्रोडक्ट	26–7–82	5,27,806.85
			26–7–82	5,27,806.83
			16–8–82	1,54 602.68
			29–9–82	2,13,402.75
			30–9–82	5,96,247.40
			9–2–83	3,51,796.96
			9–2–83	11,43,590.57
			9–2–83	88,727.96
			9–2–83	2,57,891.14
117.	,,	जयपुर एण्टरप्राइजेज, जयपुर	1–10–82	80,000.00
118.	,,	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर	31–3–83	6,16,000.00
119.	,,	राजस्थान राज्य सह. मुद्रणालय, जयपुर	11–12–81	82,150.62
120.	,,	जोरास्टर एण्ड कं.	23–6–79	5,772.08
			14–12–81	27,729.10
			22–12–81	40,280.95
			21–8–82	5,106.94
121.	,,	आसाम रोलर एण्ड फ्लोर मिल	18–10–79	2,72,966.51
122.	,,	रेलिस इण्डिया लि.	19–8–81	52,550.09

1	2	3	4	5
123.	जयपुर जोन प्रथम	जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल		1,33,47,313.96
124.	,,	आदित्य मिल्स, जयपुर	72–78	13,94.204.50
125.	,,	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर	69–78	11,83,960.26
126.	,,	हिन्दुस्तान कोपर	6–8–82	29,03,149,76
			1–3–82	89,61,437.67
127.	,,	मानसत्र इलेक्ट्रिकल्स लि. जयपुर	15–11–75	60,202.49
128.	,,	कालाराम गोविन्दनारायण	24–11–79	50,000.00
			7–12–79	18,344.22
129.	,,	गेंदालाल कपूरचन्द	8–1–82	15,518.05
130.	,,	,,	9–7–83	2,11,393.01
			14–7–81	19,866.66
131.	,,	आर. एस. मेटल प्रा. लि.	73–78	1,34,500.00
132.	,,	लक्ष्मी आयल एक्स. इण्ड.	18–2–82	6,86,693.53
			19–2–82	5,47,759.86
133.	,,	राज. एग्री. इन्जी. कार्पो.	1–3–82	1,63,477.45
			3–4–82	1,30,655.91
134.	,,	कमानी इन्जी. कार्पो.	26–4–82	1,91,600.00
135.	,,	अम्बिका आॅयल मिल. जयपुर	4–12–82	17,437.30
			4–12–82	37,159.29

183

1	2	3	4	5
136.	जयपुर जोन प्रथम	नेशनल इन्जी. इण्ड.	1–1–83	60,000.00
137.	,,	राज. वायर प्रोडक्ट, जयपुर	1–1–83	85,000.00
138.	,,	लक्ष्मी ग्रायल एण्ड एन्स.	28–2–83	3,08,324.15
139.	,,	राज. एग्री.	11–3–83	2,86,997.00
			28–1–83	18,26,788.51
140.	,,	श्रीराम इण्ड. एण्ड ग्रायल मिल्स	11–3–83	2,86,997.00
141.	कोटा	मै. कुन्दनमल मुकुन्द मल झालरापाटन	—	4,83,469.39
				13,77,50,507.67

बकाया विवरण पत्र (जिसकी वसूली की कार्यवाही भू राजस्व के अन्तर्गत चल रही है)

क्र. सं.	जोन का नाम	व्यापारी का नाम	निर्धारण दिनांक/वर्ष	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	मैसर्स आदिनाथ आयल इण्डस्ट्रीज, खरोवा	31–10–81	1,29,519.58
2.	,,	,, ,, ,,	2–11–81	89,390.06
	,,		31–10–81	1,35,833.28
2.	,,	,, सवाई राम शंकर लाल, प्रतापगढ़	65–66 से 68–69	84,507,10
3.	,,	,, अमर चन्द दाऊक चन्द, प्रतापगढ़	78–79 से 79–80	1,09,102.88
4.	,,	,, विजय आयल मिल्स, भीलवाड़ा	29–9–82	2,03,986.55
5.	,,	,, पर्वत सिंह राजपूत,	17–4–70, 18–2–82	75,205.32
6.	,,	,, आदिनाथ आयल इंजीनियरिंग फैक्ट्री	14–5–75, 1–11–75, 1–5–80	1,15,537.82
7.	जोधपुर	,, जोधपुर फार्मेस	5–11–81	1,10,542.00
8.	,,	,, राजपुरोहित टी कारपो.	3–4–81	1,62,054.00
9.	,,	,, तरूण साल्ट कं	23–2–82	68,775.54
10.	,,	,, कोआपरेटिव स्टोर, 15 वीं बटालियन	4–12–81	53,178.73
11.	,,	,, जसवंत राज किशोर मल	30–10–81	55,200,00
12.	,,	,, सम्पत इण्ड.	24–9–82	56,447.40

1	2	3	4	5
13.	जोधपुर	मैसर्स प्रकाश आयल मिल	2–6–83	72,548.00
14.	,,	,, न्यू डिजाइन मारबल मार्ट	76–78	97,564.10
15.	कोटा	,, भीखा राम कस्तूर चन्द	10–8–83	73,210.60
राजस्व				
16.	कोटा	मै. राम भरोसी लाल	19–10–83	2,20,872.75
17.	,,	,, नारायण गिर्राज	21–3–83	76,200.00
18.	,,	,, लक्ष्मी नारायण हरी शंकर	74–78	1,11,254.99
19.	,,	,, अनिल बीडी कं.	75–77	78,259.00
20.	,,	,, प्रदीप ट्रेडिंग कं.	73–78	68,175.83
21.	,,	,, मनोहर लाल आशा भाई	76–77	1,25,039.78
22.	,,	,, भोला शंकर एण्ड ब्रादर्स	—	66,138.00
23.	,,	,, कन्हैया लाल राम गोपाल	75–78	62,639.61
24.	,,	,, रिषभ चन्द जैन	69–74	93,000.00
25.	,,	,, जगदीश प्रसाद बंसी धर	1–2–82	1,10.504.13
26.	जयपुर प्रथम	,, किठानिया ट्रेडिंग कं.	27–3–80	1,12,558 48
27.	,,	,, पुरुषोत्तम एण्ड कं.	21–1–81	1,51,656.52
28.	,,	,, राजेन्द्र प्रसाद दाल मिल	21–1–81	1.06,276.08
29.	,,	,, सालिग राम रमेश चन्द्र	4–3–82	75,583.57
30.	,,	,, जयपुर कली उद्योग	2–4–83	91,121.22

1	2	3	4	5
31.	जयपुर प्रथम	मैसर्स किरोड़ी लाल नरेन्द्र पाल		2,87,235.31
32.	,,	,, जमना आयल मिल	19–9–83	1,43,876.19
33.	,,	,, कमला इण्ड.	2–12–83	67,959.64
34.	,,	मै. फूड आयल इण्ड.	19–9–83	4,14,872.00
35.	,,	,, न्यू कामर्शियल कैमिकल	6–3–82	77,959.41
36.	,,	,, हरि शंकर रितेश कुमार	24–7–82	4,27,800.00
37.	,,	,, जय भारत आयल मिल	29–7–82	1,81,743.26
38.	,,	,, तुलसी राम पन्ना लाल	56–58	1,62,856.80
39.	,,	,, मुरली धर हरी प्रसाद	77–78	56,203.20
40.	,,	,, जयपुर आयल प्रोडक्ट प्रा. लि.	78–79	8,47,375.50
41.	,,	,, तिवाड़ी झूमर लाल स्वरूप लाल	60–75	5,36,911.18
42.	,,	,, चुन्नी लाल श्याम लाल	28–9–66	1,60,864.18
43.	,,	,, एस. जोरास्टर एण्ड कं. प्रा. लि.	9–2–82	13,51,873.15
44.	,,	,, बजाज ट्रेडिंग कं.	1–10–81	60,492.98
45.	,,	,, बोरोमेक फामेसिटिकल्स	9–3–83	57,064.09
46.	,,	,, जुहार मल श्री निवास	30–10–81	1,00,545.82
47.	,,	,, बाबूलाल नेमी चन्द	28–9–81	58,012.56
48.	,,	,, शक्ति स्टीलमेटल इण्ड.	30–9–81	6,85,874.17
49.	,,	,, मोहता ट्रेडिंग क.	28–11–81	1,16,754.69

1	2	3	4	5
50.	जयपुर प्रथम	मैसर्स अडस फार्मेस्यूटिकल्स	28–8–80	73,790.17
51.	,,	,, राज. राज. विद्युत मण्डल		
52.	,,	,, अग्रसेन आयल एण्ड दाल मिल	31–3–83	6,16,000.00
53,	,,	मै. तोता राम बनवारी लाल	20–4–83	2.28,083.06
54.	,,	,, राज. सिंडीकेट एण्ड ग्लास इण्ड.	29–6–83	1,07,750.00
55.	,,	,, सुन्दर लाल एन्ड सन्स	30–10–81	1,64,262.88
56.	बीकानेर	,, मनोज कुमार अनिल कुमार	9–5–74	10,07,653.84
57.	,,	,, मनोष कुमार एण्ड कं.	8–11–82	2,21,819.10
58.	,,	,, लक्ष्मी ट्रेडिंग कं.	31–12–82	1,85,202.30
59.	,,	,, श्री दुर्गा ट्रेडिंग कं.	21–1–83	52,054.90
60.	,,	,, नवीन कुमार एण्ड कं.	6–12–83	68,690.00
61.	,,	,, सुल्तान सिंह राजपूत	9–3–83	92,400.00
62.	,,	,, अमृतराज रमेश चन्द	21–3–83	54,729.07
63.	,,	,, अशोका ट्रेडिंग कं.	31–3–83	54,539.07
64.	,,	,, हंस राज सुरजमल	13–7–82	59,878.78
65.	,,	,, जगदीश अग्रवाल एण्ड ब्रादर्स	14–9–82	1,49,165.32
66.	,,	,, स्टन पाइप एण्ड इन्सटेक्शन	5–10–83	64,392.25
67.	,,	,, शिव दत्त लिखमी चंद	12–4–81	1,26,005.59
68.	,,	,, डागा प्रतिष्ठान	17–1–83	1,85,584.35

1	2	3	4	5
69.	बीकानेर	मैसर्स सुभाष चन्द सुरेश कुमार	2-2-83	1,34,751.04
			22-2-83	1,17,942.92
भू राजस्व				
70.	बीकानेर	,, राज वुल प्रोसेसर	21-10-82	4,20,127.80
71.	,,	,, रालसन वूल मोडरेट	21-10-82	1,77,640.18
72.	जयपुर द्वितीय	,, लाल चन्द तीर्थदास	7-6-82	71,815.18
73.	,,	,, विकास थियेटर	12-3-73	53,451.70
74.	,,	,, राम प्रकाश टाकिज	18-4-83	69,885.08
				2,60,90,172.53

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी कार्यवाही न्यायालय में चल रही है (प्रोसीक्यूशन एवं उज्रदारी)

क्र.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जयपुर जोन प्रथम	मुरारीलाल दामोदरलाल कामा	26–4–71 व 29–11–82	3,26,952.57
2.	,,	नन्द वनस्पति प्रा. लि. इन्दौर	8–11–71 व 1–9–72	19,26,261.25
3.	,,	रामदयाल हरिचरणलाल नदबई	2–4–74 व 2–3–76	51,270.77
4.	,,	भगवान स्वरूप गोपालदास नदबई	5–4–80	58,471.30
5.	,,	नालन्दा इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	2–3–76 व 1–1–82	1,01,761.90
6.	,,	बी. बी. श्रायल मिल, जयपुर	30–10–77	91,297.27
7.	,,	घासीलाल सुवालाल, जयपुर	1–7–82	50,422 35
8.	,,	प्रेमचन्द विनोदकुमार, जयपुर	23–9–82 व 20–1–83	2,88,409.76
9.	,,	जैन एण्ड कम्पनी, राजाखेड़ा	16–12–81	1,53,234.00
10.	,,	रामजीलाल एण्ड सन्स, धौलपुर	—	51,006.74
11.	,,	पिंकसिटी केमिकल्स, जयपुर	27–11–30	52,694.25
12.	,,	बी. बी. श्रायल मिल्स, जयपुर	भिन्न-भिन्न	7,49,173.45
13.	,,	श्रतुल ट्रेडिंग कारपोरेशन, जयपुर	30–11–81	52,017 59
14.	जयपुर जोन द्वितीय	बालाबक्स मंवरलाल, जयपुर	28–12–82	68,240.50
15.	,,	इण्डिया इलेक्ट्रिक कारपोरेशन	2–6–81 व 11–9–81	66,22,122.69
16.	,,	सी. एल. गुप्ता एण्ड कम्पनी	18–8–80 व 20–9–82	1,69,483.15

1	2	3	4	5
17.	जयपुर जोन द्वितीय	मुकुल ट्रेडिंग प्रा. लि.	30–7–75 व 27–1–82	37,62,494.75
18.	,,	राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, अजमेर	31–12–71	4,84,456.24
19.	,,	चौधरी मिनरल्स, मंगलियावास	5–11–74	68,541.22
20.	,,	केडिया ब्रदर्स, पिलानी	30–11–78 से 30–3–83	2,69,957.51
21.	जोधपुर जोन	भंवरलाल एण्ड कम्पनी	31–5–75 से 1–4–82	2,04,136.23
22.	,,	जोधपुर आइल प्रोडक्टस	22–10–81 से 27–1–83	19,52,522.00
23.	,,	,,	20–10–81 से 30–12–81	3,71,537.84
24.	,,	लक्ष्मण दास एण्ड ब्रदर्स	17–9–81	8,42,285.31
25.	कोटा जोन	वृद्धिचन्द जगन्नाथ गंगापुर	8–6–71	2,79,945.18
26.	,,	मोतीलाल छाजूलाल, हिण्डौन	3–12–74 से 25–6–78	2,54,849.30
27.	बीकानेर जोन	त्रिलोचनसिंह जसवीरसिंह	16–8–78	1,30,135.32
28.	,,	केसरीचन्द कन्हैयालाल सूरतगढ़	23–2–83	84,005.78
29.	उदयपुर जोन	विजय आयल मिल्स, भीलवाड़ा	13–4–76 से 29–9–82	2,03,986.55
30.	,,	नरेन्द्र आयल मिल्स, भीलवाड़ा	10–1–79 से 8–4–81	59,250.31
31.	,,	बन्शीलाल प्रहलादराम, चित्तौड़गढ़	30–11–82	65,964 84
32.	,,	अमरचन्द दाउ चन्द	—	1,09,102.88
33.	जयपुर प्रथम	राजस्थान इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर	2–5–68	1,36,833.58
				2,02,49,892.07

192

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी वसूली किश्तों में हो रही है (प्रादेश राजस्व मंडल अतिरिक्त आयुक्त, अपील एवं अन्य सक्षम अधिकारी की पालना में)

क्र.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जयपुर द्वितीय	सैंनी कन्डक्ट, जयपुर	9-6-83	53,009.10
2.	जयपुर प्रथम	आर. वाई. दुर्लभजी, जयपुर	27-11-82	90,418.00
3.	,,	रोहतास इण्डस्ट्रीज	29-9-82 से 4-10-82	20,96,597.54
4.	,,	प्रीमियर वेजीटेबल प्रोड. जयपुर	26-7-82	5,27,806.83
5.	,,	सुरेन्द्र इण्डस्ट्रीज	14-7-82	68,203.41
6.	,,	बाबूप्रसाद भगवानप्रसाद, अलवर	17-8-83	84,000.00
7.	कोटा जोन	कोटा बक्स	15-9-83	51,000.00
8.	बीकानेर जोन	जगजीत काटन टैक्सटाइल मिल	17-2-83	87,200.00
				30,58,231.88

बिक्री कर बकाया विवरण पत्र (जिसकी कार्यवाही अपलेखन में चल रही है)

क्र.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण की तिथि	बकाया राशि
1.	उदयपुर जोन	गणेश आयल मिल, बड़ी सादड़ी	65–70	90,398.93
2.	बीकानेर जोन	नरेश कुमार एण्ड कम्पनी	1–4–82	1,18,960.00
3.	जयपुर जोन–द्वितीय	विजय काटन मिल्स	67–68 से अब तक	3,78,891.81
4.	,,	राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	18–2–68	87,139.81
5.	जोधपुर जोन	रानीदत्त तावड़ी	14–9–81	54,927.29
6.	,,	किशनाजी चेलाजी आबू रोड	27–1–77	74,173.90
7.	कोटा जोन	,, ,,	—	—
8.	जयपुर जोन–प्रथम	भौंरीलाल एण्ड कं.	75–76	2,92,600.00
9.	,,	इलेक्ट्रो हार्डवेयर	18–2–82	51,602.00
10.	,,	किशनसहाय लक्ष्मीचन्द	27–4–75	75,579.00
11.	,,	,, ,,		
				12,24,272.74

मानचित्र बकाया मांग राशि जो सत्यापन में है

क्र सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	गुलाबदास जगन्नाथदास प्रा. लि	22–9–83	2,25,425.21
2.	जयपुर–प्रथम	मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर	17–5–69	91,184.88
3.	,,	जिला कृषि अधिकारी, भरतपुर	1–8–74 से 31–12–81	1,69,057.23
4.	,,	युनियन कारबाइड इण्डिया	16–2–82	2,24,584.25
5.	,,	आसाम रोलर एण्ड फ्लोर मिल	4–9–81 से 19–4–82	3,38,665.65
6.	,,	जयपुर बोटलिंग कम्पनी	25–8–82 से 6–11–82	2,32,474.69
7.	,,	एसिस्टेन्ट कन्जर्वेटर फोरेस्ट	19–10–80 से 10–12–82	6,13,583 83
8.	,,	राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ	2–2–82	66,867.00
9.	,,	श्री कन्टेनर्स	16–2–81 से 1–9–81	58,544.03
10.	,,	एम. बी. आयल मिल्स	16–5–81 से 2–9–82	1,37,032.68
11.	,,	डब्ल्यू. आई. एम. कम्पनी	22–5–81 से 19–11–82	75,606.12
12.	,,	पोद्दार स्पीनिंग मिल्स	18–7–75 से 7–2–83	11,83,960.00
13.	,,	डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर, अलवर	14–10–81 से 6–9–82	3,76,027.73
14.	,,	एसोसियेटेड सोप स्टोन		2,77,125.78
15.	,,	संतोष इण्डस्ट्रीज अलवर	6–7–83	73,117.85

1	2	3	4	5
16.	जयपुर प्रथम	भारत मिनरल्स, अलवर	3–12–82	1,15,703.00
17.	,,	प्रकाश प्रेवेराइजिंग मिल्स	5–12–82	2,79,369.32
18.	जयपुर–द्वितीय	भारत एजेन्सीज	16–6–83	83,567.35
19.	,,	लारसन्स एण्ड ट्यूब्रो लि.	15–9–83	68,256.85
20.	,,	एच. एम. टी. लि.	28–10–83	3,28,496.64
21.	,,	पंजाब आनन्द बेट्रीज	16–11–83	2,06,476.83
22.	कोटा जोन	रिजनल फोरेस्ट आफिसर, कोटा	31–7–81	1,34,444.81
23.	,,	डायरेक्टर कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स	20–9–82	1,58,898.89
24.	,,	जिला आबकारी अधिकारी	12–3–82	44,68,823.03
25.	जयपुर–द्वितीय	जयपुर जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	9–6–81 से 29–11–83	4,07,64,446.94
26.	,,	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर	16–2–81 से 24–2–83	2,94,52,995.13
				8,01,94,736,72

196

बकाया विवरण पत्र (जिसकी वसूली की कार्यवाही विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत है)

क्र.सं.	जोन का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण दिनांक/वर्ष	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	मैसर्स शिवा केमिकल्स	77–78 से 78–79	54,370.53
2.	,,	,, अमर इण्डस्ट्रीज	68–69, 69–70	
			78–79, 79–80	58,838.59
3.	,,	,, आर एस चण्डावत एण्ड कं.	80–81, 81–82	55,780.90
4.	,,	,, बिड़ला सीमेंन्ट वर्कस, चित्तौड़गढ़	30–8–83	8,87,338.69
5.	,,	,, चिरंजीलाल फूल चंद बांसवाड़ा	2–3–83	1,10,878.55
6.	,,	,, मेहता वेजीटेबिल प्रोडक्ट, चित्तौड़गढ़	4–4–83	1,25,118.50
7.	,,	,, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा	1–6–83	82,819.75
8.	,,	,, ,,	18–8–83	77,857.13
9.	,,	,, मेवाड़ मोटर्स, उदयपुर	28–9–83	2,22,263.00
10.	,,	,, बद्री लाल हीरालाल, गुलाबपुरा	28–12–83	2,36,593.69
11.	,,	,, परियास आरा मशीन बांसवाड़ा	70–71, 71–72	61,846.98
12.	,,	,, वन श्रमिक समिति, आमझरा	81–82	54,244.34
13.	,,	,, लक्ष्मी आयल टेडर्स, धानमण्डी	जुलाई, 83	62,981.22

1	2	3	4	5
14.	उदयपुर	मैसर्स शिव नारायण रामनारायण छोटी सादड़ी	5-4-82, 30-7-82 24-8-82	1,77,641.00
15.	,,	,, विनित कुमार एण्ड कं.	15-10-83	72,501.00
उदयपुर जोन				
16.	उदयपुर	मै. विनोद कुमार राजमल, कपासन	16-10-83	72,200.00
17.	कोटा	,, भाग चन्द बाल चन्द	30-12-83	70,000.00
18.	,,	,, संतोष कुमार जुगल किशोर भवानी मण्डी	76-77	74,795.39
19.	,,	,, ग्रार. सी. पालीवाल एण्ड कं., मण्डी	76-77	4,74 004.73
20.	,,	,, गुलाब चन्द गिरधारी लाल	73-75	1,23,983.28
21.	,,	,, सुख लाल चौथ मल रामगंज मण्डी	74-75	74,302.09
22.	,,	,, चतर एण्ड कं.	75-77	1,06,028.71
23.	,,	,, शिव नारायण सत्य नारायण	73-76	81,000.00
24.	,,	,, बच्चन लाल कस्वाथना बनवार लाल कृपा चन्द बारां	75-76	-1,66,697.91
25.	,,	,, फार्म सुपरी. यान्त्रीक कृषि फार्म		1,30,000.82
26.	,,	,, कानपुर स्टील कोटा	30-9-82	1,79,554.08
27,	,,	,, ग्राशा ग्राटोमोबाइल्स	26-10-83	80,542.00
28.	जोधपुर	,, संजय एण्ड कं.	19-11-82	1,03,965.00
29.	,,	,, जोधपुर वुलन मिल	18-3-83	1,47,696.00

1	2	3	4	5
30.	जोधपुर	मैसर्स राधावल्लभ नारायण दास	28–5–83	1,51,558.53
31.	,,	,, भंवर लाल सर्राफ	4–6–83	60,896.15
32.	,,	,, धूत ब्रादर्स	6–1–78	98,826.31
33.	,,	मै. बी. के. सिन्थेटिक्स	16–1–81	2,15,037.25
34.	,,	,, गुलाब दास जगन्नाथ प्रा. लि.	22–9–83	2,25,485.21
35.	,,	,, देवाजी मण्डूप जी	26–12–83	78,075.72
36.	,,	,, गम्भीरमल मोहनलाल	30–12–81	94,554.72
37.	,,	,, मदनलाल नागजी, जैतारण	28–12–85	1,04,074.98
38.	,,	,, ठाकुर विजय सिंह एण्ड कं.	82–83	62,000.00
39.	,,	,, विपिन कुमार मनोज कुमार	18–7–83	56.786.00
40.	,,	,, हिन्दुस्तान कैमिकल इन्ड.	1–4–82	2,61,316.58
41.	,,	,, महेन्द्रा मेटिल्स इण्ड.	13–4–83	97,007.18
42.	,,	,, शेषमल भकमचन्द	25–11–83	1,27,934.73
43.	,,	,, श्याम सुन्दर एण्ड ब्रादर्स	28–12–83	74,039.00
44.	,,	,, मै. पवन कुमार प्रहलाद राय	16–11–83	5,04,085.04
45.	बीकानेर	,, प्रकाश ट्रेडिंग कं.	31–12–83	61.814.23
46.	,,	,, राज. श्रमिक ठेका सह. स.	16–2–82	76,190.37
47.	,,	,, नेमी चन्द प्रेम प्रकाश	17–6–83	82,519.64
48.	,,	,, गंगा वूल टेडर्स	30–7–83	77,298.73

1	2	3	4	5
49.	बीकानेर	मैसर्स शमेश ट्रेक्टर	2-7-82	1,26,714.11
50.	,,	,, भिक्रम चन्द भंवर लाल	25-8-81	1,33,934.87
51.	,,	सज्जन कुमार सुशील कुमार	25.7.83	1,66,642.00
52.	जयपुर प्रथम	,, राज. कार्मशि. कारपो.	16.9.82	4,14,697.16
53.	,,	,, भाटिया ब्रादर्स	20.9.82	1,27,118.80
54.	,,	,, चौथमल राम निवास	22.3.83	68,489.04
55.	,,	,, अधि. अभि. सा. नि. वि.		8,14,856.39
56.	,,	,, जिला आबकारी अधि.		(1,45,808.00 पर
57.	,,	,, जिला आबकारी अधि.		अतिरिक्त आयुक्त द्वारा स्थगन) व आंशिक सूगन राजस्व मण्डल अजमेर।
58.	,,	,, चिरंजी लाल किरोडी मल	13.4.81	4,72,748.08
59.	,,	,, गोपाल लाल गोविन्द शरण	25.1.82	2,25,771.78
60.	,,	,, मंडल वन अधि.	19.1.76 17.5.59	71,353.75 91,184.88
61.	,,	,, जिला कृषि अधिकारी	5.4.80	1,69,057.23
62.	,,	,, मै. गुरु नानक स्टील रोलिंग मिल	20.4.81	72,653.40
63.	,,	,, लक्ष्मी बूट हाउस	7-12-81	1,23,941.38
64.	,,	,, छेदी लाल गया प्रसाद	30-4-77	1,56,795.13

1	2	3	4	5
65.	जयपुर प्रथम	मैसर्स भोरीलाल एण्डकं .	72.77	2,92,600.00
66.	,,	,, बन्सल पाइप प्रा. लि.		
67.	..	,, कृष्णा एण्ड कं.		
68.	,,	,, ग्रमर मिनरल	18.10.83	59,261.21
69.	,,	,, फतेह लाल राजेन्द्र कुमार	30.12.83	98,776.35
70.	,,	,, राज. फल्ट मे. क.	82.83	1,00,000.00
71.	,,	,, ग्रग्रवाल ब्रादर्स	14.9.82	72,396.00
72.	,,	,, पदम चन्द विनय चन्द	12.4 78	83,823.21
73.	जयपुर जोन-द्वितीय	,, राम प्रकाश टाकीज, जयपुर	6.10.83	56,482.50
74.	,,	,, बजरंगलाल ग्रनीलकुमार	21.11.83	56,000 00
75.	,,	,, प्रिमीयर मेटल इण्ड. जयपुर	18.4.83	69,825.08
76.	,,	,, ग्रशोका इन्जि. वर्क्स	21.6.83	30,669.94
77.	,,	,, रिचर्डसन हिन्दुस्तान	28.6 83	90,363.28
78.	,,	,, बिजो ग्लास प्रा. लि.	20.12 83	61,369.12
79.	,,	,, यूनिडोर केबिल्स	30.12 83	1,73,455 44
80.	,,	,, भीखमचन्द भंवरलाल	30.12.83	76,553.57
81.	,,	,, कर्नाटक स्कूटर लि. एम. ग्राई. रोड	28.10.83	1,77,794.50
82.	,,	,, इण्डिया फेल्ट मेन्यु. कं.	77.78	65,352.00
83.	,,	,, इण्डस्ट्रीयल एण्ड मर्केन्टाइल	81.82	59,383.23

1	2	3	4	5
84.	जयपुर जोन द्वितीय	मैसर्स स्वदेशी फेल्ट मेन्यु. कं.	73.78	1,27,583.18
85.	,,	,, खण्डेलवाल बर्तन भण्डार	1.4.83	88,000 00
			31.5.83	1,68,900.00
86.	,,	,, निमको टाइल्स	25.2.81	63,644.02
87.	,,	,, सोभाग एजेन्सीज	13.7.81	5,48,044.69
88.	,,	,, इण्डस्ट्रीयल ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	9 2.83	3,66,607.17
89.	,,	,, जयपुर इलेक्ट्रो प्रा. लि.	17.3.83	99,347.08
90.	,,	,, क्राम्पटन ग्रीवज प्रा. लि.	19.3.83	88,687 80
91.	,,	,, राज. स्माल. इण्ड.	24.3.83	2,18,459 12
92.	,,	,, रोहतास इण्ड.	25.3.83	74,662.08
93.	,,	,, गंगानगर शुगर मिल्स	26.3.83	1,30,364.14
94.	,,	,, फूड कारपोरेशन ग्राफ इंडिया	26 3.83	2,50,505.72
95.	,,	,, गोधा मेडिकल हाल	30.5.83	7,07,228.37
96.	,,	,, रामनगर जन. एंड शुगर मिल. 7बी		9,61,630 82
97.	,,	,, लिपटन टी इंडिया	31.5.83	65,388.65

1	2	3	4	5
98.	जयपुर जोन-द्वितीय	मैसर्स जयपुर इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	31.5.82	1,01,408.82
99.	,,	,,	23.9.82	3,64,339.64
100.	,,	,, पदम चन्द एंड कं. शिवदासपुरा	81.82	1,41,029.87
101.	,,	,, महाराजा किशनगढ़ मिल्स	15.10.58	1,23,975.64
102.	,,	,, महेश मेटल वर्क्स, किशनगढ़	14.6.83	77,708.68
103.	,,	,, किस्तुर चन्द गुलाब चन्द किशनगढ़	23.12.83	1,61,624.47
104.	,,	,, कुमार ब्रदर्स, अजमेर	16.6.83	27,950.24
105.	,,	,, लक्की मिनीमेट, प्रा. लि.	83.84	63,061.87
				2,05,62.692.47

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद बढ़ाना

349. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) एवं श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद हैं ?

(2) राज्य में न्यायाधीशों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सरकार इनकी पूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(3) राज्य में बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को देखते हुए क्या सरकार न्यायाधीशों के पद बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसकी योजना क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के 18 स्थाई पद हैं।

(2) राज्य में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तीन पद गत डेढ़ वर्ष से रिक्त हैं एवं एक पद गत दो माह से रिक्त है। इन पदों पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। जिसके लिये राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

(3) राज्य में बढ़ते हुये मुकदमों की संख्या को देखते हुये भारत सरकार द्वारा गत दो वर्ष पूर्व माननीय न्यायाधीशों की संख्या 16 से बढ़ा कर 18 की गई है। पद बढ़ाने सम्बन्धी योजना का संबंध भारत सरकार से है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम में की गई नियुक्तियां

350. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में विभाग में कितने नये पदों का सृजन हुआ एवं सृजित पदों पर कितनी तदर्थ नियुक्ति अथवा पदोन्नति की गई ? नियुक्ति अथवा पदोन्नतियों में कितने योग्यता सम्पन्न हरिजनों एवं आदिवासियों को अवसर दिया गया ?

(2) यदि तदर्थ पदोन्नति अथवा नियुक्ति नहीं की गई और सीधी भर्ती की गई, तो रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के लिये कितने स्थान रिक्त रखे और इन्हें कब भरा गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में विभाग में कोई नये पद सृजित नहीं हुये। वर्ष 1983-84 में 31 नवीन पद सृजित हुये थे, जिनमें, :-

1.	अधिशाषी अभियन्ता	1
2.	उपनिदेशक, कृषि	1
3.	सहायक लेखाधिकारी	1
4.	अनुसंधान सहायक	2
5.	वन प्रसार अधिकारी	23
6.	वरिष्ठ लिपिक	1
7.	कनिष्ठ लिपिक	1
8.	च०श्रे० कर्मचारी के पद	1

सम्मिलित हैं।

(जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री)

अनुसंधान सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर विभाग में कार्यरत तीन कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। अनुसंधान सहायक के पद पर योग्यता सम्पन्न एक अनुसूचित जाति एवं एक जनजाति के कर्मचारी को एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पर जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति दी गई। राजपत्रित पदों पर पदस्थापन संबंधित सेवाओं के अधिकारियों के उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गये हैं।

(2) नव सृजित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे गये हैं। अतः विभागीय पदोन्नति समिति के लिए स्थान रिक्त रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बूंदी एवं कोटा जिले में उत्पादित बासमति चावल

351. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि बूंदी एवं कोटा जिले में उत्पन्न बासमति चावल पर लेवी वसूल करने व उसे बासमति चावल नहीं मानने की सरकार की नीति से धान उत्पादक किसान, चावल मिल मालिक व मजदूर भारी परेशान हैं तथा मण्डियां कई दिनों से बन्द हैं?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले को शीघ्र हल कर किसान एवं मजदूरों को राहत दिलाने हेतु कदम उठायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। बून्दी एवं कोटा जिलों में बासमति चावल पर लेवी वसूल नहीं की जा रही है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण

354. श्री राज बहादुर (भरतपुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में कितना ऋण प्राप्त किया गया?

(2) सन् 1982-83 के अन्त तक राजस्थान राज्य में एल. आई. सी. द्वारा राज्य की विकास योजनाओं में कितनी धनराशि का विनियोजन किया गया?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय वर्ष 1981-82 में रुपए 145.00 लाख, 1982-83 में रुपये 122.00 लाख एवं 1983-84 में रुपये 184.00 लाख ऋण के रूप में प्राप्त किये गये।

(2) राजस्थान राज्य में एल.आई.सी. द्वारा राज्य की विकास योजनाओं हेतु सन् 1982-83 के अन्त तक 312.89

(वित्त मन्त्री)

करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया।

केसरीसिंहपुर क्षेत्र में छात्रावास खोलना

355. श्री मनफूलराम (केशरीसिंहपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास खोले जाने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केशरीसिंहपुर में एक भी छात्रावास समाज कल्याण विभाग की ओर से खोला हुआ नहीं है ?

(3) क्या सरकार अब शीघ्र ही केशरीसिंहपुर, मिर्जेवाला, चूनावड व केहरी में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां बाहर रहने वाले कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों का बाहुल्य हो।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है।

ग्राम सिलारपुर एवं नाथोड़ी में वितरण व्यवस्था

356. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड) क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिलारपुर एवं नाथोडी तहसील बहरोड में सार्वजनिक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था सुचारु नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्थान पर व्यक्तिगत डीलर्स द्वारा वितरण किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार वहां ग्राम सेवा सहकारी समिति को ही सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण हेतु अधिकृत करने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति निमराना द्वारा फरवरी, 1980 के पश्चात् स्वेच्छा से वितरण कार्य बन्द कर देने पर व्यक्तिगत डीलर से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रारम्भ करवाया गया है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अपना प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण हेतु अधिकृत करने पर विचार करना संभव हो सकेगा।

(206)

खाले निर्माण हेतु कृषक से ली जाने वाली राशि

358. **श्री आत्माराम** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र मे किसान से पक्के खाले के लिये एक मुरब्बा के पीछे कितनी रकम औसतन असल व कितनी ब्याज की वसूल की जाती है ?

उत्तर

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में किसानों से पक्के खालों के निर्माण हेतु एक मुरब्बा के पीछे औसतन असल व ब्याज की राशि विभिन्न समयावधि के दौरान आई लागत के आधार पर निम्नानुसार वसूल की जाती है :

(रुपये लाखों में)

समयावधि	अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर में	एक मुरब्बे के लिये वसूल की जाने वाली राशि मूलधन	ब्याज
1	2	3	4
अ–साधारण ऋण			
1975–76	1150/-	7187.50	4236.07
1976–80	1464/-	9150.00	5392.78
1980–82	2350/-	14687.50	8656.44
1982–83	2620//	17622.00	10387.71
ब–विशेष ऋण			
1975–76	1150/-	7187.50	5703.20
1977–80	1464/-	9150.00	7260.53

जैतारण नगर में आवासन मण्डल की योजना

359. **श्री शिवदानसिंह राठौड़**(जैतारण) **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या जैतारण नगर में आवासन मंडल की योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो वहां मकान बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

(2) जैतारण नगर के कितने लोगों ने मंडल के निर्मित मकानों हेतु कितनी राशि जमा कराई है ?

(3) ऐसे व्यक्तियों को मकान बनाकर कब दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जैतारण नगर के 22 आवेदकों ने 43,000/- रुपये की राशि जमा करवाई

(3) मण्डल के योजनानुसार दो सौ आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य हाथ में लिया जाता है। अत: जैतारण में अभी मकान बना संभव नहीं है।

भरतपुर जिले में किसानों से खरीदा गया बाजरा

360. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में इस वर्ष सरकार ने किसानों से बाजरा की खरीद निर्धारित समर्थन मूल्य पर बहुत कम की है? यदि हां, तो कुल कितना बाजरा किस मंडी से खरीदा गया है? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत बाजरे की खरीद की व्यवस्था किये जाने पर बाजरे के बाजार भाव समर्थन मूल्य के मुकाबले में अधिक हो जाने तथा किसानों द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार बाजरा विक्रय हेतु नहीं लाने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद कम हो सकी। विभिन्न क्रय केन्द्रों पर हुई खरीद का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

खरीद का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	क्रय केन्द्र, क्रय करने वाली एजेन्सी एवं खरीद की मात्रा					
		भारतीय खाद्य निगम	खरीद की मात्रा (क्विन्टल)	राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम	खरीद की मात्रा (क्वि.)	राजस्थान राज्य सहकारी क्रय वि. संघ	खरीद की मात्रा (क्विटल)
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	अलवर	1- बहरोड	68	—	—	1- अलवर	21
						2- खैरथल	—
						3- खैरली	—
2-	भरतपुर	2- भरतपुर	3	1- बयाना	—	—	—
				2- नदबई	—	—	—
				3- नगर	—	—	—
3-	धौलपुर	3- धौलपुर	-	—	—	—	—
4-	जयपुर	4- पावटा	-	4- दौसा	—	4- जयपुर	—
				5- नरायना	—	5- सांचौर	—
5-	बाड़मेर	5- बाड़मेर	-	—	—	—	—
		6- बायतू	-	—	—	—	—
6-	जालौर	7- जालौर	-	—	—	—	—
7-	जोधपुर	—	-	6- जोधपुर	—	6- बिलाड़ा	—
		—	-	7- पिपाड़ सिटी		—	—
8-	नागौर	—	-	8- मेड़ता सिटी		—	—
9-	पाली	9- परबतसर	-	9- पाली		7- सोजतरोड	—
						8- सुमेरपुर	—
10-	स.माधो.	—	-	10- हिन्डौनसिटी		9- गंगापुरसिटी	—
						10- करौली	—
11-	बीकानेर	10- बीकानेर	-	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	11. नोखा	–	—	—	—		—
12- चूरू	12- चूरू	–	11- रतनगढ़	—	—		—
	13- सादुलपुर	–	12- चिड़ावा	—	—		—
13- झुन्झुनू	14- झून्झुनू	–	12- चिड़ावा	—	—		—
14- सीकर	15- सीकर	–	—	—	11- नीमकाथाना		228
योग	15	71	12	—	11		249

कुल योग 320 क्विंटल

320 क्विंटल बाजरा निम्नांकित क्रय केन्द्रों पर क्रय किया गया–

नाम क्रय केन्द्र	नाम एजेन्सी जिसने क्रय किया	
	भारतीय खाद्य निगम	राज. राज्य क्रय विक्रय संघ
भरतपुर	3 क्विंटल	—
बहरोड	68 क्विंटल	—
नीमकाथाना	—	228 क्विंटल
अलवर	—	21 क्विंटल
	71 क्विंटल	249 क्विंटल

कुल योग 320 क्विंटल

(210)

लाडनूं तहसील में अध्यापकों के रिक्त पद

361. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनूं) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो कितनी तथा उनकी पूर्ति कब तक की जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं तहसील के ग्राम ढींगसरी, अनेसरिया, छपारा व चन्द्राई की पाठशालाओं में बच्चों के अनुपात में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इन प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, लाडनूं में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं, परन्तु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 120 अध्यापकों की कमी है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापकों के पदों का सृजन शिक्षा विभाग द्वारा कर दिये जाने पर उक्त कमी की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित कर दिये जाने पर पंचायत समिति पाठशालाओं में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्यापकों के पदों का आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सूची

ग्राम का नाम	छात्रों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	निर्धारित मापदन्ड के अनुसार	
			अध्यापकों की आवश्यकता	अध्यापकों की कमी
1	2	3	4	5
1. ढींगसरी	176	2	5	3
2. अनेसरिया	93	1	3	2
3. छपरा	150	2	4	2
4. चन्द्राई	102	1	3	2

राजस्थान नहर परियोजना पर कोयले की खपत

362. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) एवं सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 1977 से लेकर अब तक कोयले की खपत के किस-किस समय क्या-क्या मापदंड निर्धारित किए हुए थे ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोयले की खपत में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) अप्रैल, 1977 से लेकर अब तक ईंटों और टाइलों को बनाने के लिए कोयले की खपत के मापदंड निम्नानुसार रहे हैं :–

1-4-77 से लेकर 1981-82 के भट्टों के सीजन तक—

प्रति लाख टाइलों के लिए 30.48 मैट्रिक टन कोयला

प्रति लाख ईंटों के लिए 22.35 मैट्रिक टन कोयला

1982-83 से भट्टों के सीजन में उपयोग में लिए जाने वाल सिगरोली कोल–

प्रति लाख टाइलों के लिए 60.00 मैट्रिक टन कोयला

, प्रति लाख ईंटों के लिए 44.00 मैट्रिक टन कोयला

(यह निर्णय राजस्थान नहर मंडल ने अपनी 101 वीं बैठक, जो कि दि० 24 जनवरी, 1983 को हुई, में लिया)

1982-83 एवं 83-84 के भट्टों के सीजन में चलाए जाने वाले भट्टों के लिए विभिन्न ग्रेड के कोयलों के लिए मापदंड :–

कोयले की किस्म	माप दड (मैट्रिक टन में) टाइलें प्रति लाख	ईंटें प्रति लाख
ए-ग्रेड	25.08	18.40
बी-ग्रेड	26.36	19.33
सी-ग्रेड	29.51	21.64
डी-ग्रेड	35.92	26.34
ई-ग्रेड	48.74	35.74
एफ-ग्रेड	60.00	44.00
जी-ग्रेड	93 40	68.50
वाशरी-ग्रेड-II	27.83	20.41
वाशरी ग्रेड-III	30.46	22.34
वाशरी-ग्रेड-IV	37.77	27.70
सवांग मिडलिंग	51.12	37.49
रामनगर लोवोले टाइल कोल	40.50	29.70
मेघालय कोल	22.78	16.70

(2) यह निर्णय राजस्थान नहर परियोजना संगठन एवं सिंचित क्षेत्र विकास, रानप संगठन के मुख्य अभियन्ताओं एव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं ने संयुक्त रूप से 9.9.1983 को लिया।

कोयले की खपत के मापदंडों में जो वृद्धि की गई है वह कम ज्वलन शक्ति के कोयले के मिलने के कारण हुई है।

कोटा शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकान

363. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) एवं **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटा शहर में किन-किन आई. ए. एस. अधिकारियों को मकान आवंटित किये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या हाउसिंग बोर्ड, कोटा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत घटिया कार्य करवाने एवं उसके कारण मकान गिर जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवासन मंत्री द्वारा कोटा एवं जयपुर में प्राथमिकता के आधार पर कुछ व्यक्तियों को मकान आवंटित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां तो किन-किन को तथा किस नियम के आधार पर आवंटन किया गया ?

(4) सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) किसी भी आई. ए. एस. अधिकारी के पद नाम से मकान आवंटित नहीं किया गया। सामान्य कोटे में आवंटन हुआ होगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा कुछ मामलों में धारा 60 के तहत आवंटन के आदेश दिये हैं।

(4) प्रश्न एक, दो व तीन का जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भीलवाड़ा जिले की पंचायतों द्वारा आवंटित भू-खण्ड

364. **श्री बंसीलाल पटवा**(भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत हमीरगढ़, गुरला, मालोला, बिजोलिया, करेड़ा ने वर्ष 1980 से 31 जनवरी, 1984 तक कितने व्यक्तियों व संस्थाओं को भवन हेतु भू खंड आवंटित किये ?

(2) क्या आवंटित भू-खंडों की राशि पंचायत रोकड़ में जमा हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है :

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सूची एवं विवरण

क्र.सं. नाम ग्राम पंचायत	भवनों हेतु आवंटित भू-खण्डों की संख्या			कीमतन दिये गये भू-खण्डों की कुल कीमत	कीमतन दिये गये भू-खण्डों की राशि वसूल की जा चुकी है				कीमतन दिये गये भू-खण्डों में से कितने भू-खण्डों की राशि वसूली से बकाया है				वसूल की गयी राशि रोकड़ में जमा की जा चुकी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उसके कारण
					पूर्ण रूप से		आंशिक रूप से		पूर्ण रूप से		आंशिक रूप से		
	कीमतन	निःशुल्क	योग		भू-खण्डों की संख्या	राशि	भू-खण्डों की संख्या	राशि	भू-खण्डों की संख्या	राशि	भू-खण्डों की संख्या	राशि	
1. हमीरगढ़	52	6	58	77,387.00	34	37,105.00	18	26,700.00	—	—	18	13,582.00	हां
2. गुरला	16	--	16	11,002.00	16	11,002.00	--	--	--	--	—	--	हां
3. माजोला	93	18	111	11,229.00	93	11,229.00	--	--	--	--	--	--	हां
4. बिजोलिया	इस अवधि का रेकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। अतः सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है।												
5, करेडा	,49	4	53	31,005,00	जानकारी प्राप्त की जा रही है।								

(213)

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 की सूची

वर्ष 1982-83 में विभिन्न स्थानों से क्रय किये गये एक्सप्लोजिव की सूची

क्र.सं.	फर्म का नाम जिससे क्रय किया	इलेक्ट्रिक डिटोनेटर		जिलेटिन		अमोनियम नाइट्रेट		विवरण
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इंडियन एक्सप्लोजिव भीलवाड़ा	1.35,600	1,96,114 रु०	25,000 किलो	4,13,963.00			
2.	जिन्दल एवं जिन्दल, अजमेर	5.40,000	10 94,969 रु०	3,000 किलो	50,656.00			
3.	जगत एक्सप्लोजिव, उदयपुर	26,000	40,067 रु०	52,050 किलो	8,04,389.00			
4.	ओ. एन. बी. सी., जोधपुर	--	--	5,000 किलो	79,668.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	अमरचन्द जैन, ब्यावर	—	—	—	—	500 किलो	4,250.00	
6.	एस ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर	—	—	—	—	4,000 किलो	20,000.00	
7.	भारत आयरन स्टोर, बीकानेर	—	—	—	—	4,000 किलो	20,000.00	
8.	चौधरी कंस्ट्रक्शन कं. भीलवाड़ा	—	—	—	—	4,000 किलो	22,000.00	
		7,03,600नग	13,31,150 रु०	85,050	13,48,676	12,500 किलो	66,250.00	

कुल मूल्य—27,46,076.00 रु०

वर्ष 1983–84 में विभिन्न स्थानों से क्रय किये गये एक्सप्लोजिव की सूची

क्र सं.	फर्म का नाम जिसने एक्सप्लोजिव खरीदा गया	इलेक्ट्रिक डिटोनेटर		जिलेटिन		आमोनियम नाइट्रेट	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	जगत एक्सप्लोजिव, उदयपुर	33,900नग	51,649.00	10,625	1,70,271.00	2,0000	11,000 00
2.	जिन्दल एण्ड जिन्दल, अजमेर	1,80,000नग	4,02,462.00	....	....	....	....
3.	रामकुमार एण्ड संस, बीकानेर	....	....	....	....	500कि ग्रा.	4,250.00
4.	चौधरी कन्सट्रक्शन, भीलवाड़ा	....	....	....	....	36,000कि.ग्रा.	1,98,000.00
		2,13,900नग	4,54,111.00	10,625	1,70,271 00	38,500कि.ग्रा.	2,13,250.00

कुल मूल्य 8,37,632.00 रु०

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की सूची

वर्ष 1982–83 में विभिन्न खण्डों एवं फर्मों से क्रय की गई ड्रिल रोड की सूची

क्र.सं.	खंडों/फर्म का नाम	मात्रा	दर प्रति नग	मूल्य	विवरण
1.	सोम कमला अम्बा कैनाल खंड (सिचाई) डूंगरपुर	200 नग	342.40	68,480.00	
		200	368.00	73,600.00	
		20	402.50	8,050.00	
		420 नग		1,55,130.00	
2.	केन्द्रीय भण्डार खंड रा.न.प. बीकानेर	400 नग	400.00	1,60,000.00	
3.	बाकना इन्जिनियरिंग, जोधपुर	200 नग	500.00	1,00,000.00	
4.	सप्लाई एन्ड ट्रेडर्स, जोधपुर	100 नग	500.00	50,000.00	
5.	गुमेवत ट्रेडिंग, जोधपुर	80 नग	500.00	40,000.00	
		1200 नग		5,00,130.00 रु०	

(2½ फीट लम्बाई)

218

वर्ष 1983–84 में विभिन्न खण्डों/फर्मों से क्रय की गई ड्रिल रोड़ की सूची

क्र.सं.	खंड/फर्म का नाम	मात्रा	दर प्रति नग	मूल्य	विवरण
1.	चौधरी कन्सट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा	50 नग (5 फीट लम्बाई)	800.00	40,000.00	
				40,000.00	

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान, जयपुर को 1972 से दी गई राशि का विवरण–

क्रमांक	वर्ष	राशि जो दी गई
1.	1971-72	55,000/-
2.	1972-73	1,03,000/-
3.	1973-74	1,45,000/-
4.	1974-75	1,43,600/-
5.	1975-76	1,65,500/-
6.	1976-77	1,91,800
7.	1977-78	1,57,000/-
8.	1978-79	1,77,000/-
9.	1979-80	1,86,000/-
10.	1980-81	1-47,000/-
11.	1981-82	1,42,000/-
12.	1682-83	1,64,000/-
13.	1983-84	2.36,000/-

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 455 की सूचना

परिशिष्ट "क"

जिन संस्थाओं को छात्रावास निर्माण हेतु सहायता दी गई उसकी सूचि

क्रमः सं.	संस्था का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1-	महिला विद्यापीठ, मुसावर	80–81	1,26,000
2-	महिला विद्यापीठ, मुसावर	81–82	50,000

221

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 457 का परिशिष्ट

Percentage rise in the rates are building material & labour from 77 to 84

S.No.	Item	Unit	Rate in 77	Rate in 84	% increase	Wec.	Cost inder	increase in inder
1.	Stone Ballast	Q. M.	21.00	46.00	219.04	11	24.09	13.09
2.	Brick	1000	150.00	310 00	206 66	1	2.06	1.06
3.	Surkhi	Q. M.	36.00	95.00	263.88	3	7.91	4.91
4.	Bajri	Q. M.	35.00	75.00	214.28	1	2.14	1.14
5.	Lime	Qtl.	210.00	490 00	233.33	15	34.99	19.99
6.	Cement	Bag	22.00	68.00	309.09	5.5	16.99	11.49
7.	Steel	Qtl.	200.00	490 00	245.00	10	24.50	14.50
LABOUR								
Mason			12 00	30.00	250.00	20	50.00	30.00
Belda			5.00	15.00	300.00	20	60.00	40.00
								136.18

222

परिशिष्ट – 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 की सूचियां

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के अनुसूचित जाति व जनजाति के जून, 1980 से फरवरी 1984 में नियुक्त व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व स्थान
1	2
1.	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री पेमाराम मारवाड़ जंक्शन
2.	,, प्रताप मल पुत्र ,, मनरूप राम देवली आउवा
3.	,, रमेश चन्द्र पुत्र ,, संतोक लाल मारवाड़ जंक्शन
4.	,, जमना लाल पुत्र ,, राधाकृष्ण – मारवाड़ जंक्शन
5.	,, गोरधन लाल पुत्र ,, रूपा राम – मारवाड़ जंक्शन
6.	,, शेरा राम पुत्र श्री नारायण जी सारण
7.	,, मांगीलाल पुत्र ,, रूघा राम – जोगडावास
8	,, अमरलाल पुत्र ,, उम्मेदराम धनला
9.	,, केवल चन्द पुत्र ,, भोलाराम थून्धला
10.	,, ढगला राम पुत्र ,, पुखा राम – गुडारामसिंह
11.	,, नारायण लाल पुत्र ,, मोडा जी नवा गांव
12,	,, सूजा राम पुत्र ,, गोविन्द राम मारवाड़ जंक्शन
13.	,, श्यामलाल पुत्र .. गोविन्द राम मारवाड़ जंक्शन
14.	,, रतनलाल पुत्र ,, वक्ता राम मारवाड़ जंक्शन
15.	,, लादू राम पुत्र ,, उमा राम आउवा
16.	,, पाबू राम पुत्र ,, गिरधारी राम – ईसाली
17.	,, मेघा राम पुत्र ,, पाबू राम मारवाड़ जंक्शन

1	2
18.	श्री डूंगाराम पुत्र श्री भीकाराम जैतपुरा
19.	,, पूना राम पुत्र ,, भूराराम कन्टालिया
20.	,, काना राम पुत्र ,, हीरालाल राणावास
21.	,, जीता राम पुत्र ,, भैराजी चिरपटिया
22.	श्रीमती लक्ष्मी मीणा पत्नी श्री ताराचन्द मारवाड़ जंक्शन
23.	श्री बाबू लाल पुत्र श्री भैरू लाल सिरीयारी
24.	,, जीवन राम पुत्र ,, जुशिया - मारवाड़ जंक्शन

पंचायत समिति रानी में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक अनुसूचित जाति जनजाति के नियुक्त व्यक्तियों की सूची

25. श्री मांगीलाल पुत्र श्री भगा राम - खारडा
26. ,, अपेसर राजनट पुत्र ,, मोहनलाल - खोड
27. ,, रघुनाथ पुत्र ,, नैनाराम - वूसी
28. ,, मानाराम पुत्र ,, केसा राम - रानी
29. श्रीमती तुलसादेवी पत्नी श्री चन्दाराम - मांडल
30. श्री शंकर लाल पुत्र श्री बाबू लाल - रानी
31. ,, गोपाल पुत्र श्री हरिराम - रानी
32. ,, लुम्बाराम पुत्र श्री गोमाराम - इटन्द्रा मेडतियान
33. ,, शंकर लाल पुत्र ,, भैरा राम - रानी
34. ,, मांगी लाल पुत्र ,, वीरमराम - पांचलवाड़ा
35. ,, बाबूलाल पुत्र ,, जीताराम - घेनडी
36. ,, मदनलाल पुत्र ,, रीवारमा राम - खाड
37. ,, रामलाल पुत्र ,, वरदाराम - सोमसर
38. ,, पूराराम पुत्र ,, चिमना राम – दादाई
39. ,, हिमता राम पुत्र ,, हकाराम – जवाली
40. ,, कैलाश चन्द पुत्र ,, किशनलाल – सोमसर

224

1	2
41.	श्री पेमा राम पुत्र श्री कानाराम – बिजोवा
42.	,, भेरा राम पुत्र ,, भीमाजी – बूसी
43.	,, चेनाराम पुत्र ,, सुम्रा राम – रानी
44.	,, मदनलाल पुत्र ,, वीराराम – खोड
45.	,, चम्पालाल पुत्र ,, देवाराम – सांवलता
46.	,, राम लाल पुत्र ,, वरदा राम – सिवास
47.	,, महेन्द्र कुमार पुत्र ,, कालू राम – खिवाडा
48.	,, जगा राम पुत्र ,, देवा राम – सावलता
49.	,, खंगार राम पुत्र ,,गोमाराम – पांचलबाडा
50.	,, डूंगाराम पुत्र ,, काना राम इटन्द्रा – मेडतियान
51.	,, पेमाराम पुत्र ,, काना राम बिजावा
52.	,, छोगा राम पुत्र ,, लछा राम – किशनपुरा

पंचायत समिति, देसूरी में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक अनुसूचित जाति/ जनजाति के नियुक्त व्यक्तियों की सूची

53. श्री मूलाराम पुत्र श्री कूपा राम – सादडी
54. ,, मूला राम पुत्र ,, वक्ता राम – मादा
55. ,, चम्पालाल पुत्र ,, पुखराज – नाडोल
56. ,, डूंगाराम पुत्र ,, तेजाजी – सिन्दरली
57. ,, रामखिलाडी पुत्र ,, मनोहारी – बागोल
58. ,, नारायण लाल पुत्र ,, सूरत राम – सादडी
59. ,, भंवर लाल पुत्र ,, देवा राम – सिवास
60. ,, चुन्नी लाल पुत्र ,, आशाराम – घाणेराव
61. ,, भीका लाल पुत्र ,, वेना राम – प्रतापगढ़
62. ,, गोरधन लाल पुत्र ,, चिमना राम – सादडी
63. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री पुरुषोत्तम देसूरी
64. श्री कपूरचन्द पुत्र श्री माना राम - सादडी
65. ,, राम लाल पुत्र ,, रूपाराम - घाणेराव
66. ,, बाबूलाल पुत्र ,, बंशी लाल - केरली

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों की नियुक्ति सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन	19	5	24
2.	पंचायत समिति रानी	21	7	28
3.	पंचायत समिति देसूरी	5	9	14
	योग	45	21	66

(226)

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय पंचायत समिति रानी स्टेशन, जिला पाली

विद्युतीकरण एवं पेयजल उपलब्ध कराये गांवों व मोहल्लों का नाम

विद्युतीकरण किये गये गांवों का नाम

जून 80 से फर. 1984 तक

क्र. सं.	गांव का नाम	मोहल्ला
1.	चाचौड़ी	भाम्बियों का बास, हरिजन बस्ती व मेणों का बास।
2.	बालराई	मेगवालों का वास, हरिजन बस्ती
3.	नवा गुडा	मेगवालों का वास, मेणों का वास
4.	खुनी का गुडा	मेगवालों का वास, सरगडों का वास, मेणों का वास, बावरिया का वास।

पेयजल व्यवस्था की गई गांवों का नाम

	नाम गांव	कूप निर्माण	हैण्ड पंप	पाइप लाइन
1.	रानीखुर्द	....	1	मेणों का वास
2.	चाचौडी	1	1	....
3.	देवली	....	2	....
4.	ढारिया	....	1	....
5.	सीवास	....	1	....
6.	सालरिया	....	2	....
7.	किशनपुरा	....	1	....
8.	गवाड़ा	....	1	....

1	2	3	4	5	
9.	गड़ा केसरसिंह	....	1	....	
10.	कूरजी	....	1	....	
11.	जीवन्द कलाढाणी	....	1	....	एक हौज निर्माण
12.	जवाली	....	1	....	
13.	गुडा गागा	....	1	....	
14.	ददवड	....	1	....	
15.	रानीकलाँ	....	1	भाम्बियों के वास में	
16.	ईन्दरवाड़ा	....	1	....	
17.	सप्टावा	कुए की मरम्मत	1	....	
18.	प्रतापगढ़	....	2	....	
19.	बिन्जोरा	....	1	....	
20.	पनाडिया	1	....	....	
21.	नवा गुडा	1 कुम्रा मरम्मत	2	....	
22.	कीरवा	....	1	....	
23.	कल्याणपुरा	1	2	....	
24.	खांड	....	1	....	
		5	28	2	एक हौज

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 463 का विवरण

वर्ष 1982-83 व 1983-84 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जिलेवार आवंटन एवं व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

जिला	वर्ष 1982-83		वर्ष 1983-84	
	मूल आवटन	व्यय	आवंटन	व्यय माह दिसम्बर, 83 तक
1. बांसवाड़ा	2763.58	2384.79	3893.01	2702.95
2. डूंगरपुर	613.22	606.02	861.20	357.36
3. उदयपुर	1234.40	1376.68	1812.29	943.76
4. चित्तौड़गढ़	210.87	225.49	255.19	96.86
5. सिरोही	103.08	117.20	185.34	89.73

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 465 का विवरण

सूची केरोसीन विक्रेता तहसील सांगानेर

क्र० सं०	डीलर का नाम व पूर्ण पता	व्यापार स्थल	मात्रा केरोसीन लीटर (माह फरवरी, मार्च 24.3.84 तक)	आवंटित ग्राम पंचायत का नाम एवं उसकी जन संख्या जिसके निमित्त केरोसीन का आवंटन किया गया	
1.	मै० श्यामलाल राधामोहन	सांगानेर	5000	नगरपालिका सांगानेर क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत	
2.	मै० सांगानेर आयल स्टोर	सांगानेर	5000	श्योपुर	4910
				जगतपुरा	3114
3.	मै० ओमप्रकाश दुसाद एण्ड कं०	सांगानेर	5000	शिकारपुरा	5545
				मुहाना	4282
				लाखना	3231
4.	मै० मोहन ट्रेडर्स	मालपुरा दरवाजा बाहर सांगानेर	5000	कपूरावाला	3501
				पंचालिया	3027
				कल्याणपुरा	4780
				कलवाड़ा	3498
				मांग्यावास	4305
5.	मै० फौजी भाई, (एम० पी० डी० सी०)	बीलवा	12000	बीलवा	4152
				वाटिका	13114
				मोहनपुरा	4147
				श्रीराम का नांगल	3472
				गोनेर	3576
				विधानी	2947

232

1	2	3	4	5	6
				दांतली	3583
				जयपुरा	4515
				लुनियावास	8904
				दादिया	3588
6.	मै० मदनलाल हरिनारायण (एम० पी० डी० सी०)	बगरू	12000	न० पा०, बगरू	25548
				ग्रा० पं०, भवानिया	3057
				दहमीकलां	3834
				रामपुराउती	2909
				भमोरिया	3733
				महापुरा	4124
				भांकरोटा	4992
				अजयराजपुरा	4235
				जयसिंहपुरा	4319
				ठोकरिया	5064

....

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 466 का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1983-84 में "गरीब को छप्पर" योजना में कितने व्यक्तियों को मकान हेतु अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था।	जिन व्यक्तियों को अनुदान दिया गया उनका विवरण			
			क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	ग्राम	दी गई अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुल्तानपुर	50	1.	श्री धन्नालाल/ओंकार वैरवा	कराडिया	250.00 रु०
			2.	श्री किशनचन्द्र/रामकल्याण नाई	करोडिया	250.00 ,,
			3.	श्रीमती हल्दी बाई/रामदेवा मेघवाल	दीगोद	750.00 ,,
			4.	श्री रामनारायण/बद्रीलाल धाकड़	बावया	750.00 ,,
			5.	बाबूलाल/मांगीलाल मेघवाल	नीमोदा	750.00 ,,
			6.	श्री चतरा/भैरूलाल मेघवाल	नीमोदा	750.00 ,,
			7.	श्री रामनारायण/कंवरलाल चमार	झाडगांव	750.00 ,,

231

1	2	3	4	5	6	7
			8.	श्री रामकिशन/श्रवणलाल धोबी	बूढादीत	750.00 रु०
			9.	श्रीमती कमला पति पेमराज राव	बूढादीत	750.00 ,,
			10.	श्री सोरपा/गोपाल हरिजन	बूढादीत	750.00 ,,
			11.	श्री भैरूलाल/कान्हा कलाल	सारोला	250.00 ,,
			12.	श्री नन्दकिशोर/लटूर बोला	सारोला	250.00 ,,
			13.	श्री मथुरालाल/रामलाल बोला	सारोला	250.00 ,,
			14.	श्रीमती पुष्पा पति पाथूराम भील	चार	750.00 ,,
					योग	8000.00

नोट : जिन व्यक्तियों को 250) रु० की राशि भुगतान की गई है यह प्रथम किश्त के रूप में दी गई है।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	उन ग्रामों के नाम जहां प्राथमिक विद्यालय खोले गये
1	2	3
1.	रानी	1-कल्याणपुरा (कारवा)
		2-कुम्हारों की ढाणी
		3-नादाना जोधान
2.	खारची (मारवाड़ जंक्शन)	1-प्रखावास
		2-लीलावास
		3-काटू
		4-सुगालिया
		5-भगवानपुरा
		6-भीमली
		7-राणावास स्टेशन
		8-तालरा
		9-धामली.
		10-गोदावास
3.	देसूरी	1-सारंगवास
		2-दादाई
		3-मादा
		4-बीलियावास
		5-अटालिया
		6-मादा

(234)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 468 से सम्बन्धित पत्र की प्रति

सेवा में,

श्रीमान् माननीय मुख्य मन्त्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :—दौसा पंचायत समिति प्रधान, विकास अधिकारी तथा सरपंचों द्वारा किये गये गम्भीर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच हेतु।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि :–

(1) गत वर्ष बाढ़ के नाम पर मलवास, ढिगारिया, लवाण, खानवास आदि पंचायतों में वितरण राशि व अन्य सामान जो वितरण किया गया उसमें से 60 हजार की खरीद में घोटाला।

(2) माडा योजना में दो लाख का सामान खरीदा जिसमें 25 हजार का गबन है जांच हो।

(3) पंचायत समिति, दौसा को दिनांक 1-7-82 से अब तक कितनी सीमेंट किन-किन पंचायतों को दी गई, कितनी सीमेंट आई, इसकी जांच हो। इसमें लाखों का घोटाला है। अकेले मलवास सरपंच रामफूल को ही 700 कट्टे की ब्लैक हेतु सीमेन्ट दी गई है।

(4) माडा योजना से किन-किन पंचायतों में कितने कुए बने, कितना सामान दिया, कितने पूर्ण हुये ? इसकी जांच हो।

(5) जितने भी सिलाई केन्द्र चलाये, सब फर्जी हैं। कोई भी केन्द्र नहीं चला। सभी सिलाई मशीनें आधी-आधी कीमत पर दी गई हैं। जो भी इसके मिलने वाले है और उनकी आवाज बंद है और उनमें जो महिलायें हैं, शिक्षित हैं और नाबालिग हैं।

(6) हुडको योजना में 1200 किसानों से 12000 की राशि लेकर सिर्फ 4 पंचायतों को पाटोल दी है। पाटोल की खरीद में भारी गबन है।

(7) अकाल राहत में तालाबों के नाम पर फर्जी मस्टर रोल व फर्जी भुगतान में 1 लाख का घोटाला है जांच हो। तलाई हियोटिया, खेडला की तलाई व पंचायत रतावता आदि की जांच हो।

(8) पंचायतों में स्कूलों के पोषाहार योजना के गेहूं, चावल, तेल जितना भी आया, किस भी विद्यार्थी को कुछ नहीं मिला, सब ब्लैक सरपंचों ने बेच कर प्रधान व बी. डी. ओ. व खुद खा गये। जांच होवे।

(9) पंचायत समिति, दौसा में जिन-जिन अध्यापकों के रिक्त पद भरे, उनके 3 हजार से 5 हजार रुपये लेकर नियुक्ति दी गई। स्थानान्तरण भी पैसे लेकर मनमाने ढंग से वर्ष में एक व दो बार कर रिश्वत कमाकर पुनः स्थानान्तरण निरस्त किये जा रहे हैं।

(10) पंचायत थूमडी में बने एवीकट की किसी ईमानदार इन्जीनियर द्वारा जांच कराई जाये इसमें जो खर्चा हुआ, मिली राशि उसमें से 1/4 भाग ही खर्च हुआ है। इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। 25000/–इस कार्य हेतु स्वीकृत किये गये हैं। जांच हो।

(11) जिन-जिन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र ओवरसियर ने फर्जी दिया है, उनकी इन्जीनियर से पुनः जांच हो तो लाखों का घोटाला है।

(12) गत वर्ष इस वर्ष कितने-कितने पेड़ पौधे कहां-कहां लगे उनकी साइट जांच हो। कहीं नहीं लगे, सब फर्जी दिखाकर समस्त राशि खा गये।

(13) माडा योजना व असफडियोजना ऋण में उन किसानों को अपनी ही गाड़ी बैल, भैंस, बकरी, भेड़ों पर ऋण दिया। किसी ने भी कोई जानवर नहीं खरीदा, अपने ही पशुओं पर पैसे लेकर ऋण दिया, जिसकी जांच हो। इसकी जांच पड़ोसियों के आधार पर गुप्त होनी चाहिए अन्यथा सरपंच पाबंद कर देता है। इसमें भारी घोटाला है।

(236)

(14) बारोदा पंचायत के सरपंच श्री रामफूल के खिलाफ एफ. आई. आर. थाने में दर्ज हुई जिसकी एफ. आई. आर. क्यों दिलवाई गई, जांच कराई जावें।

(15) जयपुर जिलाधीश श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता को अपना धर्म भाई बना रखा है। उनके सहयोग से लाखों का घोटाला हो रहा है।

(16) इसकी जांच से पूर्व बी. डी. ओ. का तुरन्त स्थानान्तरण कर किसी आर. ए. एस. अधिकारी को बी. डी. ओ. के पद पर लगाया जावे।

(17) श्री राम मनोहर ग्रुप सचिव के स्थानान्तरण निरस्त किये जावें क्योंकि इनके रखने से पोल नहीं चल सकती है, इसी वजह से इनके स्थानान्तरण हुए हैं जो निरस्त किये जावें।

(18) अभी-अभी इरफान नामक एक कनिष्ठ लिपिक को कलेक्ट्री जयपुर से लगाया गया है उसको वापस भिजवाया जावे। श्री महेश के स्थानान्तरण के बिना ही श्री इरफान को पंचायत समिति में लिया गया है, मात्र धांधली करने के लिए।

(19) श्री किशनलाल जिरोका को गत वर्ष वृक्ष लगाने के लिए प्रति वृक्ष 5/- रुपये के हिसाब से 2000/- दिये गये। इसी तरह रामफूल मलवास को 2000/- रुपये राशि बिना वृक्ष लगाये ही दी गई। इस वर्ष 50 बोरी गेहूं 15 टिन तेल मलवास कालाखो भांकरी व नांगगोविन्द को दिया गया है। इसकी जांच की जावे। पेड़ पौधों को पंचायतों में पहुंचाने के नाम पर सरपंच कालाखों ने रमेश कुमार नामक व्यक्ति का टेन्डर स्वीकार कराया यह केवल कालाखो सरपंच को खुश करने के लिए किया गया जब कि रमेश कुमार के पास कोई ट्रैक्टर नहीं है।

(20) पंचायत समिति की जीप का व्यक्तिगत उपयोग किया गया है प्रत्येक शनिवार को विकास अधिकारी 175 किमी अपने गांव के लिए उपयोग करते हैं एवं गलत इन्द्राज लोग बुक में करते हैं इसकी जांच की जावे व प्रधान द्वारा इसका व्यक्तिगत उपयोग किया जा रहा है। प्रधान महोदय का संरक्षण होने से सरपंचों

द्वारा पंचायत की राशि का व्यक्तिगत कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है। सरपंचों द्वारा खाते पोस्ट ग्राफिस ग्रथवा बैंकों में न रखकर निजी कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी बातों को मद्दे नजर रखते हुए जांच कराई जावे ग्रोर इसमें दोषी पाये जाने वाले ग्रधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे, हम ग्रापके ग्राभारी रहेंगे। प्रशासन को लाभ प्राप्त होगा।

धन्यवाद।

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 469की विवरण

(पंचायत समिति सुवाना क्षेत्र में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरणों का विवरण)

क.सं.	स्थानान्तरित अध्यापक के नाम	स्थानान्तरण आदेश का दिनांक	प्राथमिक विद्यालय का नाम, जहां कार्यरत थे	प्राथमिक विद्यालय का नाम जहां स्थानान्तरण किया गया	क्या यह स्थानान्तरण बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो किस तिथि को
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1982-83		
1.	देवीलाल सुनार	24.6 82	छाछेड़ी	जावसिया	हां, 29.7.82
2.	श्री राधेश्याम सुनार	,,	हमीरगढ़	छाछेड़ी	हां, ,,
3.	श्री शंकरलाल टेलर	,,	सुवाणा	बड़ामहुआ	संशोधन, 7.7.82
4.	श्री बन्शीलाल सोमानी	3.7.82	रूपाल्या	मंगरोप	....
5.	श्री रामेश्वरलाल मारू	,,	मंगरोप	रूपाल्या	....

1	2	3	4	5	6
6.	श्री सागरमल प्रागाल	7.7.82	पोन्डराम	छापरी	....
7.	श्री जगदीश श्रोतिय	,,	छापरी	बड़ामहुआ	संशोधन, 4.8.82
8.	श्रीमती इन्द्रा देवी	14.7.82	ईरास	सुवाणा	....
9.	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	29.7.82	आकोला	सिवड़ियास	....
10.	श्री भैरूलाल शर्मा	,,	दादिया	सालमपुरा	संशोधन, 24.9.82
11.	श्री नवलराम विश्नोई	,,	सालमपुरा	दादिया	हां, 24.9.82
12.	श्रीमति विजयलक्ष्मी	,,	बा. हमीरगढ़	गुरला	संशोधन, 29.9.82
13.	श्री नन्दलाल चौबे	,,	फामनियाखेड़ा	बोरड़ा	....
14.	श्री ज्ञानचन्द सिंघी	,,	बोरड़ा	फामनियाखेड़ा	....
15.	श्रीमति भगवती देवी शर्मा	,,	गुरला	वा. हमीरगढ़	....
16.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	,,	कलुन्दिया	कावरा	....
17.	श्री सुन्दरलाल सोमानी	,,	कावरा	कलून्दिया	संशोधन, 29.9.82
18.	श्री कन्हैयालाल गर्ग	,,	मंगरोप	रतनपुरा	हां, 29.9.82
19.	श्री नन्दलाल गर्ग	,,	रतनपुरा	मंगरोप	....
20.	श्रीमति यशोधरा देवी	,,	बा. कारोई	प्रा. कारोई	....

1	2	3	4	5	6
21.	श्रीमती कृष्णादेवी	29.7.82	कारोई	बा. कारोई	....
22.	श्रीमती सूरजदेवी जोशी	,,	सुवाणा	ईरास	....
23.	श्री मुकुट बिहारी गर्ग	,,	खायड़ा	सुवाणा	....
24.	श्री किशनलाल रेगर	,,	बरसोलिया	खायड़ा	....
25.	श्री शंकरसिंह रानावत	,,	जित्याखेड़ी	बरसोलिया	....
26.	श्री भगवानलाल विश्नोई	,,	बासड़ा	घूलखेड़ा	....
27.	श्री कृष्णगोपाल दाधीच	,,	धूलखेड़ा	राजपुरा	संशोधन, 29.9.82
28.	श्री कजोड़ीमल सेन	,,	राजपुरा	धागड़ास	,, ,,
29.	श्री जगदीश चन्द्र डाड	,,	धागड़ास	बासड़ा	संशोधन ,,
30.	श्री मूलशंकर	,,	कारोई	मोमी	,, ,,
31.	श्री मिन्टोलाल शर्मा	,,	मोमी	गुरला	,, ,,
32.	श्री मोतीलाल तेली	,,	गुरला	सायला	,, ,,
33.	श्री ओंकारलाल ओझा	,,	सायला	आमली	....
34.	श्री राजेन्द्र कुमार दाधीच	,,	छाछेड़ी	घूमड़ास	....
35.	श्रीमती शान्तादेवी सेन	,,	सुवाणा	कारोई	संशोधन, 8.9.82

1	3	3	4	5	6
36.	श्रीमती रमादेवी	29.7.82	सुवाणा	बा. पान्सल	....
37.	श्री सत्यनाराणी देवी	,,	बा. पान्सल	बा. ग्राटण	....
37.	श्रीमती शान्ता देवी दाधीच	,,	बा. ग्राटूण	सुवाणा	....
38.	श्री रामेश्वरलाल काबरा	,,	धूमड़ास	पालियाखेड़ा	संशोधन, 8.9.82
40.	श्री विक्रयदेव सोलंकी	,,	बिलिया	काणोली	....
41.	श्री केसरीमल खटीक	,,	काणोली	जवासिया	....
42.	श्री रामप्रकाश राका	,,	जोधड़ास	बिलिया	....
43.	श्री कल्याणमल शर्मा	,,	पालियाखेड़ा	जोधड़ास	....
44.	श्री सत्यनारायण सोनी	8.9.82	कीराकी झोपडिया	हमीरगढ़	....
45.	श्री जगदीश चन्द्र टेलर	,,	मन्डपिया	कीरों की झोपडियां	....
46.	श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी	,,	हमीरगढ़	मन्डपिया	....
47.	श्रीमती मनोरमा देवी	,,	बा. स्वरूपगंज	बा. हमीरगढ़	....
48.	श्रीमती रामकन्या देवी	,,	बा. हमीरगढ़	बा. स्वरूपगंज	संशोधन, 29.9.82
49.	श्री प्रवन्ती देवी	,,	मंगरोप	बा. स्वरूपगंज	,, ,,
50.	श्री श्यामलाल वैष्णव	24.9 82	महेशपुरा	जवासिया	,, ,,

(241)

1	2	3	4		5
51.	श्री बाबूलाल तेली	24.9.82	समोड़ी	घूलकेड़ा	....
52.	श्री भगवानलाल विश्नोई	,,	घूलखेड़ा	समोड़ी	....
53.	श्रीमती सुन्दरदेवी दाधीच	,,	मदालीखेड़ा	बा. गुरला	संशोधन, 5.10.82
54.	श्री रमानशकर भारद्वाज	,,	भ्रोजागर	बासड़ा	,, ,,
55.	श्री लादूलाल शर्मा	,,	भोपालगढ़	भ्रोजागर	संशोधन, 29.9.82
56.	श्री बन्शीलाल सोमानी	,,	मंगरोप	सियार	,, ,,
57.	श्री पारसमल जैन	,,	सियार	मंगरोप	,, ,,
58.	श्री प्रेमप्रकाश गनेरिया	29.9.82	वाताजती	मंगरोप	....
59.	श्री मांगीलाल माली	,,	भोपालगढ़	मोमी	....
60.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	,,	राजपुरा	बासड़ा	....
		वर्ष 1983–84			
1.	श्रीमती गीता श्रीवास्तव	30.7.83	बा. गुरला	बा. कारोई	....
2.	श्रीमती सरोज त्रिपाठी	1 8.83	बा. भोपालगढ़	प्रा. वि. हमीरगढ़	....
3.	श्रीमती सूर्याकुमारी	8.8.83	बा. गुरला	बा. भोपालगढ़	संशोधन, 28.9.83

1	2	3		4.	5.
4.	श्रीमती शशिकला सेन	8.8.83	मंगरोप	बा. स्वरूपगंज	....
5.	श्रीमती मीनाकुमारी	„	बा. हमीरगढ़	बा. गुरला	संशोधन, 6.12.83
6.	श्रीमती कमला पाराशर	„	प्रा. हमीरगढ़	बा. हमीरगढ़	हां, 16.12.83
7.	श्री किशनलाल रेगर	8.8.83	खायड़ा	पालियाखेड़ा	हां 28.9.83
8.	श्री राधाकृष्ण विजयवर्गीय	„	पालियाखेड़ा	सिदड़ियास	....
9.	श्रीमती आशा पारीक	„	बा. स्वरूपगंज	बा. गुरला	संशोधन 16.3.84
10.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	„	सिदड़ियास	नईईरास	„ 30.11.83
11.	श्री कन्हैयालाल मेहता	„	नईईराम	अगरपुरा	„ 6.3.84
12.	श्री कमला देवी लोढ़ा	„	अगरपुरा	सुवाणा	....
13.	श्री गोविन्दलाल ओझा	„	सोपुरा	खायड़ा	हाँ, 28.8.83
14,	श्री कन्हैयालाल टेलर	„	नोगावा	भोपालगढ़	संशोधन 30.8.83
15,	श्री मांगीलाल छीपा	„	भोपालगढ़	दोलपुरा	संशोलन „
16.	श्री बन्शीलाल गौड़	„	दोलपुरा	दुड़िया	„ „
17.	श्री कैलाशचन्द्र चौबे	„	नोगांवा	भोपालगढ़	„ „
18.	श्री मोडीराम विजयवर्गीय	„	हमीरगढ़	सोपुरा	„ „

1	2	3		4	5
19.	श्री शंकरलाल कावरा	11.8.83	कारोई	गुरला	संशोधन, 1.10.82
20.	श्री प्रकाशचन्द शर्मा	,,	एकलिंगपुरा	कारोई	संशोधन 15.9.83
21.	श्री गोरधनसिंह	,,	तिल्लोली	जागदरी	,, 30–11–83
22.	श्री हरिवल्लभ अजमेरा	,,	जागदरी	तिल्लोरी	,, ,,
23.	श्री ओमप्रकाश गनेरिया	29.8.83	घागड़ास	हमीरगढ़	....
24.	श्री कल्याणमल शर्मा	,,	सुवाणा	धागडांस	....
25.	श्री रतनलाल सिंगवी	,,	रीछड़ा	छापरी	....
26.	श्री सागरमल आगाल	,,	छापरी	रीछड़ा	संशोधन 30.11.83
27.	श्रीमती मनोरमा जैन	,,	बा. पीपली	मंगरोप	
28.	श्री बाबूलाल तेली	21.1.84	घूलखेड़ा	तेलीखेड़ा	नया विद्यालय खुलने से